सूचना अधिकार अधिनियम, 2005
के अंतर्गत

सूचना पुस्तिका

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

सूचना पुस्तिका

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (I) (ख) के अंतर्गत)

विषय सूची

अध्याय	नियम पुस्तिका सं0	संरचना	पृष्ठ सं0
1		पुस्तिका परिचय	
2	1	संगठन, कृत्य और कर्त्तव्यों का विवरण	
3	2	अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्त्तव्य	
4	3	कृत्य निर्वहन के नियम, विनियम, अनुदेश, मैनुअल तथा अभिलेख	
5	4	नीति बनाने या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जन-साधारण के साथ परामर्श करने या प्रतिनिधित्व के लिए विद्यमान व्यवस्था का विवरण	
6	5	इसके द्वारा धारित या इसके नियंत्रणाधीन दस्तावेजों की श्रेणियां का विवरण	
7	6	इसके भाग के रूप में गठित बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण	
8	7	जन सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण	
9	8	निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली क्रियाविधि	
10	9	अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निदेशिका	
11	10	प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक	
12	11	प्रत्येक एजेंसी के लिए आबंटित बजट	
13	12	सहायक कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका	
14	13	इसके द्वारा स्वीकृत रियायतों, परमिटों या प्राधिकार की प्रतियों का ब्यौरा	
15	14	कार्य निष्पादन हेतु निर्धारित मानदंड	
16	15	इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध सूचना	
17	16	सूचना प्राप्ति हेतु नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का विवरण	
18	17	अन्य उपयोगी सूचनाएं	

प्रत्याख्यान

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत तैयार किए गए सत्रह नियम पुस्तिकाओं में समाविष्ट इस सूचना पुस्तिका को प्रामाणिक बनाने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं, फिर भी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इस पुस्तिका में उपलब्ध कराई गई किसी सूचना में कमियों, त्रुटियों अथवा अशुद्धियों से किसी व्यक्ति को होने वाली हानि के लिए उत्तरदायी नहीं है । किसी भी विसंगति को सुधारने अथवा संशोधित करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की सूचना में लाया जाना चाहिए ।

अध्याय - 1

पुस्तिका-परिचय

1.1 पृष्ठभूमि

लोकतंत्र में नागरिकों की जागरूकता और सूचना की पारदर्शिता अपेक्षित है, जो कि इसके कार्यकरण और भ्रष्टाचार रोकने तथा सरकार और इसके निकायों को जनता के प्रति जिम्मेवार बनाने के लिए महत्वपूर्ण है । वास्तव में सूचना के उद्‌घाटन का सरकार के कार्यकुशल कार्यकरण, सीमित वित्तीय संसाधनों के इष्टतम उपयोग और संवेदनशील सूचना की गोपनीयता के संरक्षण का अन्य जनहितों के साथ टकराव होने की संभावना होती है । इसलिए लोकतांत्रिक आदर्श की सर्वोच्चता को बनाए रखते हुए इन परस्पर-विरोधी हितों में तालमेल करना आवश्यक है । इसलिए संसद ने 'सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005' नामक विधान अधिनियमित किया है, जिसे 15 जून, 2005 को भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई । इस पुस्तिका का प्रकाशन उक्त अधिनियम की धारा 4 (1) (ख) के अंतर्गत वर्णित अनुबंधों के अनुसरण में किया गया है ।

1.2 लक्ष्य/उद्देश्य

सार्वजनिक प्राधिकार की संकल्पना जो जिम्मेदार प्रशासन से संबंधित 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत प्रारंभिक स्तर पर है । शिकायतों का निपटान करने के लिए केन्द्रीय सरकार के अधीन सभी प्रतिष्ठानों में शिकायत निवारण तंत्र की शुरूआत की गई है । इस पुस्तिका का उद्देश्य सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और इसके एककों/कार्यालयों की सूचना आम जनता को प्रदान करना है, ताकि वे इस मंत्रालय की योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ उठा सकें ।

1.3 भावी उपयोगकर्त्ता कौन हैं ?

भारत संघ के सभी नागरिक ।

1.4 सूचना की प्रकृति/वर्ग

कार्यान्वयनाधीन योजनाएं, संगठनात्मक संरचना, प्राधिकारी का स्तर, उनकी शक्तियां और कर्त्तव्य/कार्यकलाप और इससे संबंधित अन्य संगत मामलों को, जिनमें एक आम आदमी की रुचि हो सकती है, इस पुस्तिका में शामिल किया गया है ।

1.5 उपयोग की गई विभिन्न प्रकार की शब्दावली की परिभाषा

इस पुस्तिका में उपयोग किए गए शब्दों/मुहावरों/अभिव्यंजनाओं को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में प्रयुक्त ऐसे ही सदृश अभिव्यंजनाओं के संदर्भ में उनके व्याकरणात्मक और सजातीय रूपान्तर में बनाया गया है ।

1.6 यदि कोई व्यक्ति अन्य सूचना के साथ-साथ पुस्तिका में कवर किए गए विषयों पर भी और अधिक सूचना प्राप्त करना चाहता है तो संपर्क किए जाने वाले व्यक्ति

इस पुस्तिका के मैनुअल-7 में यथा - उल्लिखित जन संपर्क अधिकारी । इसके अतिरिक्त, सूचना भूतल 'ए' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110001 स्थित (स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, शास्त्री भवन शाखा के पास) सूचना और सुविधा काउंटर से भी प्राप्त की जा सकती है ।

1.7 पुस्तिका में अनुपलब्ध सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया और शुल्क संरचना

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत कोई भी सूचना पाने का इच्छुक व्यक्ति अंग्रेजी अथवा हिन्दी में लिखित या इलैक्ट्रानिक माध्यम से यथानिर्धारित शुल्क देने पर संबंधित जनसंपर्क अधिकारी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली से संपर्क कर सकता है । लिखित में अनुरोध न किए जाने के मामले में जनसंपर्क अधिकारी मौखिक अनुरोध को लिखित में बदल देगा ।

अध्याय - 2

नियम पुस्तिका-1

संगठन, कृत्य और कर्त्तव्यों का विवरण

धारा { 4(1) (ख) (i)}

2.1 लोक अधिकारी का लक्ष्य/उद्देश्य

भारत का संविधान अपनी उद्देशिका में देश के सभी समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति,विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है । अनुच्छेद 15 (4) में, सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के संबंध में विशेष रूप से उल्लेख है । ऐतिहासिक सामाजिक वास्तविकता से यह पुष्टि होती है कि ये वर्ग शैक्षिक विकास तथा सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के समग्र परिप्रेक्ष्य में न्याय पाने के सुपात्र हैं । अन्य अलाभान्वित/भेदभाव किए जाने वाले वर्ग हैं- विकलांगजन, देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चे, वृद्धजन, नशीले पदार्थों के व्यसनी आदि । यह मंत्रालय उपर्युक्त विनिदिष्ट लक्षित वर्गों के विकास और कल्याण के प्रति वचनबद्ध है ।

2.2 लोक प्राधिकारी का मिशन/विजन विवरण

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय लक्षित वर्गों के कल्याण, उत्थान और सशक्तिकरण के लिए वचनबद्ध है । यह अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, विकलांगों, देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों, वृद्धजन, नशीले पदार्थों के व्यसनियों आदि का सामाजिक उत्थान सुनिश्चित करने के लिए सततरूप से प्रयासरत है । यह मंत्रालय एक ऐसे " समावेशी समाज " का निर्माण करने के लिए प्रयासरत है, जिसमें लक्षित वर्ग को वैसा नहीं देखा जाना चाहिए जिन पर दया दिखाने की जरूरत है बल्कि वे इस महान राष्ट्र के सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त व्यक्ति हैं ।

2.3 लोक प्राधिकारी का संक्षिप्त इतिहास और इसका गठन

वर्ष 1985-86 में, पूर्व समाज कल्याण मंत्रालय को महिला और बाल विकास विभाग तथा कल्याण विभाग के बीच विभक्त किया गया था । साथ ही, गृह मंत्रालय से अनुसूचित जाति विकास प्रभाग, जनजाति विकास प्रभाग और अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग तथा विधि मंत्रालय से भी वक्फ प्रभाग को हटाकर तत्कालीन कल्याण मंत्रालय बनाया गया था ।

इसके बाद मई, 1998 में इस मंत्रालय का नाम बदलकर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कर दिया गया था । इसके अतिरिक्त, अक्तूबर, 1999 में, इस मंत्रालय से जनजातीय कार्य प्रभाग को हटाकर एक पृथक जनजातीय कार्य मंत्रालय बनाया गया था ।

2.4 लोक प्राधिकारी के कर्त्तव्यः

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का उद्देश्य लक्षित वर्गों के व्यक्तियों को सशक्त बनाना हैं जो या तो ऐतिहासिक रूप से समाज के हासिए पर पर रहे हैं अथवा विभिन्न सामाजिक आर्थिक ताकतों के कारण उपेक्षित रहने के खतरे में हैं क्योंकि देश कृषि आधारित अर्थव्यस्था से औद्योगिक अर्थ व्ययस्था की ओर अग्रसर है ।

2.5 लोक प्राधिकारी के मुख्य कार्यकलापः

सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए नोडल मंत्रालय होने के कारण, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इन वर्गों के विकास और कल्याण के प्रति वचनबद्ध है । यह ऐसे लक्षित वर्गों की समग्र देखभाल सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न अन्य मंत्रालयों के कार्यकलापों में समन्वय भी करता है ।

2.6 लोक प्राधिकारी द्वारा इन वर्गों के संबंध में संक्षिप्त उल्लेख के साथ प्रदान की जा रही सेवाओं की सूची

प्रशासन प्रभाग

स्थापना

नोडल मंत्रालय अर्थात् कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा ऐसे मामलों के लिए बनाए गए नियमों तथा विनियमों के अनुसार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के कर्मचारियों के सेवा मामलों को देखता है ।

सामान्य अनुभाग

इसके अतिरिक्त, सामान्य अनुभाग कर्मचारियों के शासकीय उपयोग के लिए अपेक्षित विभिन्न सेवाएं और वस्तुएं प्रदान करता है और कर्मचारियों का कल्याणकारी कार्य भी देखता है ।

समन्वय प्रभाग

(1) निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए कल्याण मंत्री जी की विवेक निधि से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती हैः

(क) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों का कल्याण, विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास, नशीले पदार्थों के दुरुपयोग तथा मद्यपान के पीड़ितों, निराश्रित तथा अनाथ बच्चों, वृद्ध और कोई अन्य जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आते हों, के लिए उपयोगी कार्य करने वाले व्यक्तियों/संस्थाओं को ।

(ख) पिछली परीक्षा में उच्च प्रतिशत अंक पाने वाले आपवादिक रूप से प्रतिभावन छात्रों की शिक्षा के लिए जो या तो शारीरिक रूप से विकलांग हो अथवा जिनके माता-पिता जीवित नहीं हों या जिनके माता पिता की मासिक आय 2000 रुपए से अधिक न हो ।

(ग) चिकित्सा उपचार या कोई अन्य को आय व पुरानी बीमारी अथवा विकलांग व्यक्ति के पुनर्वास के लिए, जहां व्यक्तियों/परिवारों की मासिक आय 2000 रुपए से अधिक न हों, उपरोक्त (क) में विनिर्दिष्ट श्रेणियों के व्यक्ति/परिवार ।

(II) उपर्युक्त के अतिरिक्त, समन्वय प्रभाग द्वारा एक नागरिक चार्टर तैयार किया गया है, जिसमें मंत्रालय के मिशन, कलाइन्टस, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों /गैर सरकारी संगठनों के साथ भागीदारी, मानकों, आर्थिक सशक्तिकरण को सुसाध्य बनाने वाले और राज्यों एवं गैर सरकारी संगठनों के साथ सम्पर्क की प्रक्रिया में सुधार के कदम उठाने के बारे में सूचना दी गयी है ।

मीडिया एकक

निम्नलिखित माध्यमों के जरिए मंत्रालय की योजनाओं और कार्यक्रमों के संबंध में जनता को जानकारी देनाः

(क) इलेक्ट्रानिक मीडिया

(1) टेलीविजन (2) रेडियो, (3) इन्टरनेट आदि ।

(ख) प्रिंट मीडिया

(1) समाचार - पत्र (2) पुस्तिका (3) फोल्डर्स

(ग) बाह्य मीडिया

(1) प्रर्दशनी (2) एनिमेशन बोर्ड (3) होर्डिंग्स, (4) बस के बगल/पीछे पैनल (5) सार्वजनिक उपयोग के सेवा के स्थान आदि ।

विकलांगता ब्यूरोः

(क) दीनदयाल विकलांगजन पुनर्वास योजना

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से दीनदयाल विकलांगजन पुनर्वास योजना कार्यान्वित कर रहा है । पूर्व में इसका नाम विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को प्रोत्साहन करने की योजना था । इस योजना का उद्देश्य शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, समुदाय आधारित पुनर्वास आदि जैसे क्षेत्रों में विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को प्रोत्साहन देना है ।

दीनदयाल विकलांगजन पुनर्वास योजना के अंतर्गत वित्त-पोषित मुख्य परियोजनाएं हैः

1. व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र;
2. परिरक्षित कार्यशालाएं;
3. मानसिक विकलांग, श्रवण और वाणी विकलांग और दृष्टि विकलांगों के लिए विशेष स्कूल;
4. स्कूल-पूर्व और शीघ्र उपचार परियोजनाएं;
5. प्रमस्तिष्क अंगघात ग्रस्त बच्चों के लिए परियोजनाएं ;
6. गृह आधारित पुनर्वास कार्यक्रम;
7. कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्तियों के पुनर्वास की परियोजनाएं;
8. समुदाय आधारित पुनर्वास की परियोजनाएं;
9. मानव संसाधन विकास की परियोजनाएं;
10. उपचारित तथा नियंत्रित मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के मनोवैज्ञानिक पुनर्वास के हाफ वे होम; और
11. ब्रेल प्रेस की परियोजनाएं ।

इस योजना के अंतर्गत, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित के लिए सहायता दी जाती हैः

1. व्यावसायिक मानव संसाधन कार्मिकों के लिए मानदेय;
2. परिवहन;
3. वृत्तिका/होस्टल रखरखाव;
4. कच्चे माल की लागत;

5. टेलीफोन, लेखन-सामग्री, औषधि, कार्याल्य व्यय, बिजली और पानी प्रभार, उपकरण और उनका रखरखाव पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए व्यय;
6. किराया; और
7. फर्नीचर, उपकरणों आदि पर अनावर्ती व्यय ।

वित्त पोषण की पद्धतिः निर्धारित लागत मानदंड के आधार पर, परियोजना की बजटीय राशि का 90% अनुदान के रूप में प्रदान किया जाता है । अनुदान दो किस्तों में दिया जाता है । प्रथम किस्त तदर्थ आधार पर जारी की जाती है जो पिछले वर्ष के आवर्ती अनुदान की 50% होती है । दूसरी किस्त, निरीक्षण रिपोर्ट सहित राज्य सरकार की सिफारिश प्राप्त होने के बाद, जारी की जाती है ।

सहायता अनुदान के लिए आवेदनः सहायता अनुदान के लिए आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना होता है । उसके साथ, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किये जाने चाहिएः

(क) संपरीक्षित लेखा;
(ख) उपयोगित प्रमाणपत्र;
(ग) लाभार्थियों की सूची;
(घ) कर्मचारियों की शैक्षिक/विशेष शैक्षिक अर्हताओं तथा अनुभव के साथ सूची; और
(ड.) प्रबंधन समिति के सदस्यों, संगम ज्ञान एवं संगम अनुच्छेदों की सूची ।

अधिक जानकारी के लिए मंत्रालय की वेबसाइट www.socialjustice.nic.in देंखे ।

(ख) राष्ट्रीय विकलांगजन कल्याण कोष

भारत सरकार से एक लाख रुपए के सांकेतिक अंशदान के साथ वर्तमान में ज्ञात " विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय कोष" का सृजन 11.8.1983 को किया गया था । इसके अतिरिक्त, 26.5.1989 को जवाहरलाल नेहरु शताब्दी समारोह की कार्यान्वयन समिति से 2.5 करोड़ रुपए का अंशदान प्राप्त हुआ था । समय-समय पर इन अंशदानों का निवेश किया गया है । वर्तमान में, 2002-03 से इस कोष से विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति की एक योजना कार्यान्वित की जा रही है । इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष 500 नई छात्रवृत्तियां (250 छात्रों के लिए 250 छात्राओं के लिए) मैट्रिकोत्तर व्यावसायिक तथा तकनीकी पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए

प्रदान की जाती है । इस योजना में, हाल के संशोधन के माध्यम से, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता, मानसिक विकलांगता तथा अत्यंत या गंभीर श्रवण विकलांगताग्रस्त छात्रों के लिए नौवीं कक्षा से आगे अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने का प्रावधान किया गया है ।

अधिक जानकारी के लिए मंत्रालय की वेबसाइट www.socialjustice.nic.in देंखे ।

(ग) राष्ट्रीय विकलांगता पुरस्कारः 1969 से प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाता है ।

यह पुरस्कार विकलांग व्यक्तियों और ऐसे व्यक्तियों तथा संगठनों, जो उनके कल्याण के लिए कार्यरत हैं, की उपलब्धियों को मान्यता देता है । वर्ष 1995 से प्रत्येक वर्ष 3 दिसम्बर को अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है और उसी दिन राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं । राष्ट्रीय पुरस्कार विभिन्न श्रेणियों जैसे कर्मचारी, नियोक्ता, रोल माडल्स, स्थापन अधिकारी, प्रौद्यागिकीय नवाचार और दक्षता आदि को प्रदान किए जाते हैं ।

अधिक जानकारी के लिए मंत्रालय की वेबसाइट www.socialjustice.nic.in देंखे ।

(घ) ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता तथा बहु-विकलांगताग्रस्त व्यक्ति कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास

100 करोड़ रुपए का कार्पस के साथ राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 के अंतर्गत राष्ट्रीय न्यास का गठन किया गया है । न्यास द्वारा योजनाओं का कार्यान्वयन के लिए कारपस पर अर्जित ब्याज का उपयोग किया जाता है । मानसिक मंदता वाले व्यक्तियों को पुनर्वास सेवा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय न्यास के पास चार योजनाएं हैं । संक्षेप में योजनाएं इस प्रकार हैं:

1. **पहुंच तथा राहत योजना** - ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात , मानसिक मंदता तथा बहुविकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों के लिए सांस्थनिक देखभाल करने की ओर लक्षित। 2005-06 के बाद इस योजना को संशोधित कर दिया गया है तथा इसका नाम बदलकर कार्यान्वयन के लिए समर्थ - केन्द्र आधारित सेवा योजना कर किया गया है;

2. **समुदाय आधारित सेवा प्रदाता प्रशिक्षण योजना** - इन चारों प्रकार की विकलांगताओं से ग्रस्त व्यक्तियों को घर पर देखभाल की सुविधा देना इसका उद्देश्य है ;
3. **राज्य नोडल एजेंसी केन्द्र योजना** - इन चारों प्रकार की विकलांताओं पर व्यावसायिकों, माता-पिता और भाई-बहन गृह आधारित देखभाल सेवाएं प्रदान करने का उद्देश्य है; और
4. **समर्थित संरक्षकता योजना** - इस योजना के अंतर्गत, एक जिले में ऐसे 10 व्यक्तियों को वित्तीय सहायता दी जाती है जो गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों या निराश्रित विकलांग व्यक्तियों के कानूनी अभिभावक होते हैं । यह योजना 75 चुनिन्दा जिलों में कार्यान्वित की जा रही है ।

अधिक जानकारी के लिए संगठन की वेबसाइट http://www.National trust.org देंखे ।

(ड.) राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम का गठनः

विकलांग व्यक्तियों के आर्थिक सशक्तिकरण को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से, लाभ न कमाने वाली कम्पनी के रूप में कम्पनी अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत 1997 में किया गया था । यह निगम स्वरोजगार कामधन्धे शुरू करने के लिए रियायती वित्त प्रदान कर रहा है । यह निगम तकनीकी और उद्यमिता कौशल उन्नयन में लाभार्थियों को सहायता भी दे रहा है ।

अधिक जानकारी के लिए संगठन की वेबसाइट http://www.nhfdc.org देंखे ।

(च) राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, देहरादून

पहले यह राष्ट्रीय दृष्टिहीन केन्द्र था । बाद में इसे वर्ष 1979 में राष्ट्रीय संस्थान बना दिया गया । इसे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के अंतर्गत अक्तूबर, 1982 में पंजीकृत किया गया था । यह एक स्वायत्त निकाय है और दृष्टि विकलांगता के क्षेत्र में यह अग्रणी संस्थानों में है ।

संस्थान द्वारा प्रदान की जा रही सेवाएं :

- दृष्टि विकलांगों की शिक्षा और पुनर्वास के सभी पहलुओं में अनुसंधान करना, अनुसंधान प्रायोजित करना, समन्वित करना और अनुसंधान में सहायता देना ।
- जैव चिकित्सा इंजिनियरी में अनुसंधान करना या प्रायोजित करना जिससे कि सहायक यंत्रों या उपयुक्त शल्य या चिकित्सा प्रक्रिया अथवा नए सहायक यंत्रों के विकास का प्रभावी मूल्यांकन किया जा सकेगा ।
- मानव संसाधन विकास - शिक्षकों, नियोजन अधिकारियों, व्यावसायिक परामर्शदाताओं आदि का प्रशिक्षण ।
- प्रोटोटाइप उत्पाद को वितरित, प्रोत्साहित करना या सहायता देना और किसी या सभी सहायक यंत्र डिजाइन वितरण की व्यवस्था करना ।

अधिक जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट whttp://nivh.org देंखे ।

(छ) विकलांगजन संस्थान, नई दिल्ली

इस संस्थान की स्थापना 1983 में की गयी है । यह सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत है और एक स्वायत्त निकाय है ।

संस्थान द्वारा प्रदान की जा रही सेवाएं:

- व्यावसायिक मानव संसाधन विकास
- पुनर्वास सेवाएं
- अनुसंधान और विकास
- सूचना का प्रसार

अधिक जानकारी के लिए कृपया whttp://www.iphnewdelhi.in देंखे ।

(ज) राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, मुम्बई

इस संस्थान की स्थापना अगस्त,1983 में की गई थी । यह सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटी है तथा यह एक स्वायत्त निकाय है ।

संस्थान द्वारा प्रदान की जा रही सेवाएं

- श्रवण विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा और पुनर्वास के सभी पहलुओं में अनुसंधान करना, अनुसंधान प्रायोजित करना, समन्वित करना एवं अनुसंधान में आर्थिक सहायता देना।
- जैव चिकित्सा इंजीनिरिंग में सहायक यंत्रों या उपयुक्त शल्य चिकित्सा प्रक्रिया या नए सहायक यंत्रों को विकसित करने के लिए प्रभावी मूल्यांकन किया जा सकेगा ।
- प्रशिक्षार्थियों और शिक्षकों, नियोजन अधिकारियों, व्यावसायिक परामर्शदाताओं आदि का प्रशिक्षण प्रायोजित करना ।
- प्रोटोटाइप उत्पाद वितरित अथवा प्रोत्साहित करना और श्रवण विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा, पुनर्वास और उपचार के किसी पहलू को बढ़ावा देने के लिए कोई या सभी सहायक यंत्रों की डिजाइन का वितरण ।

(झ) राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकन्दराबाद

इस संस्थान की स्थापना फरवरी, 1984 में की गई थी । इसे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया । यह एक स्वायत निकाय है और मानसिक मंदता के क्षेत्र में कार्य कर रहा है ।

संस्थान द्वारा प्रदान की जा रही सेवाएं

- चिकित्सा देखरेख और पुनर्वास के लिए माडल विकसित करना;
- व्यावसायिक मानव संसाधन विकास;
- गैर सरकारी संगठनों को परामर्शी सेवा;
- अनुसंधान और विकास;
- प्रलेखन और प्रसार; और
- आऊटरीच कार्यक्रमों का विस्तार ।

अधिक जानकारी के लिए कृपया http://www.nimhindia.org देंखे ।

(ञ) **राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कटक**

यह संस्थान राष्ट्रीय प्रोस्थेटिक और आर्थोटिक्स और एलिम्को की सहायक यूनिट के रूप में 1975 में स्थापित किया गया था । यह 22 फरवरी, 1984 में कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आया था । इसे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया था । यह एक स्वायत्त निकाय है और विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के क्षेत्र में, देश के शीर्ष संस्थानों में से है ।

संस्थान द्वारा प्रदान की जा रही सेवाएं

- व्यावसायिक मानव संसाधन विकास;
- तकनीकी कार्मिक जैसे डाक्टरों, इंजिनियरों, प्रोस्थेटिस्टों, भौतिक चिकित्सकों तथा व्यावसायिक चिकित्सकों का प्रशिक्षण;
- चलन सहायक यंत्रों के प्रभावी मूल्यांकन के लिए, जैव यांत्रिकी इंजीनियरी में अनुसंधान करना, अनुसंधान प्रायोजित करना, समन्वित करना और अनुसंधान में आर्थिक सहायता देना;
- पोटोटाइप डिजाइन सहायक यंत्रों के उत्पादन को प्रोत्साहित, वितरण और आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए सहायक यंत्र तथा उपकरण;
- सेवा प्रदाय कार्यक्रम;
- पुनर्वास के लिए सेवा प्रदाय कार्यक्रमों के मॉडल विकसित करना;
- विकलांगों के व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्थापन और पुनर्वास करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण ; और
- भारत तथा विदेश में पुनर्वास पर जानकारी का आदान-प्रदान और उसका प्रसार करने की जानकारी ।

अधिक जानकारी के लिए कृपया http://www.nirtar.nic.in देंखे ।

(ट) राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, कोलकाताः

इस संस्थान की स्थापना 1978 में की गई थी । यह सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत स्वायत्त निकाय है । यह चलन विकलांगता के क्षेत्र में एक शीर्ष संस्थान है ।

संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं हैः

- अस्थि विकलांगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए व्यावसायिक जनशक्ति विकसित करने हेतु मानव संसाधन विकास । भौतिक चिकित्सकों, व्यावसायिक चिकित्सकों, और्थोटिक्स और प्रोस्थेटिक तकनीशियनों का प्रशिक्षण;
- विकलांग व्यक्तियों को पुनर्वास, शल्य क्रिया द्वारा रोग से पहले स्थिति में लाने सहायक यंत्र और उपकरणों तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करना;
- अस्थि विकलांगों के पुनर्वास से संबंधित सभी पहलुओं पर अनुसंधान करना और अनुसंधान प्रायोजित करना;
- सहायक यंत्रों और उपकरणों को मानकीकृत करना और उत्पादन एवं वितरण को प्रोत्साहित करना ; और
- परामर्शी सेवाएं प्रदान करना ।

अधिक जानकारी के लिए कृपया /www.niohonline.org देंखे ।

(ठ) राष्ट्रीय बहु विकलांग व्यक्ति सशक्तिकरण संस्थान, चेन्नै

बहु विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों तक पहुंचने के उद्देश्य से, मंत्रिमंडल ने 29.3.2005 को हुई बैठक में चेन्नई में राष्ट्रीय बहु विकलांग व्यक्ति सशक्तिकरण संस्थान स्थापित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया था ।

संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं हैं:

(क) बहु विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों के प्रबंधन, प्रशिक्षण, पुनर्वास, शिक्षा, रोजगार तथा सामाजिक विकास के लिए व्यावसायिक मानव संसाधन विकास करना ।

(ख) बहु विकलांगता से संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान करना तथा उसे बढ़ावा देना था । बहु विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों के विविध वर्गों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सामाजिक पुनर्वास हेतु ट्रांस-डिसिप्लिनरी माडल तथा नीतियां विकसित करना ।

माननीया राज्य मंत्री (सामाजिक न्याय और अधिकारिता) द्वारा 8 जुलाई, 2005 को संस्थान में सेवाओं का उदघाटन किया गया

(ड) संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्र

" संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्र " स्थापित करने की योजना विकलांग व्यक्तियों तक पहुंचने की समग्र नीति का एक भाग है तथा अपेक्षित अवसंरचना के सृजन को सुसाध्य बनाना है । संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्र ऐसे स्थानों पर स्थित हैं, जहां लक्षित वर्गों के लिए व्यापक सेवाएं प्रदान करने के लिए मौजूदा आधारभूत संरचना अपर्याप्त है और जहां ऐसे केन्द्रों की अत्यंत आवश्यकता है ।

केन्द्रों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाएं :

- व्यावसायिक मानव संसाधन विकास;
- पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना;
- प्रलेखन और प्रसार; और
- परामर्शी तथा अन्य संगठनों के साथ नेटवर्क ।

अवस्थिति और सम्बद्धता

संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्र, गुवाहाटी - निरतार; संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्र, श्रीनगर - राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान; संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्र, लखनऊ - विकलांग संस्थान; संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्र, सुन्दरनगर - राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान; राष्ट्रीय क्षेत्रीय केन्द्र, भोपाल - राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान ।

वर्ष 2000-01 के दौरान, सभी संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्रों ने काम करना शुरू कर दिया था ।

(ढ़) भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम की स्थापना भारत सरकार द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अधीन 1972 में की गयी थी । इसका उद्देश्य देश के जरूरतमंद विकलांग व्यक्तियों के लिए उचित लागत पर स्तरीय कृत्रिम अंगों, संघटकों व पुनर्वास सहायक यंत्रों के निर्माण हेतु तथा इन कृत्रिम अंगों, संघटकों और पुनर्वास सहायक यंत्रों की उपलब्धता, उपयोग, आपूर्ति और वितरण को अभिप्रेरित, संवर्धित विकसित करके विकलांग व्यक्तियों को लाभान्वित करना है ।

अधिक जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट http:/www.artlimbs.com देखें ।

(ण) सहायक यंत्र और उपकरण खरीदने/लगाने के लिए विकलांग व्यक्तियों की सहायता योजना (एडिप)

सहायक यंत्र और उपकरणों को खरीदने/लगाने के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता की योजना के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों को सहायता अनुदान दिया जाता है । इस योजना के अंतर्गत सरकारी संगठनों, गैर सरकारी संगठनों जैसी कार्यान्वयन एजेंसियों को विकलांग व्यक्तियों को सहायक यंत्रों के वितरण हेतु निधि प्रदान की जाती है । विकलांग व्यक्तियों को सहायक यंत्र/उपकरण खरीदने/लगाने हेतु सहायता योजना का पूरा ब्यौरा मंत्रालय की वेबसाइट पर दिया गया है ।

(त) भारतीय मेरुदंड क्षति केन्द्र, नई दिल्ली

भारतीय मेरुदंड क्षति केन्द्र की स्थापना 1983 में भारत-इटली सह-सहयोग के अंतर्गत हुई है । भारत सरकार ने भूमि प्रदान करने के अतिरिक्त, अस्पताल की पूरी निर्माण लागत वहन की है । इटली की सरकार ने सभी उपकरण उपलब्ध कराए हैं । भारत सरकार ने गरीब रोगियों के लिए 25 बिस्तरों की लागत की भी प्रतिपूर्ति की है ।

उद्देश्यः

संगठन का मुख्य उद्देश्य मेरुदंड क्षति के रोगियों हेतु व्यापक पुनर्वास के तरीकों को प्रोत्साहन देना हैः

(1) इस लक्ष्य हेतु जन जागृति लाना;
(2) इस तरह के रोगियों को बचाने के लिए आवश्यक जनशक्ति का विकास करने हेतु चिकित्सा कर्मियों को अभिविन्यास और गैर चिकित्सा कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जाना; और
(3) ऐसे रोगियों के बहु-आयामी पहलुओं में अनुसंधान करना ।

विस्तृत ब्यौरे के लिए कृपया वेबसाइट www.isiconline.org पर देंखे ।

(थ) क्षेत्रीय मेरुदंड क्षति केन्द्र

मेरुदंड क्षतिग्रस्त व्यक्तियों के लिए चार क्षेत्रीय पुनर्वास केन्द्र जबलपुर, मोहाली, कटक और बरेली में स्थापित किए गए हैं । ये केन्द्र मेरुदंड क्षतिग्रस्त रोगियों को विशिष्टकृत पुनर्वास प्रदान करने के लिए हैं जहां ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं है ।

इन केन्द्रों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाएं

1. बाह्य रोगियों के रूप में अस्थि विकलांग व्यक्तियों का पुनर्वास (अस्थि संबंधी समस्याएं, मानसिक आघात के बाद और शल्य चिकित्सा बाद का कड़ापन, सरवाइकल स्पोंडिलाइटिस, कमर के निचले हिस्से में दर्द, गठिया और अन्य न्यूरों- स्केलेटल रोग कंकाल विसंगति) ।

2. कार्यशाला; प्रदर्शनी और सेमिनारों आदि के माध्यम से सूचना का प्रलेखीकरण और आदान प्रदान ।

3. समुदाय आधारित पुनर्वास और घर पर ही अनुवर्ती कार्रवाई के माध्यम से आऊटरीच कार्यक्रम ।

(द) भारतीय पुनर्वास परिषद, दिल्ली

31 जुलाई, 1993 से अस्तित्व में आई भारतीय पुनर्वास परिषद, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1922 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है । विकलांगता के क्षेत्र से संबंधित विभिन्न श्रेणियों के व्यावसायिकों के लिए प्रशिक्षण नीतियों और कार्यक्रमों को विनियमित करना इस परिषद की जिम्मेवारी है । यह सभी व्यावसायिकों/कार्मिकों के लिए एक केन्द्रीयकृत पुनर्वास रजिस्टर भी रखता है और पुनर्वास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहित करता है । व्यावसायिकों की 16 श्रेणियों की मानव संसाधन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए स्नातकोत्तर/स्नातकोत्तर डिप्लोमा/स्नातक/डिप्लोमा/ सर्टिफिकेट स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को विकसित/मानकीकृत करना और अनुमोदित करना इस परिषद का मुख्य उत्तरदायित्व है । भारतीय पुनर्वास परिषद पुनर्वास के क्षेत्र में पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए उत्कृष्टता न्यूनतम मानदंडों को पूरा करने वाले संस्थानों को मान्यता प्रदान करती है ।

अधिक जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट http://www.rehabcouncil.nic.in देखें ।

(ध) विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त का कार्यालय, दिल्ली

विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त का कार्यालय की स्थापना विकलांगता (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1955 की धारा 57 के अंतर्गत स्थापित किया गया है । अधिनियम की धारा 58 और 59 मुख्य आयुक्त को अधिकारों और विकलांग व्यक्तियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं की सुरक्षा के लिए शासनादेश प्रदान करता है । ये धारा मुख्य आयुक्त को शिकायतों की जांच करने, अपने प्रस्ताव पर, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की वंचना तथा उपयुक्त सरकारों और स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा उनके कल्याणार्थ कानून, नियम, उपनियम, विनियम, कार्यकारी आदेश, दिशानिर्देश अथवा अनुदेशों का कार्यान्वयन न होने से संबंधित मामलों में अपनी ओर से कार्रवाई करने का अधिकार भी देती है ।

(न) जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र/जिला पुनर्वास केन्द्र

इस मंत्रालय राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग से ग्रामीण विकलांगों को विस्तृत पुनर्वास सुविधा प्रदान करने के लिए देश के 144 जिलों में जिला पुनर्वास केन्द्रों (डी आर सी)/जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्रों (डी डी आर सी) की स्थापना की है । हालांकि जिला पुनर्वास केन्द्रों (जिनकी संख्या 11 है) की स्थापना प्रायोगिक परियोजना के अंतर्गत वर्ष 1985 में की गई थी लेकिन जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र हाल ही में स्थापित किए गए हैं । इन केन्द्रों का प्रमुख कार्य जिला मुख्यालयों में शिविर दृष्टिकोण के माध्यम से निवारण और शीघ्र पता लगाने, चिकित्सा जांच और शल्य चिकित्सा सुधार कृत्रिम यंत्रों और उपकरणों की फिटमेंट, फिजियोथैरेपी, व्यावसायिक और वाक थैरेपी जैसी थैरेपी संबंधी सेवाएं, व्यावसायिक प्रशिक्षण के जरिए कौशल प्राप्त करने संबंधी प्रशिक्षण का प्रावधान करना, स्थानीय उद्योगों में नौकरियों दिलाने आदि की सेवाएं प्रदान करना है । परियोजना निदेशक, जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र, दिल्ली के अधीन एक केन्द्रीय समन्वय एकक (जिसे पहले केन्द्रीय प्रशासनिक एवं समन्वय एकक के रूप में जाना जाता था) कार्य कर रहा है, जो जिला पुनर्वास केन्द्र के कार्यकलापों और जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र के कार्यक्रमों का समन्वय करता है । इस कार्यक्रम के माध्यम से मंत्रालय का देश के सेवा से वंचित जिलों में जागरूकता लाने, पुनर्वास, निचले स्तर के कार्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षण/मार्गदर्शन के लिए जिला स्तर पर, अवसंरचना का सृजन और क्षमता निर्माण करने का लक्ष्य है ।

और अधिक जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट www.drccacu.org देखें ।

(प) विकलांग व्यक्तियों के लिए विधान

भारत का संविधान सभी व्यक्तियों के लिए समानता, स्वतंत्रता, न्याय और प्रतिष्ठा को सुनिश्चित करता है और विकलांग व्यक्तियों सहित सभी के लिए एक सम्मिलित समाज का स्पष्ट रूप से अधिदेश देता है । निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 अधिकार आधारित सम्मिलित समाज के विधिक आधार का प्रावधान करता है, जिसमें केन्द्रीय और राज्य सरकारों को अधिकारों को कार्यशील बनाने में अग्रणी भूमिका निभानी पड़ती है । कार्यकलापों की परिधि, जिसकी व्यवस्था इस अधिनियम में दी गई है, बहुत व्यापक पुनर्वास के बहुआयामी स्वरूप का उल्लेख करने वाली है । अन्य बातों के साथ-साथ यह अधिनियम विकलांगता के निवारण और शीघ्र पहचान तथा पुनर्वास के पहलुओं जैसे शीघ्र हस्तक्षेप, शिक्षा, रोजगार और व्यावसायिक प्रशिक्षण, राज्य क्षेत्र में नौकरियों में आरक्षण, अविभेद, अनुसंधान, श्रमशक्ति विकास एवं बाधा मुक्त वातावरण के विकास को कवर करता है ।

(फ) इसके अतिरिक्त, मंत्रालय के विकलांगता ब्यूरो द्वारा निम्नलिखित का निपटान किया जाता है:-

- अधिनियम में संशोधन सहित भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 से संबंधित मुद्दे ।
- अधिनियम में संशोधन सहित निःशक्त व्यक्ति अधिनियम,1995 से संबंधित मुद्दे ।
- निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 का कार्यान्वयन ।
- यह निःशक्त व्यक्तियों के लिए केन्द्र सरकार में पहचान किए हुए पदों के संबंध में नीति बनाने के लिए भी उत्तरदायी है ।
- निःशक्त व्यक्तियों की सूची तैयार करने और उनके लिए पदों की पहचान करने संबंधी कार्य करता है और उनका संग्रहण करता है ।
- विभिन्न प्रकार की विकलांगता के मूल्यांकन और जांच हेतु दिशानिर्देश जारी करना ।
- विशेष भर्ती अभियान और इस अभियान से जुड़े न्यायालय के मामलों का निपटान करते हैं ।
- भारतीय पुनर्वास परिषद, केन्द्रीय समन्वय समिति, केन्द्रीय कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय न्यास के अध्यक्ष और सदस्यों का नियुक्ति करना ।
- निःशक्त व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त की नियुक्ति करना ।
- भारतीय पुनर्वास परिषद, जिला पुनर्वास केन्द्र, सीसीडी के सेवा मामलों के संदर्भ हेतु विकलांगता ब्यूरों एक नोडल एजेंसी है ।

अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग ब्यूरो

(क) अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति

उद्देश्यः

अन्य पिछड़े वर्ग के कमजोर वर्ग से संबंधित लोगों के बीच शिक्षा के प्रसार में सहायता करना ।

लाभार्थी

अन्य पिछड़े वर्ग के गरीबी रेखा के दोगुने से नीचे रहने वाले कमजोर वर्ग से संबंधित लड़के और लड़कियां ।

कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियां

राज्य सरकारें/संघ राज्य प्रशासन

पात्रता

छात्रवृत्ति उन छात्रों के लिए संस्वीकृत की गई है जिनके माता-पिता का आय सभी स्त्रोतों से 44,500 रुपए प्रतिवर्ष से अधिक नहीं है ।

शिक्षा की अवधि और पाठ्यक्रम

दिवा छात्रों के मामले में छात्रवृत्ति कक्षा 1 अथवा पूर्व मैट्रिक स्तर की किसी कक्षा के छात्रों को तथा होस्टल में रहने वाले छात्रों के मामले में कक्षा 3 या मैट्रिक स्तर से पहले
की किसी कक्षा के छात्रों को प्रदान की जाती है। छात्रवृत्ति की अवधि एक शैक्षिक वर्ष में 10 माह की है।

छात्रवृत्ति कवरेज और तदर्थ अनुदान

क्रम सं0	योजना का नाम	योजना की विशेषताएं
1	**मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति**	**उद्देश्यः** अन्य पिछड़े वर्ग के कमजोर वर्ग से संबंधित लोगों के बीच शिक्षा के प्रसार में सहायता करना । **लाभार्थी** अन्य पिछड़े वर्ग के गरीबी रेखा के दोगुने से नीचे रहने वाले कमजोर वर्ग से संबंधित लड़के और लड़कियां । **कार्यान्वयन एजेंसियां** राज्य सरकारें/संघ राज्य प्रशासन **पात्रता** छात्रवृत्ति उन छात्रों के लिए संस्वीकृत की गई है जिनके माता-पिता का आय सभी स्रोतों से 44,500 रुपए प्रतिवर्ष से अधिक नहीं है । **शिक्षा अवधि और पाठ्यक्रम** दिवा छात्रों के मामले में छात्रवृत्ति कक्षा 1 अथवा पूर्व मैट्रिक स्तर की किसी कक्षा के छात्रों को तथा छात्रावास में रहने वाले छात्रों के मामले में कक्षा 3 या मैट्रिक स्तर से पहले की किसी कक्षा के छात्रों को प्रदान की जाती है । छात्रवृत्ति की अवधि एक शैक्षिक वर्ष में 10 माह की है ।

2	**केन्द्रीय प्रायोजित मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना**	**छात्रवृत्ति कवरेज और तदर्थ अनुदान** **छात्रावास में रहने वालों के लिए** कक्षा-3 से कक्षा 8 - 200 रुपए प्रतिवर्ष कक्षा 9 और 10 - 250 रुपए प्रतिवर्ष **अनावासी छात्रों के लिए** कक्षा-1 से कक्षा 5 - 250 रुपए प्रतिवर्ष कक्षा 6 से 8 - 400 रुपए प्रतिवर्ष कक्षा 9 और 10 - 500 रुपए प्रतिवर्ष इसके अतिरिक्त, सभी छात्रों, अर्थात् होस्टल में रहने वाले और अनावासी छात्रों, को 500 रुपए प्रति छात्र का तदर्थ अनुदान दिया जाता है । **वित्तीय सहायता का तरीका** राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के प्रतिबद्ध दायित्वों को घटाने के पश्चात् राज्य सरकारों को 50% केन्द्रीय सहायता और संघ राज्य प्रशासनों को 100% केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है । पूर्वोत्तर क्षेत्र के मामले में यह प्रतिबद्ध देयता के अलावा दी जाती है । राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन द्वारा संबंधित चयनित छात्रों को छात्रवृत्ति राशि इस संबंध में राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसरण में अदा की जाती है । **उद्देश्यः** मैट्रिकोत्तर अथवा माध्यमिक स्तर के बाद पढ़ने वाले अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को अपनी शिक्षा पूरा करने के योग्य बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना । **लाभार्थी** अन्य पिछड़े वर्ग के कमजोर वर्गों से संबंधित छात्र और छात्राएं ।

छात्राएं ।

कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियां

राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन

पात्रता

केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासनों द्वारा अधिसूचित अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित भारतीय नागरिकों को मान्यता प्राप्त संस्थानों में मैट्रिकोत्तर अथवा पोस्ट सैकेण्डरी स्तर में पढ़ने, यदि छात्रों को पाठ्यक्रम के दौरान प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं दी जाती है तो मेडिसन के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में पढ़ने के लिए, कोई भी मान्यता प्राप्त व्यावसायिक अथवा तकनीकी प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रमों में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है । इसके अतिरिक्त, व्यावसायिक पायलट लाइसेंस (सी पी एल) प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भी 20 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती है । छात्रों के माता-पिता की सभी स्रोतों से आय 44,500 रुपए वार्षिक से अधिक न हो ।

पुरस्कार हेतु शर्तें

छात्रवृत्ति छात्रों की संतोषजनक प्रगति और व्यवहार पर निर्भर है ।

यदि कोई छात्र झूठी सूचना द्वारा छात्रवृत्ति प्राप्त करता है तो उसकी छात्रवृत्ति रद्द कर दी जाएगी और अदा की गई छात्रवृत्ति राशि को वसूल कर लिया जाएगा ।

यदि कोई छात्र राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना पाठ्यक्रम के विषय, जिसके लिए उसे वास्तव में छात्रवृत्ति प्रदान की गई है, को बदल देता है अथवा अध्ययन के संस्थान को बदल लेता है तो प्रदान की गई

		छात्रवृत्ति को रद्द किया जा सकता है । **योजना की उद्घोषणा** सभी राज्य सरकारें/संघ राज्य प्रशासन योजना का ब्यौरा मई-जून में प्रकाशित करती है और अग्रणी समाचार पत्रों और अन्य मीडिया माध्यमों में एक विज्ञापन जारी करके आवेदन आमंत्रित करती है । **छात्रवृत्ति की राशि** छात्रवृत्ति के मूल्य में पाठ्यक्रम की पूर्णावधि हेतु रखरखाव भत्ता, दृष्टिविहिन छात्रों के लिए रीडर भत्ता वापस न होने वाली अनिवार्य फीस की प्रतिपूर्ति, अध्ययन यात्रा भत्ता, शोध ग्रंथ के टंकण/मुद्रण प्रभार और पत्राचार पाठ्यक्रम से पढ़ने वाले छात्रों के लिए पुस्तक भत्ता शामिल है । छात्रवृत्ति की राशि उनके पाठ्यक्रमों के अनुसार छात्रावासियों के लिए 150 रुपए से लेकर 425 रुपए प्रतिमाह तथा अनावासी छात्रों के लिए 90 रुपए से लेकर 190 रुपए प्रतिमाह तक है । **वित्तीय सहायता का तरीका** प्रतिबद्ध देयता घटाने के पश्चात् राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासनों को 100% केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है । छात्रवृत्ति की राशि चयनित छात्रों को उनसे संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन द्वारा अदा की जाती है ।
3	**अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों और छात्राओं के लिए छात्रावास योजना**	**उद्देश्यः** ग्रामीण क्षेत्रों के अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों और छात्राओं की गुणवत्ता वाले शिक्षा केन्द्रों में उपयुक्त छात्रावास सुविधाएं प्रदान करना ।

		सुविधाएं प्रदान करना । **लाभार्थी** ग्रामीण क्षेत्रों के अन्य पिछड़े वर्ग के कमजोर वर्गों से संबंधित छात्र और छात्राएं । **कार्यान्वयन एजेंसियां** राज्य सरकारें/संघ राज्य प्रशासन **कार्यक्षेत्र और पात्रता** इस योजना के अंतर्गत उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में छात्रावासों का निर्माण किया जाता है जिनमें अन्य पिछड़े वर्गों की जनसंख्या अधिक है, लेकिन छात्रावास सुविधाएं अपर्याप्त हैं । इन छात्रावासों का निर्माण माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर के छात्रों के लिए किया जाता है । इस योजना के अंतर्गत स्थापित किए जाने वाले होस्टलों में से कम से कम एक तिहाई विशेष रूप से लड़कियों के लिए होते हैं । इन होस्टलों में पांच प्रतिशत सीटें विकलांग छात्रों के लिए आरक्षित की जाती है । **सहायता हेतु पात्र संगठन इस प्रकार हैः-** 1. राज्य सरकारें/संघ राज्य प्रशासन 2. सरकार द्वारा अध्यादेश के तहत स्वायत्तशासी निकाय के रूप में अथवा समितियों का पंजीकरण, अधिनियम, 1860 के अंतर्गत अथवा अन्य तरह से एक समिति के रूप में स्थापित संस्थान या संगठन । 3. केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारें/संघ राज्य प्रशासनों के स्वामित्व वाले अथवा नियंत्रित

4	**राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम**	शैक्षिक और अन्य संस्थान । **वित्त पोषण का तरीका** योजना के अंतर्गत छात्रावासों के निर्माण हेतु 50% केन्द्रीय सहायता दी जाती है तथा बाकी 50% लागत राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है । ऐसे छात्रावासों को स्थापित करने का प्रस्ताव करने वाले केन्द्रीय सरकार के संगठनों और संघ राज्य प्रशासनों को 100% केन्द्रीय सहायता दी जाती है । भूमि की अधिग्रहण, स्टाफ और अन्य देखरेख तथा प्रति दिन के खर्चों पर होने वाला समस्त व्यय संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों द्वारा वहन किया जाता है । **उद्देश्यः** आय अर्जक कार्यकलाप शुरू करने और कौशल विकास हेतु गरीबी रेखा की आय के दोगुने से कम आय वाले अन्य पिछड़े वर्गों को रियायती वित्त प्रदान करना । **कार्यान्वयन एजेंसियां** योजना को राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों द्वारा नामित राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है । **कार्यकलाप जिनके लिए सहायता प्रदान की जा सकती हैः** कृषि, कृषि से संबंधित कार्यकलाप, पशु गाड़ी, लिफ्ट सिंचाई, मछली का जाल, मछली पकड़ने की कश्ती डेयरी, मधुमक्खी पालन, मछली का क्रय विक्रय आदि ।

		डेयरी, मधुमक्खी पालन, मछली का क्रय-विक्रय आदि । **लघु उद्योग/शिल्पकार और परंपरागत व्यवसाय** बढ़ईगिरी, बेकरी, बायोगैस प्लांट निर्माण, ब्यूटी पार्लर, चूड़ी एकक, टोकरी बनाना, परचून की दुकान आदि । **सेवा क्षेत्र** फोटोकॉपियर, एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ बूथ, टेलरिंग, जिल्द बांधना, मोमबत्ती बनाना, अगरबत्ती बनाना आदि । यातायात - मारुति वैन, जीप, टैक्सी, ट्रक आदि **राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की योजना** **(क) सामान्य ऋण योजना** **आवधिक ऋणः** इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को 5 लाख रुपए की अधिकतम सीमा के अधीन परियोजना लागत के 85% तक ऋण दिया जाता है । **महिलाओं के लिए नई स्वर्णिम योजना** इस योजना के अंतर्गत अन्य पिछड़े वर्गों की पात्र महिलाओं को 50,000 रुपए का ऋण दिया जाता है । **स्वयं सक्षम स्कीमः** इस स्कीम के अंतर्गत स्व-रोजगार उपक्रमों की स्थापना हेतु व्यावसायिक रूप से शिक्षित बेरोजगार युवाओं को 5.00 लाख रुपए की सीमा तक ऋण दिया जाता है । **शिक्षा ऋण योजना**

		इस योजना के अंतर्गत डिग्री और /अथवा उच्चतर स्तर के सामान्य/व्यावसायिक/तकनीकी पाठ्यक्रम हेतु पात्र अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को ऋण दिया जाता है । **मार्जिन मनी ऋण** इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को 2.00 लाख रुपए की अधिकतम सीमा के अधीन परियोजना लागत की 40% सीमा तक ऋण दिया जाता है । **(ख) माइक्रो वित्त योजना** माइक्रो ऋण योजनाः इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों और प्राधिकृत गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से सीधे अथवा स्व-सहायता समूह के जरिए 25,000 रुपए तक ऋण दिया जाता है । **महिला समृद्धि योजनाः** इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों और प्राधिकृत गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से सीधे अथवा स्व-सहायता समूह के जरिए 25,000 रुपए तक ऋण दिया जाता है । **(ग) प्रशिक्षण अनुदान योजना** इस योजना के अंतर्गत एस सी ए और तकनीकी संस्थानों को पात्र अन्य पिछड़े वर्ग के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ।
5.	**राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग**	**उद्देश्य/कार्यः**

6.	**अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता**	नागरिकों के किसी वर्ग को सूची में पिछड़े वर्ग के रूप में शामिल करने के अनुरोध और ऐसी सूची में किसी पिछड़े वर्ग से अधिक लोगों को शामिल करने अथवा कम लोग शामिल करने से संबंधित अनुरोधों का अनुपालन तथा ऐसे अनुरोधों की उपयुक्तता हेतु विचारार्थ केन्द्रीय सरकार, को भेजना । **संरचनाः** राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों में अध्यक्ष, जो सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय का न्यायधीश है, एक समाज विज्ञानी, पिछड़े वर्गों से संबंधित मामलों में विशेष ज्ञान रखने वाले दो सदस्य तथा एक सदस्य सचिव, जो भारत सरकार में एक सचिव के रैंक में एक अधिकारी है, शामिल हैं । अध्यक्ष और सदस्य कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए कार्य करते हैं । **उद्देश्यः** अन्य पिछडे वर्ग के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता स्कीम की शुरूआत 9वीं पंचवर्षीय योजना अर्थात् 1998-99 में कौशल उन्नयन और उन्हें आय अर्जक कार्यकलाप शुरू करने अथवा लाभकारी रूप से कार्य करने में समर्थ बनाने के जरिए अन्य पिछड़े वर्गों की शैक्षिक और सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए शामिल करने के मुख्य उद्देश्य के साथ की गई । **सहायता का तरीका** इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार किसी अथवा सभी विशिष्ट मदों के लिए अनुमोदित व्यय के 90% तक का वहन कर सकती है । इस स्कीम के अंतर्गत

		कारपेंटरी, क्राफ्ट, इलैक्ट्रशियन, मोटर वांइडिंग और फिटिंग, फोटोग्राफी, प्रिटिंग, कंपोजिंग और किताब जिल्दसाजी, टाइपिंग और शार्टहैंड, फल संरक्षण, टी वी, वी सी आर और रेडियो तथा वैल्डिंग एवं फिटर प्रशिक्षण आदि जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु सहायता अनुदान दिया जाता है । **प्रक्रिया** एक गैर सरकारी संगठन को सहायता अनुदान जारी करने पर विचार करने हेतु न्यूनतम अपेक्षाएं निम्नलिखित हैः ➢ इसे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860/लोक पंजीकृत न्यास/कंपनी अधिनियम,1958 की धारा 25/भारतीय रेडक्रास समिति अथवा इसकी शाखा/ विधिक स्थिति वाला अन्य लोक संस्थान के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए । इस निकाय को सहायता हेतु आवेदन करते समय कम से कम दो वर्ष तक पंजीकृत होना चाहिए । ➢ इसे किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह के लाभ हेतु नहीं चलाया जाना चाहिए । ➢ इसे प्रस्तावित कार्यकलाप के क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए । ➢ इसे वित्तीय रूप से सुदृढ़ होना चाहिए तथा बजट व्यय के कम से कम 10% को वहन करने की क्षमता होनी चाहिए । ➢ प्रस्ताव आरंभिक निरीक्षण रिपोर्टों के साथ राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित होना चाहिए । ➢ आवेदन पिछले दो वर्षों के बजट प्राक्कलन, पंजीकरण प्रमाण-पत्र वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखों (प्राप्ति एवं भुगतान, आय एवं

		व्यय और बैलेंसशीट सहित) निर्धारित प्रपत्र में किया जाना चाहिए ।

केन्द्रीय वक्फ परिषद

क्रम सं0	योजना का नाम	योजना की मुख्य विशेषताएं
1	**सी डब्ल्यू सी**	देश में राज्य वक्फ बोर्डों के कार्यों से संबंधित मामलों पर और वक्फों के उचित प्रशासन पर इसे सलाह देने के उद्देश्य से वक्फ अधिनियम, 1954 की धारा 8क (अब वक्फ अधिनियम, 1955 की धारा 9 की उपधारा 1 के रूप में पठनीय) के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा स्थापित केन्द्रीय वक्फ परिषद एक सांविधिक निकाय है । यह परिषद एक अध्यक्ष और अधिकतम 20 सदस्यों से मिलकर बनी है । अध्यक्ष माननीय केन्द्रीय मंत्री है जो वक्फ के प्रभारी है तथा सदस्यों की नियुक्ति, भारत सरकार इस अधिनियम में वर्णित उपबंधों के अनुसार करती है । **केन्द्रीय वक्फ परिषद द्वारा चलाई जा रही योजनाएं** **(क) शहरी वक्फ संपतियों का विकास** खाली पड़ी वक्फ भूमि को अतिक्रमण कर्त्ताओं से बचाने और कल्याण कार्यकलापों के विस्तार के उद्देश्यार्थ तथा अधिक आय अर्जन के लिए वाणिज्यिक आधार पर इसे विकसित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय वक्फ परिषद केन्द्रीय सरकार से वार्षिक सहायता अनुदान के साथ इसे योजनेत्तर योजना को कार्यान्वित करती रहती है । इस योजना वर्ष 1974 - 75 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय वक्फ परिषद को वार्षिक सहायता अनुदान देकर शुरू किया गया था । इस योजना के अंतर्गत वक्फ भूमि पर आर्थिक रूप से व्यवहार्य भवन जैसे वाणिज्यिक परिसर, विवाह घर, अस्पताल, शीत भंडारण गृह आदि बनाने के लिए देश की विभिन्न वक्फ संस्थाओं को दिए जाने वाले ऋण को बढ़ा दिया गया हे ।
		(ख) परिषद की रिवाल्विंग निधि ऋण ग्राही संस्थाओं द्वारा परिषद को ऋण राशि की चुकौती दो वर्ष के विलम्बन-काल के साथ 20 अर्ध-वार्षिक किस्तों में की जाती है । इस प्रकार चुकाई गई राशि से परिषद का रिवाल्विंग फंड बनता है, जिसका पुनः उपयोग 20 लाख रुपए तक अग्रिम ऋण देकर वक्फ भूमि संबंधी लघु परियोजनाओं के लिए किया जाता है ।

(ग) परिषद की शिक्षा योजना

केन्द्रीय वक्फ परिषद द्वारा प्राप्त सहायता अनुदान को शहरी वक्फ संपत्तियों के विकास के लिए ऋणग्राही वक्फों को ब्याज रहित ऋण के रूप में जारी किया जाता है । जबकि परिषद, इस योजना में काम करने वाले कर्मचारियों पर होने वाले पूरे खर्च के साथ-साथ परिषद द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा में प्रयुक्त कागज, डाक-व्यय आदि पर होने वाले अन्य खर्चों को वहन करता है, यह ऋणग्राही संस्थाओं के सामने दो शर्तें रखता है अर्थात (i) उन्हें बकाया ऋण पर इसकी योजनाओं के लिए परिषद की शैक्षिक निधि को 6% चंदा देना होगा जो गरीब मुसलमानों के शैक्षिक उत्थान के लिए बनाई गई हैं; (ii) ऋण की चुकौती के बाद, उन्हें अपनी बढ़ी हुई आय का 40% मुसलमानों की शिक्षा पर विशेष रूप से तकनीकी शिक्षा पर खर्च करना होगा ।

शहरी वक्फ संपत्तियों के विकास के लिए बकाया ऋण पर ऋणग्राही वक्फों से 6% चंदा प्राप्त होता है और परिषद की शिक्षा निधि के रिवाल्विंग फंड की बैंक जमा राशि पर ब्याज उपार्जित किया जाता है । इस निधि का उपयोग निम्नलिखित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए किया जाता हैः

i) तकनीकी/व्यावसायिक स्नातक पाठ्यक्रम के लिए अध्ययन कर रहे गरीब छात्रों को 6000 रुपए प्रति वर्ष की दर से छात्रवृत्ति;
ii) सामान्य स्नातक पाठ्यक्रम के गरीब और जरूरतमंद छात्रों को 3000 रुपए प्रति वर्ष की दर से तदर्थ अनुदान;

iii) विद्यालय के छात्रों, मदरसा के छात्रों और अपने संबंधित राज्यों में तकनीकी/व्यावसायिक डिप्लोमा कोर्स करने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु राज्य वक्फ बोर्डों को समान अनुदान;

iv) मुसलमान बहुल क्षेत्रों में भारतीय तकनीकी संस्थान (आईटीआई) स्थापित करने हेतु अनुदान;

v) व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों हेतु स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय

		सहायता; और vi) 'पुस्तक-बैंक' का विकास करने हेतु पुस्तकालयों को वित्तीय सहायता । इसके अतिरिक्त, अधिक जानकारी के लिए कृपया www.centralwakfcouncil.org वेबसाइट देखें ।
02	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की स्थापना 1994 में की गई थी जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों में पिछड़े वर्गों के लिए आर्थिक विकासात्मक कार्यकलापों को बढ़ावा देना था । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम गरीबी रेखा के दुगने से कम पारिवारिक आय वाले अल्पसंख्यक समुदायों के पात्र लाभार्थियों को स्वरोजगार कार्यकलापों हेतु रियायती वित्त साधन मुहैया कराता है । **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की योजनाएं*** राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम के पास अंतिम लाभार्थियों तक पहुंचने के दो चैनल हैं - पहला संबंधित राज्य/संघ राज्य सरकारों द्वारा नामित राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से और दूसरा गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से । राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा कार्यान्वित ये योजनाएं इस प्रकार हैं: (क) राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से i) आवधिक ऋण योजना ii) मार्जिन मनी ऋण योजना iii) शिक्षा ऋण योजना iv) महिला समृद्धि योजना (ख) गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से i) लघु वित्त पोषण योजना ii) ब्याज रहित ऋण योजना ii) रिवाल्विंग फंड योजना

योजना, अनुसंधान मूल्यांकन मानीटरिंग (प्रेम) प्रभाग

विस्तृत कार्य कलाप, कर्त्तव्य एवं प्रभाग द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं में शामिल हैंः

अनुसंधान एवं मूल्यांकन अध्ययन का प्रायोजन, समाज कल्याण संबंधी नैदानिक अध्ययन एवं प्रलेखन अध्ययन, सामाजिक विकास और सामाजिक आर्थिक नीति तथा अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, विकलांगों, परित्यक्त बच्चों, वृद्ध व्यक्तियों एवं नशीली दवा दुरुपयोग के शिकार लोगों आदि का सशक्तिकरण । वार्षिक योजना, पंचवर्षीय योजनाओं के लिए प्रस्ताव, मध्यावधिक मूल्यांकन तथा मंत्रालय की प्रशासनिक रिपोर्ट तैयार करना, योजना व्यय की प्रगति को मानीटर करने हेतु विभिन्न स्तरों पर आवधिक समीक्षा बैठकें और संबंधित विषयों पर योजना आयोग, व्यय विभाग, जनजातीय कार्य मंत्रालय, डब्ल्यू एंड सी डी विभाग, शिक्षा विभाग, गृह मंत्रालय तथा अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों के साथ संपर्क ।

---

* इन योजनाओं का विवरण राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास निगम की सूचना हैंडबुक से प्रापत किया जा सकता है, जिसका पता ओर टेलिफोन नं. इस मैनुअल के भाग 2.11 पर दिया गया है ।

अनुसूचित जाति विकास (एससीडी) ब्यूरो

अनुसूचित जाति विकास - 1 प्रभाग

यह मंत्रालय, लक्षित समूह के कल्याणार्थ केन्द्रीय प्लान योजनाओं और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के निष्पादन हेतु क्षेत्रीय कार्यान्वयन एजेंसियों को निधि प्रदान करता है । प्रत्येक मामले में निर्धारित मानदंडों के अनुसार इन योजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किया जाता है ।

अनुसूचित जाति विकास - II प्रभाग

यह मंत्रालय, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा अनुसूचित जातियों की विशेष संघटक योजना (एससीपी) के प्रतिपादन और क्रियान्वयन की समीक्षा करता है । यह मंत्रालय, गरीब अनुसूचित जाति लाभार्थियों के लिए परिवार आधारित आय-सृजक योजनाओं को कार्यान्वित करने हेतु विशेष संघटक योजना के योगज के रूप में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान करता है ।

अनुसूचित जाति विकास - III प्रभाग

मंत्रालय, अनुसूचित जातियों से संबधित लक्षित समूहों के कल्याणार्थ योजना के निष्पादन के लिए स्वैच्छिक संगठनों को निधि प्रदान करता है । योजना का कार्यान्वयन, योजना के दिशा-निर्देशों में निर्धारित मानदंडों के अनुसार गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से किया जाता है ।

अनुसूचित जाति विकास - IV प्रभाग

मंत्रालय, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के राज्य अनुसूचित जाति विकास निगमों को केन्द्रीय इक्विटी अंशदान के रूप में निधि प्रदान करता है । ये निगम अनुसूचित जातियों, सफाई कर्मचारियों और अन्य लक्षित समूहों को ऋण मुहैया कराते हैं जिससे कि वे अपने राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से स्व-रोजगार उद्यम शुरू कर सकें । अनुसूचित जाति विकास निगम लाभार्थियों से सीधे आवेदन लेता है और उन्हें ऋण प्रदान करता है । यह मंत्रालय इस प्रक्रिया में सीधे तौर पर शामिल नहीं है । केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम को इक्विटी सहायता प्रदान की जाती है । स्व-रोजगार उद्यम

शुरू करने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, अनुसूचित जातियों को और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम सफाई कर्मचारियों को ऋण प्रदान करता है । ये दो शीर्ष निगम लाभार्थियों को विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए) के माध्यम से ऋण जारी करते हैं तथा यह मंत्रालय इस प्रक्रिया में सीधे तौर पर शामिल नहीं है ।

अनुसूचित जाति विकास - V प्रभाग

मंत्रालय, केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के निष्पादन के लिए, कार्यान्वयन एजेंसी होने के नाते राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निधि प्रदान करता है । राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत निधि की प्रतिपूर्ति, विदेश में भारतीय मिशनों द्वारा किए गए व्यय के आधार पर, कार्यान्वयन एजेंसी होने के नाते, विदेश मंत्रालय को की जाती है ।

अनुसूचित जाति विकास - VI प्रभाग

i) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन
ii) अन्य मंत्रालयों के परामर्श से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और डा.अम्बेडकर प्रतिष्ठान को प्रशासनिक सलाह देना
iii) 'संयुक्त संवर्ग' पदों की प्रोन्नति एवं चयन और इन संयुक्त संवर्ग पदों से संबंधित अन्य स्थापना विषय
iv) अनुसूचित जाति विकास ब्यूरो का समन्वय

पीसीआर डेस्क

i) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का कार्यन्वयन, उन अपराधों के बारे में दांडिक न्यायकरण को छोड़कर जो अनुसूचित जातियों से संबंधित हैं ।

ii) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को केन्द्रीय सहायता मुहैया कराना ।

iii) अस्पृश्यता के अपराधों और अत्याचारों के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों को उचित कार्रवाई हेतु संबंधित राज्य सरकार एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन और संबंधित एजेंसियों को भेजना ।

iv) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत अनुबंधित वार्षिक रिपोर्ट और उसके तहत बनाए गए नियमों का प्रस्तुतीकरण ।

आर आई सैल

(क) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग से प्राप्त रिपोर्टों को, कार्रवाई ज्ञापन के साथ संसद में प्रस्तुत करना ।

(ख) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग और इसके प्रशासनिक/वित्तीय विषयों का गठन ।

आर एल सैल

(क) संविधान (अनुसूचित जाति) आदेशों में यथाअधिसूचित अनुसूचित जातियों की सूचियां
(ख) जाति प्रमाण-पत्रों के बारे में दिशा-निर्देश/ अनुदेश
(ग) राष्ट्रीय अनधिसूचित जनजाति और अर्ध-खानाबदोश 'जनजाति' आयोग का कार्यकरण

समाज रक्षा ब्यूरो

वृद्धावस्था प्रभाग

राष्ट्रीय वृद्धजन नीति को जनवरी, 1999 में अपनाया गया है (राष्ट्रीय वृद्धजन नीति संबंधी टिप्पणी www.socialjustice.nic.in पर उपलब्ध है) । राष्ट्रीय वृद्धजन नीति मूल रूप से इन मुद्दों पर संकेन्द्रित करती हैः

(क) राष्ट्रीय नीति में वृद्ध व्यक्तियों की वित्तीय एवं खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखरेख, आश्रय एवं अन्य आवश्यकताओं, विकास में उचित हिस्सा, दुरुपयोग और शोषण के विरूद्ध संरक्षण तथा उनके जीवन स्तर को सुधारने संबंधी सेवाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए राज्य की सहायता का उल्लेख है; और

(ख) इस नीति के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य-निष्पादन किया जाता हैः सक्रिय एवं सृजनशील वृद्धावस्था को बढ़ावा देना और सक्रिय, सर्जक, सृजनशील एवं संतोषप्रद जीवन सुनिश्चित करने हेतु सकारात्मक कार्य संबंधी जरूरतों को अभिज्ञापित करना, परिवार के सदस्यों को परिवार के वृद्ध व्यक्तियों की देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित करना, परिवार द्वारा की जाने वाली देखभाल को अनुपूरित करने के लिए स्वैच्छिक एवं गैर-सरकारी संगठनों को सहायता करना, सुभेद्य वृद्ध व्यक्तियों को देखरेख एवं संरक्षण प्रदान करना, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करना, वृद्धावस्था से संबंधित विषयों पर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण को बढ़ावा देना और वृद्धावस्था देखरेख कर्त्ताओं एवं वृद्ध व्यक्तियों के लिए सेवाओं के आयोजकों को प्रशिक्षित करना; और वरिष्ठ नागरिकों के राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा में शामिल करने के कार्य को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से वृद्धावस्था संबंधी विषयों पर समाज में जागरूकता पैदा करना ।

माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय वृद्धजन नीति मई, 1999 से वृद्ध व्यक्तियों से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों पर सरकार को सलाह देने और राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन के संबंध में सरकार को फीडबैक देने का कार्य कर रही है । राष्ट्रीय वृद्धजन नीति के सदस्य गैर-सरकारी संगठनों, नागरिकों के समूहों, सेवानिवृत्त व्यक्तियों के संघों का प्रतिनिधित्व करने वाले तथा कानून, समाज कल्याण एवं सुरक्षा, अनुसंधान और चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े अनुभवी एवं सुप्रसिद्ध

व्यक्ति हैं । राष्ट्रीय वृद्धजन नीति का कार्यकाल 5 वर्ष है इसके बाद एक नई राष्ट्रीय वृद्धजन नीति गठित की जाती है । इस समय इसके 33 सदस्य हैं ।

राष्ट्रीय वृद्धजन नीति की सिफारिशों पर कार्रवाई करने के लिए मंत्रालय ने सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अध्यक्षता में एक अन्तर्मंत्रालयी समिति का भी गठन किया है । इस अन्तर्मंत्रालयी समिति में 22 मंत्रालयों/विभागों, जो मूलरूप से वृद्ध व्यक्तियों के कल्याण से संबंधित है, के प्रतिनिधि हैं ।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, निम्नलिखित दो योजनाओं के तहत गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता के माध्यम से वृद्ध व्यक्तियों के कल्याण संबंधी कार्यक्रमों को सहायता प्रदान करता हैः

(क) ''वृद्ध व्यक्तियों के लिए समेकित कार्यक्रम'' योजना (प्लान योजना)ः

उद्देश्य

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ''वृद्ध व्यक्तियों के लिए समेकित कार्यक्रम'' नामक एक योजना कार्यान्वित कर रहा है । इस योजना का उद्देश्य हैः

- वृद्ध व्यक्तियों की देखभाल करने के लिए परिवार की योग्यता और प्रतिबद्धता को बढ़ाना एवं सुदृढ़ करना;
- कई पीढ़ियों के व्यक्तियों के मध्य सौम्य संबंध विकसित करना;
- वृद्ध व्यक्तियों से संबंधित विषयों पर अधिक जागरूकता पैदा करना और इन विषयों पर ध्यान देने के लिए उपायों को बढ़ाना;
- व्यक्तिगत स्तर और सामाजिक स्तर पर 'वृद्धावस्था के लिए आजीवन तैयारी' की अवधारणा को लोकप्रिय बनाना;
- सर्जनशील वृद्धावस्था को सुकर बनाना;
- वृद्ध व्यक्तियों की स्वास्थ्य देखरेख, आवास और आय सुरक्षा संबंधी जरुरतों को प्रोत्साहन देना; और
- वृद्ध व्यक्तियों से संबंधित विषयों पर स्थनीय निकायों/राज्य सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों और शैक्षिक/अनुसंधान तथा अन्य संस्थाओं की क्षमता को सुदृढ़ करना ।

लाभ किसको मिलना है

- जबकि इस कार्यक्रम का मुख्य जोर वृद्ध व्यक्तियों (60 वर्ष और अधिक के) विशेष रूप से उनमें से अशक्त, निराश्रित और विधवाओं पर होगा, परिवार और समुदाय को लक्षित करते हुए वृद्ध व्यक्तियों के जीवन-स्तर में सुधार लाने के समग्र संदर्भ में विस्तृत रूप से हस्तक्षेप भी किया जाएगा ।

कार्यान्वयन एजेंसियां

- सरकार द्वारा संस्थाओं या संगठनों का गठन, या तो संविधि के तहत स्वायत्त निकाय के रूप में या सोसाइटी अधिनियम, 1860 के पंजीकरण या अन्यथा के तहत पंजीकृत सोसाइटी के रूप में किया जाता है ।
- उपयुक्त अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत गैर-सरकारी संगठन, जिसमें विधिवत गठित प्रबंधन/कार्यकारी समिति हो, जो किसी अन्य बाह्य नियंत्रण के बिना लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर चल रहा हो और किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय के लाभार्थ न चलाया जा रहा हो ।
- स्थानीय निकायों और सहकारी सोसाइटियों के पसंद की शैक्षिक एवं अन्य संस्थाएं ।
- विशिष्ट मामलों में, इस योजना के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता भी दी जाएगी ।

क्या गैर-सरकारी संगठन अनुदान के लिए पात्र हैं?

उपयुक्त अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत गैर-सरकारी संगठन, जिसमें विधिवत् गठित प्रबंधन/कार्यकारी समिति हो, जो किसी अन्य बाह्य नियंत्रण के बिना लोकतांत्रिक सिद्धान्तों पर चल रहा हो और किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय के लाभ के लिए न चलाया जा रहा हो ।

भारत सरकार परियोजना लागत की 90% तक निधि प्रदान करती है और शेष संबंधित संगठन/संस्थान द्वारा वहन किया जाता है । तथापि, वृद्ध व्यक्तियों के लिए कार्यक्रम चलाने एवं सेवाएं प्रदान करने वाले स्कूलों, कालेजों एवं नेहरू युवा केन्द्र संगठन तथा राष्ट्रीय सेवा योजना जैसे मान्यता प्राप्त युवक संगठनों के मामले में सरकार द्वारा शत-प्रतिशत परियोजना लागत प्रदान की जाती है । किसी कार्यकलाप का सीधे कार्य-निष्पादन करने वाली राज्य सरकारों/स्थानीय/नगरपालिका निकायों के मामले में भारत सरकार और राज्य सरकार/स्थानीय/नगरपालिका निकाय के बीच वित्त पोषण पैटर्न 90:10 है । तथापि, संघ राज्य क्षेत्र द्वारा शुरू किए जाने वाले कार्यकलाप के मामले में शत-प्रतिशत लागत का वहन भारत सरकार द्वारा किया जाता है । सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इस योजना के अंतर्गत कोई कार्यकलाप नहीं कर रहा है तथापि, योजनाओं की मानीटरिंग और मूल्यांकन, समर्थन, जागरूकता सृजन, अनुसंधान, प्रलेखन, प्रशिक्षण आदि पर होने वाली लागत का पूर्ण भुगतान कार्यक्रम के लिए किए गए बजटीय आबंटन से किया जाता है ।

प्रस्तावों की पूर्वापेक्षा

संबंधित गैर-सरकारी संगठन/संस्थान को निम्नलिखित दस्तावेजों को संलग्न करके निर्धारित प्रपत्र के अनुसार समेकित प्रस्ताव प्रस्तुत करने चाहिएः

- निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र
- वर्ष का अनुमानित बजट
- लाभार्थियों का ब्यौरा
- कर्मचारियों का ब्यौरा
- प्रबन्धन समिति का ब्यौरा
- पिछले वर्ष में जारी किए गए अनुदान के संबंध में उपयोगिता प्रमाणपत्र के साथ लेखापरीक्षित लेखे
- पिछले वर्ष की प्रगति रिपोर्ट/वार्षिक रिपोर्ट

- पंजीकरण प्रमाण-पत्र
- संगम ज्ञापन
- वैध किराया करार, यदि कोई हो ।

सहायता राशि

इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष आवर्ती मदों के लिए अनुदान जारी किया जाता है । तथापि, परियोजनाओं (वृद्धावस्था गृहों/अनावासी देखभाल केन्द्रों) की स्थापना करते समय अनावर्ती अनुदान प्रदान किया जाता है । अनुदान दो समान किस्तों में प्रदान किया जाता है । पहली किस्त में संस्वीकृत राशि का 50% कवर किया जाता है और इसे निर्धारित प्रपत्र के प्राप्त होने पर जारी किया जाता है । शेष 50% को दूसरी किस्त के रूप में निर्धारित प्रपत्र के प्राप्त होने पर जारी किया जाता है ।

(ख) पंचायती राज संस्थाओं/स्वैच्छिक संगठनों/स्व-सहायता समूहों के लिए सहायता की योजना जिसके तहत वृद्धाश्रमों के निर्माण हेतु निधि प्रदान की जाती है (गैर-योजना स्कीम)

योजना के उद्देश्यः

- निराश्रित,वृद्ध व्यक्तियों को वित्तीय रूप से तबाह होने के विरुद्ध संरक्षण;
- विभिन्न प्रकार से उत्पादकता बढ़ाने वाले कार्यकलाप हेतु अवसरों का प्रावधान;
- सामाजिक समर्थन को बढ़ावा देना और बनाए रखना;
- वृद्धजनों विशेषकर निराश्रित और बेघर लोगों को स्व-संतुष्टि, स्वास्थ्य, पोषण और देखभाल प्रदान करने, सतत् शिक्षा तथा मनोरंजन के कार्यकलापों के लिए प्रावधान; और
- उपयुक्त आवासीय सुविधाओं का प्रावधान करना जो ऐसे वातावरण में स्थित हों, जिसमें वृद्धजनों को समृद्ध, सामान्य और सुरक्षित जीवन जीने का अवसर मिलें तथा इस प्रकार वृद्ध जनों को एक सार्थक मनोवैज्ञानिक महत्व प्रदान किया जा सके ।

लाभ किसको मिलना है

निराश्रित वृद्धजनों के लिए वृद्धाश्रमों और बहु विषयक सेवा केन्द्रों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा उन्हें समाज की मुख्यधारा में सामाजिक और आर्थिक अन्तःसम्पर्क हेतु अवसर उपलब्ध कराना ।

कार्यान्वयन एजेंसियां

सरकार द्वारा संस्थाओं या संगठनों का गठन, या तो संविधि के तहत स्वायत्त निकाय के रूप में या सोसाइटी अधिनियम, 1860 के पंजीकरण या अन्यथा के तहत पंजीकृत सोसाइटी के रूप में किया जाता है ।

- उपयुक्त अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत गैर-सरकारी संगठन, जिसमें विधिवत् गठित प्रबंधन/कार्यकारी समिति हो, जो किसी अन्य बाह्य नियंत्रण के बिना लोकतांत्रिक सिद्धान्तों पर चल रहा हो और किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय के लाभ के लिए न चलाया जा रहा हो ।
- अस्थायी रूप से लागू किसी कानून के तहत पंजीकृत सार्वजनिक न्यास ।
- कंपनी अधिनियम, 1958 की धारा 25 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त धर्मार्थ कंपनी ।
- सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत वृद्धजनों के स्व-सहायता समूह अथवा सार्वजनिक न्यास ।
- पंचायती राज संस्थाएं भी प्रदान किए जाने वाले सहायता अनुदान के पात्र हैं, उनकी सिफारिशें उनके जिला परिषद्, नगरपालिका निगम/नगरपालिका परिषद, जैसा भी मामला हो, के एक संकल्प के माध्यम से, राज्य सरकार की विधिवत् संस्तुति से प्राप्त होती है ।

क्या गैर-सरकारी संगठन अनुदान हेतु पात्र हैं?

उपयुक्त अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत गैर-सरकारी संगठन, जिसमें विधिवत् गठित प्रबंधन/कार्यकारी समिति हो, जो किसी अन्य बाह्य नियंत्रण के बिना लोकतांत्रिक सिद्धान्तों पर चल रहा हो और किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय के लाभ के लिए न चलाया जा रहा हो ।

प्रस्तावों की पूर्वापेक्षा

संबंधित गैर-सरकारी संगठन/संस्थान को निम्नलिखित दस्तावेजों को संलग्न करके निर्धारित प्रपत्र के अनुसार समेकित प्रस्ताव प्रस्तुत करने चाहिएः

- निर्धारित प्रपत्र में आवेदन
- वृद्धाश्रम गृह/बहु विषयक सेवा केन्द्र के निर्माण हेतु अनुमानित बजट
- प्रबन्धन समिति का ब्यौरा
- पिछले वर्ष में जारी लेखा परीक्षित लेखे
- पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट
- पंजीकरण प्रमाण-पत्र
- संगम ज्ञापन
- केन्द्रीय सरकार के अन्य विभागों से या राज्य सरकार से समान परियोजना के लिए प्राप्त किए गए/प्राप्त किये जाने वाले अनुदान का विवरण
- प्रस्तावित भवन की अभिन्यास योजना
- भूमि, जिस पर भवन का निर्माण किया जाना है, के स्वामित्व का प्रमाण
- राज्य सरकार द्वारा प्रमाण-पत्र या अनुमोदित निर्धारक (राज्य सरकार, आय कर विभाग आदि द्वारा अनुमोदित) से प्रमाण-पत्र या राज्य निर्माण निगम से प्रमाण-पत्र कि ये दरें, सदृश कार्य के लिए लोक निर्माण विभाग की वर्तमान अनुसूची दरों से अधिक नहीं हैं ।

सहायता राशि

इस योजना के अंतर्गत, प्रति गृह/केन्द्र के लिए अनुदान की राशि 15 लाख रुपए तक सीमित है । अनुदान दो समान किस्तों में जारी किया जाता है । पहली किस्त संस्वीकृत राशि के 70% से अधिक नहीं होती तथा निर्धारित प्रपत्र के प्राप्त होने के पश्चात् ही जारी की जाती है । बाकी 30%, निर्माण कार्य शुरू हो जाने और छत के स्तर तक पहुंच जाने की पुष्टि होने तथा संस्था/संगठन द्वारा अब तक किए गए व्यय का विवरण प्राप्त होने पर जारी किया जाता है ।

बाल कल्याण विभाग

(क) किशोर न्याय संबंधी कार्यक्रमः

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय " किशोर न्याय संबंधी कार्यक्रम " नामक एक योजना को क्रियान्वित कर रहा है । इस योजना के उद्देश्य हैं :

- प्रेक्षण गृहों, किशोर गृहों, विशेष किशोर गृहों की स्थापना करने, मौजूदा गृहों का उन्नयन करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना;
- इन गृहों में रहने वाले संवासियों को भरण-पोषण अनुदान, आकस्मिक भत्ता, बेडिंग प्रभार प्रदान करना; और
- इन गृहों के स्टाफ को वेतन की व्यवस्था करना ।

लाभ किसको मिलना हैः

- कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर ।
- देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चे ।

कार्यान्वयन एजेंसियां

राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन । इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और केन्द्रीय सरकार के बीच लागत अनुपात 50 : 50 है । राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संगठनों के मामले में राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार और गैर-सरकारी संगठनों के बीच यह अनुपात 45 : 45 : 10 है । इस योजना के अंतर्गत अनुदान जारी करने के लिए यह अनिवार्य है कि राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, गृहों आदि की लागत का 50% तक पूरा करने के लिए अपने राज्य बजट में पर्याप्त बजटीय प्रावधान करें ।

क्या गैर सरकारी संगठन अनुदान के लिए पात्र हैं:

इस योजना के अंतर्गत किसी भी गैर-सरकारी संगठन को निधियां सीधे जारी नहीं की जाती हैं । इस योजना के अंतर्गत गृहों को संचालित करने वाले राज्य सरकार के मान्यताप्राप्त गैर सरकारी संगठन के संबंध में अनुदान राज्य सरकारों को जारी की जाती है जो अन्ततः संबंधित गैर सरकारी संगठनों को अनुदान जारी करते हैं ।

निर्माण अनुदानों को जारी करने और मौजूदा संस्थाओं का उन्नयन करने के लिए पूर्वापेक्षाएं :

संबंधित राज्य सरकार को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को प्रस्तावित निर्मित/उन्नयन किए जाने वाले गृह के अलग प्रस्ताव भेजने चाहिए, जिसमें कार्य योजना और राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा विधिवत् अनुमोदित अनुमानित निर्माण लागत का ब्यौरा हो ।

गृह का आकारः

50 बच्चों के रहने के लिए प्रेक्षण गृह का कवरिंग क्षेत्र करीब 7,000 वर्ग फीट है और 100 किशोर संवासियों को रखने के लिए किशोर गृह या विशेष गृह का कवरिंग क्षेत्र करीब 11,000 वर्ग फीट है ।

प्रस्तावों की पूर्वापेक्षाएं :

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के संबंधित विभाग निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करते हुए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार समेकित प्रस्ताव भेजते हैः-

(1)पूर्व वर्ष में जारी अनुदानों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र, जोकि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित हों; (2)सरकार द्वारा संचालित गृहों और गैर-सरकारी संगठन द्वारा संचालित गृहों का प्रत्येक गृह की धारिता क्षमता के साथ ब्यौरा; (3) गृहों में संवासियों की मौजूदा संख्या; (4) सरकार द्वारा संचालित गृहों के कर्मचारियों के वेतन का ब्यौरा; (5) जारी किए जाने वाले निवेदित अनुदान का विस्तृत कार्य-पत्रक; और (6) इस योजना के अंतर्गत व्यय को पूरा करने के लिए राज्य बजट में राज्य समान अंश की राशि ।

सहायता राशिः

इस योजना के अंतर्गत दो तरह की अनुदान, अनावर्ती और आवर्ती प्रदान किया जाता है। गृहों के निर्माण, मौजूदा गृहों के उन्नयन, फर्नीचर, उपस्कर और बरतनों के लिए अनावर्ती अनुदान प्रदान की जाती है। बच्चों के भरण-पोषण, आकस्मिक व बच्चों के बैडिंग भत्ता व गृहों के स्टाफ के वेतन के लिए आवर्ती अनुदान प्रदान की जाती है। केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा इस प्रकार हैः

(i) 100 संवासियों को रखने की धारिता क्षमता के किशोर गृह या विशेष गृह का निर्माण - 12.50 लाख रुपए;

(ii) 50 बच्चों के रहने की क्षमता के प्रेक्षण गृह का निर्माण - 9.036 लाख रुपए;

(iii) फर्नीचर, उपकरण और बर्तन - किशोर/विशेष गृह के लिए 25,000 रुपए और प्रेक्षण गृह के लिए 10,000 रुपए;

(iv) भरण-पोषण अनुदान - सरकार द्वारा संचालित गृहों के लिए प्रति बालक प्रतिमाह 250 रुपए और गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित गृहों के लिए प्रति बालक प्रतिमाह 225 रुपए;

(v) आकस्मिक भत्ता - सरकार द्वारा संचालित गृहों के लिए प्रति बालक 5 रुपए प्रतिमाह और गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित गृहों के लिए 4.50 रुपए;

(vi) बिस्तर भत्ता - सरकार द्वारा संचालित गृहों के लिए 50 रुपए प्रति बालक प्रतिवर्ष और गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित गृहों के लिए 45 रुपए प्रति बालक प्रतिवर्ष; और

(vii) उपर्युक्त (i) व (ii) में वर्णित मानकों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की वास्तविक आवश्यकताओं के आकलन पर मौजूदा गृह के उन्नयन के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है।

(ख) बेसहारा बच्चों के लिए समेकित कार्यक्रमः

यह मंत्रालय विशेषतौर से बिना घर एवं पारिवारिक बन्धनों के बेसहारा बच्चों, यौन कामगारों तथा सड़क पर रहने वाले बच्चे जो दुरूपयोग और शोषण के प्रति विशेषतौर से संवदेनशील हैं, के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक गैर संस्थागत समर्थन प्रदान करने के लिए " बेसहारा बच्चों के लिए समेकित कार्यक्रम " नामक केन्द्रीय क्षेत्र योजना को कार्यान्वित कर रहा है। इसके अतिरिक्त, आश्रय, पोषाहार, स्वास्थ्य देखरेख, स्वच्छता और स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा और मनोविनोद सुविधाओं का प्रावधान है।

उद्देश्यः

निराश्रित और उपेक्षित बेसहारा बच्चों के साथ दुर्व्यवहार और शोषण से बचाव के लिए आश्रय, पोषण, स्वास्थ्य देखरेख, स्वच्छता, स्वास्थ्य, साफ पेयजल, व्यावसायिक प्रशिक्षण, शिक्षा और मनोविनोद सुविधाएं प्रदान करना ।
देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों को चाइल्ड हैल्प लाइन सेवा प्रदान करना ।

लाभ किसको मिलना है?

(1) विशेषतौर पर बिना घर और परिवार वाले बेसहारा बच्चे; और
(2) यौन कामगारों तथा पटरी पर रहने वाले बच्चे, जो दुर्व्यवहार एवं शोषण के प्रति विशेषतौर से संवेदनशील हैं ।

कार्यान्वयन एजेंसियां

(1) राज्य सरकारें और संघ राज्य - क्षेत्र प्रशासन ।
(2) सरकार द्वारा स्वायत्त निकायों के रूप में स्थापित संस्थान या संगठन जो या तो संविधि या सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या अन्य के अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटी के रूप में हो ।
(3) स्थानीय निकायों तथा सहकारी सोसाइटियों के जैसे शैक्षिक और अन्य संस्थाएं ।
(4) ऐसे गैर सरकारी संगठन जो उपयुक्त अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हो, विधिवत् गठित प्रबन्ध/कार्यकारी समिति हो, बिना किसी बाहरी नियंत्रण के लोकतांत्रिक सिद्धान्तों पर संचालित हो और किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निकाय के लाभ के लिए नहीं चलाई जा रही हो ।

भारत सरकार योजना के अंतर्गत परियोजना लागत का 90% प्रदान करेगी और शेष संबंधित संगठन/संस्था द्वारा वहन किया जाएगा । राज्य सरकार/नगरपालिकाओं निकायों के मामले में, सीधे ही कार्य निष्पादन का दायित्व लेने में वित्त पोषण का तरीका भारत सरकार तथा राज्य सरकार/नगर निगम के बीच 90 : 10 के अनुपात में होगा । तथापि, जहां सभी कार्यकलाप संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा शुरू किए जाते हैं, वहां लागत का 100 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा ।

क्या गैर-सरकारी संगठन अनुदान के पात्र हैं:

ऐसे गैर सरकारी संगठन जो उपयुक्त अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हों, जिनकी विधिवत् रूप से गठित प्रबन्ध/कार्यकारी समिति हो, बिना किसी बाहरी नियंत्रण के

लोकतांत्रिक सिद्धान्तों पर संचालित हो और किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय के लाभ के लिए नहीं चलाई जा रही हो, अनुदान के लिए पात्र हैं ।

प्रस्तावों के लिए पूर्वापेक्षाएं

संबंधित गैर-सरकारी संगठन/संस्थाओं को निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करते हुए समेकित प्रस्ताव भेजने चाहिएः

(1) पूर्व वर्ष में जारी अनुदानों के संबंध में लेखा परीक्षित लेखों सहित उपयोगिता प्रमाण-पत्र ।
(2) वर्ष का अनुमानित बजट
(3) लाभार्थियों का ब्यौरा
(4) पूर्व वर्ष की प्रगति रिपोर्ट/वार्षिक रिपोर्ट
(5) रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र
(6) संगम ज्ञापन
(7) प्रबन्धन समिति का ब्यौरा
(8) नियोजित स्टाफ का ब्यौरा
(9) वैध किराया अनुबंध-पत्र, यदि कोई हो ।

सहायता राशिः

इस योजना के अंतर्गत दो तरह की अनुदान, अनावर्ती और आवर्ती प्रदान की जाती है । प्रिंटर सहित कंप्यूटर, कंप्यूटर पुर्जे, टेलिफोन लगाने, पेजर, फर्नीचर व जुड़ी हुई वस्तुओं को खरीदने के लिए अनावर्ती अनुदान प्रदान की जाती है । आवर्ती और अनावर्ती अनुदान 250 रुपए प्रति बालक प्रतिमाह प्रदान की जाती है । इस अनुदान का उपयोग प्रत्येक वैयक्तिक एजेंसी के विवेक पर छोड़ा गया है । 15 लाख रुपए प्रति वर्ष तक की उपयुक्त राशि कार्यकलाप और सेवा की प्रकृति के आधार पर प्रत्येक परियोजना को आवर्ती लागत के रूप में स्वीकृत की जाएगी । सचिव (सामाजिक न्याय और अधिकारिता) द्वारा अपवादात्मक मामलों में अधिकतम सीमा में छूट दी जा सकती है ।

ग. समाज रक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सामान्य सहायता अनुदान की सहायता

यह मंत्रालय " समाज रक्षा के क्षेत्र में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान कार्यक्रम " की केन्द्रीय क्षेत्र योजना को कार्यान्वयित कर रहा है

जिसकी व्यवस्था उन कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए की गई है जिन्हें मंत्रालय की विद्यमान योजनाओं के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है । विशेष रूप ये यह योजना उन अप्राधिकृत क्षेत्रों में प्रायोगिक परियोजनाओं का प्रावधान करती है, जिनमें मंत्रालय यथासमय स्वतंत्र कार्यक्रमों को तैयार करने की इच्छा कर सकता है । इस योजना के अंतर्गत फिलहाल यौन कार्यकर्ताओं के बच्चों के पुनर्वास के लिए बहुत से कार्यक्रमों को सहायता दी जा रही है । विधवाओं के पुनर्वास के लिए परियोजनाओं को सहायता देने और बच्चों और महिलाओं विशेष रूप से शारीरिक हिंसा और यौन उत्पीड़न के पीड़ित अभिद्यातज बच्चों और महिलाओं को परामर्श व सहायता देने के लिए भी प्रयास किए गए हैं । उड़ीसा में महाचक्रवात के पीड़ितों और जम्मू - व कश्मीर में आतंकवाद से प्रभावित अनाथों और विधवाओं व गुजरात के दंगा पीड़ितों को भी सहायता दी गई है ।

निदर्शी मध्यस्थता क्षेत्रः

(क) समस्या वाले क्षेत्रों का सामना करने के लिए परियोजनाएं, जिनको अपेक्षाकृत सेवा प्रदान नहीं की गई है, लेकिन जिनके लिए इसकी अत्यन्त आवश्यकता है;

(ख) परियोजनाएं जो विद्यमान सेवाओं से आवश्यक अन्तर को पूरा करती हैं तथा उनकी अनुपूरक हैं, जिससे प्रभाव को उच्चतम सीमा तक बढ़ाया जा सके ।

(ग) परियोजनाएं जो एकीकृत सेवाएं प्रदान करती हैं, सभी घटकों की एक स्रोत द्वारा वित्तीय रूप से सहायता किए जाने की आवश्यकता नहीं है;

(घ) परियोजनाएं जो निवारक, सुरक्षा तथा विकास एवं पुनर्वास सेवाएं प्रदान करती हैं;

(ड़) घोर सामाजिक समस्याओं से निपटने के लिए परियोजनाएं, जिनसे आम राय बनायी तथा सहायता जुटायी जा सकें;

(च) समाज कल्याण संबंधी कार्यकलापों के लिए कार्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षण हेतु परियोजनाएं; और

(छ) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की किसी मौजूदा योजना द्वारा शामिल न की गई परियोजनाएं ।

लाभ किसको मिलना है?

(1) विशेष रूप से बिना घर और परिवार के बेसहारा बच्चे; और

(2) यौन कामगारों तथा पटरी पर रहने वाले बच्चे, जो दुरुपयोग एवं शोषण के प्रति विशेषतौर से संवेदनशील हैं ।

कार्यान्वयन एजेंसियां

(1) स्वैच्छिक संगठन/संस्थाएं/विश्वविद्यालय/अनुसंधान संस्थान/स्कूल/सांविधिक निकाय यथा पंचायती राज संस्थाएं/नगर निगमों/टाउन एरिया कमेटियां/रेड क्रॉस सोसाइटियां तथा इसकी शाखाएं । भारतीय सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का अधिनियम 21) के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटी अथवा धर्मार्थ अलाभान्वित कम्पनी या इस समय लागू किसी कानून के अंतर्गत पंजीकृत सार्वजनिक निकाय और समाज कल्याण करने तथा बढ़ावा देने में लगा पंजीकृत गैर सरकारी संगठन ।

इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय की अनुमोदित लागत के 90% तक दी जाएगी तथा शेष 10% स्वैच्छिक एजेंसी अथवा अन्य संगठन किन्तु अधिमान्य स्वयं स्वैच्छिक संगठन द्वारा वहन की जाएगी । अपेक्षाकृत नए क्षेत्रों में कार्य कर रहे संगठनों के मामलों में जहां स्वैच्छिक तथा सरकारी दोनों प्रयास बहुत सीमित हैं किन्तु सेवा की आवश्यकता बहुत है, वहां सरकार शत-प्रतिशत लागत वहन कर सकती है । भवन अनुदान के मामले में, सरकारी अनुदान 10.00 लाख रुपए तक सीमित रखी जाएगी । जहां तक इस योजना के तहत अनावर्ती अनुदान सहायता का संबंध है, प्रति परियोजना 10 लाख रुपए वार्षिक की सीमा बनाए रखी जाएगी । तथापि, अपवाद स्वरूप मामलों में, इस सीमा में सचिव (सामाजिक न्याय और अधिकारिता) द्वारा छूट दी जा सकती है ।

क्या गैर-सरकारी संगठन अनुदान के लिए पात्र हैं:

स्वैच्छिक संगठन/संस्थाएं/विश्वविद्यालय/अनुसंधान संस्थान/स्कूल/सांविधिक निकाय यथा पंचायती राज संस्थाएं/नगर निगम/ टाउन एरिया कमेटियां/रेड क्रॉस सोसाइटियां तथा इसकी शाखाएं । सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 (1860 का अधिनियम 21) के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटी अथवा धमार्थ अलाभान्वित कम्पनी या इस समय लागू किसी कानून के अंतर्गत पंजीकृत सार्वजनिक निकाय और समाज कल्याण करने तथा बढ़ावा देने में लगा पंजीकृत गैर सरकारी संगठन । संगठन को संबंधित क्षेत्र में कम से कम 2 वर्ष कार्य करने का अनुभव हो अथवा उसे प्रस्तावित योजना शुरू करने के लिए सक्षमता का प्रमाण दिखाना होगा । यह किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निकाय के लाभ के लिए संचालित नहीं किया जाना चाहिए । इसकी अपने लिखित नियम-संग्रह में स्पष्ट रूप से परिभाषित तथा निर्धारित शक्ति, कर्त्तव्य तथा दायित्वों के साथ उचित रूप से गठित प्रबन्धन समिति होनी चाहिए ।

प्रस्तावों की पूर्वापेक्षाएं :

संबंधित गैर सरकारी संगठनों/संस्थाओं को निम्नलिखित दस्तावेजों को संलग्न करते हुए निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार समेकित प्रस्ताव भेजने चाहिए ।

(1) विगम वर्ष जारी अनुदानों के संबंध में लेखा-परीक्षित लेखों सहित उपयोगिता प्रमाण-पत्र; (2) वर्ष का अनुमानित बजट; (3) लाभार्थियों का ब्यौरा; (4) पिछले वर्ष की प्रगति रिपोर्ट/वार्षिक रिपोर्ट; (5) पंजीकरण प्रमाण-पत्र; (6) संगम ज्ञापन; (7) प्रबन्धन समिति का ब्यौरा; (8) कर्मचारी नियोजन का ब्यौरा; और (9) वैध किराया अनुबन्ध पत्र, यदि कोई हो।

सहायता राशि

(क) भवन का निर्माण अथवा मौजूदा भवनों का विस्तार या भवन का किराया, जिसमें सेवा दी जा रही है । (वार्डन, चौकीदार आदि के मामले को छोड़कर कर्मचारी आवास शामिल नहीं हैं) ;
(ख) कर्मचारी के वेतन तथा भत्ते; अल्प प्रशासनिक सहायता पर भी विचार किया जा सकता है;
(ग) उपस्कर, फर्नीचर आदि की लागत;
(घ) सेवा (शिक्षा, प्रशिक्षण, भोजन आदि) प्रदान करने के कारण, प्रभार;
(ड.) प्रशिक्षणार्थियों के मामले में वजीफा आदि; और
(च) अन्य प्रभार, जो कार्यक्रम को उचित रूप से चलाने के लिए आवश्यक हों ।

घ. देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद कामकाजी बच्चों के कल्याण की योजनाः

यह मंत्रालय " **देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद कामकाजी बच्चों के कल्याण की योजना** " नामक केन्द्रीय सेक्टर योजना को कार्यान्वित कर रहा है जो कामकाजी बच्चों को गैर-औपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण सहित उन सुविधाओं को प्रदान करने के लिए हैं ताकि जिन मामलों में ऐसे बच्चों ने कोई शिक्षा नहीं ली है या कुछ कारणों से उनकी शिक्षा बन्द हो गयी है, उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा में लाया/पुनः लाया जा सके और भविष्य में इनका शोषण न हो । कार्यक्रम घटक हैं- (क) शिक्षा पद्धति की मुख्यधारा में लाने/पुनः लाने में सहायता करना क्योंकि अध्ययन करने वाला बच्चा कामकाजी नहीं होता है; और (ख) लक्षित वर्गों के अभिभावकों, परिवार के मुखिया, नातेदारों को परामर्श देना, ताकि उनके बच्चों का शोषण रोका जा सके ।

लाभ किसको मिलना है?

कार्यक्रम शहरी क्षेत्रों में उन परियोजनाओं को सहायता देगा जो श्रम मंत्रालय की विद्यमान योजनाओं द्वारा पहले शामिल नहीं की जा रही हैं । ये बाल श्रमिक और संभावित बाल श्रमिक, विशेष रूप से ऐसे बच्चे, जिनका कोई पारिवारिक सहारा नहीं है अथवा बहुत कम है जैसे मलिन बस्तियों/ पटरी पर रहने वाले/नशीले पदार्थों का सेवन करने वालों के बच्चे, रेलवे प्लेटफार्म/रेलवे लाइन के आस-पास रहने वाले बच्चे, दुकानों, ढाबों, मैकेनिक दुकानों आदि में काम करने वाले बच्चे, घरेलू नौकर के रूप में लगे हुए ऐसे बच्चे, जिनके माता-पिता जेल में हैं, प्रवासी श्रमिकों/यौन कामगारों, कुष्ठ रोगियों के बच्चों के पूर्ण विकास के लिए सहायता प्रदान करती हैं ।

कार्यान्वयन एजेंसियां

(1) उपयुक्त अधिनियम के अंतर्गत कम से कम दो वर्षों के लिए पंजीकृत गैर-सरकारी संगठन हो, जिससे कि यह कारपोरेट स्थिति और कानूनी व्यक्तित्व प्राप्त करें तथा समूह दायित्व इसके कार्यकलापों के लिए हो । इसकी एक उपयुक्त प्रशासनिक संरचना तथा विधिवत् गठित प्रबंध/कार्यकारिणी समिति हो । संस्था के समझौता ज्ञापन के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों में इस योजना का मूल उद्देश्य अर्थात् बाल कल्याण शामिल हो, और संगठन बाहरी नियंत्रण के बिना, लोकतांत्रिक सिद्धान्तों पर अपने स्वयं के सदस्यों द्वारा शुरू और नियंत्रित किया जाता हो ।

इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय की अनुमोदित लागत के 90 प्रतिशत तक दी जाएगी तथा शेष 10 प्रतिशत स्वैच्छिक एजेंसी अथवा अन्य संगठन किन्तु अधिमान्य स्वयं स्वैच्छिक संगठन द्वारा वहन की जाएगी । चयन किए गए संगठनों को अनुदान दो बराबर अर्द्ध वार्षिक किस्तों में जारी की जाएगी । उस वर्ष के लिए पहली किस्त (50 प्रतिशत) जिससे आवेदन संबंधित है, यथाशीघ्र जारी की जाएगी । तथापि, लेखाओं का संपरीक्षित विवरण तथा पूर्व वर्ष की निष्पादन रिपोर्ट, दूसरी किस्त की निर्मुक्ति से पूर्व प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी । भारत सरकार से सहायता प्राप्त करने से पहले, संगठन, इस आशय के लिए निर्धारित प्रपत्र में 5 वर्ष के लिए वैध निरंतरता बाण्ड (कन्टीन्युटी बाण्ड) प्रस्तुत करेगा कि अनुदान की किसी तथा अथवा सभी शर्तों के अनुपालन न करने की स्थिति में ब्याज सहित पूरा अनुदान अथवा उसका भाग सरकार द्वारा लिए गए निर्णयानुसार लौटाना होगा ।

क्या गैर-सरकारी संगठन अनुदान के लिए पात्र हैः

उपयुक्त अधिनियम के अंतर्गत कम से कम दो वर्षों के लिए पंजीकृत गैर सरकारी संगठन हो । इसकी एक उपयुक्त प्रशासनिक संरचना तथा विधिवत् गठित

प्रबंध/कार्यकारिणी समिति हो । संस्था के समझौता ज्ञापन के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों में इस योजना का मूल उद्देश्य अर्थात् बाल कल्याण शामिल हों, और संगठन बाहरी नियंत्रण के बिना, लोकतांत्रिक सिद्धान्तों पर अपने स्वयं के सदस्यों द्वारा शुरू और नियंत्रित किया जाता हो :

प्रस्तावों की पूर्वापेक्षाएं

संबंधित गैर सरकारी संगठनों/संस्थाओं को निम्नलिखित दस्तावेजों को संलग्न करते हुए निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार समेकित प्रस्ताव भेजने चाहिएः

(1) पूर्व वर्ष में जारी अनुदानों के संबंध में लेखा-परीक्षित लेखों सहित उपयोगिता प्रमाण-पत्र; (2) वर्ष का अनुमानित बजट; (3) लाभार्थियों का ब्यौरा; (4) पिछले वर्ष की प्रगति रिपोर्ट/वार्षिक रिपोर्ट; (5) पंजीकरण प्रमाण-पत्र; (6) समझौता ज्ञापन; (7) प्रबन्धन समिति का ब्यौरा; (8) स्टाफ नियोजन का ब्यौरा; और (9) वैध किराया अनुबंध-पत्र, यदि कोई हो ।

सहायता राशि

दवाईयों, पोषण, प्रशिक्षणार्थियों का वजीफा, व्यावसायिक प्रशिक्षण सामग्री, ब्रिज शिक्षा के लिए सामग्री इत्यादि पर आवर्ती व्यय अनुमत हैं । बिजली, पानी प्रभार/स्टेशनरी, किराया और स्टाफ को मानदेय इत्यादि जैसी आकस्मिकताएं भी अनुमत हैं ।

कृपया अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट www.adoptionindia.nic.in देंखे ।

ड. केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन एजेंसी (कारा): केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन एजेंसी (कारा) की स्थापना तत्कालीन कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के एक विंग के रूप में 28 जून, 1990 को की गई थी । इसके बाद इसे 18 मार्च, 1999 में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम,1860 के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय के रूप में पंजीकृत किया गया । इस निकाय का उद्देश्य देश में दत्तकग्रहण को प्रोत्साहित करना है और साथ ही साथ देश में दत्तकग्रहण न हो पाए बच्चों का देश से बाहर दत्तकग्रहण करवाने में सहायता देना है ।

कारा द्वारा " देश में दत्तकग्रहण को प्रोत्साहित करने के लिए शिशु गृहों को सहायता की योजना" नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वित की जा रही है ।

नशीली दवा निवारण प्रभागः

(क) मद्यपान और नशीले द्रव्य (पदार्थ) दुरुपयोग निवारण योजना: भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 में राज्य को निदेश है कि राज्य, अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्त्तव्यों में मानेगा और राज्य, विशिष्टतया, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधियों के, औषधीय प्रयोजनों से भिन्न, उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा ।

" कार्य आबंटन नियमा, 1962 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को आबंटित विषयों की मद 16 के अंतर्गत, यह मंत्रालय मद्यपान और नशीले द्रव्य (पदार्थ) दुरुपयोग और व्यसनियों/परिवारों के पुनर्वास संबंधी सभी मामलों के लिए जिम्मेवार है ।

अपने युवा और उत्पादक वर्गों में मद्यपान और नशीले पदार्थों के दुरूपयोग की बढ़ती हुई प्रवृत्ति, और व्यसनियों के पुनर्वास के लिए निवारण जागरूकता और सेवाओं द्वारा समुदाय को सशक्त करने की आवश्यकता को देखते हुए, मंत्रालय ने निवारण शिक्षा, जागरूकता सृजन, पहचान, प्रेरणात्मक परामर्श, उपचार, पुनर्वास, उपचार के बाद देखभाल और मद्यपान और नशीले पदार्थ दुरुपयोग निवारण के लिए जनशक्ति विकास इत्यादि हेतु सेवाएं प्रदान करने के लिए 1985-86 में मद्यपान और नशीले द्रव्य (पदार्थ) निवारण योजना शुरू की है । योजना के कार्यान्वयन में प्राप्त अनुभव और बदलती स्थितियों के मद्देनजर, योजना को वर्ष 1994 के शुरू में और फिर 1999 में संशोधित किया गया है ।

(ख) मद्यपान और नशीले द्रव्य (पदार्थ) दुरुपयोग निवारण योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय संसाधन व प्रशिक्षण केन्द्र के रखरखाव के लिए सहायता-अनुदान

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय मद्यपान और नशीले द्रव्य (पदार्थ) दुरुपयोग निवारण योजना कार्यान्वित कर रहा है । स्थानीय आवश्यकताओं के संगत प्रशिक्षण व्यवस्था को विकेन्द्रित करने के लिए, आठ संस्थानों (गैर सरकारी संगठनों को देश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय संसाधन और प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में निर्दिष्ट किया गया है । इन केन्द्रों को कार्यक्रमों के नियमित मॉनीटरिंग, सेवा प्रदानकर्त्ताओं की प्रशिक्षण आवश्यकताओं के निर्धारण और क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय मुद्दों के समर्थन के लिए निर्दिष्ट

किया गया हैं । यह प्रबन्ध देश के आकार और क्षेत्रीय विविधताओं के कारण अपेक्षित कार्यनीतियों के मद्देनजर किया गया है ।

क्षेत्रीय संसाधन और प्रशिक्षण केन्द्र (उत्तरी क्षेत्र) उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ राज्यों के लिए यूथ एंड मासिस विकास सोसाइटी ।

क्षेत्रीय संसाधन और प्रशिक्षण केन्द्र (दक्षिण क्षेत्र) : पांडिचेरी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और लक्षद्वीप राज्यों के लिए टी0टी0 रंगनाथन क्लीनिकल अनुसंधान संस्थान, चैन्नै ।

क्षेत्रीय संसाधन और प्रशिक्षण केन्द्र (पश्चिम क्षेत्र) गोवा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दमन व दीव, दादर व नागर हवेली, गुजरात राज्यों के लिए मुक्तांगन मित्र, पुणे ।

क्षेत्रीय संसाधन और प्रशिक्षण केन्द्र (पूर्वी क्षेत्र) पश्चिम बंगाल (दार्जिलिंग को छोड़कर) अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, उड़ीसा और दक्षिण त्रिपुरा राज्यों के लिए विवेकानन्द शिक्षा सोसाइटी, कोलकाता ।

क्षेत्रीय संसाधन और प्रशिक्षण केन्द्र (पूर्वी क्षेत्र) झारखंड, बिहार, सिक्किम, दार्जिलिंग राज्यों के लिए कलकत्ता समैरिटन, कोलकाता ।

क्षेत्रीय संसाधन और प्रशिक्षण केन्द्र (पूर्वोत्तर क्षेत्र): नागालैंड, मेद्यालय, पूर्वी–अरुणाचल प्रदेश राज्यों के लिए कृपा फाउन्डेशन, कोहिमा ।

क्षेत्रीय संसाधन और प्रशिक्षण केन्द्र (पूर्वोत्तर क्षेत्र) मणिपुर और असम राज्यों के लिए ग्लेक्सी क्लब, इम्फाल, मणिपुर ।

क्षेत्रीय संसाधन और प्रशिक्षण केन्द्र (उत्तरी क्षेत्र) मिजोरम और उत्तरी त्रिपुरा राज्यों के लिए मिजोरम समाज रक्षा व पुनर्वास बोर्ड, आइजोल ।

इस योजना के अंतर्गत, अन्य बातों के साथ–साथ सहायता निम्नलिखित के लिए भी प्रदान की जाती हैः

(1) मानव संसाधन कार्मिकों को मानदेय

(2) परिवहन

(3) टेलिफोन, स्टेशनरी, दवाईयों, कार्यालय व्यय, बिजली और पानी प्रभार, उपस्करों और इनके रखरखाव पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए आकस्मिकताएं

(4) किराया

(5) पुस्तकों की खरीद के लिए लाइब्रेरी व्यय

वित्तपोषण पद्धतिः निर्धारित लागत मानकों के आधार पर परियोजना के लिए बजट की गई राशि को अनुदान के रूप में प्रदान किया जाता है। अनुदान दो किस्तों में जारी की जाती है । संगठन द्वारा किए गए कार्यकलापों, वित्तीय विवरण इत्यादि से संबंधित दस्तावेजों के साथ भेजे गए प्रस्तावों के आधार पर प्रथम किस्त (कुल अनुदान के 50%) को जारी किया जाता है । मंत्रालय/राष्ट्रीय/समाज रक्षा संस्थान के अधिकारियों से निरीक्षण रिपोर्ट के प्राप्त होने के बाद दूसरी किस्त जारी की जाती है ।

सहायता अनुदान के लिए आवेदनः सहायता अनुदान के लिए आवेदन निर्धारित प्रपत्र में किया जाना है । अन्य बातों के साथ-साथ आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाने चाहिएः

(च) लेखा-परीक्षित लेखे

(छ) उपयोग प्रमाण-पत्र

(ज) लाभार्थियों की सूची

(झ) शैक्षिक/विशेष शैक्षिक योग्यता और अनुभव के साथ स्टाफ की सूची

(ञ) प्रबन्ध समिति सदस्य, ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियम की सूची

(ग) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) प्रायोजित एच0आई0वी0/एड्स निवारण कार्यक्रम

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) के सहयोग से एक प्रायोगिक हस्तक्षेप को कार्यान्वित कर रहा है, जिसमें उपचार-सह-पुनर्वास केन्द्रों को चलाने वाले 100 गैर सरकारी संगठनों को एच आई वी/एडस फील्ड वर्करों के साथ सशक्त किया गया है ताकि ये संगठन अपने लक्षित समूह के मध्य एच आई वी/एड्स संबंधी मुद्दों का समाधान कर सकें । नाको द्वारा निधि प्रदान की जाती हैं । उपचारी हस्तक्षेप कार्यनीतियों के भाग के रूप में एच आई वी/एड्स निवारण के अन्य कार्यकलापों में शामिल हैः

- ➢ एच आई वी/एड्स के मुख्य मुद्दों पर जागरूकता कार्यक्रम करना
- ➢ समुदाय आधारित कार्यक्रम
- ➢ निवारण परामर्श प्रदान करना
- ➢ एच आई वी/एड्स विशेष संक्रामित रोग, सेक्स और लैंगिकता संबंधी बेसिक स्वास्थ्य मुद्दों पर सूचना और जानकारी प्रदान करना
- ➢ जांच, परामर्श और उपचार के लिए रेफरल सुविधाएं देना

वित्तपोषण तरीकाः निर्धारित लागत मानकों के आधार पर परियोजना के लिए बजट की गई राशि को अनुदान के रूप में प्रदान किया जाता है । अनुदान एक किस्त में जारी की जाती है । संगठन द्वारा किए गए कार्यकलापों, वित्तीय विवरण इत्यादि से संबंधित दस्तावेजों के साथ भेजे गए प्रस्तावों के आधार पर अनुदान जारी की जाती है ।

सहायता अनुदान के लिए आवेदनः सहायता अनुदान के लिए आवेदन निर्धारित प्रपत्र में किया जाना है । अन्य बातों के साथ-साथ आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाने चाहिए:

क) लेखा परीक्षित लेखे;
ख) उपयोग प्रमाण-पत्र; और
ग) कार्यकलापों पर छमाही रिपोर्ट ।

(यूनाइटेड नेशंस आफिस आन ड्रग्स एंड क्राइम) के सहयोग से कार्यान्वित परियोजनाएं

नशीले पदार्थ दुरूपयोग और एच आई वी/एड्स के बीच स्थापित संबंध और नशीले पदार्थों का दुरूपयोग करने वालों के बीच एच आई वी/एड्स के निवारण की अत्यंत आवश्यकता को देखते हुए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय निम्नलिखित परियोजनाओं को कार्यान्वित करने में यू एन ओ डी सी के साथ स्टेक-होल्डरों में से एक हैं:

- दक्षिण एशिया में प्रचलित नशीले पदार्थों की मांग में कमी से संबंधित कार्यक्रमों में एच आई वी/एड्स की चिंताओं को मुख्यधारा में लाने के लिए क्षेत्रीय पहल;

- सार्क देशों में नशीली दवा दुरूपयोग करने वालों में एच आई वी के संक्रमण का निवारण;

- दक्षिण एशिया के संवेदनशील ग्रुपों के बीच एच आई वी के फैलाव को रोकना;
- नशीले पदार्थों का सेवन करने वाली महिलाओं और नशीले पदार्थ इस्तेमालकर्त्ता पुरुषों की महिला संगियों में नशीले पदार्थ संबंधित एच आई वी संवेदनशीलता को कम करना; और
- भारत में नशीले पदार्थ दुरूपयोग और एच आई वी/एड्स के निवारण हेतु समुदायों को सशक्त करना ।

2.7. विभिन्न स्तरों पर संगनात्मक संरचना चार्ट

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट

मंत्री(सा. न्याय. और अधि.)

▲

राज्य मंत्री(सा.न्या. और अधि)

▲

सचिव(सा.न्या.और अधि)

▲

अपर सचिव

अनु.जाति वि. ब्यूरो संयु.सचिव(अ.जा.वि.) **(श्री सेवा राम)**	विकलांग जन ब्यूरो संयु.सचिव(वि.वि.) (श्री जी.एन. पेगू)	स. र. ब्यूरो संयुक्त सचिव(स.रक्षा) **(श्री पी.एन.मूर्ति)**	अल्प व पि. वर्ग ब्यूरो सं.स.(अस व पि.वर्ग)	वित्त (सं. सचिव व वित्त. सला.) **(श्री एम. साहू)**
1. अजावि.-I प्रभाग (श्री बी. मलिक, निदेशक)	**1. विवि-II,IV वV प्रभाग** (श्री सर्वेश राय, उस)	**1. डीपी-I वII प्रभाग** **(श्री पी.के. जाजौरिया, निदेशक)**	**अल्पसंख्यक प्रभाग** **(श्री बी.के. पाण्डेय, निदेशक)**	**वित्त-I** **(श्री कुमावत, निदेशक)**
(i)**अनु.जाति वि**-I अनुभाग	(i) वि वि-II अनुभाग (ii) वि वि-IVअनुभाग (iii) वि वि-Vअनुभाग	(i) डीपी-I अनुभाग (जीआर) (ii) डीपी-II अनुभाग (जीआर)	(i) राअसंविविनि (ii)15 सूत्री कार्य. (iii) वकफ (iv भाषायी अल्प.आयु.	(i) डीडी (ii) अ.स.व.पि.व (iii) अजावि का भाग
2. अजावि-II प्रभाग (श्री एन. शरन, उप सचिव)	**2. एनआई व विवि** **(श्रीमती. मृदुल जैन, निदेशक)**	**2. बाल कल्याण प्रभाग** **(श्री जे.एस. कोचर, निदेशक)**	**2. पिछड़ा वर्ग प्र.** **(श्री वी.बी. पचनन्दा, निदेशक)**	**वित्त-II** **(श्री यादव, उस)**
(i) **अनु.जाति वि**-II अनुभाग	(i) एनआई-I अनुभाग (ii) एनआई-II अनुभाग (iii) विवि-V अनुभाग	(i) बाल कल्याण	(i) पि.व-I अनुभाग (ii) पि.व-II अनुभाग	(i) स.र (ii) बजट

3. अजावि-III प्रभाग
(श्री हाग सिंह, निदेशक)

(i) अजावि-III अनुभाग

4. अजावि-IV वV प्रभाग
(श्री एच. अहमद, निदेशक)

(i) अनु.जाति वि-IV अनुभाग

(ii)अनु.जाति वि-V अनुभाग

5. अजावि-VI प्रभाग
(श्री सिद्दीकी, उप सचिव)

(i) अनु.जाति वि-VI अनुभाग

(ii) आरएल सैल

6. आरएल सैल, पीसीआर व संसद. प्रभाग
(श्री मल्होत्रा, निदेशक)

(i) आरएल सैल

(ii) संसदीय

(iii) पीसीआर

(iv) मॉनीटरिंग सैल

3. विवि-III प्रभाग
(श्री आशिष कुमार, निदेशक)

(i) विवि-III अनुभाग

4. स्थापना प्रभाग
(जी.एस.राजू निदेशक)

(i)**स्थापना**-I

(ii) **स्थापना**-II

(iii) सामान्य-I

(iv)सामान्य-II

5. समन्वय प्रभाग
(श्री डी. श्रीवास्तव, उस)

6. मीडिया एकक

(i) मीडिया सैल

7. प्रेम डिवीजन
(वी.एस. नाइक)

3. वृद्धावस्था(नि.अनु)
(श्री जी.के. सिंह, उस)

(i) वृद्धावस्था

4. डीपी –III प्रभाग
(श्री डी. श्रीवास्तव, उस)

(i) डीपी-III* नीति)

3. मौआशिप्र व राअसंआ प्रभाग
(श्री एससी गुलाटी, उस)

(i)**मौआशिप्र**

(ii) **राअसंआ**

वित्त-III
(श्री टोपनो, उस)

(i) एससीडी प्रमुख भाग

संगठनों के लिए प्रयोग किया गया शब्द संक्षेप

पिव	पिछड़ा वर्ग
सम	समन्वय
डीडी	विकलांगता प्रभाग
नि	निदेशक
प्र	प्रभाग
नशा	नशा दुरुपयोग निवारण
उस	उप सचिव
विस	वित्तीय सलाहकार
अनु.	अनुदान
संस	संयुक्त सचिव
असएवंपिव	अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग
मौआशिप्र	मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान
रा.अ.आ.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग
रा.सं.	राष्ट्रीय संस्थान
रा.अ.वि.वि.नि.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम
पी सी आर	सिविल अधिकार संरक्षण
प्रेम	आयोजना, अनुसंधान, मूल्यांकन व मानीटरिंग
आर आई	रिपोर्ट कार्यान्वयन
आर एल	सूची संशोधन
स.र.	समाज रक्षा

2.8 लोक प्राधिकरण की प्रभावकारिता और कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए जनता से उम्मीदें।

- मंत्रालय को यह आशा है कि गैर सरकारी संगठन और अन्य स्टेकहोल्डर्स मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत यथा निर्धारित तथा इन योजनाओं के लाभ प्राप्त करने के लिए विहित माप दंडों के अनुसार पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ।
- गैर सरकारी एजेन्सियों से यह आशा है कि वे इंटरनेट के माध्यम से नियमित प्रगति रिपोर्ट तथा पहले जारी किए गए अनुदानों का उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजें ।
- इसकी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत छात्रवृत्तियों का लाभ प्राप्त करने के लिए ज्यादा से ज्यादा ग्राहकी समूहों की भागीदारी ।
- अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम,1955 तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों की पूरी तरह से जानकारी हो, साथ ही उन्हें जाति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी आदेशों और विषयों के बारे में भी पता होना चाहिए ।
- मंत्रालय को सफाई कर्मचारियों में पूरी तरह जागरूकता लाने की उम्मीद है जिससे कि हाथ से मैला साफ करने की कुरीति को सन 2007 तक पूरी तरह से दूर किया जा सके ।
- मंत्रालय को सार्थक और उपयोगी सुझावों की आशा भी है जिनसे बेहतर सेवा प्रदान करने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मंत्रालय को सहायता की जा सके।
- वेबसाइट www.socialjustice.nic.in तथा भूतल ए विंग में स्थित सूचना सुविधा केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं को देखें (स्टेट बैंक आफ पटियाला के बगल में)
- मंत्रालय, वृद्ध व्यक्तियों के कल्याण के लिए कानूनी और योजना संबंधी विषयों की नीतिगत योजना बनाने के संबंध में नोडल मंत्रालय है । वृद्ध व्यक्तियों के कल्याण आदि में लगे एसोसिएशन/ स्वैच्छिक संगठन, व्यापक नीतिगत विषयों पर अपने सुझाव दें ।

2.9 लोक भागीदारी/ योगदान के लिए प्रबंध और पद्धतियां ।

- **जहां कहीं आवश्यक समझा जाता है, एसोसिएशनों,स्वैच्छिक संगठनों/ जनता में नीतिगत और अन्य संगत महत्वपूर्ण मामलों को परिचालित किया जाता है ।**
- **गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि तथा विभिन्न विषय क्षेत्रों के विशेषज्ञों जैसे चिकित्सा व्यावसायिकों, पुनर्वास व्यावसायिकों, सामाजिक कार्यकत्ता आदि और राष्ट्रीय निशक्त व्यक्ति अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए गठित विभिन्न समितियों जैसे केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति, केन्द्रीय समनवय समिति के सदस्य ।**

- गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि और विभिन्न विषय क्षेत्रों के विशेषज्ञ जैसे चिकित्सा व्याससायिकों, पुनर्वास व्यावसायिकों, सामाजिक कार्यकत्ता को भारतीय पुनर्वास परिषद की साधारण परिषद और कार्यकारिणी समिति में भी प्रतिनिधित्व होता है ।

- दीनदयाल विकलांग जन पुनर्वास योजना के अधीन, सहायता अनुदान के लिए नए संगठन का चयन एक स्क्रीनिंग समिति द्वारा किया जाता है जो अध्यक्ष के रूप में संयुक्त सचिव (वि. प्रभाग) तथा जनता के दो सदस्यों से बनी होती है ।

- राष्ट्रीय निःशक्त व्यक्ति निधि जनता से पांच सदस्यों को अपने बोर्ड में मनोनीत करती है ।

- राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति कल्याण पुरस्कार योजना में भी, पुरस्कारों के लिए योग्य व्यक्तियों का चयन करने हेतु अपनी स्क्रीनिंग समिति में सार्वजनिक जीवन के पांच व्यक्तियों को शामिल करने की व्यवस्था है ।

- राष्ट्रीय संस्थानों की कार्यकारिणी समितियों और साधारण समितियों की बैठकों में जनता से सामाजिक कार्यकर्त्ता/ विशेषज्ञ/ प्रख्यात व्यक्ति प्रतिनिधित्व करते हैं । कार्यकारिणी समितियों और साधारण समितियों की बैठकों में, वे राष्ट्रीय संस्थानों के कार्यकरण संबंधी विभिन्न विषयों पर अपनी राय दे सकते हैं ।

- सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद / फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों की सहायता की गैर सरकारी संगठनों की योजना(एडिप) में, सहायक यंत्रों के वितरण के लिए अनुदान मांगने के अनेक अनुरोध प्राप्त होते हैं जो इस योजना के क्रियान्वयन में लोक भागीदारी के निवेदन की अन्य विधि है ।
- मंत्रालय प्राथमिकता वाले अनुसंधान क्षेत्रों का पता लगाता है जिन्हें देश के सभी विश्वविद्यालयों/ विभागों और विशेषज्ञ अनुसंधान संस्थाओं में व्यापक रूप से परिचालित किया जाता है और उनसे अनुसंधान प्रस्ताव प्राप्त किए जाते हैं । प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की सूची को व्यापक प्रचार और सर्वसाधारण की जानकारी के लिए मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात **www.socialjustice.nic.in** पर भी डाल दिया गया है ।

- अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों सहित कमजोर वर्गों के लिए कोचिंग व संबद्ध सहायता के अंतर्गत, सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अध्यक्षता में बनी चयन समिति द्वारा अनुसूचित जाति विकास ब्यूरो के तहत संस्थाओं का चयन किया जाता है । इस समिति में इस समय जनता से लिए गए दो सदस्यों को शामिल किया गया है ।

- अनुसूचित जातियों के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदानों की योजना के अंतर्गत, संयुक्त सचिव (अनुसूचित जाति विकास), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली की अध्यक्षता में बनी स्क्रीनिंग समिति द्वारा गैर-सरकारी संगठनों/ स्वैच्छिक संगठनों का चयन किया जाता है । इस समिति में इस समय जनता से दो सदस्य शामिल किए गए हैं ।

- अनुसूचित जातियों आदि के छात्रों के लिए विदेश में अध्ययन के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत, छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए चयन के हेतु स्क्रीनिंग समिति का अध्यक्ष और चयन समिति का अध्यक्ष और सदस्य को विश्वविद्यालय/ संस्थाओं से लिए गए शिक्षाविदों के पैनल से लिए जाते हैं ।
- नीतिगत और संबंधित महत्वपूर्ण विषयों को एसोसिशनों/ स्वैच्छिक संगठनों/जनता में परिचालित किए जाते हैं । सभी सूचनाएं वैब साइट (www.socialjustice.nic.in). पर डाल दी जाती हैं। परामर्श और बैठकें की जाती हैं।

- **गैर सरकारी संगटनों के प्रतिनिधि और वृद्धावस्था संबंधी विषय क्षेत्रों के विशेषज्ञ, विभिन्न समितियों के सदस्य होते हैं जैसे कि राष्ट्रीय वृद्धजन परिषद जिसका गठन विभिन्न वृद्ध व्यक्तियों के कल्याण के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु किया गया है ।**

- **बाल कल्याण प्रभाग के अधीन, इस नीति और अन्य संबंधित महत्वपूर्ण् विषयों पर,जहां कहीं आवश्यक समझा जाता है, राज्य सरकारों, एसोसिशनों/ स्वैच्छिक संगठनों से परामर्श किए जाते हैं ।" किशोर न्याय कार्यक्रम" योजना के अंतर्गत, राज्य और राज्य से मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित संस्थाओं के संबंध में राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निधियां सीधे जारी की जाती हैं (त) एकीकृत बेसहारा बाल कार्यक्रम; (त्त) समाज रक्षा के क्षेत्र में सामान्य सहायता अनुदान के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता ; और (त्त्त) देख-रेख और संरक्षण के जरूरतमंद कामकाजी बच्चों की योजना नामक योजनाओं के अंतर्गत स्क्रीनिंग समिति का उपबंध है जो संयुक्त सचिव, (समाज रक्षा) अध्यक्ष के रूप में तथा सदस्यों के रूप में जनता से लिए गए दो व्यक्तियों को ही मिलकर बनती है जिससे कि चयन किया जा सके ।**

2.10 सेवाएं प्रदान करने और लोक शिकायत प्रस्ताव की मानीटरिंग हेतु उपलब्ध क्रियाविधि ।

- मंत्रालय में जनता और मंत्रालय के कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान के लिए सूचना केंद्र और लोक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ है । प्रकोष्ठ के कार्यों को निदेशक तथा संयुक्त सचिव देख रहे हैं ।

- इसके अतिरिक्त प्रत्येक कार्यक्रम क्रियान्वयन की अपनी मानीटरिंग पद्धति है । दीनदयाल पुनर्वास स्कीम की मानीटरिंग संबंधित राज्य सरकारों के माध्यम से की जाती है । विकलांगजन मुख्य आयुक्त, निशक्त व्यक्ति अधिनियम के क्रियान्वयन की मानीटरी करता है जब कभी इस अधिनियम और इसके तहत निर्मित नियमों की अवहेलना होती है तो निशक्त व्यक्तियों की व्यथा निवारण के लिए इसे अर्द्ध न्यायिक शक्तियां प्रदान की गई हैं ।

- अनुसंधान परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति की मानीटरी, अनुदान प्राप्त संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत छमाही प्रगति रिपोर्टों के साथ-साथ अपेक्षित होने पर परियोजना निदेशकों द्वारा आयोजित बैठकों के माध्यम से भी की जाती हैं । सहायता अनुदान की पहली किस्त मंत्रालय के आंतरिक वित्त प्रभाग के अनुमोदन वाले के अनुसंधान सलाहकार समिति प्रस्ताव और सिफारिशों के आधार पर जारी की जाती है तथापि, शेष/आगामी किस्तें परियोजना के कार्यान्वयन की संतोषजनक रिपोर्ट, उपयोगिता प्रमाण-पत्र और संपरीक्षित लेखा विवरण आदि के प्राप्त हो जाने पर ही जारी की जाती है ।

- बाल विकास प्रभाग की स्कीम की मानीटरी राज्य सरकारों तथा चाईल्ड इडियन फाउंडेशन, बाल दत्तक ग्रहण संस्थान एजेंसी तथा राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान के द्वारा नियमित रूप से की जा रही है । आवश्यकता होने पर मंत्रालय के अधिकारियों को राज्य सरकारों/गैर सरकारी संगठनों द्वारा कार्यान्वित स्कीमों के सत्यापन/निरीक्षण के लिए भेजा जाता है ।
- मद्य निषेध तथा पदार्थ(नशीली दवा) दुरुपयोग स्कीम के अंतर्गत कार्यक्रम के क्रियान्वयन की मानीटरी राज्य सरकार के अधिकारियों अथवा मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के माध्यम से की जाती है ।

2.11 मुख्य कार्यालय तथा विभिन्न स्तरों के अन्य कार्यालयों के पते ।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

शास्त्री भवन, राजेन्द्र प्रसाद मार्ग, नई दिल्ली 110001

वेबसाइट: www.socialjustice.nic.in

मंत्रालय के ब्यूरो

(1) विकलांगता ब्यूरो (2) समाज रक्षा ब्यूरो (3) अनुसूचित जाति ब्यूरो तथा (4) प्रशासन प्रभाग (ये शास्त्री भवन में स्थित हैं)

(5) अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग ब्यूरो, जीवन प्रकाश बिल्डिंग कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली में स्थित .

प्रेम प्रभाग

पश्चिमी खंड न0 8 रामाकृष्णपुरम, नई दिल्ली

मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यालयों के पते और दूरभाष

क्र.	आयोग/निगम/संस्थान का नाम	टेलीफोन/फैक्स न0	वेबसाइट
01	**केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संस्थान, पश्चिमी खंड- 8, विंग 2, द्वितीय तल, आर. के. पुरम, नई दिल्ली- 110066**	**26105346, 26180194, 26106725, 26106783 टेलीफैक्स 26180198 वेबसाइट: www.adoptionindia.nic.in e.mail cara@bol.net.in**	www.adoptionindia.nic.in www.cara.nic.in
02	**डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, 15, जनपथ, नई दिल्ली ।**	**टेली: 23320571**	http://ambedkarfoundation.nic.in
03	**रा. अनुसूचित जाति आयोग, पंचम तल, लोक नायक भवन, नई दिल्ली**	**टेली: 24632298, 24620435**	http://ncscst.nic.in
04	**रा. सफाई कर्मचारी आयोग, चतुर्थ तल, बी- विंग, लोक नायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली- 110003**	**टेली: 24618119 फैक्स: 24648922**	
05	**रा. पिछड़ा वर्ग आयोग, त्रिकूट 1, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली- 110066**	**टेलीफैक्स 26189212, 26189211फैक्स 26183227**	ध्ध्ध्.दहडह.दत्ह.त्द
06	**राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, लोक नायक भवन(पॉचवा तल), खान मार्किट, नई दिल्ली- 110003**	**फैक्स: 0114693302**	ण्द्दद्र://दहश्र.दत्ह.त्द
07	**राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम, 14वां तल, स्कोप मीनार, कोर 1 और 2, लक्ष्मी नगर**	**22054395, 22054396 फैक्स : (011) 22054369 Gram: NASFIDCORP वेबसाइट:**	ण्द्दद्र://ध्ध्ध्.दम्ढड्डह.दत्ह.त्द

क्र.	आयोग/निगम/संस्थान का नाम	टेलीफोन/फैक्स न0	वेबसाइट
	डिस्ट्रिक सेंटर, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली - 110092	www.nsfdc.nic.in ई मेल: nsfdc@satyam.net.in	
08	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम, बी-2/1 तल, ग्रेटर कैलास एन्कलेव, भाग - 2(सावित्री क्रासिंग) नई दिल्ली-110048	टेली: 29221331, 29216330 फैक्स: 29222708 ई-मेल: nskfdc@indiatimes.com	ण्द्यद्य्रः//दम्त्ढड्डह.दत्ह.त्द
09	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम, 1, तैमूर नगर, डी-996 के सामने, न्यू फ्रैन्डस कालोनी, नई दिल्ली -110065	26326051 से 58, 26325652/53 फैक्स 26325651 pawnikar@yahoo.com	ध्ध्ध्.दथ्र्ड्ढह.दृद्धड्ढ
10	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम, पॉचवां तल, एनसीयूआई बिल्डिंग, 3 शीरी फोर्ट, इन्सटयूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग,पोस्ट बाक्स 4617 खेलगांव मार्ग, नई दिल्ली - 110019	टेली:26511027, 26511028 फैक्स:26850086 ई-मेल: nbcfdc@def3.vsnl.net.in	ध्ध्ध्.दडहढड्डह.दृद्धड्ढ.त्द
11	राष्ट्रीय विकलांग वित्त विकास निगम, रैड क्रास भवन, मिनी सक्ट्रेट के सामने, सैक्टर - 12, फरीदाबाद - 121007	2287513, 2226910 टेलीफैक्स: 2284371 ई.मेल: nhfdc@nda.vsnl.net.in	ण्द्यद्य्रः//ध्ध्ध्.दण्ढड्डह.दृद्धड्ढ
12	पं. दीनदयाल उपाध्याय विकलांगजन संस्थान, 4 विष्णु दिगम्बर मार्ग, नई दिल्ली - 110002	टेली:23233672, 23236378, 23233782 ई.मेल: diriph@ren02.nic.in	ण्द्यद्य्रः//ध्ध्ध्.त्द्रण्दड्ढध्ड्डड्ढथ्ट.त्द
13	आटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहुविकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ, राष्ट्रीय न्यास, आईपीएच परिषद, 4 विष्णु दिगंबर मार्ग, नई दिल्ली- 110002	टेली:23217411-13 फैक्स::23217412 ई.मेल: nationaltrust@ren02.nic.in	http://www.nationaltrust.org.in
14	जिला पुनर्वास केंद्र, 4 विष्णु दिगंबर मार्ग, नई दिल्ली - 2	टेली: 23233255	www.drccacu.org
15	निशक्त व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त का कार्यालय, सरोजनी नगर, 6 भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली - 110001	23386054, 23386154 टेलीफैक्स:23386006 ई.मेल ccpd@hub.nic.in	www.ccdisabilities.nic.in
16	भारतीय पुनर्वास परिषद, बी- 22, कुतुब	टेली:26856892, 26534287	http://www.rehabcouncil.nic.in

क्र.	आयोग/निगम/संस्थान का नाम	टेलीफोन/फैक्स न0	वेबसाइट
	इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली - 110016	फैक्स::26534291 ई.मेल: rehabstd@ndc.vsnl.net.in rehabstd@nde.vsnl.net.in	
17	भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, (उ.प्र.), जीटी. रोड़ कानपुर - 208016	टेली: 0512770870 ई.मेल:alimco-hq@vsnl.net www.artlimbs.com	http://www.artlimbs.com
18	अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, के सी मार्ग, बांद्रा रिकलेमेशन, बांद्रा (प.), मुम्बई - 400050	टेली:2640-0215/0228/9176/2645/5937 फैक्स:0091-022-28422638, 01123304010 Gram: HEARSPEECH ई.मेल: director@glasbm01.vsnl.net.	www.drccacu.org
19	राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, मनोविकास नगर, सिकन्दराबाद - 500009, आंध्र प्रदेश	टेली: 27751741-745 फैक्स 04027750198 Gram: Manovikas वबसाइट: www.nimhindia.org	http://www.nimhindia.org
20	राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, 116 राजपुर रोड़, देहरादून - 248001, उत्तरांचल ।	टेली: 274491, 2748147, 2744578 PBX 2744979 फैक्स: 0135-2748147 Gram: NIVH e.mail: nivh@sancharnet.in	http://nivh.org
21	राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, बी. टी. रोड़, बन हुगली कलकत्ता - 700090	टेली: 25310279, 25310789 टेलीफैक्स: 25318379 Gram: ORTHOREHAB ई.मेल: nioh@cal.vsnl.net.in	www.niohonline.org
22	राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान, प. खंड, 1,विंग 7, भूमि तल, आर. के. पुरम, नई दिल्ली - 110066	टेली: 26106325 agoswami@nisd.gov.in	http://www.nisd.gov.in
23	मौलाना आजाद शिक्षण संस्थान, चेम्सफोर्ड रोड़, नई दिल्ली - 110055	23583788, 23583789	www.maef.nic.in
24	स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, ओलटपुर, पोस्ट आफिस बरोई, जिला कटक (उडीसा)	0671-280552, 2805856 फैक्स: 06712805862 ई.मेल : dirnirtar@ori.nic.in ई.मेल: nirtar@ori.nic.in	http://www.nirtar.nic.in

क्र.	आयोग/निगम/संस्थान का नाम	टेलीफोन/फैक्स न0	वेबसाइट
25	**राष्ट्रीय धार्मिक तथा भाषाजात अल्पसंख्यक कल्याण आयोग, नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली**	011-24363925 (टेली) **011-24367794** (फैक्स)	http://ncrlm.nic.in
26	**केन्द्रीय वक्फ परिषद, 14/170, जामनगर हाऊस, शाहजहां रोड़, नई दिल्ली**	011-23384405 (टेली) 011-23070881 (फैक्स) central-wakf-council@vsnl.net	www.centralwakfcouncil.org
27	**राष्ट्रीय भाषाजात अल्पसंख्यक कमीशनर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश**	च्ङ्क0532-2468565, 2468593,2468560 फैक्स:0532-2568544 मोबाइल:9415235313 **ई.मेल:** nclm@sancharnet.in	
28	**दरगाह ख्वाजा साहब,अजमेर, गली लंगर खाना, पोस्ट बाक्स न. 33, अजमेर ।**	**0145-2429332/ 2425498**	

2.12 **सुबह कार्यालय आने का समय : 09.00 पूर्वाह्न**

कार्यालय बंद होने का समय : 05.30 अपराह्न

अध्याय – 3

नियम पुस्तिका – 2

अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्त्तव्य

[धारा 4 (1) (ख) (ii)]

3.1 कृपया संगठन के अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियों और कर्त्तव्यों का विवरण दें ।

मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्त्तव्य

मंत्रालय में कार्य निपटान के संबंध में विभिन्न स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों की शक्तियां और कर्त्तव्य, कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध) तथा विभिन्न अन्य केन्द्रीय सिविल सेवा नियम और विनियम (उदाहरणार्थ केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजन नियम, सामान्य वित्त नियम, मूल और अनुपूरक नियम आदि) जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित हैं और जिनका इस मंत्रालय द्वारा सख्ती से पालन किया जा रहा है, में विस्तृत रूप से दिए गए हैं । इन अधिकारियों और कर्मचारियों में इस मंत्रालय के विकलांगजन प्रभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी आते हैं । विकलांगजन प्रभाग के विभिन्न स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों के कृत्य और कर्त्तव्य इस प्रकार हैं:

पद	संयुक्त सचिव	
शक्तियां	प्रशासनिक	विभाग प्रमुख होने के कारण संयुक्त सचिव को अधिक से अधिक स्वतंत्र रूप से काम करने तथा उसके स्कंध में आने वाले सभी कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई है परन्तु समग्र रूप से स्कंध के प्रशासन की सामान्य जिम्मेदारी सचिव की है । संयुक्त सचिव विभिन्न केन्द्रीय सिविल सेवा नियमों जैसे - केन्द्रीय सिविल सेवा(वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, मूल और अनुपूरक नियम आदि तथा भारत सरकार के समय-समय पर जारी अनुदेशों में विस्तृत रूप से दी गई शक्तियों का प्रयोग करता है ।

	वित्तीय	संयुक्त सचिव विभिन्न केन्द्रीय सिविल सेवा नियमों जैसे - केन्द्रीय सिविल सेवा(वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, मूल और अनुपूरक नियम आदि तथा भारत सरकार के समय-समय पर जारी अनुदेशों में विस्तृत रूप से दी गई शक्तियों का प्रयोग करता है ।
	अन्य	---
कर्त्तव्य	**संयुक्त सचिव विभाग का प्रमुख होता है तथा स्कंध/प्रभाग संबंधी नीतिगत/प्रशासकीय विषयों के बारे में अंतिम निर्णय कर्त्ता प्राधिकारी होता है । संयुक्त सचिव ब्यूरो के त्वरित कामकाज के लिए विभिन्न उपायों के संबंध में मंत्री के साथ होने वाली बैठकों में भाग लेता है । मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली टिप्पणी/संकल्प/ संप्रेषण के किसी अन्य रूप में सभी मामलों पर संयुक्त सचिव हस्ताक्षर करता है ।**	

पदनाम	**उप सचिव/ निदेशक**	
शक्तियां	प्रशासनिक	उसे अपने समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले अधिकांश मामलों पर स्वयं निपटान करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है । वह अधिक महत्वपूर्ण मामलों पर या तो मौखिक रूप से अथवा कागजात प्रस्तुत करके संयुक्त सचिव/ सचिव का आदेश लेने में अपने विवेक का इस्तेमाल करता है ।
	वित्तीय	वह, सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, वित्तीय विविक्षा संबंधी मामलों पर राष्ट्रपति/ केन्द्रीय सरकार के नाम में स्वीकृति आदेशों पर हस्ताक्षर और सम्प्रेषित करता है ।
	अन्य	---------
कर्त्तव्य	निदेशक/ उप सचिव वह अधिकारी है जो सचिव की ओर से कार्य करता है । वह सचिवालयी प्रभाग का प्रभारी होता है तथा अपने नियंत्रणाधीन प्रभाग में कार्रवाई किए जाने वाले सरकारी कार्य के निपटान के लिए जिम्मेदार है । उसे अपने समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले अधिकांश मामलों को स्वयं निपटाने की जिम्मेवारी दी गयी है । वह अधिक महत्वपूर्ण मामलों पर या तो मौखिक रूप से अथवा कागजात प्रस्तुत करके संयुक्त सचिव/ सचिव का आदेश लेने में अपने विवेक का इस्तेमाल करता है ।	

पदनाम	**अवर सचिव**

शक्तियां	प्रशासनिक	अवर सचिव को अपने नियंत्रणाधीन अनुभागों/ यूनिटों से आने वाले प्रकीर्ण कार्य में निर्णय लेने के लिए प्राधिकृत होता है । वह ब्यूरो की ओर से प्रकीर्ण पत्रों पर हस्ताक्षर करने के लिए भी प्राधिकृत होता है ।
	वित्तीय	अवर सचिव, सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, वित्तीय विविक्षाओं के संबंध में राष्ट्रपति/ केन्द्रीय सरकार की ओर से स्वीकृति आदेशों पर हस्ताक्षर करने और सम्प्रेषित करने के लिए प्राधिकृत हैं ।
	अन्य	-----
कर्त्तव्य	अवर सचिव मंत्रालय में प्रायः चार अनुभागों की शाखा का प्रभारी होता है तथा उसके बारे में कार्य के निपटान एवं अनुशासन बनाए रखने, दोनों के संबंध में नियंत्रण रखता है । उसके पास अपने नियंत्रणाधीन अनुभागों का काम आता है । वह शाखा अधिकारी होने के कारण अपने स्वयं के विवेक पर अधिक से अधिक मामलों का यथा संभव निपटान करता है, किंतु वह महत्वपूर्ण विषयों पर उच्च अधिकारियों के आदेश प्राप्त करता है ।	

पदनाम	**अनुभाग अधिकारी**
शक्तियां	अनुभाग अधिकारी अपने नियंत्रणाधीन सहायक द्वारा प्रस्तुत किए गए मामलों की छानबीन करता है । वह प्रशासनिक या वित्तीय शक्तियों वाले मामले को समुचित उच्च प्राधिकारी के समक्ष विचार/ अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करता है ।
कर्त्तव्य	क. सामान्य कर्त्तव्य : **स्टाफ में काम का बंटवारा यथासंभव समान रूप से करना;** स्टाफ को प्रशिक्षण, सहायता और सलाह देना; काम का प्रबंधन व समन्वय; अनुभाग में शान्ति और अनुशासन बनाए रखना; और **अधिकारियों/स्टाफ के आवासीय पतों की सूची रखना ।**
जिम्मेदारियां	**पत्रादि(डाक) के संबंध में:** **प्राप्तियों को देखना;** **डाक स्तर पर उन प्राप्तियों को ब्रांच अधिकारी अथवा उच्च अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करना जो उनके द्वारा देखी जानी चाहिए;** **डाक की आवाजाही पर निगरानी रखना; और** **सप्ताह में एक बार अनुभाग डायरी की जांच करना जिससे कि यह पता चल सके कि यह समुचित रूप से रखी जा रही है ।**

	प्रारूप जारी करने के संबंध में : **यह देखना कि पत्र का प्रारूप पूरी तरह से ठीक हो अर्थात उसे जारी किए जाने से पूर्व उसमें सभी निर्दिष्ट शुद्धियां कर दी गई है;** **यह इंगित करना कि क्या प्रारूप की स्वच्छ प्रति जरूरी है;** **अपेक्षित अतिरिक्त प्रतियों की संख्या निर्दिष्ट करना;** **यह देखना कि क्या पत्र के साथ उसके सभी अपेक्षित संलग्नक लगे हैं;** **यह उल्लिखित करना कि किसे प्राथमिकता दी जानी है; और** **भेजने की विधि उल्लिखित करना ।**
	काम के प्रभावी और त्वरित निपटान तथा विलम्ब दूर करने के संबंध में : **कार्रवाई की प्रगति पर निगाह रखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्राप्तियों को लिखकर रखना;** **बकाया और अन्य विवरणियों को समय पर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करना;** **सहायकों की मेजों को यह सुनिश्चित करने के लिए देखना कि कहीं कोई कागज या फाइल देखे बिना तो नहीं रह गई है;** **यह सुनिश्चित करना कि मामले किसी भी अवस्था में रूके नहीं रहते हैं;** **प्रत्येक सप्ताह आवधिक विवरणियों की सूची देखना तथा अगले सप्ताह उन मदों पर आवश्यक कार्रवाई करना जिन पर ध्यान दिया जाना जरूरी है ।**
	मामलों का स्वतंत्र निपटान : **उसे निम्नलिखित प्रकार के मामलों पर स्वतंत्र रूप से कार्रवाई करनी चाहिएः** **अनुस्मारक जारी करना;** **अवर्गीकृत प्रकृति की वास्तविक जानकारी प्राप्त करना अथवा देना; और** **कोई अन्य कार्रवाई जिसके लिए अनुभाग अधिकारी को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया जाए ।**

	रिकार्डिंग और इनडक्सिंग के संबंध में कर्त्तव्य : फाईलों की रिकार्डिंग और उनका वर्गीकरण अनुमोदित करना; नष्ट किए जाने से पूर्व रिकार्ड की गई फाईल की समीक्षा करना; अवांछित अतिरिक्त प्रतियों की आवधिक छटाई को क्रमवार रखना ओर पर्यवेक्षण करना; अनुभाग में रखे जाने वाले अपेक्षित रजिस्टरों का समुचित अनुरक्षण निश्चित करना;
	संदर्भ पुस्तिकाओं, कार्यालय आदेशों का उचित रखरखाव निश्चित करना तथा उन्हें अद्यतन करना;
	अनुभाग में स्वच्छता बनाए रखना ;
	महत्वपूर्ण और जटिल विषय स्वयं देखना;
	विभागीय सुरक्षा अनुदेशों का अनुपालन सख्ती से सुनिश्चित करना ।
पदनाम	सहायक/ प्रवर श्रेणी लिपिक : वह अनुभाग अधिकारी के आदेशों और उसके पर्यवेक्षण में कार्य करता है और वह उसे सौंपे गए कार्य क लिए जिम्मेदार होता है । जिस मामले में कार्य दिशा स्पष्ट होती है अथवा शाखा अधिकारी अथवा उच्चतर अधिकारियों द्वारा स्पष्ट अनुदेश दिए गए हों उस मामले में वह संक्षिप्त टिप्पणी सहित प्रारूप प्रस्तुत करता है । अन्य मामलों में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर वह टिप्पणी प्रस्तुत करेगा :- यह देखना कि यथानिर्दिष्ट सभी तथ्यों को सही-सही बताया गया है ; तथ्यों के बारे में गलतियों अथवा गलत कथन का संकेत करना; जहां आवश्यक हो किसी विषय के पूर्ववृत अथवा नियमों और विनियमों पर ध्यान आकृष्ट करना; आवश्यक होने पर गार्ड फाईल प्रस्तुत करना और अन्य संगत तथ्यों और आंकड़ों का उल्लेख करना; विचाराधीन प्रश्न का स्पष्ट उल्लेख करना और यथासंभव कार्रवाई की दिशा का सुझाव देना ।

पदनाम	निजी सचिव/ वैयक्तिक सहायक/ आशुलिपिकः **वह अधिकारी को नेमि स्वरूप और पत्राचार, पत्रों को फाईल करना, व्यक्तियों को समय देना, बैठकों का आयोजन तथा सूचना एकत्रित करने जैसे छोटे-छोटे कार्यों से अधिकारी को मुक्त रखता है। मानवीय संबंध में उसकी दक्षता हो । कोई भी अधिकारी छोटे-छोटे कार्यों के लिए वैयक्तिक सहायक पर निर्भर रहता है क्योंकि विशिष्ट कार्यों के निष्पादन में वह अपना अधिक समय व्यतीत करता है । वैयक्तिक सहायक को अपने अधिकारी का विश्वास जीतना होता है क्योंकि उसे गोपनीय और गुप्त कागजात भी सौंपे जाते हैं । वह गोपनीयता बनाए रखने में अपने अधिकारी का सहायक होता है । वह सरकारी तौर पर अपने अधिकारी अथवा अधिकारी के लिए सहायक अथवा व्यावसायिक व्यक्ति के रूप में अधिकारी के साथ व्यवहार बनाए रखने के लिए उसके सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों के लिए मृदुभाषी हो**

पदनाम	
विशेष कृत्य	जैसाकि नीचे दिया गया है : आशुलिपि में श्रुतलेख लेना और उसको अच्छी प्रकार टाइप करके देना; **तारीख व समय निश्चित करना और यदि जरूरी हुआ तो उन्हें रद्द करना;** **टेलीफोन सुनना तथा जरूरी टैलीफोन कालों और मुलाकातियों को चातुर्यपूर्ण ढंग से संबद्ध अधिकारी तक भेजना;** **दैनिक निर्धारित कार्यों, बैठकों आदि की सही सूची रखना तथा उनके बारे में अधिकारी को पर्याप्त रूप से पहले से स्मरण करा देना;** **अधिकारी द्वारा रखे जाने वाले जरूरी कागजातों को सही प्रकार रखना;** **अपने अधिकारी द्वारा पारित, और यदि जरूरी हुआ तो अन्य अधिकारियों की फाइलों की आवाजाही को रजिस्टर में नोट करना;** **गोपनीय और गुप्त पत्रों का आशुलिपि संबंधी रिकार्ड, टाइप करने और भेजने के पश्चात जलाकर नष्ट करना;** **अधिकारी की संदर्भ पुस्तिकाओं में शुद्धियां करना;** **अपने अधिकारी को उसके ज्यादातर दैनिक कार्य से मुक्त रखना और सामान्यतः उसके निदेशानुसार उसकी मदद करना । साथ ही वह अपने अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप न करें ;**
पदनाम	अवर श्रेणी लिपिकः
कर्त्तव्य	**सामान्यतः अवर श्रेणी लिपिकों को निम्नलिखित प्रकार के नेमि स्वरूप का कार्य सौंपा जाता हैः** **डाक पंजियन;** **अनुभाग डायरी रखना;** **फाइल संचलन रजिस्टर;** **इनडैक्सिंग और रिकार्डिंग;** **टंकण, मिलान, प्रेषण,बकाया तथा अन्य विवरणों का बनाया जाना;** **संदर्भ पुस्तिकाओं में सुधार का पर्यवेक्षण नेमि और साधारण किस्म के प्रारूपों का प्रस्तुतिकरण ।**

कर्त्तव्य	**चपरासी**
	समूह " घ " कर्मचारी को फोटो कापियां करना, कागजात का सैट तैयार करना, डाक जारी करना, फैक्स संदेश आदि जारी करने संबंधी कार्य सौंपा जाता है ।

अध्याय - 4

नियमपुस्तिका - 3

कृत्य निर्वहन के लिए नियम, विनियम, अनुदेश, मैनुअल तथा अभिलेख

{ धारा 4(1)(ख)(v)के अंतर्गत }

मंत्रालय द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ मंत्रालय द्वारा प्रयोग किए जा रहे कुछ महत्वपूर्ण नियम, विनियम, अनुदेश, दिशा-निर्देश निम्नलिखित हैः

क्र. सं.	दस्तावेज का नाम	दस्तावेज का प्रकार	दस्तावेज का संक्षिप्त ब्यौरा	पता	टे./फैक्स/ ईमेल पता
1.	**भारत का संविधान**	संविधान			
2.	**कार्यालय पद्धति नियम पुस्तक**	नियम पुस्तक	यह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी भारत सरकार द्वारा निर्धारित एक मानक नियम पुस्तक है । केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा, उन्हें आबंटित कार्य के निर्वहन में इस नियम पुस्तक में सविस्तार प्रक्रिया निर्धारित है जिसका अनुसरण किया जाना होता है । इसमें मामलों/आवतियों का अंतिम निपटान होने तक उनके संचालन/देखने की	कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक सभी अग्रणी पुस्तक विक्रेताओं के पास उपलब्ध है ।	

			सविस्तार प्रक्रिया दी हुई है तथा विभिन्न प्रधिकारियों के कर्त्तव्यों, मामलों के प्रस्तुतिकरण/निर्णय लेने के स्तरों का भी वर्णन है ।		
3.	**लोक सभा/ राज्य सभा में कार्य संचालन नियम**	नियम पुस्तक		वही	
4.	**मंत्रालयों में संसद कार्य निपटाने की नियम पुस्तिका**	नियम पुस्तक		वही	
5.	**वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजन नियम**	नियम पुस्तक		वही	
6.	**सामान्य वित्तीय नियम**	नियम पुस्तक		वही	
7.	**केन्द्रीय सिविल सेवाएं (सीसीए) नियम**	नियम पुस्तक		वही	
8	**सीसीए (पेंशन) नियम**	नियम पुस्तक		यथोपरि	
9	**मूल नियम तथा पूरक नियम**	नियम पुस्तक	भारत सरकार द्वारा जारी इस नियम पुस्तक में वेतन, नियुक्तियों का संयोजन, प्रतिनियुक्ति, विदेश सेवा, बर्खास्तगी, हटाना और निलम्बन,	वही	

			सेवा निवृति, कार्यभार ग्रहण समय, सरकारी आवास आदि से संबंधित नियमों का सविस्तार वर्णन है ।		
10	**केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण नियम) 1964 तथा सामान्य भविष्य निधि आदि**	नियम पुस्तक	भारत सरकार द्वारा जारी नियम पुस्तक में सेवाओं तथा सामान्य भविष्य निधि से संबंधित नियमों का विस्तार से वर्णन है ।	वही	
11.	**भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992**	नियम पुस्तक	भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम में पुनर्वास व्यावसायिकों का प्रशिक्षण विनियमित करने के लिए, और एक केन्द्रीय पुनर्वास रजिस्टर रखने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद के गठन का प्रावधान है । इस अधिनियम में पुनर्वास व्यावसायिकों के लिए विश्वविद्यालय आदि द्वारा प्रदान की गई अर्हताओं को मान्यता प्रदान करने शिक्षा के न्यूनतम मानकों, उन व्यक्तियों के विशेषाधिकार जो	वही	

			रजिस्टर में पंजीकृत हैं और मान्यता प्राप्त पुनर्वास अर्हता आदि से संबंधित प्रावधान भी निहित हैं ।		
12.	**भारतीय पुनर्वास परिषद (सदस्य सचिव, अधिकारी और अन्य कर्मचारी सेवा शर्तें) विनियम, 1998**	विनियम	ये विनियम भारतीय पुनर्वास परिषद के सदस्य सचिव अधिकारी तथा अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें निर्धारित करने के लिए 22.4.1998 से लागू है ।	वही	वही
13	**भारतीय पुनर्वास परिषद विनियम, 1997**	वही	ये 27.3.1997 से लागू हैं और इनमें अध्यक्ष की शक्ति और कर्तव्यों, परिषद की शक्तियां तथा साधारण परिषद और कार्यकारिणी समिति की बैठकों, उनकी गणपूर्ति और कार्यवाहियों आदि से संबंधित अनुदेशों का विवरण है ।	वही	वही
14.	**निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995**	अधिनियम	निःशक्त व्यक्ति अधिनियम जनवरी, 1996 से लागू है और एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र में निःशक्त व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी और समानता की घोषणा	वही	वही

	1995		को प्रभावी बनाता है । इस अधिनियम में विकलांगता मामलों पर राष्ट्रीय फोकल बिंदु के रूप में सेवा करने के लिए तथा विकलांग व्यक्तियों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के संबंध में एक व्यापक नीति तैयार करना आसान बनाने के लिए एक समन्वय समिति के गठन का प्रावधान है । इस अधिनियम में केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के गठन का भी प्रावधान है, जिस पर केन्द्रीय समन्वय समिति के निर्णयों को लागू करने का दायित्व है ।		
15.	**विभिन्न विकलांगताओं के मूल्यांकन और प्रमाणन हेतु प्रक्रिया संबंधी दिशा-निर्देश**	अधिसूचना	निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 को ध्यान में रखते हुए दिशा-निर्देशों की समीक्षा तथा तैयार करने और समुचित संशोधन/बदलाव के लिए, इस मंत्रालय ने मानसिक मंदता, चलन/अस्थि विकलांगता, दृष्टि विकलांगता, तथा	वही	वही

			वाणी और श्रवण विकलांगता के प्रत्येक क्षेत्र में एक-एक डीजीएचएस की अध्यक्षता में चार समितियों का गठन किया है । इसके बाद, बहुविकलांगता का आकलन एवं मूल्यांकन करने और विकलांगता की सीमा को वर्गीकृत करने और प्रमाणन प्रक्रिया के लिए एक अन्य समिति की गई थी । इन समितियों की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, विभिन्न विकलांगताओं को आकलन और प्रमाणन प्रक्रिया के लिए इन दिशा-निर्देशों को अधिसूचित कर दिया गया था ।		
16	**विकलांग व्यक्तियों के लिए पदों की पहचान की सूची**	वही	निःशिक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 की धारा 32 के अनुसरण में, विकलांग व्यक्तियों के लिए मंत्रालयों/विभागों/ पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में समूह क, ख, ग और घ में आरक्षित किए जाने वाले पदों की	वही	वही

			पहचान/समीक्षा करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था और उक्त समिति की रिपोर्ट के आधार पर, विकलांग व्यक्तियों के लिए यथा उपयुक्त पहचान किए गए पदों की सूची तैयार की गई थी ।		
17	**निःशक्त व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई संवर्धन योजना (दीन दयाल विकलांग पुनर्वास योजना)**	योजना	इस दस्तावेज में उन परियोजनाओं की सूचना दी गई है, जिन्हें योजना इस के तहत वित्त पोषित किया जा सकता है, लागत मानकों सहित परियोजनाओं का ब्यौरा, आवेदन प्रपत्रों, मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्रों की सूची आवेदन आदि के संबंध सूचना का उल्लेख है ।	वही	वही

18	**विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पुरस्कार योजना**	वही	इस योजना में पुरस्कारों की विभिन्न श्रेणियों की संख्या और गठन, जांच समितियों के गठन सहित चयन प्रक्रिया, मानदंड, अनावासी और छात्रावासी छात्रों को विशेष पाठ्यक्रमों के लिए देय छात्रवृत्ति की राशि आवेदन प्रपत्र आदि के संबध में सूचना का प्रावधान है ।	वही	वही
19	**विकलांगों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार योजना**	वही	इस योजना में, विभिन्न श्रेणियों के पुरस्कारों, चयन प्रक्रिया जिसमें संवीक्षा समितियों के गठन, चयन की प्रक्रिया आवेदन प्रपत्र आदि सम्मिलित है, के बारे में सूचना उपलब्ध कराई जाती है ।	वही	वही
20	**राष्ट्रीय विकलांग कल्याण कोष समय-समय पर यथा संशोधित विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय कोष के का**	अधिसूचना	इस दस्तावेज में राष्ट्रीय कोष की स्थापना, इसका उद्देश्य, संरचना, इसके प्रबंधन बोर्ड की शक्तियां और कार्य के संबंध में सूचना का प्रावधान है ।	वही निर्धारित शुल्क के साथ संयुक्त सचिव वि. प्रभाग को संबोधित आवेदन द्वारा दस्तावेज	वही

	कोष के रूप में पुनर्नामित			प्राप्त किया जा सकता है ।	
21	**आटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता तथा बहुविकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों का कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999**	अधिनियम	इसमें राष्ट्रीय न्यास बोर्ड का गठन स्थानीय स्तर की समितियां, जवाबदेही तथा न्यास की मॉनिटरिंग	वही	वही राष्ट्रीय न्यास की वेबसाइट www. National trust.org पर भी उपलब्ध है ।
22	**आटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता तथा बहुविकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों का कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास नियम, 2000**	नियम	इस नियम में न्यास के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया इसके अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी आदि के लिए नियमों का प्रावधान है ।	वही राष्ट्रीय न्यास की वेबसाइट अर्थातः www. National trust.org पर भी उपलब्ध है ।	वही
23	**न्यास बोर्ड का विनियम, 2001**	विनियम	इस विनियम में न्यास के मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा शर्तें फार्म और वह तरीका जो गैर स.सं. के पंजीकरण के लिए किया जानेवाला आवेदन, अभिभावकों	वही राष्ट्रीय न्यास की वेबसाइट अर्थातः www. National trust.org पर भी उपलब्ध है ।	वही

			आदि की नियुक्ति का प्रावधान है ।		
24.	**राष्ट्रीय विकलांग वित्त औरविकास निगम का संगम ज्ञापन और संगेम अनुच्छेद**	ज्ञापन	यह निगम के उद्देश्यों, इसकी प्राधिकृत शेयर पूंजी, इसके निदेशक मंडल आदि के गठन के संबंध में सूचना का प्रावधान है ।	सुविधा केन्द्र निर्धारित शुल्क के साथ संयुक्त सचिव वि.प्रभाग को संबोधित आवेदन द्वारा दस्तावेज प्राप्त किए जा सकते हैं ।	011-23389226 फैक्स 011-23384918
25	**सहायक यंत्रों/उपकरणों को खरीदने/ लगाने के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता की योजना (एडिप योजना)**	योजना	इस दस्तावेज में मानदंड आवेदन प्रपत्र सहित कार्यान्वयन एजेंसियों, जिसे योजना के अंतर्गत वित्त पोषित किया जा सकता ,है के बारे में सूचना है	सा.न्य.और अधि. मंत्रालय के सुविधा केन्द्र, मैनुअल तथा रिकार्ड । मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है ।	011-2336314 फैक्स 011-23384918
26	**वक्फ अधिनियम, 1995**	अधिनियम	वक्फ अधिनियम, 1995 वक्फ एक सर्मिपित संस्था है जो मुस्लिम कानून के अनुसार धार्मिक, पवित्र और चैरिटेबल चल और अचल सम्पत्तियों को मान्यता प्रदान करती हैच इन धार्मिक पहलुओं के	9वां तल, जे.पी.भवन, 25 क.गा. मार्ग, नई दिल्ली । निर्धारित शुल्क के साथ सं. सचिव, अ. तथा पि.व. प्रभाग से	टेलि. 011-23765014 फैक्स 23765004

			अतिरिक्त, वक्फ सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान के लिए तंत्र हैं । वक्फों तथा वक्फ संपत्तयों का बेहतर प्रशासन के लिए नया वक्फ अधिनियम 1 जनवरी 1996 से लागू है ।	प्राप्त किया जा सकता है ।	
27	**केन्द्रीय वक्फ परिषद नियम, 1998**	नियम	केन्द्रीय वक्फ परिषद सचिव, अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तों के निर्धारण के लिए 30.9.1998 से इन्हें लागू किया गया । यह परिषद के कार्यालय का कार्यकाल, त्यागपत्र और सदस्यों को हटाने के साथ उनकी शक्तियों और कर्त्तव्यों का भी निर्धारण करती है ।	वही	वही
28	**दरगाह ख्वाजा साहेब अधिनियम, 1958**	अधिनियम	राजस्थान के अजमेर में दरगारह ख्वाजा मोईनुद्दीन चिस्ती अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वक्फ है । दरगारह ख्वाजा साहेब अधिनियम, 1955 के नाम से केन्द्रीय अधिनियम दरगाह को शासित कर रहा है ।	वही	वही

			फिलहाल दरगाह धर्मस्व का प्रशासन और नियंत्रण दरगाह समिति में निहित है, जो दरगाह ख्वाजा साहेब अधिनियम, 1955 की धारा 5 के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त की जाती है । दरगाह की देखभाल और रखरखाव में दरगाह समिति को सहायता के लिए दरगाह समिति के परामर्श से अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा नाजिम की भी नियुक्ति की जाती है । नाजिम दरगारह समिति के निर्देशों के अनुसार दरगाह धर्मस्व का नियंत्रण, पर्यवेक्षण तथा प्रबंधन की शक्तियों का प्रयोग करता है ।		
29	**दरगाह ख्वाजा साहेब उपविधि उपनियम, 1955**	उप नियम	यह दरगार समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्य और ड्यूटी तथा समिति की बैठकों के लिए प्रक्रिया निर्धारित करता है । यह दरगार का नाजिम और अन्य	वही	वही

			कर्मचारियों की शक्तियां और कार्य भी निर्धारित करता है ।		
30	**राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992**	अधिनियम	मई, 1992 में तत्कालीन अल्पसंख्यक आयोग को सांविधिक दर्जा प्रदान करते हुए एनसीएस अधिनियम, अधिनियमित किया गया था और 17.5.1993 में लागू किया गया और इस प्रकार अल्पसंख्यकों के हितों के सुरक्षोपाय के लिए और अधिक प्रभावी निकाय बनाया गया । मूलतः 6 सदस्यों में से एक उपाध्यक्ष का पद का सृजन के लिए इसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अधिनियम, 1995 द्वारा संशोधित किया गया था ।	एम.सी. डेस्क, एसजेई, 9वां तल, जेपी भवन 25, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली 110001	टे. 011-23765012 फै. 011-23765004
31	**राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम के लिए संगम ज्ञापन तथा संगम अनुच्छेद**	संगम ज्ञापन	यह कंपनी के उद्देश्यों, इसके कार्यकलाप और प्रबंधन निर्धारित करता है ।	एडी (एनएमडी एफसी) डेस्क सा.न्या.और अधि. मं. 9वां तल, जेपी भवन, 25 के जी मार्ग, नई	यथोपरि

				दिल्ली	
32	**मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान का संगम ज्ञापन**	संगम ज्ञापन	यह प्रतिष्ठान के उद्देश्यों तथा शासी निकाय की शक्तियां और कार्य तथा नियमों और विनियमों को निर्धारित करता है ।	वही	वही
33.	**अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए15 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत दिशा-निर्देश**	दिशा-निर्देश	अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 15 सूत्रीय कार्यक्रम मई, 1983 में चलाया गया था, जो दिशा- निर्देश स्वरूप का है और सुरक्षा की भावना पैदा करने और अल्पसंख्यक समुदायों का तेजी से सामाजिक, आर्थिक विकास सुनिश्चित करने की ओर लक्षित है ।	वही	वही
34	**मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की योजनाएं**	योजना	इस योजना की पुस्तिका में छात्रवृत्ति दर, पात्रता शर्तें आदि के संबंध में सभी सूचना निहित है ।	सुविधा केन्द्र, दस्तावेज दर पर संयुक्त सचिव (एम एंड बीसी) जीवन प्रकाश भवन, 25 केजी मार्ग, नई दिल्ली को संबोधित आवेदन द्वारा निःशुल्क प्राप्त किया	011- 23765012 फैक्स 011-23765004

				जा सकता है।	
35	**मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति**	योजना	वही	वही	वही
36	**अ.पि.व. के छात्रों और छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण हेतु, सहायता अनुदान**	योजना	इस पुस्तिका में प्रस्ताव प्रस्तुत करने की प्रक्रिया पात्रता शर्तें आदि के संबंध में सभी सूचना निहित है।	वही	वही
37	**गैर सरकारी संगठनों को सहायता की योजना**	योजना	वही	वही	वही
38	**मंडल आयोग का निर्णय**	निर्णय	इस दस्तावेज में भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्णय का ब्यौरा निहित है।	वही	वही
39	**मंडल आयोग की रिपोर्ट**	रिपोर्ट	इस दस्तावेज में मंडल आयोग की सिफारिशों का ब्यौरा निहित है	वही	वही
40	**अ.पि.व. की केन्द्रीय सूची**	अधिसूचना	इस दस्तावेज में अ.पि.वर्गों की राज्यवार सूची उपलब्ध है	वही	वही
41	**रा.पि.व. आयोग अधिनियम, 1993**	अधिनियम	इस दस्तावेज में आयोग का गठन, कार्य और शक्तियों के बारे में सूचना का प्रावधान है।	वही	वही
42	अनुसंधान और प्रकाशन हेतु	**योजना**	**i) अनुसंधान और कार्यशालाओं/सेमिनारों**	**संयुक्त सचिव, पी आर ई एम**	**टेलीफैक्स सं0 011-26109063/ अन्यः**

	सहायता अनुदान नियमावली की योजना		के माध्यम से मंत्रालय की योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के प्रभाव का निर्धारण तथा मूल्यांकन करना, ताकि उन्हें और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए उनमें समुचित सुधार किए जा सकें अथवा यदि उनकी उपयोगिता संदिग्ध हो, तो उन्हें बंद किया जा सके । **ii)** अनुसंधान और सेमिनार/कार्यशालाओं के जरिए उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां भविष्य में सामाजिक समस्याओं के उभरने की संभावना है, ताकि मंत्रालय समय पर हस्तक्षेप कर सके । योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालयों/अनुसंधान संस्थानों और व्यावसायिक निकायों को सामाजिक नीति, सामाजिक विकास और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में किए जाने वाले अध्ययनों पर होने वाले व्यय का पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है ।	विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, वेस्ट ब्लॉक-8, दूसरा तल, विंग-2, आर.के.पुरम, नई दिल्ली - 110 0661 नियमों, विनियमों, अनुदेशों, मैनुअल और अभिलेखों (यदि कोई हो तो) के लिए विभाग द्वारा शुल्क प्रभारित किया गया है ।	वेबसाइट **www.socialjustice.nic.in**
43	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2004-05			सुविधा केन्द्र, दूरभाषः 011-23389226 सामाजिक न्याय और अधिकारिता	दूरभाषः 23389226

				अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110 001 मूल्य 100 रुपए	
44	वर्ष 2004-05 के दौरान मंत्रालय के कार्यकलापों की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट			**वही**	**वहीं**
45	स्वैच्छिक संगठनों के लिए कार्यक्रमों और योजनाओं का सार-संग्रह खंड-1 अनुसूचित जाति विकास, और अन्य पिछड़ी जातियां		**स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही मंत्रालय की योजनाओं और कार्यक्रमों का ब्यौरा उपलब्ध कराना । इसमें संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों के अंतर्गत सहायता अनुदान पाने के लिए दिशानिर्देश और आवेदन पत्र का निर्धारित प्रपत्र भी शामिल हैं ।**	**- वही - मूल्य 35 रुपए**	**- वही -**
46	खंड II: विकलांग व्यक्तियों का कल्याण और सामाजिक रक्षा		**स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही मंत्रालय की योजनाओं और कार्यक्रमों का ब्यौरा उपलब्ध कराना इसमें संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों के अंतर्गत सहायता अनुदान पाने के लिए दिशानिर्देश और आवेदन पत्र का निर्धारित प्रपत्र भी शामिल हैं ।**	**- वही - मूल्य 60 रुपए**	
47	अनूसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों सहित कमजोर वर्गों के लिए	**योजना**	**दस्तावेज पर संक्षिप्त आलेख। (क) इंजीनियरी, मेडिकल, कृषि, प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी जैसे तकनीकी और**	**अनुभाग अधिकारी एससीडी-1 अनुभाग, सामाजिक न्याय और**	**दूरभाष सं0 23384023 फैक्स सं0 23384918 अन्यः वेबसाइट www.socialjustice.nic.in**

	शिक्षण और संबंधित सहायता		व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाने वाली संस्थाओं और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों में सेवा से संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु, और (ख) केन्द्रीय और राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों के साथ-साथ निजी क्षेत्र की समूह " क " और "ख " की सेवाओं में भर्ती हेतु लक्षित समूह से संबंधित छात्रों के लिए विशेष कोचिंग उपलब्ध करवायी जाती है ।	अधिकारिता मंत्रालय, कमरा सं0 240 " ए " विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110 001	
48	अनुसूचित जाति के छात्रों की योग्यता को बढ़ावा	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम	दस्तावेज पर संक्षिप्त आलेख, कक्षा IX से कक्षा XII में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों की विद्यालयों के विषयों में कमजोरियों को दूर करने के लिए अतिरिक्त उपचारात्मक कोचिंग उपलब्ध करवायी जाती है ।	अनुभाग अधिकारी, एस सी डी -I अनुभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, कमरा संख्या 240 " ए " विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110001	दूरभाष सं0 23384023 फैक्स सं0 23384918 अन्यः वेबसाइट www.socialjustice.nic.in
49	अनुसूचित जाति की छात्राओं और छात्रों के लिए छात्रावास	वहीं	माध्यमिक विद्यालयों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले अनुसूचित जातियों के छात्रों और छात्राओं को छात्रावास सुविधा उपलब्ध कराना और (ii) विद्यालय छोड़ने वालों की संख्या में कमी	-वही-	- वही -

			करना ।		
50.	विशेष संघटक योजना	दिशानिर्देश	दिशानिर्देशों में राज्य/संघ राज्यों और केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के अनुपात में विशेष संघटक योजना के तहत निधियों को निर्दिष्ट करने से संबंधित सामान्य अनुदेश समाविष्ट हैं ।	आर-608, शास्त्री भवन	दूरभाष सं0 23384311 फैक्स 23384918
51	विशेष संघटक योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	-वही-	दस्तावेज में राज्यों/संघ राज्यों को विशेष केन्द्रीय सहायता जारी करने हेतु मानदंड और राज्यों/संघ राज्यों द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता के उपयोग हेतु विस्तृत दिशानिर्देश समाविष्ट हैं ।	आर- 608 शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110001	दूरभाष संख्या 23384311 फैक्स 23384918
52	अनुसूचित जातियों के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान की योजना		मंत्रालय के पास अनुसूचित जातियों के शैक्षिक और सामाजिक विकास हेतु अनुसूचित जातियों के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान देने के लिए एक विस्तृत योजना है । योजना का उद्देश्य अनुसूचित जातियों के सामाजिक - आर्थिक विकास की ओर प्रयत्नशील योग्य और विश्वसनीय स्वैच्छिक संगठनों की सेवाओं का उपयोग करना है । इस योजना के अंतर्गत विभिन्न वाणिज्यिक व्यापारों में तकनीकी प्रशिक्षण जैसे आय अर्जन के कार्यकलाप	अवर सचिव, एससीडी -III अनुभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, कमरा सं0 608-ए, " ए " विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001	दूरभाष सं0 23383688 फैक्स सं0 23384918 अन्यः वेबसाइट www.socialjustice.nic.in

			स्वास्थ्य केन्द्रों, औषधालयों जैसे सेवा कार्यकलापों और विद्यालय पूर्व शिक्षा सहित सामान्य/तकनीकी/ व्यावसायिक शिक्षा हेतु सुविधाओं की शुरूआत करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को परियोजना लागत की 90% तक की सीमा तक अनुदान दिया जाता है ।		
53	अनुसूचित जाति विकास निगम को सहायता	**विनियमों को अभिशासित करने वाली योजना**	**केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत अंशपूजी अंशदान केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच 49 : 51 के अनुपात में राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम को जारी किया जाता है ।** **अनुसूचित जाति विकास निगम आर्थिक कार्यकलापों के विभिन्न क्षेत्रों को कवर करने वाली निम्नलिखित रोजगार परक योजनाओं को वित्त पोषित करता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ (i) अल्प सिंचाई सहित कृषि तथा संबंधित कार्यकलाप; (ii) लघु उद्योग, (iii) परिवहन, (iv) व्यापार और सेवा क्षेत्र शामिल हैं ।**	**अनुभाग अधिकारी, एससीडी- IV अनुभाग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कमरा सं0 608, "ए" विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।**	**दूरभाष सं0 23384311 फैक्स सं0 23384918 अन्यः वेबसाइट www.socialjustice.nic.in**
54	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम	**अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास**	**राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की स्थापना गरीबी रेखा**	**अनुभाग अधिकारी, एससीडी- V**	**दूरभाष सं0 23384311 फैक्स सं0 23384918 अन्यः वेबसाइट**

		निगम की ऋण नीति पर दिशा-निर्देश	(इस समय ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 40,000 रुपए वार्षिक और शहरी क्षेत्रों के लिए 55,000 रुपए वार्षिक) सीमा के दुगुने से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के आय अर्जन कार्यकलापों को वित्त पोषित करने के उद्देश्य से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत एक कंपनी के रूप में की गई थी । 31 मार्च, 2005 तक निगम को 1000.00 करोड़ रुपए की प्राधिकृत अंश पूंजी की इक्विटी हिस्सा अंशदान के रूप में 335.20 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है ।	अनुभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कमरा सं0 608, "ए" विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।	**www.socialjustice.nic.in**
55	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम की ऋण नीतियां और दिशानिर्देश	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम की स्थापना कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत 24 जनवरी, 1997 को देश भर में सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों के बहुमुखी सामाजिक-आर्थिक उत्थान तथा आयोत्पादक परियोजनाओं हेतु उन्हें रियायती वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक शीर्ष संस्थान के रूप में	अनुभाग अधिकारी, एससीडी- IV अनुभाग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कमरा सं0 608, "ए" विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।	दूरभाष सं0 23384311 फैक्स सं0 23384918 अन्यः वेबसाइट **www.socialjustice.nic.in**

			की गई थी ।		
56	अनुसूचित जाति के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	**विनियमों को अभिनियंत्रित करने वाली योजना**	**1.00 लाख रुपए से कम पारिवारिक वार्षिक आय वाले तथा मैट्रिकोत्तर शिक्षा प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति के छात्र छात्रवृत्ति के पात्र हैं । इस छात्रवृत्ति में रखरखाव भत्ता, अनुसूचित जाति के विकलांग छात्रों के लिए विशेष भत्ता, बुक बैंक, अध्ययन यात्रा भत्ता, शोध प्रबंध टंकण । मुद्रण प्रभार, पत्राचार पाठ्यक्रमों से पढ़ाने वाले छात्रों के लिए पुस्तक अनुदान तथा संस्थान द्वारा प्रभारित वापस न किए जाने वाले शुल्कों की प्रतिपूर्ति के प्रावधान, सभी वापस न किए जाने वाले शुल्क शामिल हैं ।**	**1.00 लाख रुपए से कम पारिवारिक वार्षिक आय वाले तथा मैट्रिकोत्तर शिक्षा प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति के छात्र छात्रवृत्ति के पात्र हैं । इस छात्रवृत्ति में रखरखाव भत्ता, अनुसूचित जाति के विकलांग छात्रों के लिए विशेष भत्ता, बुक बैंक, अध्ययन यात्रा भत्ता, शोध प्रबंध टंकण । मुद्रण प्रभार, पत्राचार पाठ्यक्रमों से पढ़ाने वाले छात्रों के लिए पुस्तक अनुदान तथा संस्थान द्वारा प्रभारित वापस न किए जाने वाले शुल्कों की प्रतिपूर्ति के प्रावधान, सभी वापस न किए जाने वाले शुल्क शामिल हैं ।**	**1.00 लाख रुपए से कम पारिवारिक वार्षिक आय वाले तथा मैट्रिकोत्तर शिक्षा प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति के छात्र छात्रवृत्ति के पात्र हैं । इस छात्रवृत्ति में रखरखाव भत्ता, अनुसूचित जाति के विकलांग छात्रों के लिए विशेष भत्ता, बुक बैंक, अध्ययन यात्रा भत्ता, शोध प्रबंध टंकण । मुद्रण प्रभार, पत्राचार पाठ्यक्रमों से पढ़ाने वाले छात्रों के लिए पुस्तक अनुदान तथा संस्थान द्वारा प्रभारित वापस न किए जाने वाले शुल्कों की प्रतिपूर्ति के प्रावधान, सभी वापस न किए जाने वाले शुल्क शामिल हैं ।**
57	अस्वच्छ व्यवसायों	**-वही-**	**सफाई करने, चमड़ा**	**अनुभाग**	**दूरभाष सं0 23384023**

	में लगे बच्चों के लिए पूर्व - मैट्रिक छात्रवृत्ति		उतारने वाले से परम्परागत रूप से संबंध रखने वाले सफाई करने वाले और स्वीपरों के बच्चे को धर्म अथवा पारिवारिक आय का लिहाज किए बगैर छात्रवृत्ति के हकदार हैं । यह सहायता कक्षा IX और X में पढ़ने वाले एक ही परिवार के दो छात्रों को दी जाती है । कक्षा VIII तक कवर किए जाने वाले बच्चों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है तथापि, 1.4.1993 के बाद एक ही माता-पिता के तीसरे अथवा अगले बच्चे के मामले में केवल दो बच्चे ही पात्र हैं । कक्षा I से कक्षा V के लिए 40 रुपए प्रतिमाह, कक्षा VI से कक्षा VIII हेतु 60 रुपए प्रतिमाह और कक्षा IX व X के लिए 70 रुपए प्रतिमाह की छात्रवृत्ति दर सहित कक्षा I से X के अनावासी छात्रों के लिए सहायता बढ़ा दी गई है । छात्रावास में रहने वाले कक्षा III से कक्षा X के छात्रों को दी जाने वाली सहायता भी बढ़ा दी गई है । कक्षा III से कक्षा VIII के छात्रावास में रहने वाले छात्रों के लिए छात्रवृत्ति	अधिकारी, एससीडी- V अनुभाग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कमरा सं0 240, "ए" विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।	फैक्स सं0 23384918 अन्यः वेबसाइट **www.socialjustice.nic.in**

			दर 300 रुपए प्रतिमाह तथा कक्षा IX और कक्षा X के लिए 375 रुपए प्रतिमाह है । छात्रवृत्ति वर्ष में 10 माह के लिए प्रदान की जाती है । इसके अतिरिक्त 600 रुपए और 550 रुपए प्रतिवर्ष तदर्थ अनुदान क्रमशः छात्रावास में रहने वाले छात्रों और अनावासी छात्रों को भी प्रदान की किया जाता है । दिनांक 1.4.1998 से लक्षित वर्ग के विकलांग छात्रों के लिए अतिरिक्त सहायता भी शुरू की गई है।		
58	अनुसूचित जाति आदि के उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति	**- वही -**	**योजना का मुख्य उद्देश्य स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों, पीएचडी और उत्तरवर्ती अनुसंधान कार्यक्रमों में इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान के विशिष्ट क्षेत्रों में विदेश में उच्चतर अध्ययन के लिए चयनित मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है । प्रतिवर्ष 20 पुरस्कार आबंटित किए जाते हैं, जिनमें से 17 पुरस्कार अनुसूचित जातियों के लिए, 2 पुरस्कार डिनोटिफाइड खानाबदोश और अर्ध खानाबदोश जनजातियों तथा 1 पुरस्कार भूमिहीन खेतीहर मजदूरों और पारंपरिक शिल्पकारों को दिए जाते हैं।**	-वही-	-वहीं-

59	अनुसूचित जाति अधिनियम, 2004 हेतु राष्ट्रीय आयोग	**अधिनियम**	**राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें और कार्यकाल**	**दिनांक 20 फरवरी, 2004 के राजपत्र के भाग II खंड 3, उपखंड I संख्या 85 में उपलब्ध ।**	
60	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी सेवा शर्तें और मौलिक नियम आदि				
61	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी सेवा शर्तें, मूलभूत शर्तें आदि	**अधिनियम**	**यह अधिनियम " अस्पृश्यता " के प्रवचन और व्यवहार के लिए इससे अथवा इससे संबंधित मामलों से पैदा होने वाले किसी भी प्रकार की विसंगतियों के लिए सजा का निर्धारण करता है ।**		
62	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989	**अधिनियम**	**यह अधिनियम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के विरुद्ध अत्याचार के अपराध की घटना को रोकने, ऐसे अपराधों के निवारण तथा ऐसे अपराधों से पीड़ितों की सहायता एवं पुनर्वास एवं इससे संबंधित और सदृश मामलों के लिए विशेष न्यायालयों की व्यवस्था करने के लिए है ।**	**अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाई गई नियमावली को भारत के राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया है और यह बाजार में भी उपलब्ध है । इसके अतिरिक्त अधिनियम और नियमावली के साथ उपर्युक्त अन्य दस्तावेज सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की**	

				वेबसाइट पर उपलब्ध है ।	
63	सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1977		**यह सिविल अधिकार संरक्षण, अधिनियम, 1955 के अंतर्गत अधीनस्थ विधान है ।**	**- वही -**	
64	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमावली, 1995	**नियमावली**	**यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत एक अधीनस्थ विधान है ।**	**- वही -**	
65	वर्ष 2002 और 2003 के लिए सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के तहत संबंधित मामलों के आंकडें : समस्त भारत के राज्य/संघ राज्यवार	**आंकड़े**	**यह दोनों अधिनियमों के अंतर्गत मामलों की संख्या को दर्शाता है ।**	**-वही-**	
66	वर्ष 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के दौरान सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन हेतु केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ	**-वही -**	**इसमें वर्ष 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के दौरान सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को दी गई केन्द्रीय सहायता की राशि शामिल है ।**	**-वही-**	

	राज्य प्रशासनों को जारी केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा				
67	राज्यों/संघ राज्यों के नाम, जिन्होंने राज्य सरकारों/सघ राज्य प्रशासनों द्वारा प्रज्ञापित किए अनुसार विशेष प्रकोष्ठ (सिविल अधिकार संरक्षण प्रकोष्ठ) की स्थापना की है ।	**आँकड़े**	**राज्यों/संघ राज्यों के नाम, जिन्होंने राज्य सरकारों/संध राज्य प्रशासनों द्वारा प्रज्ञापित किए अनुसार विशेष प्रकोष्ठ (सिविल अधिकार संरक्षण प्रकोष्ठ) की स्थापना की है ।**		
68	अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के अंतर्गत मामलों के जांच हेतु संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अनन्य विशेष न्यायालयों की स्थापना करने वाले जिलों के नाम ।		**यह सूची अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के अंतर्गत मामलों के जांच हेतु संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अनन्य विशेष न्यायालयों की स्थापना करने वाले जिलों के नाम दर्शाती है ।**	**- वही -**	
69	यह सूची अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के अंतर्गत मामलों के जांच हेतु संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अनन्य विशेष न्यायालयों की स्थापना करने वाले जिलों के नाम दर्शाती है ।	**-वही-**	**यह सूची संबंधित राज्यों में अत्याचार प्रभावित क्षेत्रों के नाम दर्शाती है ।**	**-वही-**	

70	अत्याचार निवारण नियम, 1995 के नियम 9 के अंतर्गत नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने वाले राज्यों के नाम	**- वही -**	**यह सूची राज्य सरकारों द्वारा अत्याचार निवारण नियम, 1995 के नियम 9 के अंतर्गत नियुक्त किए गए नोडल अधिकारियों के नाम दर्शाती है ।**	**- वही -**	
71	अत्याचार निवारण नियम, 1995 के नियम 17 के अंतर्गत सतर्कता और मानीटरिंग समिति की स्थापना करने वाले राज्यों/संघ राज्यों के नाम	**- वही -**	**इस सूची में उन राज्यों/संघ राज्यों के नाम शामिल हैं जहां अत्याचार निवारण नियम, 1995 के नियम 17 के अंतर्गत सतर्कता और मानीटरिंग समिति है ।**	**- वही -**	
72	केलेंडर वर्ष जब तक सिविल अधिकार संरक्षण, अधिनियम, 1955 और अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के तहत वार्षिक रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखी गई ।	**सूचना**	**यह केलेंडर वर्ष, जब तक कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 दोनों के अंतर्गत यथा निर्धारित वार्षिक रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखी गई, के बारे में सूचना प्रदान करता है ।**		
73	विभिन्न सांविधानिक आदेशों (अनुसूचित जाति) वाले चुनाव आदेशों का मैनुअल	**आदेश**	**इसमें विभिन्न राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किए गए समुदायों के नाम समाविष्ट हैं ।**	**(i) यह विधि एवं न्याय मंत्रालय, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली का एक सशुल्क प्रकाशन है और इसे बाजार से प्राप्त किया जा सकता है ।**	

				(ii) जाति प्रमाणपत्र जारी करने से संबंधित मौजूदा अनुदेशों, दिशा निर्देशों को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की वेबसाइट पर डाल दिया गया है । विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा निकाली गई चुनाव कानून का मैनुअल एक सशुल्क प्रकाशन है ।	
74	वृद्धजनों के लिए एकीकृत कार्यक्रम की योजना	**मैनुअल**	**इस योजना के अंतर्गत वृद्धाश्रमों, दिवा देखभाल केन्द्रों, चल चिकित्सा देखभाल ईकाइयों की स्थापना और रखरखाव करने तथा वृद्धजनों को गैर-संस्थागत सेवाएं प्रदान करने के लिए गैर सरकारी संगठनों को परियोजना लागत के 90% तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ।**	**वृद्धावस्था अनुभाग, कमरा संख्या 623 "ए" विंग शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।**	**दूरभाषः 23389268 फैक्स 23384918**
75	पंचायती राज संस्थाओं/स्वैच्छिक संगठनों/स्व-सहायता समूहों को सहायता, इसके अंतर्गत वृद्धाश्रमों के निर्माण हेतु	**मैनुअल**	**इस योजना का लक्ष्य वृद्धजनों के लिए वृद्धाश्रमों अथवा सेवा केन्द्रों के निर्माण हेतु वित्तीय अनुदान प्रदान करना है । इस शीर्ष के अंतर्गत गैर सरकारी संगठनों/स्व सहायता** [illegible]	**वृद्धावस्था अनुभाग, कमरा संख्या 623 "ए" विंग शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।**	**दूरभाषः 23389268 फैक्स 23384918**

	निधियां उपलब्ध करायी जाती है ।		**समूहों/पंचायती राज संगठनों को चल दिवा देखभाल केन्द्रों, घर में रहने वालों के लिए पहुंच एककों और निराश्रित वृद्ध व्यक्तियों के लिए वृद्धाश्रमों अथवा बहु विषयक सेवा केन्द्रों के निर्माण हेतु एकमुश्त निर्माण सहायता प्रदान की जाती है ।**		
76	किशोर न्याय (बाल देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000	**अधिनियम**	**किशोर न्याय अधिनियम, 1986 के स्थान पर 1 अप्रैल, 2001 से किशोर न्याय और (बाल देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 जम्मू -कश्मीर राज्य को छोड़कर, सारे देश में लागू है । इस अधिनियम में देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के मूलभूत पुनर्वास हेतु देखभाल और संरक्षण के लिए प्रावधान है । इस अधिनियम में किशोर अपराधी और उपेक्षित बालक के बीच के अन्तर का स्पष्ट उल्लेख है । इसमें 18 वर्ष का एक समान आयु का निर्धारण किया गया है, जिसके नीचे के सभी बालक और बालिकाओं से बच्चों की तरह व्यवहार किया जाता है । इस अधिनियम में किशोरों के लिए किशोर न्याय बोर्ड और देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के लिए बाल**	**सी डब्ल्यू अनुभाग 242-ए विंग शास्त्री भवन, नई दिल्ली विभाग द्वारा नियमों, विनियमों, मैनुअल और अभिलेखों (यदि कोई हो तो) की प्रति के लिए शुल्क प्रभारित करता है । दस्तावेजों को 25 रुपए प्रक्रमण शुल्क के साथ संयुक्त सचिव, सामाजिक सुरक्षा विभाग को संबोधित आवेदन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त, 2 रुपए प्रति पृष्ठ की दर से दस्तावेज की**	**दूरभाषः 2338794 फैक्स 23384918**

			कल्याण समिति के गठन हेतु प्रावधान है तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों अथवा ख्यातिप्राप्त गैर सरकारी संगठनों द्वारा बच्चों/अनाथों के लिए किशोर गृहों/विशेष गृहों, प्रेक्षण गृहों और आश्रय गृहों की स्थापना हेतु भी प्रावधान है ।	कापी की लागत भी प्रभारित की जाएगी ।	
77	किशोर न्याय (बाल देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अंतर्गत निर्मित मॉडल नियमावली, 2001	**नियमावली**	राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों द्वारा किशोर न्याय के नए नियमों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए इन मॉडल नियमावलियों को तैयार किया गया है । इन नियमों को दिनांक 22 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था और सभी राज्य सरकारों/संघ् राज्य प्रशासनों को इन मॉडल नियमावलियों को अपनाने अथवा इन मॉडल नियमावलियों के आधार पर अपनी नियमावलियां तैयार करने के अनुरोध के साथ परिचालित कर दिया गया है ।	- वही -	- वही -
78	किशोर न्याय हेतु कार्यक्रम	**योजना**	यह योजना इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को किशोर गृहों, विशेष गृहों व परख गृहों की स्थापना हेतु प्रदान की जा रही सहायता राशि तथा इन	- वही -	- वही -

			गृहों के उन्नयन हेतु सहायता के बारे में सूचना प्रदान करती है । यह अपनाए जाने वाले कतिपय सुपरिभाषित न्यूनतम मानकों, एक गृह में रखे जाने वाले बच्चों की संख्या, बच्चों को प्रदान की जाने वाली स्टाफ सुविधा इत्यादि के बारे में भी सूचना प्रदान करती है ।		
79	बेसहारा बच्चों हेतु एक समेकित कार्यक्रम	**- वही -**	**यह योजना इस योजना के अंतर्गत कवर किए जाने वाले बच्चों, मंत्रालय के विचारार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत करने संबंधी दिशानिर्देश, गैर सरकारी संगठनों को प्रदान की जाने वाली सहायता के मद-वार ब्यौरे के बारे में सूचना प्रदान करती है ।**	**- वही -**	**- वही -**
80	सामाजिक रक्षा के क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों को सामान्य सहायता अनुदान हेतु सहायता ।	**योजना**	**यह योजना इस योजना के अंतर्गत कवर किए जाने वाले बच्चों, मंत्रालय के विचारार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत करने संबंधी दिशानिर्देश, गैर सरकारी संगठनों को प्रदान की जाने वाली सहायता के मद-वार ब्यौरे के बारे में सूचना प्रदान करती है ।**	**- वही -**	**- वही -**
81	देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद कामकाजी बच्चों के लिए योजना	**योजना**	**यह योजना इस योजना के अंतर्गत कवर किए जाने वाले बच्चों, मंत्रालय के विचारार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत करने संबंधी दिशानिर्देश, गैर सरकारी संगठनों को**	**- वही -**	**- वही -**

			प्रदान की जाने वाली सहायता के मद-वार ब्यौरे के बारे में सूचना प्रदान करती है ।		
82	मद्य निषेध और पदार्थ (नशीले) दुरुपयोग हेतु योजना	**- वही -**	यह योजना मद्यनिषेध और पदार्थ (नशीले) दुरुपयोग के लिए गैर सरकारी संगठनों को नशा करने वालों के हितार्थ जागरुकता, विचार-विमर्श रोग निदान और पुनर्वास जैसे समुदाय आधारित हस्तक्षेप करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है । ये हस्तक्षेप समाज में नशीले पदार्थ दुरुपयोग के संकट को रोकने के उद्देश्य से समुदाय, कार्यस्थल, शैक्षिक संस्थान जैसे विभिन्न मंचों से किए जाते है ।	**डी पी -II डेस्क, 721, " ए " विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली**	**011-23388580 फैक्स 011- 23384918**

अध्याय - 5

नियम पुस्तिका - 4

नीति बनाने या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जन-साधारण के साथ परामर्श करने, या प्रतिनिधित्व के लिए विद्यमान व्यवस्था का विवरण

(धारा 4(1)(ख) (iv) के अंतर्गत)

नीति बनाना

5.1 क्या नीतियां बनाने के लिए जन-साधारण या उनके प्रतिनिधियों से परामर्श लेने/उनकी सहभागिता तलाशने का कोई प्रावधान है? यदि हां, तो कृपया ऐसी नीति का विवरण निम्नलिखित प्रपत्र में प्रस्तुत करें ।

जहां कहीं परामर्श/सहभागिता का औचित्य होता है, मंत्रालय की नीति बनाने में गैर-सरकारी संगठनों और अन्य जन-प्रतिनिधियों को शामिल किया जाता है । कुछ महत्वपूर्ण विद्यमान तंत्र इस प्रकार हैः

विकलांगता ब्यूरो

निःशक्त व्यक्ति अधिनियम और भारतीय पुनर्वास परिषद की सामान्य परिषद, कार्यकारी समिति के अनुसरण में गठित केन्द्रीय समन्वय समिति और केन्द्रीय कार्यकारी समिति में गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों को नियुक्त किया जाता है । नई नीति बनाने के मामलों में, जन-साधारण के प्रतिनिधियों के मध्य नीति का प्रारूप परिचालित किया जाता है और विचार के लिए उनके बहुमूल्य मत आमंत्रित किए जाते हैं ।

क्रम सं0	विषय/प्रकरण	क्या जन-सहभागिता सुनिश्चित करना अनिवार्य है (हां/नहीं)	जन-सहभागिता तलाशने की व्यवस्था
1	विकलांग व्यक्तियों से संबंधित नीति	हां	केन्द्रीय समन्वय समिति और केन्द्रीय कार्यकारी समिति की वेबसाइट/बैठकें तथा स्टेक होल्डरों के साथ परामर्श ।
2	विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देने की योजना (दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना) का कार्यान्वयन	नहीं	इस योजना के अंतर्गत प्राप्त नए प्रस्तावों की जांच के लिए जांच समिति में जन-साधारण से दो सदस्यों को शामिल किया गया है ।
3	राष्ट्रीय विकलांगजन निधि द्वारा वित्त पोषित विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पुरस्कार	नहीं	शून्य
4	विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार	हां	पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के चयन के लिए जांच समिति और राष्ट्रीय चयन समिति में जन-साधारण से प्रतिष्ठित व्यक्तियों को शामिल किया जाता है ।
5	सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए निःशक्त व्यक्तियों को सहायता की योजना का कार्यान्वयन	नहीं	इस योजना के अंतर्गत प्राप्त नए प्रस्तावों की जांच के लिए जांच समिति में जन-साधारण से दो सदस्यों को शामिल किया गया है ।
6	ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता एवं बहु-विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास	हां	अधिनियम में उल्लेख के अनुसार जन-साधारण से 12 व्यक्तियों को न्यास बोर्ड में नियुक्त किया गया है ।
7	राष्ट्रीय विकलांगजन वित्त एवं विकास निगम	हां	जन-साधारण से तीन व्यक्तियों को निगम के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है ।
8	वृद्धजन नीति	हां	वेबसाइट/एन सी ओ पी की बैठकें/परामर्श

अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग (एम एंड बी सी) ब्यूरो

क्रम सं0	विषय/प्रकरण	क्या जन-सहभागिता सुनिश्चित करना अनिवार्य है (हां/नहीं)	जन-सहभागिता तलाशने की व्यवस्था
1	**केन्द्रीय वक्फ परिषद**	हां	परिषद के बीस सदस्य जन-साधारण हैं ।
2	**दरगाह समिति, दरगाह ख्वाजा साहेब, अजमेर**	हां	समिति के 9 सदस्य जन-साधारण हैं ।
3	अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ 15-सूत्री कार्यक्रम	हां	15-सूची कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए समिति की बैठकें आयोजित की गई जहां जन-साधारण से 5 सदस्यों को शामिल किया गया है ।
4	**मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान**	हां	प्रतिष्ठान के 9 सदस्य, जन-साधारण हैं ।
5	**राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग**	हां	आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 5 सदस्य जन-साधारण होते हैं ।
6	**राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम**	हां	निदेशक बोर्ड के अध्यक्ष सहित दो सदस्य जन-साधारण हैं ।

अनुसूचित जाति विकास (एस सी डी) ब्यूरो

क्रम सं0	प्रभाग	विषय/प्रकरण	क्या जन-सहभागिता सुनिश्चित करना अनिवार्य है (हां/नहीं)	जन-सहभागिता तलाशने की व्यवस्था
1	अनुसूचित जाति विकास-1	अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों सहित कमजोर वर्गों के लिए कोचिंग एवं संबद्ध सहायता के पैरा-5 के अनुसार सचिव (सा.न्या. और अधि.) की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन किया गया है ।	नहीं । तथापि, चयन समिति आवश्यकता पड़ने पर किसी अन्य पदाधिकारी/व्यावसायिक को सहयोजित कर सकती है ।	वर्तमान में चयन-समिति में जन-साधारण से दो सदस्यों को शामिल किया गया है ।
2	अनुसूचित जाति विकास-**3**	संयुक्त सचिव (एससीडी) की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन किया गया है, जो अनुसूचित जातियों की योजना के कार्यान्वयन के लिए नए स्वैच्छिक संगठनों का चयन करने हेतु गठित की गई है ।	नहीं । तथापि, चयन समिति आवश्यकता पड़ने पर किसी अन्य पदाधिकारी/व्यावसायिक को सहयोजित कर सकती है ।	वर्तमान में चयन-समिति में जन-साधारण से दो सदस्यों को शामिल किया गया है ।
3	अनुसूचित जाति विकास-**4**	अनुसूचित जाति विकास निगमों को सहायता	हां	निदेशक बोर्ड में गैर सरकारी निदेशकों की नियुक्ति का प्रावधान ।

समाज रक्षा ब्यूरो

क्रम सं0	प्रभाग	विषय/प्रकरण	क्या जन-सहभागिता सुनिश्चित करना अनिवार्य है (हां/नहीं)	जन-सहभागिता तलाशने की व्यवस्था

			है (हां/नहीं)	
1	**वृद्धावस्था**	वृद्धजन नीति	हां	वेबसाइट/एन सी ओ पी की बैठकें/सेमिनार
2	**डी पी-1 और 3 प्रभाग**	मद्यपान और पदार्थ (नशीली दवा) दुरुपयोग निवारण योजना का कार्यान्वयन	हां	योजना के परिशोधन के लिए समितियों में गैर सरकारी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं आदि के रूप में प्रतिनिधित्व होता है और सभी मुख्य नीति मुद्दों पर एफ आई एन जी ओ डी ए पी के प्रतिनिधि होते हैं ।
3	**डी पी-2 प्रभाग**	मद्यपान और पदार्थ (नशीली दवा) दुरुपयोग निवारण योजना संघटकः क्षेत्रीय संसाधन एवं प्रशिक्षण केन्द्रों को सहायता अनुदान	हां	एफ आई एन जी ओ ए पी (नशीली दवा दुरुपयोग निवारण हेतु भारतीय एन जी ओ परिसंघ) के साथ परामर्श जिसमें नशीली दवा दुरुपयोग के क्षेत्र में कार्यरत सभी एन जी ओ सदस्य हैं ।

नीति का कार्यान्वयन

5.2 क्या नीतियों के कार्यान्वयन के लिए जन-साधारण या उनके प्रतिनिधियों के परामर्श/उनकी सहभागिता तलाशने का कोई प्रावधान है? यदि हां, तो कृपया प्रावधान का विवरण निम्नलिखित प्रपत्र में प्रस्तुत करें :

निम्नलिखित ब्यूरो के अंतर्गत परामर्श के लिए प्रावधान आवश्यक हैं :

5.11 विकलांगता ब्यूरो

निःशक्त व्यक्ति अधिनियम और भारतीय पुनर्वास परिषद की सामान्य परिषद, कार्यकारी समिति तथा राष्ट्रीय न्यास के अनुसरण में गठित केन्द्रीय कार्यकारी समिति

और केन्द्रीय समन्वय समिति में गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों को नियुक्त किया जाता है ।

क्रम सं0	विषय/प्रकरण	क्या जन-सहभागिता सुनिश्चित करना अनिवार्य है (हां/नहीं)	जन-सहभागिता तलाशने की व्यवस्था
1	विकलांग व्यक्तियों से संबंधित नीति के प्रावधानों का कार्यान्वयन	हां	गैर-सरकारी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं आदि के रूप में प्रतिनिधित्व इनमें हैः 1. केन्द्रीय कार्यकारी समिति; तथा केन्द्रीय समन्वय समिति । 2. विकलांग व्यक्तियों के मुख्य आयुक्त का कार्यालय, विकलांग व्यक्तियों की शिकायतों का निवारण करता है । 3. गैर सरकारी संगठ्नों, सामाजिक कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधित्व, भारतीय पुनर्वास परिषद की सामान्य परिषद और कार्यकारी समिति में भी है ।
2	भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम और विकलांग व्यक्ति अधिनियम का कार्यान्वयन ।		

5.12 अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग ब्यूरोः

क्रम सं0	विषय/प्रकरण	क्या जन-सहभागिता सुनिश्चित करना अनिवार्य है (हां/नहीं)	जन-सहभागिता तलाशने की व्यवस्था
1	वक्फ अधिनियम, 1995 के उपबंधों का कार्यान्वयन	हां	केन्द्रीय वक्फ परिषद, जिसमें जन-साधारण से 20 सदस्य होते हैं, से वक्फ अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन में परामर्श किया जाता है ।
2	दरगाह ख्वाजा साहेब अधिनियम, 1955 का कार्यान्वयन	हां	दरगाह समिति, जिसमें जन-साधारण से 9 सदस्य होते हैं, इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं।
3	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम का कार्यान्वयन	हां	इस आयोग, जिसमें जन-साधारण से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं, को भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त सुरक्षोपायों को मानीटर करने के लिए अल्पसंख्यकों के विकास हेतु अधिनियम में निर्दिष्ट कार्य-कलापों को सम्पन्न करने हेतु अधिकार दिया गया है ।

अनुसूचित जाति विकास ब्यूरो

अनुसूचित जाति विकास-4

इन निगमों के संबंध में मंत्रालय द्वारा नीति तैयार करने की प्रक्रिया में जन-साधारण की भागीदारी करना अनिवार्य नहीं है । तथापि, इन निगमों के नित्य कार्यकलापों से संबंधित नीतियों में, इन निगमों के निदेशक बोर्ड में गैर-सरकारी निदेशकों को नियुक्त करने का प्रावधान है ।

क्रम सं0	प्रभाग	विषय/प्रकरण	क्या जन-सहभागिता सुनिश्चित करना अनिवार्य है (हां/नहीं)	जन-सहभागिता तलाशने की व्यवस्था
1	अनुसूचित जाति विकास-4	अनुसूचित जाति विकास निगमों को सहायता	हां	निदेशक बोर्ड में गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति का प्रावधान
2	-वही-	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम	हां	-वही-
3	-वही-	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम	हां	-वही-

समाज रक्षा ब्यूरो

क्रम सं0	प्रभाग	विषय/प्रकरण	क्या जन-सहभागिता सुनिश्चित करना अनिवार्य है (हां/नहीं)	जन-सहभागिता तलाशने की व्यवस्था
1	**वृद्धावस्था**	वृद्धजन नीति	हां	वेबसाइट/एनसीओपी की बैठकें/सेमिनार
2	**डी पी-1**	मदिरापान और नशीले पदार्थ (नशीली दवा) दुरुपयोग निवारण योजना का कार्यान्वयन	हां	योजना के परिशोधन के लिए समितियों में गैर-सरकारी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं आदि के रूप में प्रतिनिधित्व होता है और सभी मुख्य नीति संबंधी मुद्दों पर एफ आई एन जी ओ डी ए पी के प्रतिनिधि होते हैं ।
	डी पी-2 और 3	मदिरापान और नशीले पदार्थ (नशीली दवा) दुरुपयोग निवारण योजना का कार्यान्वयन	हां	योजना के परिशोधन के लिए समितियों में गैर-सरकारी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं आदि के रूप में प्रतिनिधित्व होता है और सभी मुख्य नीति संबंधी मुद्दों पर एफ आई एन जी ओ डी

				ए पी के प्रतिनिधि होते हैं । नशामुक्ति केन्द्र स्थापित करने हेतु राज्य सरकार के माध्यम से गैर-सरकारी संगठनों से प्राप्त नए प्रस्तावों की जांच करने और सिफारिश करने के लिए एक जांच समिति गठित की गई है । इस समिति में दो सदस्य गैर-सरकारी संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि इसके अध्यक्ष संयुक्त सचिव (एस डी) हैं ।

अध्याय - 6

नियम पुस्तिका - 5

इसके द्वारा धारित या इसके नियंत्रणाधीन दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण

(धारा 4(1)(ख) (vi) के अंतर्गत)

6.1 आधिकारिक दस्तावेजों की सूची और स्थान, जहां दस्तावेज उपलब्ध हैं ।

प्रशासन प्रभाग

इस उद्देश्य के लिए नोडल मंत्रालय अर्थात् कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा बनाए गए नियमों-विनियमों/सेवा मामलों से संबंधित नियम पुस्तिका की प्रतियां ।

विकलांगता ब्यूरो

मंत्रालय के विकलांगता प्रभाग से संबंधित कार्य या कार्यकलापों के बारे में सभी सूचना जन-साधारण के लिए उपलब्ध है सिवाय उन दस्तावेजों/सूचनाओं के, जिनके प्रकटन को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 में मुक्त रखा गया है । सूचना, निर्धारित शुल्क के साथ विकलांगता प्रभाग के संयुक्त सचिव को संबोधित एक आवेदन के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है ।

क्रम सं0	दस्तावेज की श्रेणी	दस्तावेज का नाम और एक पंक्ति में उसका परिचय	दस्तावेज प्राप्त करने की विधि	द्वारा धारित/ नियंत्रणाधीन
1	अधिनियमों की प्रतिलिपि	(i) भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 - इस अधिनियम में पुनर्वास व्यावसायिकों के प्रशिक्षण को विनियमित करने और केन्द्रीय पुनर्वास रजिस्टर का रखरखाव करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद के गठन का प्रावधान है । (ii) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम,1995- यह अधिनियम, एशियाई और प्रशान्त क्षेत्र में निःशक्त व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी एवं समानता संबंधी घोषणा को लागू करता है । (iii) ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता तथा बहु-विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 - में राष्ट्रीय न्यास बोर्ड; स्थानीय स्तरीय समितियों के गठन, उत्तरदायित्व और न्यास की मानीटरिंग आदि का प्रावधान है ।	ये अधिनियम मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात् www. Socialjustice. nic.in पर उपलब्ध हैं । कोई व्यक्ति निर्धारित शुल्क के साथ संयुक्त सचिव (डी डी) को आवेदन कर सकता है ।	अनुभाग अधिकारी
2	विनियमों की प्रतिलिपि	(i) भारतीय पुनर्वास परिषद विनियम, 1997 (ii) भारतीय पुनर्वास परिषद (सदस्य सचिव, अधिकारी एवं अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें) विनियम, 1998 (iii) न्यास विनियम बोर्ड, 2001 - इन विनियमों में न्यास के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की सेवा की शर्तों, गैर-सरकारी संगठनों के पंजीकरण के लिए तैयार किए जाने वाले आवेदन का फार्म और तरीका, अभिभावकों की नियुक्ति की प्रक्रिया आदि का प्रावधान है ।	कोई व्यक्ति निर्धारित शुल्क के साथ संयुक्त सचिव (डी डी) को आवेदन कर सकता है ।	अनुभाग अधिकारी
3	नियमों की प्रतिलिपि	(i) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी)	कोई व्यक्ति निर्धारित शुल्क के साथ संयुक्त	अनुभाग अधिकारी

		नियम, 1996 (ii) ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहु-विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास नियम, 2000- में ट्रस्ट के सदस्यों के चयन की प्रक्रिया, इसके अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अधिकारों एवं कर्त्तव्यों, आदि का प्रावधान है ।	सचिव (डी डी) को आवेदन कर सकता है ।	
4	दिशानिर्देशों/ विविध दस्तावेजों की प्रतिलिपियां	(i) विभिन्न विकलांगताओं के मूल्यांकन के लिए दिशा-निर्देश तथा प्रमाणीकरण की कार्य विधि । (ii) विकलांग व्यक्तियों के लिए पहचान किए गए पदों की सूची । (iii) राष्ट्रीय विकलांग-जन वित्त एवं विकास निगम के संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद- में निगम के उद्देश्यों के बारे में सूचना, इसकी प्राधिकृत अंशपूंजी, इसके निदेशक बोर्ड के संघटन आदि का प्रावधान है । (iv) राष्ट्रीय विकलांग जन कल्याण निधि, जिसका समय-समय पर यथा-संशोधित, नाम बदल कर राष्ट्रीय विकलांगजन निधि कर दिया गया, को स्थापित करने संबंधी अधिसूचना-इस दस्तावेज में राष्ट्रीय निधि स्थापित करने, इसके उद्देश्य, इसके प्रबंधन बोर्ड की संरचना, शक्तियों और कार्यकरण आदि के बारे में सूचना का प्रावधान है ।	कोई व्यक्ति निर्धारित शुल्क के साथ संयुक्त सचिव (डी डी) को आवेदन कर सकता है ।	अनुभाग अधिकारी
5	योजनाएं	(i) विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देने की योजना (दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना)- इस दस्तावेज में उन परियोजनाओं, जिन्हें इस योजना के तहत वित्तपोषित किया जा सकता है, के बारे में सूचना, लागत प्रतिमानों, आवेदन प्रारूप, मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों की सूची	मंत्रालय के वेबसाइट अर्थात् www. Socialjustice. Nic.in पर उपलब्ध हैं ।	अनुभाग अधिकारी

		आदि सहित परियोजनाओं का विवरण शामिल होता है । (ii) विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति की पुरस्कार योजना- यह योजना विकलांगता की विभिन्न श्रेणियों के लिए पुरस्कारों की संख्या, पात्रता मानदंड, अनावासी छात्रों एवं छात्रावास में रहने वाले छात्रों को विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए अलग-अलग देय छात्रवृत्तियों की राशि, आवेदन का प्रारूप आदि के बारे में सूचना प्रदान करती है । (iii) विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार की योजना- इस योजना में पुरस्कारों की विभिन्न श्रेणियों की संख्या और संघटन, जांच समितियों के संघटन, चयन के मानदंडों, आवेदन प्रारूप आदि सहित चयन के तरीकों के बारे में सूचना प्रदान की जाती है ।		

		(iii) सहायक साधनों/ उपकरणों की खरीद/ फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता की योजना (एडीटीपी योजना) - दस्तावेज में योजना के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियां, जिन्हें निधिबद्ध किया जा सकता है, मानक, आवेदन प्रपत्र, इत्यादि सहित सूचना होती है ।	सूचना मंत्रालय की वेबसाइट ... पर उपलब्ध है ।	अवर सचिव
6.	प्रभाग के किसी फाइल से संबंधित अन्य कोई दस्तावेज बशर्ते यह 'वर्गीकृत' न हो या		कोई भी व्यक्ति आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शुल्क संलग्न करके संयुक्त सचिव (डीडी) को आवेदन कर सकता है ।	अनुभाग अधिकारी

	जिस पर निर्णय लिया जाना हो ।			

अल्पसंख्यक व पिछड़ा वर्ग ब्यूरो

इस मंत्रालय के अल्पसंख्यक प्रभाग से संबंधित कार्य या कार्यकलापों की सभी सूचना सिवाय सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 में उन दस्तावेजों/सूचना, जिन्हें सूचित किए जाने से छूट दी गई है, जनसाधारण के लिए उपलब्ध है । संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक प्रभाग को प्रार्थना पत्र के साथ निर्धारित शुल्क भेजकर सूचना मंगायी जा सकती है ।

क्र. सं.	दस्तावेज की श्रेणी	दस्तावेज का नाम और एक पंक्ति में इसका परिचय	दस्तावेज को प्राप्त करने की प्रक्रिया	किसके नियंत्रण में है
1.	**अधिनियमों की प्रति**	वक्फ अधिनियम, 1995 : नया वक्फ अधिनियम वक्फ तथा वक्फ संपत्तियों के लिए बेहतर प्रशासन प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था। यह दिनांक 1 जनवरी, 1996 से लागू हुआ । दरगाह ख्वाजा साहेब अधिनियम, 1958 राजस्थान राज्य के अजमेर जिले में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिस्ती की दरगाह एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का वक्फ है । दरगाह ख्वाजा साहेब अधिनियम, 1955 को	आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शुल्क संलग्न करके आवेदन संयुक्त सचिव (अल्पसंख्यक व पिछड़ा वर्ग) को भेजा जा सकता है ।	अनुभाग अधिकारी

		दरगाह निधि के प्रशासन और नियंत्रण के लिए अधिनियमित किया गया था । राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 दिनांक 17.5.93 को लागू हुआ और इसने तत्कालीन अल्पसंख्यक आयोग को सांविधिक दर्जा दिया, जिससे यह अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए अधिक प्रभावी निकाय बना ।		
2.	**विनियमों की प्रति**	मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान का संगम ज्ञापन : यह शासी निकाय के उद्देश्य, शक्तियां और कार्यों व प्रतिष्ठान के नियम व विनियमों को निर्धारित करता है ।	व्यक्ति निर्धारित फीस के साथ आवेदन पत्र संयुक्त सचिव (अल्पसंख्यक व पिछड़ा वर्ग) को कर सकते हैं ।	अनुभाग अधिकारी
3.	**नियमों की प्रति**	**केन्द्रीय वक्फ परिषद नियम 1998** ये नियम केन्द्रीय वक्फ परिषद के सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तों का प्रावधान करते हैं । यह परिषद के सदस्यों की कार्यकाल की अवधि, त्याग-पत्र और	व्यक्ति निर्धारित फीस के साथ आवेदन पत्र संयुक्त सचिव को कर सकते हैं ।	अनुभाग अधिकारी

		निष्कासन व साथ ही इनके कार्यों और शक्तियों को भी निर्धारित करते हैं । दरगाह ख्वाजा साहेब उपविधि, 1955 यह दरगाह समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और दरगार समिति के सदस्यों के कार्यों और समिति की बैठकों की प्रक्रिया को निर्धारित करता है । यह दरगाह के नाजिम और अन्य कर्मचारियों की शक्तियों और कार्यों को भी निर्धारित करता है ।		
4.	**दिशा-निर्देशों/ विविध दस्तावेजों की प्रतियां**	**राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम के संगम ज्ञापन और संगम- अनुच्छेद** यह कंपनी के उद्देश्यों, इसके कार्यकलापों और प्रबंधन को निर्धारित करता है ।	व्यक्ति निर्धारित फीस के साथ आवेदन पत्र संयुक्त सचिव (अल्पसंख्यक व पिछड़ा वर्ग) को कर सकते हैं ।	अनुभाग अधिकारी
5.	**योजनाएं**	**मंत्रालय द्वारा सीधे तौर पर कोई योजनाएं संचालित नहीं की जाती । तथापि, मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अर्थात् केन्द्रीय वक्फ परिषद, मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम अल्पसंख्यकों के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं**	व्यक्ति दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए संबंधित संगठनों को आवेदन कर सकते हैं ।	संबंधित संगठन

		संचालित करते हैं ।		
6.	**प्रभाग की किसी भी फाइल से संबंधित अन्य कोई दस्तावेज बशर्ते यह 'वर्गीकृत' न हो या जिस पर निर्णय लिया जाना हो**	पत्राचार	कोई भी व्यक्ति आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शुल्क संलग्न करके संयुक्त सचिव (अल्पसंख्यक व पिछड़ा वर्ग) को आवेदन कर सकता है ।	अनुभाग अधिकारी

प्रेम प्रभाग

1.	**योजना**	अनुसंधान एवं प्रकाशन हेतु सहायता अनुदान योजना नियमावली । यह अनुसंधान परियोजनाओं/ संगोष्ठियों और कार्यशालाओं को प्रायोजित करने के लिए दिशा निर्देशों और नियमों का प्रावधान करता है ।	योजना की प्रति मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है । तथापि, अपेक्षित प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के इच्छुक अनुसंधान संस्थान/ विश्वविद्यालय विभाग प्रेम प्रभाग को लिखित में अनुरोध करके यह प्रति प्राप्त कर सकते हैं ।	संयुक्त निदेशक (प्रेम) (पश्चिम ब्लाक-8, तल 2, विंग 2, आर.के. पुरम, नई दिल्ली 110066)
2.	**वार्षिक**	सामाजिक न्याय	दस्तावेज मंत्रालय की	प्रभारी

	रिपोर्ट	और अधिकारिता मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2004-05 यह मंत्रालय की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट है और इसमें 2004-05 के दौरान किए गए कार्यक्रमों और कार्यकलापों का ब्यौरा होता है ।	वेबसाइट अर्थात् (www.socialjustice.nic.in) पर उपलब्ध है । इसे निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है । रिर्पोट की प्रति 100 रु के भुगतान करने पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली 110001 के सुविधा केन्द्र से भी प्राप्त की जा सकती है । इसे वेतन व लेखा अधिकारी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली 110001 के पक्ष में 100 रुपए के डीडी और पंजीकृत डाक व्यय को भेजकर, डाक द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है ।	अधिकारी, सुविधा केन्द्र, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली 110001
3.	**नियम पुस्तिका**	स्वैच्छिक संगठनों के कार्यक्रमों का सार संग्रह खंड 1 अनुसूचित जाति विकास और अन्य पिछड़ा वर्ग खंड 2 विकलांग व्यक्तियों का कल्याण और	सार संग्रह मंत्रालय की वेबसाइट (www.socialjustice.nic.in) पर उपलब्ध है और इसे निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है । रिपोर्ट की मुद्रित प्रति खंड 1 की 35 रुपए और खंड 2 की 60 रुपए नकद में भुगतान करके सुविधा केन्द्र, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली 110001 से प्राप्त की जा सकती है । इसे	प्रभारी अधिकारी, सुविधा केन्द्र सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001

		समाज रक्षा इसमें मंत्रालय की योजनाओं और कार्यक्रमों के विषय में विस्तृत दिशा-निर्देशों का ब्यौरा है जोकि स्वैच्छिक संगठनों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं । इसमें संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों के अंतर्गत सहायता अनुदान लेने के लिए आवेदन पत्र के निर्धारित प्रपत्र भी हैं ।	वेतन व लेखा अधिकारी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली 110001 के पक्ष में इसी राशि के डीडी और पंजीकृत डाक व्यय को भेजकर प्राप्त की जा सकती है ।	

<u>अनुसूचित जाति विकास ब्यूरो</u>

<u>अनुसूचित जाति विकास - I प्रभाग</u>

1.	**एससीडी-1 अनुभाग द्वारा देखी जा रही योजनाओं से संबंधित फाइल/ रिकार्ड**	(i) अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों सहित कमजोर वर्गों के लिए कोचिंग एवं सम्बद्ध सहायता की केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं (ii) अनुसूचित जाति की छात्राओं और छात्रों के लिए	यथा निर्धारित आवेदन पत्र	अनुभाग अधिकारी एससीडी-1 अनुभाग

		छात्रावास और अनुसूचित जाति के छात्रों की प्रतिभा उन्नयन के लिए केन्द्रीय सेक्टर योजना		

एससीडी- II प्रभाग

1.	**दिशा-निर्देश**	विशेष संघटक योजना	लिखित में अनुरोध करने पर दिशा-निर्देश प्राप्त किए जा सकते हैं ।	अनुभाग अधिकारी एससीडी-2 अनुभाग
2.	**दिशा-निर्देश**	विशेष केन्द्रीय सहायता	लिखित में अनुरोध करने पर दिशा-निर्देश प्राप्त किए जा सकते हैं ।	अनुभाग अधिकारी एससीडी-2 अनुभाग

एससीडी- III प्रभाग

1.	**अनुसूचित जाति विकास - III अनुभाग द्वारा देखी जा रही योजनाओं से संबंधित फाइल/ रिकार्ड**	अनुसूचित जातियों के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान की केन्द्रीय सेक्टर योजनाएं	अपनी सिफारिशों के साथ संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपेक्षित दस्तावेजों के साथ आवेदन प्राप्त होने चाहिए ।	अवर सचिव, एससीडी-3 अनुभाग

अनुसूचित जाति विकास - IV प्रभाग

1.	**योजनाओं को**	(i) अनुसूचित जाति विकास निगमों को सहायता की	संबंधित अधिकारी को	अनुभाग अधिकारी

	निर्धारित करने वाले विनियम/ दिशा-निर्देश	निगमों को सहायता की केन्द्रीय प्रायोजित योजना (ii) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम की ऋणद नीतियां और दिशा-निर्देश (iii) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम द्वारा अनुसूचित जातियों से संबंधित व्यक्तियों के लिए आर्थिक विकास योजनाओं पर दिशा-निर्देश	लिखित में अनुरोध करने पर प्राप्त किए जा सकते हैं ।	एससीडी-4 अनुभाग

अनुसूचित जाति विकास - V प्रभाग

1.	**योजनाओं को निर्धारित करने वाले विनियम**	निम्नलिखित केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को निर्धारित करने वाले विनियम (i) अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना (ii) अस्वच्छ व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों को मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना (iii) अनुसूचित जाति इत्यादि के अभ्यर्थियों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना	संबंधित अधिकारी को लिखित में अनुरोध करने पर सूचना प्राप्त की जा सकती है	अनुभाग अधिकारी एससीडी-5 अनुभाग

अनुसूचित जाति विकास - VI प्रभाग

1.	भारत के	इन नियमों को राष्ट्रीय	लाइब्रेरी/ बाजार	सामाजिक

	राजपत्र, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 20 फरवरी, 2004 की अधिसूचना संख्या 85 असाधारण भाग- II, खंड 3, उप-खंड (i)	अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य (सेवा शर्तें और कार्यकाल नियमावली 2004 कहा जाए)	में उपलब्ध है ।	न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (अनुसूचित जाति प्रभाग) और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
2.	सेवा मामलों से संबंधित नियम और विनियम*	एफआरएसआर केन्द्रीय सचिवालय सेवा आचरण नियमावली छुट्टी यात्रा रियायत नियमावली इत्यादि	पुस्तकालय/ बाजार में उपलब्ध है ।	कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(*) सेवा मामलों से संबंधित नियम और विनियम/मैनुअल की प्रतियां इस उद्देश्य के लिए नोडल मंत्रालय अर्थात् कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा तैयार की गई है ।

सिविल अधिकार संरक्षण (पीसीआर) डेस्क

1.	**डाटा**	वर्ष 2002 और 2003 के लिए सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के अंतर्गत मामलों से संबंधित सांख्यिकीः समस्त भारत व राज्य/संघ-राज्य क्षेत्रवार	विषय सूची वेबसाइट पर दी गई है और सिविल अधिकार संरक्षण डेस्क में भी उपलब्ध है ।	सिविल अधिकार संरक्षण डेस्क
2.	**डाटा**	सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और	वही	वही

		अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत वर्ष 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के दौरान राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को जारी केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा		
3.	**डाटा**	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम जिन्होंने विशेष सैल (पीसीआर सैल) गठित किए हैं जैसाकि राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा सूचित किया गया ।	वही	वही
4.	**डाटा**	अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के अंतर्गत मामलों के विचारण के लिए अनन्य विशेष न्यायालयों को गठित करने वाले राज्यों के नाम व ब्यौरा	वही	वही
5.	**डाटा**	ब्यौरा सहित उन राज्यों के नाम जिन्होंने अत्याचार संभावित क्षेत्रों की पहचान की है जैसाकि संबंधित राज्य सरकारों द्वारा सूचित किया गया है ।	वही	वही
6.	**डाटा**	राज्यों के नाम जिन्होंने अत्याचार निवारण अधिनियम, नियमावली 1995 के नियम 9 के अंतर्गत नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं ।	वही	वही
7	**सूचना**	अत्याचार निवारण अधिनियम, 1995 के नियम 17 के अंतर्गत सतर्कता और मानीटरिंग समितियां गठित	वही	वही

		करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम		
8.	**सूचना**	कैलेंडर वर्ष जहां तक सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखी गई है।	वही	

आरआई सैल

1.	भारत के राजपत्र सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 9 सितम्बर 2004 का संकल्प	एनसीएसके क्रियाविधि नियमावली, 1995	पुस्तकालय/बाजार में उपलब्ध	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एससीडी) व एनसीएसके
2.	सेवा मामलों से संबंधित नियम और विनियम*	एफआरएसआर, केन्द्रीय सचिवालय सेवा आचरण नियमावली छुट्टी यात्रा रियायत नियम इत्यादि	पुस्तकालय/बाजार में उपलब्ध है	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(*) सेवा मामलों से संबंधित नियम और विनियम/मैनुअल की प्रतियां इस उद्देश्य के लिए नोडल मंत्रालय अर्थात् कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा तैयार की गई है ।

सूची (लिस्ट) सैल का संशोधन

1.	**कार्यकारी आदेश**	जाति प्रमाण पत्रों के मुद्दे से संबंधित निर्देश/दिशा निर्देश	(मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है)	सामाजिक न्याय और अधिकारिता

				मंत्रालय

<u>**समाज रक्षा ब्यूरो**</u>

वृद्धावस्था प्रभाग

1.	**दिशा-निर्देशों /विविध दस्तावेज की प्रतियां**	राष्ट्रीय वृद्धजन नीति	कोई भी व्यक्ति सीधे ही अनुभाग से प्रति प्राप्त कर सकता है ।	अनुभाग अधिकारी
5.	**योजनाएं**	(i) वृद्ध व्यक्तियों के लिए समेकित कार्यक्रम (योजना स्कीम) (ii) वृद्ध व्यक्तियों के लिए वृद्धाश्रमों/बहु सेवा केन्द्रों के निर्माण के लिए पंचायती राज संस्थाओं/स्वैच्छिक संगठनों/स्व-सहायता समूहों को सहायता की योजना	कोई भी व्यक्ति सीधे ही अनुभाग से प्रति प्राप्त कर सकता है ।	अनुभाग अधिकारी

बाल कल्याण प्रभाग

व्यय वित्त समिति (ईएफसी) फाइल, मंत्रिमंडल के लिए टिप्पणी और सिर्फ योजनाओं से संबंधित अन्य रिकार्ड। व्यय वित्त समिति और केबिनेट से संबंधित रिकार्ड को गुप्त दस्तावेज के रूप में वर्गीकृत किया गया है और ये केवल शासकीय प्रयोग के लिए ही हैं ।

इस मंत्रालय के बाल कल्याण अनुभाग से संबंधित कार्य या कार्यकलापों की सभी सूचना सिवाय सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 में उन दस्तावेजों/सूचना के, जिन्हें सूचित किए जाने से छूट दी गई है, जनसाधारण के लिए उपलब्ध है ।

1.	अधिनियमों	(i) किशोर न्याय (बालकों	कोई भी व्यक्ति	अनुभाग

	की प्रति	की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000	आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शुल्क संलग्न करके संयुक्त सचिव (एसडी) को आवेदन कर सकता है ।	अधिकारी
2.	नियमों की प्रति	(i) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अंतर्गत बनाए गए आदर्श नियम, 2001	कोई भी व्यक्ति आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शुल्क संलग्न करके संयुक्त सचिव (डीडी) को आवेदन कर सकता है ।	अनुभाग अधिकारी
3.	योजनाओं की प्रति	(i) किशोर न्याय के लिए कार्यक्रम (ii) बेसहारा बच्चों के लिए समेकित कार्यक्रम (iii) समाज रक्षा के क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठनों को सहायता (iv) देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद कामकाजी बच्चों के लिए योजना	'किशोर न्याय कार्यक्रम' के सिवाय योजना की प्रतियां मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं । योजना की प्रति को अनुभाग द्वारा भी दिया जाता है ।	अनुभाग अधिकारी

नशीली दवा निवारण- II (डीपी- II)

इस मंत्रालय के नशीली दवा निवारण प्रभाग से संबंधित कार्य या कार्यकलापों की सभी सूचना सिवाय सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 में उन दस्तावेजों/सूचना के, जिन्हें सूचित किए जाने से छूट दी गई है, जनसाधारण के लिए उपलब्ध है । कोई भी व्यक्ति, समाज रक्षा प्रभाग के संयुक्त सचिव को संबोधित आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शुल्क संलग्न करके सूचना प्राप्त कर सकता है ।

1.	**योजना की प्रति**	मद्यपान और पदार्थ (मादक द्रव्य) दुरुपयोग निवारण योजना - दस्तावेज में उन परियोजनाओं के प्रकार के विषय में सूचना है जिन्हें योजना के अंतर्गत निधिबद्ध किया जा सकता है । परियोजनाओं, लागत मानकों सहित आवेदन प्रपत्र इत्यादि का ब्यौरा शामिल है ।	योजना के विषय में सूचना मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात् www.socialjustice.nic.in पर उपलब्ध है । कोई भी व्यक्ति आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शुल्क संलग्न करके संयुक्त सचिव (डीडी) को आवेदन कर सकता है ।	अनुभाग अधिकारी
2.	**प्रभाग की किसी फाइल से संबंधित अन्य कोई दस्तावेज बशर्ते यह 'वर्गीकृत' न हो या जिस पर निर्णय लिया जाना हो ।**	1. टिप्पणी भाग 2. पत्राचार	कोई भी व्यक्ति आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शुल्क संलग्न करके संयुक्त सचिव (डीडी) को आवेदन कर सकता है ।	अनुभाग अधिकारी

डीपी- I और III

इस मंत्रालय के नशीली दवा दुरुपयोग निवारण प्रभाग से संबंधित कार्य या कार्यकलापों की सभी सूचना सिवाय सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 में उन दस्तावेजों/सूचना, जिन्हें सूचित किए जाने से छूट दी गई है, जनसाधारण के लिए उपलब्ध है । संयुक्त सचिव, समाज रक्षा प्रभाग को प्रार्थना पत्र के साथ निर्धारित शुल्क भेजकर सूचना मंगाई जा सकती है ।

1.	**योजना की प्रति**	मद्यपान और पदार्थ (मादक द्रव्य) दुरुपयोग निवारण योजना - दस्तावेज में उन परियोजनाओं के प्रकार के विषय में सूचना है जिन्हें योजना के अंतर्गत निधिबद्ध किया जा सकता हैं । परियोजनाओं, लागत मानकों सहित आवेदन प्रपत्र इत्यादि का ब्यौरा शामिल है ।	योजना के विषय में सूचना मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात् www.socialjustice.nic.in पर उपलब्ध है । कोई भी व्यक्ति आवेदन-पत्र के साथ निर्धारित शुल्क संलग्न करके संयुक्त सचिव (डीडी) को आवेदन कर सकता है ।	अनुभाग अधिकारी
2.	**सहायता अनुदान और कालीसूचीबद्ध गैर सरकारी संगठनों का ब्यौरा**	मद्यपान एवं पदार्थ (मादक द्रव्य) दुरुपयोग निवारण योजना	पिछले तीन वर्षों की सहायता अनुदान का ब्यौरा मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात् www.socialjustice.nic.in पर उपलब्ध है । कालीसूचीबद्ध किए गए संगठनों की सूची भी वेबसाइट पर उपलब्ध है ।	अनुभाग अधिकारी

अध्याय – 7

नियम पुस्तिका – 6

इसके भाग के रूप में गठित बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण

[धारा 4 (1) (ख) (viii)]

7.1 लोक प्राधिकारी से संबंधित बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के बारे में निम्नलिखित प्ररुप में जानकारी दें :

विकलांगजन ब्यूरो

(क) भारतीय पुनर्वास परिषद - परिषद

- संबद्ध निकाय का नाम व पता

भारतीय पुनर्वास परिषद
बी-22, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया
नई दिल्ली -110016

- **संबद्ध निकाय का स्वरूप (बोर्ड, परिषद, समिति अन्य निकाय)**

भारतीय पुनर्वास परिषद एक सांविधिक निकाय है जो भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992, के अनुसरण में परिषद के रूप में गठित किया गया है ।

- **संबद्ध निकाय का संक्षिप्त परिचय (स्थापना वर्ष, उद्देश्य/मुख्य कार्यकलाप)**

भारतीय पुनर्वास परिषद एक सांविधिक निकाय है जो भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम के अनुसरण में परिषद के रूप में गठित किया गया है । इसकी स्थापना 1992 में की गयी थी । यह परिषद व्यावसायिकों के पुनर्वास के लिए भारत में विश्वविद्यालय आदि द्वारा अनुमत अर्हताओं की मान्यता, भारत से बाहर संस्थाओं द्वारा अनुमत अर्हताओं की मान्यता, परीक्षा केन्द्रों पर निरीक्षकों एवं विजिटरों की नियुक्ति, न्यूनतम शिक्षा मानकों, रजिस्टर में दर्ज करना और मान्यता प्राप्त पुनर्वास अर्हताओं आदि के लिए उतरदायी है ।

- **संबद्ध निकाय की भूमिका (सलाहकारी/प्रबंधकीय/कार्यकारिणी/अन्य)**

प्रबंधकीय

- **संरचना और सदस्य संख्या**

अध्यक्ष -1(एक)

सदस्य -28(सत्ताईस)
सदस्य सचिव -1(एक)

- **भारतीय पुनर्वास परिषद के अध्यक्ष और सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं :**

संयुक्त सचिव (विकलांगता प्रभाग), **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय,** **नई दिल्ली**	**सदस्य**
पुनर्वास विभाग के प्रमुख **सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली**	**सदस्य**
संयुक्त सचिव व वित्तीय सलाहकार, **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय,** **नई दिल्ली**	**सदस्य**
संयुक्त निदेशक (रोजगार केन्द्र) **श्रम मंत्रालय,** **नई दिल्ली**	**सदस्य**
संयुक्त सचिव, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग **मानव संसाधन मंत्रालय** **नई दिल्ली**	**सदस्य**
वैज्ञानिक ' जी', प्रमुख (एसएंडएस और जीएलपी मॉनीटरिंग प्राधिकारी), विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, **नई दिल्ली**	**सदस्य**
निदेशक (पीएंडपी) **ग्रामीण विकास मंत्रालय** **नई दिल्ली**	**सदस्य**
संयुक्त सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, **बहादुरशाह जफर मार्ग** **नई दिल्ली**	**सदस्य**
वरिष्ठ उप महानिदशेक, असंक्रमक रोग विभाग, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, वी. रामालिंगास्वामी भवन, अंसारी नगर, नई दिल्ली	**सदस्य**
सचिव समाज कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, **नई दिल्ली**	**सदस्य**
सचिव समाज कल्याण विभाग, **दमन व द्वीव समूह** **द्वीव**	**सदस्य**
महानिदेशक, ठाकुर हरी प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड रिहेबिलिटेशन फॉर द मेंटल	**सदस्य**

हेंडीकैप्ड शिशु निकेतन, दिलसुख नगर, हैदराबाद	
श्रीमती राधिका पुवय्या, स्थापना निदेशक, संवाद-दि स्पीच लेंगुवेज रिहेबिलिटेशन सेंटर नं. 39, जलवायु विहार, कम्मानहल्ली मेन रोड, बैंगलूर	**सदस्य** (गैर-सरकारी)
सचिव, सोसाईटी ऑफ एजुकेशन फॉर बेटरमेंट ऑफ एजुकेशन फॉर द डिसेब्लड, जानकी जीवन, तृतीय तल, 207- बी, लेडी जहाँगीर रोड, माटुंगा, मुम्बई	**सदस्य** (गैर-सरकारी)
डॉ. भूषण पुनारी, कार्यपालक निदेशक, ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन, जगदीश पटेल चौक, सूरदास मार्ग **अहमदाबाद**	**सदस्य** (गैर-सरकारी)
श्री विनोद भांति, रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल प्रोस्थेटिक्स एंड औरथोटिक्स, आर.एफ. 112, कंकड़ बाग कॉलोनी, **पटना, बिहार**	**सदस्य** (गैर-सरकारी)
श्रीमती केतकी बारदलाई सचिव, शिशु सरोथी, सेंटर फॉर रिहेबिलिटेशन एंड ट्रेनिंग फॉर मल्टीपल डिसेबिलिटी, राम कृष्ण मिशन के सामने, बीरूबाड़ी, गुवाहाटी	**सदस्य** (गैर-सरकारी)
डॉ. ए. के. अग्रवाल, भौतिक चिकित्सा व पुनर्वास विभाग, किंग जॉर्ज मेडीकल यूनिवर्सिटी, **लखनऊ**	**सदस्य**
डॉ. कृपा राम आर्य, आर्य एस्टेट, ऊना नांगल हाईवे, मेहतपुर, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश	**सदस्य** (गैर-सरकारी)
मनोविज्ञान विभाग के प्रमुख, भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, **कारंद**	**सदस्य**
डॉ. प्रो. रामसुन्दर राम कनौजिया, अध्यक्ष एवं वरिष्ठ परामर्शदाता, इंडो-हिरोशिमा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हैंड, स्पाइन, माइक्रोसर्जरी एंड रिहेबिलिटेशन, सगुना मोर, दानापुर-खगौल रोड, **दानापुर, पटना, बिहार**	**सदस्य** (गैर-सरकारी)
श्री परशुराम मांझी **संसद सदस्य (लोक सभा),** 64, साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली - 110 011	**सदस्य** (गैर-सरकारी)

श्री सर्वे सत्यनारायण **संसद सदस्य (लोक सभा),** **14, विंडसर प्लेस, नई दिल्ली - 110 001**	**सदस्य** (गैर-सरकारी)
डॉ. ज्ञान प्रकाश पिलानिया, **संसद सदस्य (राज्य सभा),** **राजस्थान हाऊस** **नई दिल्ली**	**सदस्य** (गैर-सरकारी)
श्री गिरजेश बहादुर सिंह, **अध्यक्ष,** स्पीच एंड हियरिंग स्कूल फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड, एम-124, रामा कृष्णा विहार, प्लॉट नं. 29, पटपड़गंज, आई.पी. एस्टेट एक्सटेंशन, दिल्ली	**सदस्य** (गैर-सरकारी)
रेव. यांगर वालिंग, **प्रिंसीपल** स्कूल फॉर डेफ पोस्ट बॉक्स नं.61, दीमापुर, नागालैण्ड-797112	**सदस्य** (गैर-सरकारी)
डॉ. कुंह अहमद कुट्टी, अध्यक्ष, एसोसिएशन फॉर वेलफेयर ऑफ द हैंडीकेप्ड, पोस्ट बॉक्स नं. 59, 17/194- ए, 'एम' स्कवेयर कॉम्प्लैक्स, पावामनी रोड, कालीकट, केरल -673 001	**सदस्य** (गैर-सरकारी)
सदस्य-सचिव भारतीय पुनर्वास परिषद, **नई दिल्ली**	सदस्य-सचिव **(पदेन)**

निकाय का मुख्य कार्यपालक

अध्यक्ष

मुख्यालय तथा उसके उप कार्यालयों के पते :

बी-22, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया
नई दिल्ली-110016

बैठक कब-कब होती है

भारतीय पुनर्वास परिषद की साधारण परिषद की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार ऐसे समय और स्थान पर, जैसा अध्यक्ष महोदय/महोदया निश्चित करें, होती है ।

भारतीय पुनर्वास परिषद की कार्यकारिणी समिति की बैठकें चार-चार माह में होती हैं ।

क्या इन बैठकों में लोक भागीदारी हो सकती है ?

ये बैठकें भारतीय पुनर्वास परिषद की साधारण परिषद और कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों के लिए हैं । साधारण परिषद और कार्यकारिणी समिति में गैर-सरकारी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ता और पुनर्वास व्यावसायिकों को प्रतिनिधित्व देकर लोक भागीदारी सुनिश्चित की जाती है क्योंकि ये उनमें सदस्य होते हैं ।

क्या बैठक के कार्यवृत्त बनाए जाते हैं ?

जी हाँ ।

(ख) केन्द्रीय समन्वय समिति

- संबद्ध निकाय का नाम व पता

संयुक्त सचिव (विकलांगता प्रभाग)
सदस्य सचिव,
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली-110001.

- **संबद्ध निकाय का स्वरूप (बोर्ड, परिषद, समिति, अन्य निकाय)**

केन्द्रीय समन्वय समिति एक सांविधिक निकाय है जो निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के अनुसरण में समिति के रूप में गठित की गयी है ।

- **संबद्ध निकाय का संक्षिप्त परिचय (स्थापना वर्ष, उद्देश्य/मुख्य कार्यकलाप)**

केन्द्रीय समन्वय समिति एक सांविधिक निकाय है जो निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के अनुसरण में समिति के रूप में गठित की गयी है । इसकी स्थापना वर्ष 1998 में की गयी । यह समिति 37 सदस्यों से मिलकर बनी है । माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री इसके अध्यक्ष और माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री इसके उपाध्यक्ष हैं । यह समिति विकलांगता विषयों से संबंधित राष्ट्रीय महत्व के बिन्दुओं पर ध्यान देगी तथा निःशक्त व्यक्तियों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं का निराकरण करने के संबंध में व्यापक नीति के लगातार मूल्यांकन को सुकर बनाएगी ।

- **संबद्ध निकाय की भूमिका (सलाहकारी/प्रबंधकीय/कार्यकारी/अन्य)**

सलाहकारी

- **संरचना और सदस्य संख्या**

अध्यक्ष	-1(एक)
उपाध्यक्ष	-1(एक)
सदस्य	-34(चौंतीस)
सदस्य सचिव	-1(एक)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री	**अध्यक्ष (पदेन)**
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री	**उपाध्यक्ष (पदेन)**
सचिव, सामाजिक न्याय **और** अधिकारिता	**सदस्य (पदेन)**
सचिव, शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय	**सदस्य (पदेन)**
सचिव, महिला एवं बाल कल्याण विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय	**सदस्य (पदेन)**
सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय	**सदस्य (पदेन)**
सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय	**सदस्य (पदेन)**
सचिव, स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	**सदस्य (पदेन)**
सचिव, ग्रामीण रोजगार एवं गरीबी उपशमन विभाग, ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय	**सदस्य (पदेन)**
सचिव, औद्योगिकीय विकास विभाग, उद्योग मंत्रालय	**सदस्य (पदेन)**
सचिव, शहरी मामले एवं रोजगार मंत्रालय	**सदस्य (पदेन)**
सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय	**सदस्य (पदेन)**
सचिव, कानूनी मामले विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय	**सदस्य (पदेन)**
सचिव, लोक उद्यम विभाग, उद्योग मंत्रालय	**सदस्य (पदेन)**
विकलांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त, सरोजिनी हाऊस, नं. 6, भगवान दास रोड, नई दिल्ली-110001.	**सदस्य (पदेन)**

अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, **सदस्य (पदेन)**
रेल मंत्रालय

महानिदेशक, रोजगार और प्रशिक्षण, **सदस्य (पदेन)**
श्रम मंत्रालय

श्री बीरजीभाई तुम्मार **सदस्य (गैर-सरकारी)**
संसद सदस्य (लोक सभा)
हरिद्वार सरदार पटेल चौक
गली नं .5/11, मानेकपाड़ा-2,
अमरेली, गुजरात

श्री बालाश्वॉरी बल्लभानेनी **सदस्य (गैर-सरकारी)**
संसद सदस्य (लोक सभा)
नं. 40, केनिंग लेन,
नई दिल्ली-110001.

श्री मोतीलाल वोरा **सदस्य (गैर-सरकारी)**
संसद सदस्य (राज्य सभा)
नं.33, लोदी एस्टेट, नई दिल्ली-110001.

निदेशक, **सदस्य (पदेन)**
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं
प्रशिक्षण परिषद्

अध्यक्ष **सदस्य (गैर-सरकारी)**
कंफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई)
23, कंफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री
इंस्टीट्यूशनल एरिया लोधी रोड,
नई दिल्ली

बिशप ऑफ त्रिचुर, **सदस्य(गैर-सरकारी)**
सेंट क्रिस्टीनास होम
पुल्लाझी-680012
त्रिचुर, केरल

कु. नित्या रामा कृष्णन, अधिवक्ता **सदस्य (गैर-सरकारी)**
सर्वोच्च न्यायालय

निदेशक, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द सदस्य (पदेन)
विजुयली हेंडीकैप्ड, देहरादून (उत्तरांचल)

निदेशक, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द सदस्य (पदेन)
मैंटली हेंडीकैप्ड, सिकंदराबाद, (आंध्र प्रदेश)

निदेशक, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द सदस्य (पदेन)
ऑर्थोपेडिकली हेंडीकैप्ड
कोलकाता, (पश्चिम बंगाल)

निदेशक, अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द **हियरिंग** हेंडीकैप्ड मुम्बई	सदस्य (पदेन)
सचिव और आयुक्त, समाज कल्याण विभाग असम सरकार, दिसपुर, गुवाहटी	सदस्य
सचिव, महिला एवं बाल कल्याण विभाग कर्नाटक सरकार, बैंगलूर	सदस्य
सचिव, विकलांगजन कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ	सदस्य
सचिव (कल्याण), **अंडमान निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन** पोर्ट ब्लेयर	सदस्य
डॉ. राजेन्द्रा टी. व्यास उपाध्यक्ष नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, 11, खान अब्दुल गफ्फार खान रोड वर्ली सरफेस, मुम्बई	सदस्य
डॉ. ओंकार शर्मा, महासचिव, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ द डीफ 18, नार्थन कॉम्प्लैक्स, आश्रम मार्ग नई दिल्ली-110001	सदस्य (गैर-सरकारी)
कु. हेमा एन.एस. एसोसिएशन ऑफ पीपुल विथ डिसएबिलिटी, बैंगलूर	सदस्य (गैर-सरकारी)
संयुक्त सचिव (विकलांगता प्रभाग) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	सदस्य-सचिव (पदेन)

निकाय के मुख्य कार्यपालक

अध्यक्ष - माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री

मुख्यालय तथा उसके उप कार्यालयों के पते :

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

शास्त्री भवन,
नई दिल्ली-110001.

बैठकें कब-कब होती हैं ?

केन्द्रीय समन्वय समिति की बैठक 6 माह में एक बार, ऐसे समय और स्थान पर की जाती हैं जैसा कि अध्यक्ष निश्चित करें ।

क्या इन बैठकों में लोक भागीदारी हो सकती है ?

ये बैठकें, केन्द्रीय समन्वय समिति के सदस्यों और विशेष आमंत्रितों के लिए हैं । केन्द्रीय समन्वय समिति में एन.जी.ओ./ एसोसिएशनों (विकलांगता के उनके संगत क्षेत्र में) को प्रतिनिधित्व देकर लोक भागीदारी सुनिश्चित की जाती है ।

क्या इन बैठकों के कार्यवृत्त बनाए जाते हैं ?

जी हाँ ।

(ग) केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति :

संबद्ध निकाय का नाम व पता

संयुक्त सचिव (विकलांगता प्रभाग)
सदस्य सचिव,
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली-110001.

संबद्ध निकाय का स्वरूप (बोर्ड, परिषद, समिति, अन्य निकाय)

केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति एक सांविधिक निकाय है, जो निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के अनुसरण में समिति के रूप में गठित की गयी है ।

संबद्ध निकाय का संक्षिप्त परिचय

केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति एक सांविधिक निकाय है जो निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के अनुसरण में समिति के रूप में गठित की गयी है । इसकी स्थापना वर्ष 1997 में की गयी । यह समिति 23 सदस्यों से मिलकर बनी है । सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता इसके अध्यक्ष हैं । यह समिति केन्द्रीय समन्वय समिति की कार्यकारिणी समिति के रूप में कार्य करेगी और केन्द्रीय समन्वय समिति के निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेवार होगी ।

संबद्ध निकाय की भूमिका (सलाहकारी/प्रबंधकीय/कार्यपालक/अन्य)

सलाहकारी

संरचना और सदस्य संख्या

अध्यक्ष -1(एक)

सदस्य -21(इक्कीस)
सदस्य-सचिव -1(एक)

सचिव, **अध्यक्ष, (पदेन)**
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
शास्त्री भवन, नई दिल्ली

विकलांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त, **सदस्य (पदेन)**
सरोजिनी हाऊस,
नं. 6, भगवान दास रोड,
नई दिल्ली-110001.

महानिदेशक स्वास्थ्य योजना (डीजीएचएस) सदस्य (पदेन)
निर्माण भवन, नई दिल्ली

महानिदेशक रोजगार एवं प्रशिक्षण (डीजीईवटी) सदस्य (पदेन)
श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली

संयुक्त सचिव (आईआरडी), सदस्य (पदेन)
ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली

संयुक्त सचिव (आईईडीसी) सदस्य (पदेन)
शिक्षा विभाग, मानव संसाधन मंत्रालय
शास्त्री भवन, नई दिल्ली

संयुक्त सचिव (विक. प्रभाग) सदस्य (पदेन)
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

संयुक्त सचिव (प्रशासन) सदस्य (पदेन)
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

संयुक्त सचिव (श. वि.) सदस्य (पदेन)
शहरी विकास विभाग
शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली

संयुक्त सचिव सदस्य (पदेन)
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
टेक्नोलॉजी भवन, न्यू मेहरौली रोड
नई दिल्ली

वित्तीय सलाहकार सदस्य (पदेन)
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली

सलाहकार (किराया) सदस्य (पदेन)
रेलवे बोर्ड, रेल भवन, नई दिल्ली

सचिव, सदस्य
समाज कल्याण विभाग,
केरल सरकार, तिरुवनन्तपुरम

सचिव, सदस्य
समाज कल्याण विभाग,
महाराष्ट्र सरकार, मुम्बई

आयुक्त-सह-सचिव, सदस्य
महिला एवं बाल कल्याण विभाग,
उड़ीसा सरकार, भुवनेश्वर

प्रमुख सचिव, सदस्य
समाज सुरक्षा और महिला
एवं बाल कल्याण विभाग,
पंजाब सरकार, चंडीगढ़

सेंट सरस्वती नारायणस्वामी, सदस्य (गैर-सरकारी)
स्कूल ऑफ यंग डेफ चिल्डर्न,
बाला विद्यालय,
पुराना नं. 14, नया नं.18 I, क्रॉस स्ट्रीट
शास्त्री नगर, चैन्ने - 600020

ब्रदर थॉमस पाथोत्तम, सदस्य (गैर-सरकारी)
अध्यक्ष,
मार्टफोर्ड सेन्टर फॉर एजुकेशन,
तूरा-794101, मेघालय

कु. वंदना बेदी, सदस्य (गैर-सरकारी)
कार्यकारी निदेशक,
स्पास्टिक्स सोसायटी ऑफ नॉर्थन इंडिया,
हौजखास, नई दिल्ली-16.

मेजर एच.पी.एस. अहलूवालिया सदस्य (गैर-सरकारी)
अध्यक्ष, भारतीय मेरुदंड क्षति केन्द्र,
वसंत कुंज, नई दिल्ली

श्री भूषण पूनानी सदस्य (गैर-सरकारी)
कार्यकारी निदेशक,
ब्लाइंड पीपुल एसोसिएशन,
डॉ. विक्रम साराभाई रोड,
वस्त्रपुर, अहमदाबाद - 380015, गुजरात

अध्यक्ष सदस्य (गैर-सरकारी)
नारायण सेवा संस्थान,
सेवा नगर,
483, हीरन मार्गी,

सेक्टर-4, उदयपुर - 313002.

संयुक्त सचिव, भारत सरकार सदस्य सचिव (पदेन)
विकलांजनों के कल्याण के लिए
कल्याण मंत्रालय

- **निकाय का मुख्य कार्यपालक**

  अध्यक्ष - सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

- **मुख्यालय तथा उसके उप कार्यालयों के पते :**

  सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
  शास्त्री भवन,
  नई दिल्ली - 110001.

- **बैठक कब-कब होती है ?**

  केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक 3 माह में एक बार, ऐसे समय और स्थान पर की जाती है जैसा कि अध्यक्ष निश्चित करें ।

- **क्या इन बैठकों में लोक भागीदारी हो सकती है ?**
  ये बैठकें, केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्यों और विशेष आमंत्रितों के लिए हैं । केन्द्रीय समन्वय समिति में एन.जी.ओ./ एसोसिएशनों (विकलांगता के उनके संगत क्षेत्र में) को प्रतिनिधित्व देकर लोक भागीदारी सुनिश्चित की जाती है ।

- **क्या इन बैठकों के कार्यवृत्त बनाए जाते हैं ?**

जी हाँ ।

सभी राष्ट्रीय संस्थान, संगम ज्ञापन और उप विधियों द्वारा प्रशासित होते हैं। सचिव, सा. न्याय और अधिकारिता की अध्यक्षता में बनी सामान्य परिषद तथा संयुक्त सचिव(विक. प्रभाग) की अध्यक्षता में बनी कार्यकारिणी समिति संस्थान के कार्यों की व्यवस्था के लिए जिम्मेदार हैं। संस्थान का निदेशक, जो प्रत्येक उपर्युक्त परिषद का सदस्य-सचिव होता है, दिन-प्रतिदिन के प्रबंध कार्य देखता है।

संस्थानवार सामान्य परिषद/ कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के नामों की सूची इस प्रकार हैः

(घ) राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, कोलकाता :-

साधारण परिषद:

1.	सचिव (सामाजिक न्याय और अधिकारिता) भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, छठा तल, शास्त्री भवन नई दिल्ली	अध्यक्ष
2.	संयुक्त सचिव (विक. प्रभाग)	सदस्य

भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय,
छठा तल, शास्त्री भवन
नई दिल्ली

3. संयुक्त सचिव व वित्त सलाहकार (सान्याअमं) — सदस्य
श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली

4. महानिदेशक, रोजगार एवं प्रशिक्षण — सदस्य
श्रम शक्ति भवन, भारत सरकार, नई दिल्ली

5. **श्री अशोक भंडारी, सामाजिक कार्यकर्ता** — सदस्य (गैर-सरकारी)
18, महालक्ष्मी अपार्टमेंट, निजादपुर, उज्जैन

6. **श्री गंगा राम गुज्जर, सामाजिक कार्यकर्ता** — सदस्य (गैर-सरकारी)
39, रामसहाय मार्ग, नगदा जंकशन, उज्जैन

7. **श्री सुल्तान सिंह शेखावत, सामाजिक कार्यकर्ता** — सदस्य (गैर-सरकारी)
बिरला ग्राम, नगदा, उज्जैन

8. **निदेशक, सीआरसी, गुवाहटी** — **सदस्य**
पीएमआरटी बिल्डिंग, गुवाहटी मेडिकल कॉलेज,
हॉस्पिटल कैम्पस, गुवाहटी

9. **डॉ. रत्नेश कुमार, निदेशक** — **सदस्य-सचिव**
रा. अस्थि विक. संस्थान, कोलकाता
बी.टी. रोड, बन हुगली, कोलकाता

कार्यकारिणी परिषद :

1	संयुक्त सचिव (डीडी), भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, छठा तल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2	संयुक्त सचिव व वित्तीय सलाहकार (सान्याअमं) चौथा तल, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली	सदस्य
3	निदेशक, इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ व फैमिली वेलफेयर, पश्चिम बंगाल, कोलकाता	सदस्य
4	श्री हरिकिशन माल्वानी, सामाजिक कार्य बदनगा, उज्जैन	सदस्य (गैर-सरकारी)
5	निदेशक, एनआईओएच, कोलकाता, बी.टी. रोड, बून हुगली, कोलकाता	सदस्य-सचिव

*

(ड.) राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, देहरादून

सामान्य परिषद :

1.	सचिव (सामाजिक न्याय और अधिकारिता) भारत सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, छठा तल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2	**संयुक्त सचिव (विक. प्रभाग)** भारत सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, छठा तल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	सदस्य
3.	संयुक्त सचिव व वित्तीय सलाहकार (सान्याअमं) चौथा तल, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली	सदस्य
4.	महानिदेशक, रोजगार एवं प्रशिक्षण श्रम शक्ति भवन, भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य
5.	मेजर (सेवानिवृत्त) रणबीर बक्शी एम.सी. चैयरमैन, राफैल, राइडर कैशायर इंटरनेशनल सेन्टर, प्रीतम रोड, देहरादून (उत्तरांचल)	सदस्य (गैर-सरकारी)
6.	श्री बाबूलाल मेहरे पूर्व विधायक, 15, दशहरा ग्राऊंड, उज्जैन, मध्य प्रदेश	सदस्य (गैर-सरकारी)
7.	डॉ. वी. के. दादा मुख्य एवं प्रो. ओष्थाल्मोलोजी डॉ. राजेन्द्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केन्द्र अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	सदस्य (गैर-सरकारी)
8.	श्री इकबाल सिंह गाँधी सामाजिक कार्यकर्ता, इंदौर, मध्य प्रदेश	सदस्य (गैर-सरकारी)
9.	श्री मनोहर मुन्द्रा अधिवक्ता, उज्जैन, मध्य प्रदेश	सदस्य (गैर-सरकारी)
10.	श्री उदय सिंह पाण्डया पूर्व विधायक, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश	सदस्य (गैर-सरकारी)
11.	संयुक्त सचिव, भारत सरकार शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन नई दिल्ली	सदस्य

12.	संयुक्त सचिव, भारत सरकार स्वास्थ्य विभाग, निर्माण भवन, नई दिल्ली	सदस्य
13.	सचिव हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ	सदस्य
14.	निदेशक नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हेंडीकैप्ड 116, राजपुर रोड, देहरादून	सदस्य-सचिव

कार्यकारी परिषद :

1.	संयुक्त सचिव (विक. प्रभाग) भारत सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, छठा तल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2.	संयुक्त सचिव व वित्तीय सलाहकार (सान्याअमं) चतुर्थ तल, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली	सदस्य
3.	श्री मोहन सिंह अहलूवालिया सामाजिक कार्यकर्ता पिंगुआ, गुड़गाँव, हरियाणा	सदस्य (गैर-सरकारी)
4.	श्री अनोखी लाल भंडारी सामाजिक कार्यकर्ता 46, सागरमल मार्ग खर्चरोड, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश	सदस्य (गैर-सरकारी)
5.	निदेशक राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, 116, राजपुर रोड, देहरादून	सदस्य-सचिव

(च) स्वामी विवेकानन्द राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान, कटक :

साधारण परिषद

1.	सचिव (सामाजिक न्याय और अधिकारिता) भारत सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, छठा तल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2.	संयुक्त सचिव (विक. प्रभाग) भारत सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, छठा तल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	सदस्य

3.	संयुक्त सचिव व वित्तीय सलाहकार (सान्याअमं) चतुर्थ तल, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली	सदस्य
4.	निदेशक भारत सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ए-विंग, दूसरा तल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	सदस्य
5.	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एलिम्को, जी.टी. रोड, कानपुर	सदस्य
6.	आयुक्त-सह-सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उडीसा सरकार, भुवनेश्वर	**सदस्य**
7.	आयुक्त-सह-सचिव महिला एवं बाल कल्याण विभाग उडीसा सरकार, भुवनेश्वर	सदस्य
8.	श्री केशवलाल गुप्ता “माँ कृपा",55 राजस्व कॉलोनी फ्रीगंज उज्जैन, मध्य प्रदेश	सदस्य (गैर-सरकारी)
9.	डॉ अजीत कुमार वर्मा रोड नं. 11 सी राजेन्द्र नगर पटना, बिहार	सदस्य (गैर-सरकारी)
10.	डॉ. बिनोद खदरिया प्रोफेसर, जाकिर हुसैन शिक्षा अध्ययन केन्द्र, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस जवाहर लाल नेहरु यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली	सदस्य (गैर-सरकारी)
11.	श्रीमती सुरमा पाधी 4 आर-3/2, खारववेला नगर भुवनेश्वर	सदस्य (गैर-सरकारी)
12.	विभाग प्रमुख शारीरिक, चिकित्सा और पुनर्वास विभाग क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान केन्द्र इम्फाल, मणिपुर	सदस्य
13.	निदेशक	सदस्य-सचिव

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग व रिसर्च
ओलटपुर, डाकघर बैरोई
कटक

कार्यकारी परिषद :

1. संयुक्त सचिव (विक. प्रभाग) — अध्यक्ष
भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय,
छठा तल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

2. संयुक्त सचिव व वित्तीय सलाहकार (सान्याअमं) — सदस्य
चौथा तल, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली

3. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक — सदस्य
एलिम्को, जी.टी. रोड, कानपुर

4. डॉ. आर.एन. शर्मा — सदस्य (गैर-सरकारी)
अध्यक्ष
मेडीकेयर एंड रिसर्च फॉन्डेशन
172, जोन-II, एमपी नगर
भोपाल, मध्य प्रदेश

5. श्री तुलसीराम चन्दानी — सदस्य (गैर-सरकारी)

148, संवर रोड
संराम सिंधी कॉलोनी
उज्जैन, मध्य प्रदेश

7. निदेशक — सदस्य-सचिव
स्वामी विवेकानन्द राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान्थ
ओलटपुर, डाकघर बैरोई
कटक

(छ) अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, मुम्बई :

साधारण परिषद

1. सचिव (सामाजिक न्याय और अधिकारिता) — अध्यक्ष
भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय,
छठा तल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

2 संयुक्त सचिव (डीडी) — सदस्य
भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय,

छठा तल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

3.	संयुक्त सचिव व वित्त सलाहकार (सा. न्याय और अधि.) चतुर्थ तल, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली	सदस्य
4.	महानिदेशक, रोजगार एवं प्रशिक्षण श्रम शक्ति भवन, भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य
5.	अध्यक्ष नेशनल सोसायटी फॉर क्लीन सिटीज ऑफ इंडिया अली यावर जंग रोड, बांद्रा (पूर्वी), मुम्बई	सदस्य
6.	निदेशक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज पोस्ट बॉक्स नं. 8313 सायन-ट्राम्बे रोड, देवनार, मुम्बई	सदस्य
7.	संयुक्त सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य
8.	डॉ. ओंकार शर्मा ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ डेफ नॉर्थ काम्प्लैक्स रामकृष्ण आश्रम मार्ग नई दिल्ली	सदस्य (गैर-सरकारी)
9.	श्री शिवा कोटवानी सामाजिक कार्यकर्ता पूर्व विधायक माधव नगर (फ्रीगंज) उज्जैन (मध्य प्रदेश)	सदस्य (गैर-सरकारी)
10.	श्री गुरमीत सिंह राजपाल सामाजिक कार्यकर्ता 164, इन्द्रपुरी कॉलोनी इन्दौर (मध्य प्रदेश)	सदस्य (गैर-सरकारी)
11.	श्री ब्रजमोहन मुंदारा सामाजिक कार्यकर्ता 11/1, सोमेश्वर मार्ग उज्जैन (मध्य प्रदेश)	
12.	श्री जी.पी. शर्मा सामाजिक कार्यकर्ता ए-1, ताप्ती विहार, नानाखेड़ा,	सदस्य (गैर-सरकारी)

उज्जैन (मध्य प्रदेश)

13. श्रीमती मेहर के. वकील — सदस्य (गैर-सरकारी)
मेफैयर गार्डन
बी-28, 5वा तल, लिटिल गिब्स रोड
मालाबार हिल्स, मुम्बई

14. श्री कांती लाल राठी — सदस्य (गैर-सरकारी)
सामाजिक कार्यकर्ता
53, राजेन्द्र मार्ग, महिदपुर
जिला उज्जैन (मध्य प्रदेश)

15. निदेशक — सदस्य-सचिव
अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द
हियरिंग हेंडीकैप्ड
किशन चन्द मार्ग, बांद्रा (पूर्वी), मुम्बई

कार्यकारी परिषद

1. सचिव (सामाजिक न्याय और अधिकारिता) — अध्यक्ष
भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय,
छठा तल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

2 संयुक्त सचिव (डीडी) — सदस्य
भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय,
छठा तल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

3. संयुक्त सचिव व वित्त सलाहकार (सा. न्याय और अधि.) — सदस्य
चतुर्थ तल, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली

4. श्री बाबू लाल जैन — सदस्य (गैर-सरकारी)
भूतपूर्व मंत्री
दशहरा मैदान, उज्जैन

5. श्रीमती सरस्वती नारायणस्वामी — सदस्य (गैर-सरकारी)
प्रिंसीपल
बालविद्यालय स्कूल फॉर द यंग डेफ चिल्डर्न
14, प्रथम क्रॉस रोड, शास्त्री नगर,
चैन्ने

6. निदेशक — सदस्य-सचिव
अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग,संस्थान
किशन चन्द मार्ग, बांद्रा (पूर्वी), मुम्बई

(ज) राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद

1.	सचिव, भारत सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, छठा तल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2	संयुक्त सचिव (वित्त. प्रभाग) भारत सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, छठा तल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	सदस्य
3.	संयुक्त सचिव व वित्त सलाहकार (सा.न्याय और अधि. मंत्रा.) चौथा तल, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली	सदस्य
4.	महानिदेशक, रोजगार एवं प्रशिक्षण श्रम शक्ति भवन, भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य
5.	डॉ. पी. भवंथ राव 5-2-512 पुराना उस्मानगंज रिसाला अब्दुल्ला हैदराबाद - 500 195	सदस्य (गैर-सरकारी)
6.	श्री तारा चन्द शर्मा सामाजिक कार्यकर्ता इन्द्रापुरी सेठी नगर उज्जैन	सदस्य (गैर-सरकारी)
7.	श्री गुरू सिद्दे गोवड़ा सामाजिक कार्यकर्ता गाँव गंगासंदा तालुका टुम्कुर टुम्कुर कर्नाटक	सदस्य (गैर-सरकारी)
8.	श्रीमती राधा रेड्डी मार्फत विवेक हॉस्पिटल 17-2-549 कर्माघाट सैदाबाद हैदराबाद	सदस्य (गैर-सरकारी)
9.	संयुक्त सचिव शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय शास्त्री भवन, नई दिल्ली	सदस्य

10.	संयुक्त सचिव, भारत सरकार स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय निर्माण भवन, नई दिल्ली	सदस्य
11.	प्रमुख सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एच ब्लॉक प्रथम तल हैदराबाद – 500 022	सदस्य
12.	प्रमुख सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार महिला एवं बाल कल्याण विभाग सचिवालय एच ब्लॉक भूतल कमरा नं. 27, हैदराबाद	सदस्य
13.	निदेशक नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द मेंटली हेंडीकैप्ड मनोविकासनगर, सिकंदराबाद	सदस्य-सचिव

कार्यकारी परिषद :

1.	**संयुक्त सचिव** (वित्त. प्रभाग) भारत सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	सदस्य
2.	संयुक्त सचिव व वित्तीय सलाहकार (सा.न्या. और अधि. मंत्रा.) कमरा नं. 405, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली	सदस्य
3.	श्री टी. के. नन्दा कुमार प्रथम तल, नन्दनाम 33, वेंकटनारायण रोड पोस्ट बॉक्स 3388, चैन्ने 600 035	सदस्य (गैर-सरकारी)
4.	स्वामी बिसवानाथनन्दा महासचिव विवेकानन्द मिशन आश्रम डाकघर चैतन्यपुर हल्दिया जिला मिदनापुर पश्चिम बंगाल – 721 645	सदस्य (गैर-सरकारी)
5.	निदेशक नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द मेंटली हेंडीकैप्ड मनोविकासनगर, सिकंदराबाद – 500 009.	सदस्य-सचिव

(झ) पंडित दीन दयाल उपाध्याय विकलांग जन संस्थान

1.	सचिव, भारत सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2	संयुक्त सचिव, भारत सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	सदस्य
3.	संयुक्त सचिव व वित्त सलाहकार (सा. न्याय और अधि.) कमरा नं. 405, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली	सदस्य
4.	डॉ. आदिनारायण राव अध्यक्ष-सह-प्रबंध ट्रस्टी, प्रेमा हॉस्पिटल, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश	सदस्य (गैर-सरकारी)
5.	विभाग प्रमुख (ओर्थो), सर गंगा राम हॉस्पिटल नई दिल्ली	सदस्य
6.	प्रो., बायो मेडीकल इंजीनियरिंग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलोजी स्कूल ऑफ मैडिकल साइंसेज एंड टैक्नोलोजी खड़कपुर – 721 302	सदस्य
7.	डॉक्टर इन्चार्ज पीएमआर विभाग, छत्रपति साहूजी महाराज मैडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	सदस्य
8.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम जी.टी. रोड, कानपुर, उत्तर प्रदेश	सदस्य
9.	डॉ. एच. एस. छाबड़ा उप चिकित्सा निदेशक भारतीय मेरुदंड क्षति केन्द्र सैक्टर- सी, वसंत कुंज नई दिल्ली	सदस्य (गैर-सरकारी)
10.	श्री दिवाकर नाटू 151, एम, आदर्श नगर, देवास रोड नागजिरी उज्जैन मध्य प्रदेश	सदस्य (गैर-सरकारी)
11.	श्री चांद राम पूर्व विधायक व सामाजिक कार्यकर्त्ता	सदस्य (गैर-सरकारी)

मकान नं. 355, गाँव दरियापुर कलां
बवाना, दिल्ली

12. श्री मदन सांखला — सदस्य (गैर-सरकारी)
पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्केट
घोसला तहसील महिदपुर बस स्टैंड
उज्जैन मध्य प्रदेश

13. श्री राधे श्याम उपाध्याय — सदस्य (गैर-सरकारी)
पूर्व महापौर
उज्जैन मध्य प्रदेश

14. श्री अरुण कुमार चौधरी — सदस्य (गैर-सरकारी)
सामाजिक कार्यकर्त्ता
51, अहिल्या मार्ग महिदपुर शहर
जिला उज्जैन मध्य प्रदेश

15. श्री कांति लाल नागर — सदस्य (गैर-सरकारी)
अधिवक्ता
205 आशिति अपार्टमेंट
नानकखेड़ा उज्जैन मध्य प्रदेश

16. श्री कोमल सिंह परिहार — सदस्य (गैर-सरकारी)
सामाजिक कार्यकर्त्ता
86, लक्ष्मी नगर कॉलोनी
माधव नगर उज्जैन मध्य प्रदेश

17. निदेशक — सदस्य सचिव
पीडीयू इंस्टीट्यूट फॉर द फिजीकल हेंडीकैप्ड
4, विष्णु दिगम्बर मार्ग, नई दिल्ली

कार्यकारिणी परिषद :

1. संयुक्त सचिव (डीडी) — अध्यक्ष
भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली

2. संयुक्त सचिव व वित्त सलाहकार (सा. न्याय और अधि.) — सदस्य
कमरा नं. 405, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली

3. श्री दिवाकर नाटू — सदस्य (गैर-सरकारी)
151, आदर्श नगर, देवास रोड
नाजगिरी उज्जैन मध्य प्रदेश

4. निदेशक — सदस्य सचिव

पंडित दीनदयाल उपाध्याय विकलांगजन संस्थान
4, विष्णु दिगम्बर मार्ग,
नई दिल्ली

- (ञ) मुख्य आयुक्त (निशक्तता) का कार्यालय - एक अर्ध न्यायिक निकाय
- संबद्ध निकाय का नाम व पता

मुख्य आयुक्त (निशक्तता)
सरोजिनी हाऊस,
6, भगवान दास रोड
नई दिल्ली -110001

- **संबद्ध निकाय का स्वरूप (बोर्ड, परिषद, समिति अन्य निकाय)**

निःशक्त व्यक्ति अधिनियम,1995 के अनुसरण में स्थापित मुख्य आयुक्त (निशक्तता) का कार्यालय एक अर्ध न्यायिक सांविधिक निकाय है।

- **संबद्ध निकाय का संक्षिप्त परिचय (स्थापना वर्ष, उद्देश्य/मुख्य कार्यकलाप)**

निशक्त व्यक्ति अधिनियम,1995 के अनुसरण में स्थापित मुख्य आयुक्त (निशक्तता) का कार्यालय एक अर्ध न्यायिक सांविधिक निकाय है जो 1998 में स्थापित किया गया । मुख्य आयुक्त यह करता हैः
(क) आयुक्तों के कार्य का समन्वय ः
(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा संवितरित निधि के उपयोग को मानीटर करना
(ग) निःशक्त व्यक्तियों को उपलब्ध अधिकारों और सुविधाओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाना; और
(घ) इस अधिनियम के कार्यान्वयन पर केन्द्रीय सरकार को ऐसे अन्तरालों पर जैसाकि सरकार निर्धारित करे, रिपोर्ट प्रस्तुत करना ।

- **संबद्ध निकाय की भूमिका (सलाहकारी/प्रबंधकीय/कार्यपालक/अन्य)**

निःशक्त व्यक्ति अधिनियम के अनुसार अर्ध न्यायिक सांविधिक निकाय

- **संरचना और सदस्य संख्या**

मुख्य आयुक्त	1(एक)
उप मुख्य आयुक्त	2(दो)

- **निकाय का मुख्य कार्यपालक**

मुख्य आयुक्त (निःशक्तता)

- **मुख्यालय तथा उसके उप कार्यालयों के पते ः**

मुख्य आयुक्त (निःशक्तता) का कार्यालय

सरोजिनी हाऊस,

6, भगवान दास रोड

नई दिल्ली -110001

- **बैठक कब-कब होती है ?**
  शून्य

- **क्या इन बैठकों में लोक भागीदारी हो सकती है ?**

  लागू नहीं होता ।

- **क्या बैठक के कार्यवृत्त बनाए जाते हैं ?**
  लागू नहीं होता ।

अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग ब्यूरो

➢ संबद्ध निकाय का नाम व पता

(क) भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त

40, अमर नाथ झा मार्ग, इलाहाबाद (उप्र) – 2110002.

➢ संबद्ध निकाय का स्वरूप (बोर्ड, परिषद, समिति, अन्य निकाय)

सांविधिक निकाय

➢ **संबध** निकाय **का संक्षिप्त परिचय (स्थापना वर्ष, उद्देश्य/मुख्य कार्यकलाप)**

संविधान के अनुच्छेद 350 ख के उपबंध के अनुसरण में, भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी(सामान्य रूप से भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त के नाम से जाना जाता है) का कार्यालय जुलाई, 1987 में बना था। भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त भाषायी अल्पसंख्यकों को उपबंधित संवैधानिक और वैचारिक रूप से सहमत सुरक्षोपायों का कार्यान्वयन न किए जाने से उत्पन्न शिकायत संबंधी इसके ध्यान में आए सभी मामलों पर कार्रवाई करते हैं और सुधारात्मक कार्रवाई के लिए सिफारिश करते हैं।

संबद्ध निकाय की भूमिका (सलाहकारी/प्रबंधकीय/कार्यपालक/अन्य)

सलाहकारी

संरचना और सदस्य संख्या

निकाय का मुख्य कार्यपालक

आयुक्त

मुख्यालय तथा उसके उप कार्यालयों के पते :

भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त, 40, अमर नाथ झा मार्ग, इलाहाबाद (उप्र) – 2110002.

आँचलिक कार्यालय

- सहायक आयुक्त, 67, बेंटिक स्ट्रीट वेस्ट विंग, चतुर्थ तल, कोलकाता-700069.
- सहायक आयुक्त, बिल्डिंग नं.23 (1) फोर्ट, बेलगाम-510016.
- सहायक आयुक्त, राजाजी भवन, द्वितीय तल, ई विंग, बेसेंट नगर, चेन्नै - 600090.

बैठक कब-कब होती है ।

शून्य

क्या इन बैठकों में लोक भागीदारी हो सकती है ?

नहीं

क्या बैठक के कार्यवृत्त बनाए जाते हैं ?

लागू नहीं होता ।

(ख) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम

- संबद्ध निकाय का नाम व पता

प्रबंध निदेशक,
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम
1, तैमूर नगर,
डी/996, न्यू फ्रैंड्स कॉलोनी के सामने,
नई दिल्ली - 110 065

- संबद्ध निकाय का स्वरूप

निगम

- **संबद्ध निकाय का संक्षिप्त परिचय (स्थापना वर्ष/उद्देश्य/मुख्य कार्यकलाप)**

अल्पसंख्यकों में आर्थिक व विकासात्मक कार्यकलापों को संवर्धित करने के उद्देश्य के लिए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की स्थापना 1994 में की गयी थी। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम अल्पसंख्यक समुदायों के पात्र लाभार्थियों, जिनके परिवारों की आय गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वालों की आय के दुगना से कम है, को स्वरोजगार कार्यों के लिए रियायती वित्त प्रदान कर रहा है।

- संबद्ध निकास की भूमिका (सलाहकारी/प्रबंधकीय/कार्यपालक/अन्य)

प्रबंधकीय

- संरचना और सदस्य संख्या

अध्यक्ष - 1
प्रबंध निदेशक - 1
निदेशक (सरकारी) -9
निदेशक (गैर-सरकारी) - 1

- **निकाय का मुख्य कार्यपालक**

प्रबंध निदेशक

- **मुख्यालय तथा उसके उप कार्यालयों के पते :**

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम

1, तैमूर नगर,
डी/996, न्यू फ्रैंड्स **कॉलोनी के सामने,**
नई दिल्ली - 110 065

बैठक कब-कब होती है

तिमाही

- क्या इन बैठकों में लोक भागीदारी हो सकती है ?
  नहीं
- क्या बैठक के कार्यवृत्त बनाए जाते हैं ?

जी हाँ ।

(ग) मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान

संगठन का नाम व पता

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान,
सामाजिक न्याय सेवा केन्द्र,
नई दिल्ली रेलवे आरक्षण केन्द्र के सामने,
चेम्सफोर्ड, नई दिल्ली - 110055.

निकाय का स्वरूप

सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्टर्ड सोसाइटी

संबद्ध निकाय का संक्षिप्त परिचय :

यह प्रतिष्ठान शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों की सुविधा के लिए शैक्षिक योजना और प्लान बनाने और कार्यान्वित करने के लिए सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अंतर्गत 6 जुलाई, 1989 में स्थापित किया गया था ।

संबद्ध निकाय की भूमिका :

प्रबंधकीय एवं कार्यपालक

संरचना

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान का साधारण निकाय 15 सदस्यों से मिलकर बना है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित 6 पदेन सदस्य आते हैं।

- वक्फ प्रभारी केन्द्रीय मंत्री
- उपकुलपति, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़
- उपकुलपति, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली
- संयुक्त सचिव (वक्फ), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- अध्यक्ष, केन्द्रीय वक्फ परिषद की शिक्षा एवं महिला कल्याण समिति
- सचिव, केन्द्रीय वक्फ परिषद

साधारण निकाय के अन्य 9सदस्य, अध्यक्ष मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान द्वारा 3 वर्ष के लिए मनोनीत किए जाते हैं। ये सदस्य जनता से लिए जाते हैं।

अध्यक्ष/सदस्यों के नाम व पते

09.9.2005 की स्थिति के अनुसार सदस्यों की सूची

क्र.सं.	नाम व पता	पदनाम
1)	**माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** भारत सरकार, शास्त्री भवन नई दिल्ली **दूरभाष : 23381001/23381390**	**अध्यक्ष (पदेन)**
2)	**श्री पी. ए. इनामदार** 2390- बी, के.बी. हिदायतुल्ला रोड, आजम कैंपस, कैंप, पुणे –1 **(महाराष्ट्र)** दूरभाष : 020-26354609	कार्यकारी उपाध्यक्ष

3) **संयुक्त सचिव (असंवपिव), भारत सरकार** **सदस्य** (गैर-सरकारी)
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दूरभाष : 23765004

4) **उपकुलपति** **सदस्य** (गैर-सरकारी)
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय
अलीगढ़ उत्तर प्रदेश
दूरभाष : 2700994/2700173/2700994 (फैक्स)

5) **प्रो. मुंशीर-उल-हसन** **सदस्य** (गैर-सरकारी)
उपकुलपति, जामिया मिलिया इस्लामिया
जामिया नगर, नई दिल्ली – 110 025.
दूरभाष : 26844650/26981717, फैक्स 26821232

6) **डा. मोहम्मद रिजवानुल हक** **सदस्य** (गैर-सरकारी)
सचिव, केन्द्रीय वक्फ परिषद
14/173, जाम नगर हाऊस,
शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली
फोन : 23384465

7) **अध्यक्ष** **सदस्य** (गैर-सरकारी)
केन्द्रीय वक्फ परिषद की शिक्षा
एवं महिला कल्याण समिति, मूत्रिबान स्ट्रीट,
मोहल्ला काजियान, सहारनपुर – 247 001 (उप्र)
दूरभाष : 0132-2643201, 011-22621677

8) **डॉ.(श्रीमती) मसारत शाहिद** **कोषाध्यक्ष**
एन-103 अंसल लेक, व्यू अपार्टमेंट,
श्यामला हिल्स, भोपाल – 462001 (मप्र)
दूरभाष : 0755-2545692

9) **प्रो. जुज़ेर एस. बंदुकवाला** **सदस्य** (गैर-सरकारी)
जे-3, विक्रम बाग, प्रतापगंज,
बड़ौदा (गुजरात)
दूरभाष : 0265-2783338

10) **श्री असगर अली इमाम मेंहदी सल्फी** **सदस्य** (गैर-सरकारी)
बी-92, शाहीन बाग, अबुल फजल इंकलेव,
जामिया नगर, नई दिल्ली – 110025
दूरभाष : 29941531

11) **श्री मोह. बदरूद्दीन अजमल** **सदस्य** (गैर-सरकारी)
61- बी, मेकर टॉवर, कफ परेड,
कोलाबा, मुम्बई – 400005
022-22856976

12) **श्री टी.पी.एम. इब्राहिम खान** **सदस्य** (गैर-सरकारी)

यूनाइटेड लॉ चैम्बर्स, एस.आर.एम. रोड,
एर्नाकुलम, कोच्ची – 682018 (केरल)
दूरभाष : 0484-2403001

13) **श्री संवर अली पटेल** **सदस्य** (गैर-सरकारी)

गुलिस्तां हाऊस, महाकाल रोड,
लोहे-का-पोल, उज्जैन (मप्र)

14) **श्री मोह. आरिफ शफ़ीक अहमद पटेल** **सदस्य** (गैर-सरकारी)

मकान नं.92, पटेल मोहल्ला, पनवेल,
जिला रायगढ़ – 410 286 (महाराष्ट्र)
(Phone: 022-2745 1786)

15) रिक्त **सदस्य** (गैर-सरकारी)

- **निकाय का मुख्य कार्यपालक**

  सचिव, मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान

- **मुख्यालय तथा उसके उप कार्यालयों के पते :**

  मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान, सामाजिक न्याय सेवा केन्द्र, नई दिल्ली आरक्षण केन्द्र के सामने, चेल्म्सफोर्ड, नई दिल्ली -110055.

➢ **बैठक कब-कब होती है ?**

साधारण निकाय - वर्ष में दो बार
शासी निकाय – दो माह में एक बार

- **क्या इन बैठकों में लोक भागीदारी हो सकती है ?**
  नहीं
- क्या बैठक के कार्यवृत्त बनाए जाते हैं ?

  जी हाँ ।

(घ) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग :

➢ संबद्ध निकाय का नाम व पता

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग,
लोक नायक भवन, पॉचवां तल, खान मार्केट, नई दिल्ली - 110003.

- **संबद्ध निकाय का स्वरूप (बोर्ड, परिषद, समिति, अन्य निकाय)**

  सांविधिनिक निकाय

- **संबद्ध निकाय का संक्षिप्त परिचय**

  अल्पसंख्यकों के हितों, जो मुख्यतः अत्याचारों, सेवा मामलों, अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं तथा धार्मिक स्थानों से संबंधित विवादों के विषय में होते हैं, की सुरक्षा के लिए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिनियम, 1992 के अधीन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गयी थी।

- **संबद्ध निकाय की भूमिका (सलाहकारी/प्रबंधकीय/कार्यपालक/अन्य)**

  सलाहकारी

- संरचना और सदस्य संख्या

  अध्यक्ष - 1,
  उपाध्यक्ष - 1,
  सदस्य – 5

- **निकाय का प्रमुख**

  अध्यक्ष, श्री सरदार त्रिलोचन सिंह,

- मुख्यालय तथा उसके उप कार्यालयों के पते :

  राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, लोक नायक भवन, पॉचवां तल,
  खान मार्केट, नई दिल्ली - 110003.

- **बैठक कब-कब होती है ?**

  मासिक

- **क्या इन बैठकों में लोक भागीदारी हो सकती है ?**

  नहीं

- **क्या बैठक के कार्यवृत्त बनाए जाते हैं ?**

  जी हाँ ।

(ङ) राष्ट्रीय धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यक आयोग

- संबद्ध निकाय का नाम व पता

  गेट नं. 30, दूसरा तल, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली

- **संबद्ध निकाय का स्वरूप (बोर्ड, परिषद्, समिति, अन्य निकाय)**

आयुक्त (अस्थायी)

- **संबद्ध निकाय का संक्षिप्त परिचय**

धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के कल्याण, जिसमें शिक्षा और सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण शामिल हैं, के कल्याणकारी उपाय सुझाने हेतु राष्ट्रीय धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 21.3.2005 को गई है।

यह धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान का मापदण्ड; धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों में सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के कल्याण, जिसमें शिक्षा और सरकारी नौकरी में आरक्षण भी शामिल हैं, के कल्याणकारी उपायों; इनकी सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए यथापेक्षित आवश्यक संवैधानिक, कानूनी और प्रशासकीय प्रक्रियाओं का सुझाव भी देना है, तथा अपने विचार विमर्शों और संस्तुतियों की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

- **संबद्ध निकाय की भूमिका (सलाहकारी/प्रबंधकीय/कार्यपालक/अन्य)**

सलाहकारी

- **संरचना और सदस्य संख्या**

अध्यक्ष - 1,
सदस्य सचिव – 1,
सदस्य - 3

- **निकाय का प्रमुख**

सदस्य सचिव - श्रीमती आशा दास

- **बैठक कब-कब होती है ?**

मासिक

- **क्या इन बैठकों में लोक भागीदारी हो सकती है ?**

नहीं

- **क्या बैठक के कार्यवृत्त बनाए जाते हैं ?**

जी हाँ ।

(च) केन्द्रीय वक्फ परिषद्

- संबद्ध निकाय का नाम व पता

14/173, जामनगर हाऊस,
शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली - 11

- **संबद्ध निकाय का स्वरूप (बोर्ड, परिषद, समिति, अन्य निकाय)**

परिषद

➢ **संबद्ध निकाय का संक्षिप्त परिचय**

केन्द्रीय वक्फ परिषद एक सांविधिक निकाय है। इसकी स्थापना देश में राज्य वक्फ बोर्डों के कामकाज तथा वक्फों के उचित प्रशासन संबंधी मामलों पर उसे सलाह देने के उद्देश्य से, वक्फ अधिनियम 1954 की धारा 8(क) (अब वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 9 की उपधारा(1) के रूप में पठित) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा दिसंबर, 1964 में की गई थी।

- **संबद्ध संगठन की भूमिका (सलाहकारी/प्रबंधकीय/कार्यपालक/अन्य)**

सलाहकारी

- **संरचना**

अध्यक्ष पदेन – 1, (वक्फ प्रभारी केन्द्रीय मंत्री)
सदस्य – 20

- **नाम व पते**

क्र.सं.	नाम व पते	
	माननीया सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 1100 01	अध्यक्ष
	श्री नईमुल्ला अंसारी, मोहल्ला : नूर खानपुर संत रविदास नगर भदोही (उप्र) - 221401	सदस्य (गैर-सरकारी)
	हफीज रशीद अहमद चौधरी अध्यक्ष, वक्फ असम बोर्ड राजधानी मस्जिद पथ दिसपुर, गुवाहटी –781006	सदस्य
	श्री शकील अहमद सैयद 98-99, आजाद अपार्टमेंट्स, प्लॉट नं .111, आई.पी. एक्सटेंशन, दिल्ली – 92	सदस्य (गैर-सरकारी)
	अध्यक्ष, केरल वक्फ बोर्ड परामारा रोड, एर्नाकुलम नार्थ कोच्वी – 682 018	सदस्य
	श्री सैयद शहाबुद्दीन भाविसे (सेवानिवृत्त), फ्लैट नं.404, ब्लॉक – 8 ईस्ट एंड अपार्टमेंट्स मयूर विहार – I एक्सटेंशन, दिल्ली – 96	सदस्य (गैर-सरकारी)
	अध्यक्ष, पंजाब वक्फ बोर्ड एससीओ नं.1062-1063 सेक्टर 22- बी, चंडीगढ़	सदस्य
	श्री सलमान खुर्शीद 4, गुलमोहर एवेन्यू जामिया नगर नई दिल्ली – 25	सदस्य (गैर-सरकारी)
	जस्टिस मलिक शरीफ-उद-दीन (सेवानिवृत्त) पीपुल्स कॉलोनी चिंकीपोरा, सोपोर **(कश्मीर)**	सदस्य (गैर-सरकारी)

	श्रीमती सलमा सुल्तान 5, जंगपुरा-ए, भूतल (पीछे की ओर), मथुरा रोड , नई दिल्ली – 14	सदस्य (गैर-सरकारी)
	श्री गय्यूर-ए-आलम मूर्तिबन स्ट्रीट, मोहल्ला काजियान, सहारनपुर – 247 001	सदस्य (गैर-सरकारी)
	डॉ. सैयद अहमद, 108, शिरीन मंजिल, सेंट मैरी रोड, मझगाँव, मुम्बई-400 010	सदस्य (गैर-सरकारी)
	श्री जियाउल्लाह शरीफ गोल्डन एंकलेव, एयरपोर्ट रोड, बैंगलूर -560 017	सदस्य (गैर-सरकारी)
	श्री मंसूर अली, " अल बरका, बी-326, सेक्टर-26, नोएडा"	सदस्य (गैर-सरकारी)
	श्री मोह. सलीम, संसद सदस्य (लोक सभा) 413, वी.पी. हाऊस, नई दिल्ली – 110 001	सदस्य (गैर-सरकारी)
	श्री रजी अहमद कमाल 161/15, जोगाबाई जामिया नगर, नई दिल्ली – 25	सदस्य (गैर-सरकारी)
	श्री जे. एम. अरोन रशीद संसद सदस्य (लोक सभा) 203, होटल जनपथ नई दिल्ली – 110 001	सदस्य (गैर-सरकारी)
	जब. मौलाना मोह. फजलूर रहीम मुजादीदी 1617, खजरे का रास्ता, हिदायत मस्जिद के सामने इंदिरा बाजार के पास, पो.बा.नं.2, वी	सदस्य (गैर-सरकारी)
	श्री के. रहमान खान उपाध्यक्ष (राज्य सभा) 28, अकबर रोड, नई दिल्ली – 110 001	सदस्य (गैर-सरकारी)

- **निकाय का मुख्य कार्यपालक**

सचिव

- **मुख्यालय तथा उसके उप कार्यालयों के पते :**

14/173, जामनगर हाऊस,
शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली - 11

- **बैठक कब-कब होती है ?**

कम-से-कम 3 और अधिकतम 5

- **क्या इन बैठकों में लोक भागीदारी हो सकती है ?**

नहीं

- **क्या बैठक के कार्यवृत्त बनाए जाते हैं ?**

हाँ

पिछड़ा वर्ग प्रभाग :

(G) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

उद्देश्य/मुख्य कार्यकलाप

उच्चतम न्यायालय के निदेश पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 अधिनियमित किया गया था जिससे कि निवेदनों की जांच करने और भारत सरकार को सलाह देने के लिए एक स्थायी निकाय गठित किया जा सके। संबद्ध निकाय का नाम व पता (बोर्ड, परिषद, समिति , अन्य निकाय)

पता :

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (रापिवआ), त्रिकूट-I, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066.

संबद्ध निकाय का स्वरूप (बोर्ड, परिषद, समिति, अन्य निकाय)।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक सांविधिक निकाय है, जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 के अनुसरण में, गठित किया गया है।

संबद्ध निकाय का संक्षिप्त परिचय

इस अधिनियम के उपबंध के अनुसार आयोग द्वारा दी गयी सलाह सामान्यतः केन्द्रीय सरकार पर बाध्यकारी होगी। यह आयोग एक अध्यक्ष, सदस्य के रूप में एक सामाजिक वैज्ञानिक, सदस्यों के रूप में दो व्यक्ति, जिन्हें पिछड़े वर्गों के मामलों में विशेष जानकारी हो, और एक सदस्य सचिव, जो सचिव, भारत सरकार हो अथवा इस रैंक में केन्द्रीय सरकार का अधिकारी रहा हो, से मिलकर बनेगी। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष है।

संबद्ध निकाय की भूमिका (सलाहकारी/प्रबंधकीय/कार्यपालक/अन्य)

सलाहकारी

संरचना और सदस्य संख्या

अध्यक्ष	-1(एक)
सदस्य	**-3(तीन)**
सदस्य-सचिव	**-1(एक)**

निकाय का मुख्य कार्यपालक

अध्यक्ष

मुख्यालय तथा उसके उप कार्यालयों के पते :

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, त्रिकूट-I, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066.

बैठक कब-कब होती है ?

आयोग की बैठक, जब कभी आवश्यकता हो, होती है ।

क्या इन बैठकों में लोक भागीदारी हो सकती है ?

आयोग भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को समन देकर हाजिर करा सकता है तथा शपथ पर उसकी जॉच कर सकता है।

क्या बैठक के कार्यवृत्त बनाए जाते हैं ?

जी हाँ ।

संबद्ध निकाय का नाम व पता

आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग

संबद्ध निकाय का स्वरूप

आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग तारीख 03.03.05 के संकल्प द्वारा गठित एक आयोग है।

संबद्ध निकाय का संक्षिप्त परिचय (स्थापना वर्ष, उद्देश्य/मुख्य कार्यकलाप)
सरकार ने मौजूदा आरक्षण नीति के अंतर्गत न आने वाले आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को राज्य के अधीन सिविल पदों और सेवाओं मे आरक्षण प्रदान करने के प्रस्ताव को सिद्धांततः स्वीकृति दे दी है। इस संबंध में राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों के विचार मंगाने और अनु. जातियों/ अनु. जनजातियों/ अन्य पिछड़े वर्गों से भिन्न, जातियों और समुदायों में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की मात्रा एवं उनकी पहचान के लिए मापदण्ड सुझाने के लिए उपर्युक्त आयोग छः माह के लिए गठित किया गया है।

संबद्ध निकाय की भूमिका (सलाहकारी/प्रबंधकीय/कार्यपालक/अन्य)

सलाहकारी

संरचना और सदस्य संख्या

अध्यक्ष	-1(एक)
सदस्य	-1(एक)
सदस्य-सचिव	-1(एक)

निकाय का प्रमुख

अध्यक्ष

मुख्यालय तथा उसके उप कार्यालयों के पते :

आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित होगा। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अभी की जानी है।

बैठक कब-कब होती है ?

आयोग की बैठक आवश्यकतानुसार होती है ।

क्या इन बैठकों में लोक भागीदारी हो सकती है ?

आयोग में गैर सरकारी संगठनों/ एसोसिएशनों को (उनके अन्य पिछड़ा वर्गों के संगत क्षेत्रों में) प्रतिनिधित्व देकर लोक भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

क्या बैठक के कार्यवृत्त बनाए जाते हैं ?

लागू नहीं ।

(ख) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

पॉचवां तल, एन.सी.यू.आई. बिल्डिंग, 3, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली - 110016.

संबद्ध निकाय का स्वरूप (बोर्ड, परिषद, समिति, अन्य निकाय)

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम एक कंपनी है ।

संबद्ध निकाय का संक्षिप्त परिचय

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की स्थापना कम्पनी अधिनियम,1956 की धारा 25 के अधीन लाभ न कमाने वाली कम्पनी के रूप में कल्याण मंत्रालय के अधीन भारत सरकार द्वारा 13 जनवरी, 1992 को की गई थी, जिसका उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वालों की आय के दुगना से कम वार्षिक आय वाले अल्पसंख्यक समुदाय सदस्यों को स्वरोजगार कामधंधों एवं आय उपार्जक क्रियाकलापों की स्थापना के लिए ऋण देकर उनके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए रियायती ऋण प्रदान करना है ।

संबद्ध निकाय की भूमिका (सलाहकारी/प्रबंधकीय/कार्यपालक/अन्य)

गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वालों की आय के दुगना से कम वार्षिक आय वाले अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को स्वरोजगार कामधंधों एवं आय उपार्जक क्रियाकलापों की स्थापना के लिए ऋण देकर उनके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए रियायती ऋण प्रदान करना है ।

संरचना और सदस्य संख्या

प्रबंध निदेशक	-1(एक)
निदेशक (गैर-सरकारी)	-3(तीन)
निदेशक (सरकारी)	11(ग्यारह)

निकाय का मुख्य कार्यपालक

प्रबंध निदेशक

मुख्यालय तथा उसके उप कार्यालयों के पते :

कंपनी का मुख्यालय नई दिल्ली में है ।

बैठक कब-कब होती है ?

निदेशक मंडल की बैठक, आवश्यकतानुसार होती है ।

क्या इन बैठकों में लोक भागीदारी हो सकती है ?

नहीं ।

क्या बैठक के कार्यवृत्त बनाए जाते हैं ?

जी हाँ ।

आयोजना, अनुसंधान, मूल्यांकन और मानीटरिंग(प्रेम) प्रभाग

(क) अनुसंधान सलाहकार समिति

- **संबद्ध निकाय का नाम व पता**

  अनुसंधान सलाहकार समिति

- संबद्ध निकाय का स्वरूप

  समिति

- **संबद्ध निकाय का संक्षिप्त परिचय (स्थापना वर्ष, उद्देश्य/मुख्य कार्यकलाप)**

  मंत्रालय को निम्नलिखित पहलुओं पर सलाह देने के लिए अनुसंधान सलाहकार समिति गठित की गयी है :

  (क) विकलांग व्यक्तियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और समाज रक्षा के कल्याण और विकास संबंधी अनुसंधान कार्य का संवर्धन/ समन्वय और उपयोग;

  (ख) उपर्युक्त क्षेत्रों में अनुसंधान के क्षेत्रों की पहचान; और

  (ग) व्यक्तियों/ संगठनों से प्राप्त विभिन्न अनुसंधान प्रस्तावों/ परियोजनाओं की संवीक्षा स्वीकृति।

  इसका कार्यकाल सामान्यतः दो वर्ष है। मौजूदा समिति 1.10.2003 को बनायी गयी थी और इसका कार्यकाल 1 अक्टूबर, 2003 से 30 सितंबर, 2005 तक है।

- **संबद्ध निकाय की भूमिका (सलाहकारी/प्रबंधकीय/कार्यपालक/अन्य)**

  सलाहकारी

- **संरचना और सदस्य संख्या**

  मौजूदा अनुसंधान सलाहकार समिति के सदस्य इस प्रकार हैं

क्र.सं.	नाम, पदनाम व पता	सदस्य	स्थिति
1	सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	अध्यक्ष	पदेन
2	अपर सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	सदस्य	पदेन
3	वित्त सलाहकार, संयुक्त सचिव (प्रेम व डीडी), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	सदस्य	पदेन
4	संयुक्त सचिव (एम एंड बीसी), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	सदस्य	पदेन
5	संयुक्त सचिव (एसडी), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	सदस्य	पदेन
6	संयुक्त सचिव (एसडी), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	सदस्य	पदेन
7	भारत के महा रजिस्ट्रार, गृह मंत्रालय	सदस्य	पदेन
8	महा निदेशक, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन	सदस्य	पदेन
9	सलाहकार (एसडी व डब्ल्यूपी), योजना आयोग	सदस्य	पदेन
10	श्री बालकंदस्वामी 29, ऊपरी मंजिल, अंदाल स्ट्रीट, शेवापेट, सेलम - 636 002, तमिलनाडु	सदस्य	गैर-सरकारी
11	प्रो. (डॉ.) जयंतीलाल भंडारी 33/ बी, वैशाली नगर, इंदौर - 452 017 मध्य प्रदेश	सदस्य	गैर-सरकारी
12	डॉ. बलतेज सिंह मान 4325- सी, अर्बन इस्टेट, फेज -II. पटियाला - 147 002, पंजाब	सदस्य	गैर-सरकारी
13	संयुक्त निदेशक(प्रेम), सा. न्याय और अधि. मंत्रा.	सदस्य-सचिव	गैर-सरकारी

- **निकाय का मुख्य कार्यपालक**
  सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

- **मुख्यालय तथा उसके उप कार्यालयों के पते :**
  सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
  शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110 001.

- **बैठक कब-कब होती है ?**
  वर्ष में 2-3 बार

- **क्या इन बैठकों में लोक भागीदारी हो सकती है ?**

  जी नहीं ।

- **क्या बैठक के कार्यवृत्त बनाए जाते हैं ?**

  जी हाँ ।
- **क्या इस बैठक के कार्यवृत्त लोगों को उपलब्ध किए जाते हैं? यदि हां, उन्हें प्राप्त करने के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया की जानकारी दें।**

  जी नहीं ।

समाज रक्षा ब्यूरो

(क) राष्ट्रीय वृद्धजन परिषद , वृद्धावस्था अनुभाग , सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

संबद्ध निकाय का स्वरूप (बोर्ड, परिषद, समिति, अन्य निकाय)

राष्ट्रीय वृद्धजन नीति के उपबंधों के अनुसार, राष्ट्रीय वृद्धजन परिषद मई, 1999 में गठित की गयी है।

संबद्ध निकाय का संक्षिप्त परिचय

स्थापना वर्ष : 1999

उद्देश्यः वृद्ध व्यक्तियों के लिए नीतियों और कार्यक्रमों पर सरकार को सलाह देना तथा राष्ट्रीय नीति के क्रियान्वयन पर सरकार को फीडबैक प्रदान करना।

संबद्ध निकाय की भूमिका (सलाहकारी/प्रबंधकीय/कार्यपालक/अन्य)
सलाहकारी

संरचना :

अध्यक्ष	:	1 (एक)
उपाध्यक्ष	:	1 (एक)
सदस्य	:	31 (इकतीस)

राष्ट्रीय वृद्धजन परिषद के सदस्यों के नामों की सूची

राष्ट्रीय वृद्धजन परिषद के सदस्य अनुभवी और प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, जो गैर सरकारी संगठनों, नागरिकों के समूहों, सेवा निवृत्त व्यक्ति, संगमों के प्रतिनिधि होते हैं तथा कानून, समाज कल्याण व सुरक्षा, अनुसंधान, और चिकित्सा के क्षेत्र से लिए जाते हैं। राष्ट्रीय वृद्धजन परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इसके बाद नई परिषद गठित की जाती है। इसमें इस समय 33 सदस्य हैं।

1.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री	अध्यक्ष
2.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री	उपाध्यक्ष
3.	सचिव (सा. न्याय और अधि. मंत्रा.)	सदस्य
4.	अपर सचिव (सा. न्याय और अधि. मंत्रा)	सदस्य
5.	संयुक्त सचिव (एसडी)	सदस्य

6.	सचिव, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग	सदस्य
7.	सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग	सदस्य
8.	संयुक्त सचिव, पेंशन विभाग	सदस्य
9.	संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय	सदस्य
10.	संयुक्त सचिव, रेल मंत्रालय	सदस्य
11.	संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले मंत्रालय	सदस्य
12.	मणिपुर राज्य सरकार के प्रतिनिधि	सदस्य
13.	आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के प्रतिनिधि	सदस्य
14.	जम्मू-कश्मीर राज्य सरकार के प्रतिनिधि	सदस्य
15.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के प्रतिनिधि	सदस्य
16.	दादर नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के प्रतिनिधि	सदस्य
17.	राज्य सभा के सबसे वृद्ध सदस्य (संसदीय कार्य मंत्रालय के परामर्श से नामित किया जाना है ।)	सदस्य (गैर-सरकारी)
18.	लोक सभा के सबसे वृद्ध सदस्य (संसदीय कार्य मंत्रालय के परामर्श से नामित किया जाना है ।)	सदस्य (गैर-सरकारी)
19.	श्री मुल्क राज थिंड, 77-78, हीरा नगर- ए, शालीमार बाग के पास, अजमेर रोड, जयपुर, राजस्थान	
20.	श्री आत्माराम सोंथालिया, 23/24, तीसरा तल, राधा बाजार गली कोलकाता-700001, पश्चिम बंगाल	सदस्य (गैर-सरकारी)
21.	श्री एम. कुप्पुस्वामी, 33, वीरास्वामी पिल्लै स्ट्रीट, चैन्नै - 600001, तमिलनाडु	सदस्य (गैर-सरकारी)
22.	श्री सुखदेव सिंह, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी, उत्तर प्रदेश	सदस्य (गैर-सरकारी)
23.	श्री राव निहाल सिंह, पूर्व विधायक, नारनौल, जिला महेन्द्रगढ़, हरियाणा	सदस्य (गैर-सरकारी)
24.	श्री जग मोहन कपूर, 16- एल, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-1	सदस्य (गैर-सरकारी)
25.	श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह, बी/57, पुलिस कॉलोनी, अनीसाबाद, पटना	सदस्य (गैर-सरकारी)
26.	श्री बाल ए. राणे, नीलकंठ अपार्टमेंट्स, 12वीं मंजिल, वर्ली हिल एस्टेट, वर्ली, महाराष्ट्र	सदस्य (गैर-सरकारी)
27.	डॉ. वी. मोहिनी गिरी, अध्यक्ष, गिल्ड ऑफ सर्विस, सी-25 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली - 110001	सदस्य (गैर-सरकारी)
28.	श्रीमती डायना जे. खम्बाटा, 37, वेस्टर्न एवेन्यू, सैनिक फार्म नई दिल्ली -110062	सदस्य (गैर-सरकारी)
29	श्री जी. एम. चोपड़ा, एस- 144, ग्रेटर कैलाश II, नई दिल्ली - 110048	सदस्य (गैर-सरकारी)
30.	श्री एम.एम. सभरवाल, एस-37, पंचशील पार्क, नई दिल्ली - 110017	सदस्य (गैर-सरकारी)
31.	श्री रमन भाई शाह, अध्यक्ष, ऑल इंडिया सीनियर सिटीजन्स कंफडरेशन, 8/602, कावेरी, सफल काम्प्लैक्स, सेक्टर -19 ए, नारूल, नवी मुम्बई - 400706, महाराष्ट्र	सदस्य (गैर-सरकारी)
32.	श्रीमती बिंदीदेवी गणपत भागर, 227, लक्ष्मी निवास, बजाज नगर, नागपुर, महाराष्ट्र	सदस्य (गैर-सरकारी)
33.	श्रीमती ललिता पी. राउत, राउत हाऊस, 8, फ्रेंच बिग्रेड, मुम्बई महाराष्ट्र	सदस्य (गैर-सरकारी)

निकाय का मुख्य कार्यपालक :

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री

मुख्यालय तथा उसके उप कार्यालयों के पते :

कोई अलग से कार्यालय नहीं है ।

बैठक कब-कब होती है ? :

निर्दिष्ट नहीं है ।

क्या इन बैठकों में लोक भागीदारी हो सकती है ? :

नहीं

क्या बैठक के कार्यवृत्त बनाए जाते हैं ? :

जी हाँ ।

बाल कल्याण प्रभाग

" किशोर न्याय कार्यक्रम " योजना के अधीन, ऐसी कोई बोर्ड, परिषद व समिति नहीं है तथा राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अनुदान जारी करने के लिए कोई बैठक होनी अपेक्षित नहीं है।

शेष तीन योजनाओं के संबंध में, संयुक्त सचिव (समाज रक्षा) की अध्यक्षता तथा जनता से लिए गए दो सदस्यों से बनी एक समिति है, जो इन योजनाओं के लिए अनुदान सहायता के नए प्रस्तावों पर विचार करती है।

बोर्ड/परिषद/समिति :

- संरचना

अध्यक्ष	- संयुक्त सचिव (एसडी)
सदस्य	- लोक
सदस्य	- लोक

नशीली दवा दुरुपयोग निवारण I व III

नशा मुक्ति केन्द्रों की स्थापना करने के लिए राज्य सरकार के माध्यम से गैर-सरकारी संगठनों से प्राप्त नए प्रस्तावों की संवीक्षा व सिफारिश करने के लिए एक स्क्रीनिंग समिति गठित की गयी है। इस समिति में दो सदस्य गैर सरकारी संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि इसका अध्यक्ष सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का संयुक्त सचिव (समाज रक्षा) होता है।

अध्याय – *8*

नियमपुस्तिका – 7

जन सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण

(धारा 4(1)(ख) (xvi) के अधीन)

8.1 कृपया निम्नलिखित प्रपत्र में लोक सूचना अधिकारियों, सहायक लोक सूचना अधिकारियों और लोक अधिकारियों की लोक प्राधिकारी की विभागीय अपीलीय प्राधिकारी संबंधी सम्पर्क जानकारी उपलब्ध कराएं

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के लिए ये लोक प्राधिकारी हैं

क्र. सं.	अधिकारी का नाम सर्वश्री	पदनाम	दूरभाष संख्या	विषय
01	**जी.एस. राजू**	निदेशक (प्रशासन)	23383464	मंत्रालय के प्रशासन/ स्थापना संबंधी सभी मामले
02	**हसीब अहमद**	निदेशक (एससीडी -IV व V)	23388541	इन योजनाओं (1) अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना; (ii) अस्वच्छ व्यवसायों में लगे माता-पिता के बच्चों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति योजना; (iii) अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना; (iv) राज्य अनुसूचित जाति विकास निगमों की सहायता। (2) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति विकास एवं वित्त निगम, तथा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी विकास निगम संबंधी मामले। (3) नई प्रस्तावित योजना अर्थात उच्च अध्ययनों के लिए अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए राजीव गांधी अध्येतावृत्ति।
03	**बी.बी. मलिक**	निदेशक (एससीडी -I)	23381930	(i)अनुसूचित जातियों के छात्रों और छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण (ii) अनुसचित जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों सहित कमजोर के लिए कोचिंग और संबद्ध सहायता योजना (iii) अनुसूचित जातियों की योग्यता उन्नयन की योजना की केन्द्र प्रायोजित योजनाओं से संबंधित सभी मामले ।
04	**डब्ल्यू.एल. हांगसिंग**	निदेशक (एससीडी-III)	23384284	अनुसूचित जातियों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना संबंधी सभी मामले।
05	**वी.आर. मल्होत्रा**	निदेशक (संसद, आरएल व पीसीआर)	23386220	(i) अनुसूचित जातियों की सूची के संशोधन (ii) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955, और (iii) अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार

				निवारण) अधिनियम, 1989 अनुसूचित जातियों से संबंधित अपराधों के संबंध में दण्ड न्याय के प्रशासन को छोड़कर, संबंधी सभी मामले।
06	**आशीष कुमार**	निदेशक (डीडी-III)	23383853	(i) विकलांगता नीति, (ii) विकलांगजन अधिनियम के अधीन आने वाले निःशक्त व्यक्ति (iii) भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, (iv) जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र संबंधी सभी मामले (v) मुख्य आयुक्त (निशक्तता), (vi) सभी विकलांगता संबंधी मामलों के आन्तरिक समन्वय (vii) अन्तर्राष्ट्रीय विकलांगता समन्वय संबंधी सभी मामले
07	**श्रीमती मृदुल जैन**	निदेशक (एनआई)	23387690	(i) संयुक्त पुनर्वास केन्द्रों सहित राष्ट्रीय संस्थानों, (ii) भारतीय मेरुदण्ड क्षति केन्द्र, (iii) भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (iv) एडिप योजना के अर्न्तगत विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायक यन्त्रों और उपकरणों की खरीद की सहायता योजना, संबंधी सभी मामले।
08	**वी.बी. पचनन्दा**	निदेशक (बीसी)	23765007	(i) अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आयोगों/ निगमों, (ii) अन्य पिछड़े वगों के छात्रों एवं छात्राओं के लिए मैट्रिकपूर्व/ मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों और छात्रावासों के निर्माण की केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं, (iii) अन्य पिछड़े वर्गों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना, और (iv) अन्य पिछड़े वर्गों के नीतिगत विषयों एवं संसद संबंधी विषयों से संबंधित सभी मामले
09	**जे.एस. कोचर**	निदेशक (सीडब्ल्यू)	23381843	(i) किशोर न्याय (बाल देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000, (ii) किशोर न्याय कार्यक्रम, (iii) बेसहारा बच्चों के लिए एकीकृत कार्यक्रम, (iv) देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद कामकाजी बच्चों की योजना, (v) चाईल्ड लाईन सेवा, (vi) साधारण अनुदान सहायता के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता (vii) राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान संबंधी विषयों, और (viii) केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी संबंधी विषयो, संबंधी सभी मामले।
10	**पी.के. जाजोरिया**	निदेशक (डीपी)	23070801	" मद्यपान और नशीले पदार्थ (दवा) दुरुपयोग निवारण योजना " के अन्तर्गत गैरसरकारी संगठनों को अनुदान सहायता की स्वीकृति संबंधी सभी मामले।
11	**बी.के. पाण्डेय**	निदेशक (अल्पसंख्यक व वक्फ)	23765009	(i) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्तीय निगम (ii) वक्फ (iii) भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त, (iv) राष्ट्रीय धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यक आयोग, और (v) अल्पसंख्यकों के लिए पन्द्रह सूत्री कार्यक्रम संबंधी मामले।
12	**एस.ए. सिद्दीकी**	उप सचिव (एससीडी-VI)	23382774	(i) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित प्रशासकीय विषयों, (ii) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा जनजातीय कार्यालय मंत्रालय के तकनीकी पदों का संयुक्त संवर्ग

				(iii) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग से संबंधित प्रशासकीय विषयों, (iv) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तथा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की रिपोर्टों की कार्यान्वयन के संबंध में रिपोर्ट कार्यान्वयन प्रकोष्ठ, (v) डाक्टर अम्बेडकर प्रतिष्ठान संबंधी प्रशासकीय विषयों, (vi) अनुसूचित जाति प्रभाग संबंधी समन्वय कार्य, (vii) राष्ट्रीय डिनोटिफाईड़ जनजाति, खानाबदोश और अर्द्धखानाबदोश जनजाति आयोग संबंधी प्रशासनिक कार्य, और (viii) हाथ से मैला साफ करने की कुरीति दूर करने और मैला साफ करने वालों के पुर्नवास संबंधी कार्य, से संबंधित सभी मामले।
13	**एन. शरण**	उप सचिव (एससीडी-II)	23385491	(i) विशेष संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत अनुदान जारी करने (ii) केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत निधि के आवंटन की मॉनीटरी, (iii) राज्य सरकारों द्वारा विशेष संघटक योजना के अधीन निधि के आवंटन की मॉनीटरिंग, से संबंधित सभी मामले।
14	**सर्वेश राय**	उप सचिव (डीडी-I व II)	23389164	(i) दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना के कार्यान्वयन, (ii) विकलांग व्यक्तियों के कल्याण और विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्तियों के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय निधि का प्रबंध, (iii) राष्ट्रीय पुरस्कारों (iv) राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम तथा आटिज्म, सेरेबरल पालिसी, मानसिक मंदता और बहुविकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास के प्रशासनिक विषयों, से संबंधित सभी मामले।
15	**एस.सी. गुलाटी**	उप सचिव (एनसीएम व एमएइएफ)	23765008	(i) मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान, और (ii) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से संबंधित सभी मामले।
16	**दीपक श्रीवास्तव**	उप सचिव (सम/मीडिया व डीपी-II)	23387539	(i) नशीली दवा दुरुपयोग निवारण नीति, (ii) मीडिया और प्रचार (iii) मंत्रालय के समन्वयात्मक विषयों, से संबंधित सभी मामले।
17	**जी.के. सिंह**	उप सचिव (एजिंग व सतर्कता)	23073540	(i) वृद्ध व्यक्तियों के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान, (ii) वरिष्ठ नागरिकों /वृद्ध व्यक्तियों के नीतिगत विषयों, (iii) सतर्कता, से संबंधित सभी मामले।
18	**वी.एस. नायक**	संयुक्त निदेशक (प्रेम)	26109063	(i) अनुसंधान अध्ययनों (ii) आयोजना (iii) मूल्याकंन व मानीटरिंग, (iv) इस मंत्रालय के सामाजिक कल्याण कार्यकलापों की सांख्यिकी, और (v) समाज कल्याण का इनसाइक्लोपीडिया, संबंधी सभी मामले।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के लिए अपीलीय प्राधिकारी इस मंत्रालय में अपर सचिव हैं।

अपर सचिव
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दूरभाष : **23384259**

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के नियंत्रणाधीन लोक प्राधिकरणों के जन सूचना अधिकारी

क्र. सं.	संगठन का नाम	जनसूचना अधिकारी का नाम व पद	जन सूचना अधिकारी का दूरभाष/ फैक्स/ ई मेल	सहा जन सू. अधि. का नाम व पदनाम	सहा.जन सूचना अधि. का दूरभाष/फैक्स/ई मेल	अपीलीय प्राधिकारी का नाम व पदनाम	अपीलीय प्राधिकारी का दूरभाष/फैक्स/ ई मेल
1	**केन्द्रीय दत्तक संसाधन एजेन्सी** वेस्ट ब्लाक viii ,विंग-II द्वितीय तल, आर.के.पुरम, नयी दिल्ली-110066	सुश्री राखी चक्रवती पब्लिक सूचना अधिकारी - कारा	011-26106725, 011-26105346 (टैली) 011-26180198 (फैक्स) cara@bol.net.in www.adoptionindia.nic.in				
2	**केन्द्रीय वक्फ काउंसिल**	**डॉ. एम.आर. हक सचिव केन्द्रीय वक्फ काउंसिल**	011-23384465 (टैली) 011-23070881 (फैक्स) central-wakf-council@vsnl.net www.centralwakfcouncil.org	(1) श्री गाजी-उल-इस्लाम (2) श्री मोह. शाहिद खान	011-23384465 (T) 011-23070881 (F) central-wakf-council@vsnl.net - वही-		
3	डा. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, 15 जनपथ नई दिल्ली	श्री एस. के. दास निदेशक	011-23320571, 23320576, 23320589 (P) 011-23320582 (F) diraf.wel@sb.nic.in	शून्य	शून्य		
4	दीनदयाल उपाध्याय विकलांगजन संस्थान, 4,विष्णु दिगम्बर मार्ग नई दिल्ली 110002	श्रीमती तजेन्द्र कौर लाइब्रेरियन	011-23233672 (T) 011-23233301 (T) 011-23239690 (F	**श्रीमती वन्दना मिश्रा अनुसंधान सहायक**	011-23233672 (T) 011-23233301 (T) 011-23239690 (F)		

क्र. सं.	संगठन का नाम	जनसूचना अधिकारी का नाम व पद	जन सूचना अधिकारी का दूरभाष/ फैक्स/ ई मेल	सहा जन सू. अधि. का नाम व पदनाम	सहा.जन सूचना अधि. का दूरभाष/फैक्स/ई मेल	अपीलीय प्राधिकारी का नाम व पदनाम	अपीलीय प्राधिकारी का दूरभाष/फैक्स/ ई मेल
5	जिला पुर्नवास केन्द्र 4, विष्णु दिगम्बर मार्ग नई दिल्ली 110002	श्रीमती सुषमा घई वरि. पी. ए.	011-23233255 (T) 011-23232412 (F) drcpd@hub.nic.in	श्री नवनीत कुमार टेलीफोन आपरेटर	23233254 (T) navnit65@yahoo.com	श्री एस.के. मोहंती, तकनीक अधिकारी	011-23234490 (T) 23232412 (F) drepd@hub.nic.in
6	मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली 110055	डा. सिद्धकी सचिव, मौलाना आजाद प्रतिष्ठान	011-23583788 (टेली) 23583789 (फैक्स) सचिव MAEF@yahoo.co.in	श्री सैयद जमाल अली लेखपाल	011-23583788 (ठेली) 23583789 (फैक्स) सचिव MAEF@yahoo.co.in		
7	राष्ट्रीय पिछड1 वर्ग आयोग त्रिकूट 1 भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली 110066	श्री पी एस रंगा निदेशक, एनसीबीसी	011-26183590(टेली) 011-26183227(फैक्स)				
8	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग पांचवा तल, लोक नायक भवन, नई दिल्ली 110003	श्री पुरंजय शर्मा लीगल आफिसर	011-24616174(टेली) 011-24693302 (फैक्स) p-sharmalo@yahoo.com				
9	**रा. अनु.जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएस सीएफडीसी) 14वां तल, स्काप मीनार,कोर 1व 2,लक्ष्मी**	श्री रमेश राव प्रबंधक (परियोजना और मूल्याकंन)	011-22054389 (टेली) 011-22054395(फैक्स)nsfdc@satyam.net.in www.nsfdc.nic.in	**श्री रतिकांत जेना, उप प्रबंधक समन्वय**	011-22054376(T) 011-22054395 (F) nsfdc@satyam.net.in		

क्र. सं.	संगठन का नाम	जनसूचना अधिकारी का नाम व पद	जन सूचना अधिकारी का दूरभाष/ फैक्स/ ई मेल	सहा जन सू. अधि. का नाम व पदनाम	सहा.जन सूचना अधि. का दूरभाष/फैक्स/ई मेल	अपीलीय प्राधिकारी का नाम व पदनाम	अपीलीय प्राधिकारी का दूरभाष/फैक्स/ ई मेल
	नगर,डिस्ट्रिक्ट सेन्टर लक्ष्मी नगर,दिल्ली-110092						
9 (ए)	वही आंचलिक कार्यालय पांचवां तल विश्वेश्वराह मुख्य टावर, डा.बी.आर. अम्बेडकर विधि बंगलौर 560001.	**श्री टी सतीश आंचलिक सहायक प्रबंधक (अधिकार क्षेत्र)** आंध्र प्रदेश कर्नाटक,केरल तमिलनाडु और पांडीचेरी	080-22865175 (टेलीफैक्स)				
9 (ख)	**-वही- आंचलिक कार्यालय** एससीओ-42 (द्वितीय तल)सैक्टर 20 सी, दक्षिण माग	श्री हरजीत सिंह उप आंचलिक प्रबंधक **(अधिकार क्षेत्र)** जम्मू और कश्मीर पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ राजस्थान और हिमाचल प्रदेश	0172-2704677 (टेलीफैक्स)				
9 (ग)	**-वही- आंचलिक कार्यालय** सर्वे बेलटोला, सामोनया पाथ गोहाटी 781028	श्री अवधेश पंडित आंचलिक सहायक प्रबंधक **(अधिकार क्षेत्र)** असम, अरूणाचल प्रदेश मेघालय, मिजोरम,त्रिपुरा, नागालैंड और मणिपुर	0361-2267676 (टेलीफैक्स)				
9 (घ)	**-वही- आंचलिक कार्यालय न्यू**	श्री डेविड हरेनगेट उप आंचलिक	033-22521395 (टेलीफैक्स)				

क्र. सं.	संगठन का नाम	जनसूचना अधिकारी का नाम व पद	जन सूचना अधिकारी का दूरभाष/ फैक्स/ ई मेल	सहा जन सू. अधि. का नाम व पदनाम	सहा.जन सूचना अधि. का दूरभाष/फैक्स/ई मेल	अपीलीय प्राधिकारी का नाम व पदनाम	अपीलीय प्राधिकारी का दूरभाष/फैक्स/ ई मेल
	मार्किट फेस I, पांचवां तल, 15-एन, नील्ली सेनगुप्ता सारानी, कोलकाता 700087	प्रबंधक **(अधिकार क्षेत्र)** प.बंगाल, सिक्किम और उड़ीसा					
9 (ड)	**-वही- आंचलिक कार्यालय** पीआईसीयूपी भवन, गोमती नगर, लखनऊ-226010	श्री सपन बारू उप आंचलिक प्रबंधक **(अधिकार क्षेत्र)** अत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़	0522-2720850 (टेलीफैक्स)				
9 (च)	**-वही- आंचलिक कार्यालय ओशिवारा, मध्य फैलट, बिल्डिंग सं. 5, प्लाट-62-ए, फैलट सं. 4, आदर्श नगर, न्यु लिंक रोड़, अंधेरी(पश्चिम) मुम्बई-**400053	श्री वी.आर. सालकुटे सहायक आंचलिक प्रबंध्क **(अधिकार क्षेत्र)** महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और दादर और नगर हवेली और दमन और द्वीव	022-26361624 (टेलीफैक्स)				
9 (छ)	**-वही- आंचलिक कार्यालय इन्द्रिरा भवन, द्वितीय तल,राम चरित्र सिंह पथ, नजदीक बेलये रोड़ रेलवे क्रासिंग पटना-**800001	श्री पी.के.झा. सहायक (अधिकारी) **(अधिकार क्षेत्र)** बिहार और झारखंड़	0612-2235115 (टेली)				
10	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास	श्री बी. एल. यादव सहायक प्रबंधक	011-29221331, 29216330 (टेली) 011-29222708			**श्री पी.के. भंडारी,**	

क्र. सं.	संगठन का नाम	जनसूचना अधिकारी का नाम व पद	जन सूचना अधिकारी का दूरभाष/ फैक्स/ ई मेल	सहा जन सू. अधि. का नाम व पदनाम	सहा.जन सूचना अधि. का दूरभाष/फैक्स/ई मेल	अपीलीय प्राधिकारी का नाम व पदनाम	अपीलीय प्राधिकारी का दूरभाष/फैक्स/ ई मेल
	निगम(एनएसकफडीसी) बी-2,प्रथम तल,ग्रेटर कैलाश एंक्लेव, पार्ट-II सावित्रि क्रासिंग,नई दिल्ली	(परियोजना)	011-29222708 (फैक्स) nskfdc@indiatimes.com			उप प्रबंधक (वित्त)	
11	**राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (एनबीडीएफडीसी) पांचवा तल,एनसीयूआइ बिल्डिग, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, पोबा** 4617 नई दिल्ली-110019	**श्री आर.एन. नाविक, वरिष्ठ कंपनी सचिव**	011-26510923 , 26511028 (TO) -011-29542687 ® 011-26850086 (F) csnavik@yahoo.com nbcfdc@del.3.vsnl.net.in				
12	**राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफडी) तैमूर नगर डी-996, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के सामने, नई दिल्ली** 110065	**श्री पी.एस. पावनीकर, प्रबंधक (काएवंप्र)**	011-26326058 (T) 011-26325651 (F) pawnikar@yahoo.com Website: www.nmdfc.org	श्री डी. दास, सहा प्रबंधक (काएवंप्रशा)	दूरभाष: 26326058, फैक्स: 26325651 ddas_nmdfc.org	श्री आर.एन. शास्त्री, प्रबंध निदेशक	
13	**राष्ट्रीय विकलांगजन वित्त एवं विकास निगम (एनएचएफडीसी) रेड क्रॉस भवन, मिनी सचिवालय के सामने, सेक्टर 12, फरीदाबाद**	**श्री अनिल कुमार, सहा प्रबंधक (का)**	0120-2226910 (T) 0120-2284371 (F) nhfdc@nda.vsnl.net.in				

क्र. सं.	संगठन का नाम	जनसूचना अधिकारी का नाम व पद	जन सूचना अधिकारी का दूरभाष/ फैक्स/ ई मेल	सहा जन सू. अधि. का नाम व पदनाम	सहा.जन सूचना अधि. का दूरभाष/फैक्स/ई मेल	अपीलीय प्राधिकारी का नाम व पदनाम	अपीलीय प्राधिकारी का दूरभाष/फैक्स/ ई मेल
	121007						
14	**मानसिक विकलांग संस्थान मनोविकास नगर, सिकंदराबाद**-500009	**डॉ. एस.एच.के. रेड्डी सूचना और प्रलेखन अधिकारी**	040-27751741 (T) 040-27750198 (F) drshkr@rediffmail.com				
14 (क)	**-वही- (नई दिल्ली में क्षेत्रीय कार्यालय)** कस्तूरबा निकेतन, लाजपत नगर-II, नई दिल्ली			**डॉ. टी.के. होरा, कार्यालय इंचार्ज**	011-29818712 (T/F) nimhrc@eth.net		
14 (ख)	**- वही- (कोलकाता में क्षेत्रीय कार्यालय)** बून हुगली, कोलकाता			**श्री थॉमस एम. किशोर, कार्यालय इंचार्ज**	033-25311357 (T/F) mtk-psy@rediffmail.com		
14 (ग)	**- वही- (मुम्बई में क्षेत्रीय कार्यालय)** मुम्बई			**श्रीमती प्रणिता पी. मधकेलकर, कार्यालय इंचार्ज**	(T/F) 022-27876811 pmadkaikar@rediffmail.com		
14 (घ)	**- वही- (नई दिल्ली पर एनआईएमएच एमएसईसी कार्यालय)** कस्तूरबा निकेतन, लाजपत नगर, नई दिल्ली			**श्रीमती जान्हवी, प्रधानाचार्य**	011-29818067 (T/F) Janhavi23@vsnl.net		
14 (ङ)	**- वही- (भोपाल में सीआरसी)** कजुतपकलां, पीपलानी डाक,			**डॉ. आशुतोष पंडित, कार्यालय इंचार्ज**	0755-2685949 (T) 0755-2685950 (F) ashujyot@ya		

क्र. सं.	संगठन का नाम	जनसूचना अधिकारी का नाम व पद	जन सूचना अधिकारी का दूरभाष/ फैक्स/ ई मेल	सहा जन सू. अधि. का नाम व पदनाम	सहा.जन सूचना अधि. का दूरभाष/फैक्स/ई मेल	अपीलीय प्राधिकारी का नाम व पदनाम	अपीलीय प्राधिकारी का दूरभाष/फैक्स/ ई मेल
	भोपाल				hoo.co.in		
15	**राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान (एनआईएसडी),** पश्चिम ब्लॉक 1, विंग 7, भूतल, आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110066	**श्री ब्रह्म प्रकाश चतुर्वेदी तकनीकी अधिकारी (मीडिया)**	011-26104145 (T) 011-26711397 (F) tomedia@nisd.for.in				
16	**राष्ट्रीय धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यक कल्याण आयोग** नेहरु स्टेडियम, नई दिल्ली-110003	**श्री अब्दुल रशीद उप सचिव**	011-24363925 (T) 011-24367794 (F)				
17	**विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त का कार्यालय (सीसीडी) सरोजिनी हाऊस, 6, भगवान दास रोड, नई दिल्ली**-110001	**श्री योगेश शर्मा, डेस्क आधिकारी**	011-23386054, 23386154 (T) 011-23386006 (F) e-mail; ccpd@hub.nic.in www.ccdisabilities.nic.in	**श्री जतिन्द्र सिंह, डेस्क अधिकारी**	011-23386054, 23386154 (T) 011-23386006 (F) e-mail; ccpd@hub.nic.in		
18	**स्वामी विवेकानन्द पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान ओलटपुर, डाकघर बैरोई,** 754010	**श्री के.एन.कित्तूर सूचना और प्रलेखन अधिकारी**	0671-2805352 (T) 0671-2805862 (F) nirtar@ori.nic.in kittur@hotmail.com	**श्री एस.एन मांझी, प्रशासन अधिकारी**	0671-2805352 (T) 0671-2805862 (F) nirtar@ori.nic.in		
19.	**राष्ट्रीय अस्थिविकलांग संस्थान, बी.टी. रोड,**	**श्रीमती रूपाली सेन लेक्चरर (ओटी)**	033-25320610, 25320279, 25310789(T) 033-25318379(F) e-mail: nioh@vsnl.net				

क्र. सं.	संगठन का नाम	जनसूचना अधिकारी का नाम व पद	जन सूचना अधिकारी का दूरभाष/ फैक्स/ ई मेल	सहा जन सू. अधि. का नाम व पदनाम	सहा.जन सूचना अधि. का दूरभाष/फैक्स/ई मेल	अपीलीय प्राधिकारी का नाम व पदनाम	अपीलीय प्राधिकारी का दूरभाष/फैक्स/ ई मेल
	बून हुगली, कोलकाता-700090		Mobile:9330973458 Website:www.niohonline.org				
20.	राष्ट्रीय भाषायी अल्पसंख्क आयुक्त, 40, ए.एन. झा मार्ग, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	डॉ. इज्जुल्ला, उपायुक्त	0532-2468566 (T) 0532-2468544 (F) ncm@sancharnet.in	श्री एस.के. त्रिपाठी, सहायक आयुक्त	0532-2468560(T) 0532-2468544 (F) ncm@sancharnet.in		
21.	भारतीय पुनर्वास परिषद, बी-22, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110016	डॉ. सिद्धांत, मिश्रा, सहायक निदेशक (शैक्षिक)	011-26532408, 26856892, 26532384, 26534287(T) 011-26534291 (Fax) rehabstd@nde.vsnl.net.in			श्रीमती रीटा चटर्जी, उप निदेशक (शैक्षिक)	
22.	भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम(एलिम्को) उप्र, जीटी रोड, कानपुर-208016	श्री शोभित श्रीवास्तव, कल्याण अधिकारी	0512770115 (T) 0512770617 (F) alimco-hq@vsnl.net			श्री बी.के. मिश्रा, महा प्रबंधक (वित्त एवं मुसअ)	
23.	अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण बाधित संस्थान, के.सी मार्ग, बांद्रा, रिक्लेमेशन, बांद्रा 9डब्ल्यू, मुम्बई-400050	एन. कार्तिकेयन, सूचनस और प्रलेखन अधिकारी	022-26559708 (T) 022-26404170 (F) karthikeyanido@rediffmail.com www.ayjninh.nic.in				
23 (क)	- वही- नई दिल्ली में क्षेत्रीय कार्यालय	श्री जे.सी. गुप्ता	011-29815093				
23 (ख)	- वही- कोलकाता में क्षेत्रीय	श्री ए.के. सिन्हा	033-25311427				

क्र. सं.	संगठन का नाम	जनसूचना अधिकारी का नाम व पद	जन सूचना अधिकारी का दूरभाष/ फैक्स/ ई मेल	सहा जन सू. अधि. का नाम व पदनाम	सहा.जन सूचना अधि. का दूरभाष/फैक्स/ई मेल	अपीलीय प्राधिकारी का नाम व पदनाम	अपीलीय प्राधिकारी का दूरभाष/फैक्स/ ई मेल
	कार्यालय						
23 (ग)	- वही- सिकन्दराबाद में क्षेत्रीय कार्यालय	कु. जॉन डीमेलो	040-27758500				
23 (घ)	- वही- भुवनेश्वर में क्षेत्रीय कार्यालय	श्रीमती पार्बती मिश्रा	0674-25561394				
24.	राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान, 116, राजपुर रोड, देहरादून-248001, उत्तराचंल	श्री सुरेन्द्र कुमार धलवाल	0135-2738053 ® 0-9412053116 (M) 0135-2744491 (O) 0135-2748147 (F) surenderdhalwal@yahoo.co.in www.nivh.org	श्रीमती नीतू साहनी, सांख्यिकी सहायक	0135-2744491		
25.	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, 5वां तल, लोक नायक भवन, नई दिल्ली	श्री एम.ए. सत्तार, निदेशक	24625731 (T) 24625378 Fax	1. श्री एम.पी. दिनकर, अवर सचिव, 2. श्री एस.एन. मीणा, अवर सचिव 3. श्रीमती के.डी. बंसोड, उप निदेशक	24629434, 24623959, 24694365	श्री एस. एस. शर्मा, संयुक्त सचिव	011-24635722 (T) 011-24625378 (F)
25 (क)	- वही- प्रगति रोड, लेक चौमोहनीख् अगरतला-799001 (त्रिपुरा पश्चिम)	डॉ. एस.के. नसकर, उप निदेशक	0381-2223140 (TF)			- वही-	
25 (ख)	- वही- 2रा तल, मावलंकर	श्री कौशल कुमार, सहायक	079-25509762 (TF)			- वही-	

क्र. सं.	संगठन का नाम	जनसूचना अधिकारी का नाम व पद	जन सूचना अधिकारी का दूरभाष/ फैक्स/ ई मेल	सहा जन सू. अधि. का नाम व पदनाम	सहा.जन सूचना अधि. का दूरभाष/फैक्स/ई मेल	अपीलीय प्राधिकारी का नाम व पदनाम	अपीलीय प्राधिकारी का दूरभाष/फैक्स/ ई मेल
	मावलंकर हवेली, वसंत चौक, लाल दरवाजा, अहमदाबाद-380001	**निदेशक**					
25 (ग)	**- वही-** 3रा तल, डी विंग, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, केन्द्रीय सदन, कोरामंगला, बैंगलूर-560034	**श्री डी.जे.एन. आनन्द, निदेशक**	080-25537155 (TF)			**- वही-**	
25 (घ)	**- वही-** 5 वां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024	**डॉ. डी. बसक, उप निदेशक**	0522-2330288 (TF)			**- वही-**	
25 (ङ)	**- वही-** 2 रा तल, ब्लॉक-5, शास्त्री भवन, चेन्नै-600006	**श्री पी. वसंतकुमार, सहायक निदेशक**	044-28276430 (T-Office)			**- वही-**	
25 (च)	**- वही-** 189- बी, श्रीकृष्णापुरी, पटना-800001	**श्री पी.एन. प्रसाद, निदेशक**	0612-2232285 (TF)			**- वही-**	
25 (छ)	**- वही-** 15/1658, “कांडला” एमपी अप्पान रोड, वझहुथाकौड जंक्शन, त्रिवेंद्रम-695014	**श्री के. राजेन्द्रन, उप निदेशक**	0471-2327530 (TF)			**- वही-**	
25 (ज)	**- वही-** मयूख भवन (भूतल), साल्ट लेक सिटी, कोलकाता-790091	**डॉज्ञ एस.के. नसकर, उप निदेशक**	033-23370977 (TF)			**- वही-**	

क्र. सं.	संगठन का नाम	जनसूचना अधिकारी का नाम व पद	जन सूचना अधिकारी का दूरभाष/ फैक्स/ ई मेल	सहा जन सू. अधि. का नाम व पदनाम	सहा.जन सूचना अधि. का दूरभाष/फैक्स/ई मेल	अपीलीय प्राधिकारी का नाम व पदनाम	अपीलीय प्राधिकारी का दूरभाष/फैक्स/ ई मेल
25 (झ)	**- वही-** 6 टा तल, केन्द्रीय सदन, सेक्टर-9- ए, चंडीगढ़-160017	**श्री एम.ए. सत्तार, निदेशक**	0172-2742561 (TF)			**- वही-**	
25 (j)	**- वही-** 2 रा तल, "वीएन इंटरप्राइसेज बिल्डिंग", क्रिश्चियन बस्ती, जी.एस. रोड, दिसपुर, गुवाहटी–781005	**श्री एल.के. पेगू, निदेशक**	0361-2347040 (TF)			**- वही-**	
25 (k)	**- वही-** फ्लैट नं. 103, तेजस्विनी अपार्टमेंट, 2रा तल, द्वारका पुरी कॉलोनी, पंजागुट्टा, हैदराबाद-5000821	**श्रीमती विभा सूद, निदेशक**	040-23354907 (TF)			**- वही-**	
25 (l)	**- वही-** चिपलूंकर भवन, नवीपेठ, शास्त्री भवन, पुणे-411030	**श्री संजय श्रीवास्तव, निदेशक**	020-24337510 (TF)			**- वही-**	
26.	**राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, 4था तल, बी विंग, लोक नायक भवन, नई दिल्ली**	**श्री जी.एन. पेगू, सचिव**	**24618119 (T) 24648922(Fax)**				

क्र. सं.	संगठन का नाम	जनसूचना अधिकारी का नाम व पद	जन सूचना अधिकारी का दूरभाष/ फैक्स/ ई मेल	सहा जन सू. अधि. का नाम व पदनाम	सहा.जन सूचना अधि. का दूरभाष/फैक्स/ई मेल	अपीलीय प्राधिकारी का नाम व पदनाम	अपीलीय प्राधिकारी का दूरभाष/फैक्स/ ई मेल
27	**प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदताग्रस्त व्यक्ति कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास** आईपीएच कॉम्प्लैक्स, 4, विष्णु दिगम्बर मार्ग, नई दिल्ली-110002	**श्री जे.एल. कौल, उप निदेशक**	011-23217413 (T) 011-23217414 (F) www.nationaltrust @ren02.com				

अध्याय - 9

नियम पुस्तिका - 8

निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली क्रियाविधि
{धारा 4(1)(ख) (iii) के अंतर्गत)}

9.1 विभिन्न मामलों में निर्णय लेने के लिए क्या क्रियाविधि अपनाई जाती है ? (सचिवालय नियम पुस्तिका और कार्य संचालन नियम मैनुअल, और अन्य नियम/विनियमों इत्यादि का संदर्भ लिया जा सकता है)

विकलांगता ब्यूरों, समाज रक्षा ब्यूरो, अनुसूचित जाति ब्यूरो, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग ब्यूरो के अंतर्गत सभी प्रभाग कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालय प्रक्रिया में निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं ।

9.2 महत्वपूर्ण मामलों में किसी विशेष निर्णय पर पहुंचने के लिए लिखित प्रक्रिया/निर्धारित प्रक्रिया/परिभाषित मानदंड/नियम क्या है ? निर्णय प्रक्रिया पर कार्रवाई होने के विभिन्न स्तर क्या हैं ?

(i) इस मंत्रालय के सभी ब्यूरो कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित कार्यालय प्रक्रिया मैनुअल, वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित सामान्य वित्तीय-नियम, वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन का अनुसरण करते हैं । इसके अतिरिक्त वैयक्तिक ब्यूरो अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित दस्तावेजों का भी अनुसरण करते हैः

ब्यूरो **लिखित प्रक्रिया/नियम/दिशा-निर्देश इत्यादि**

<u>एससीडी ब्यूरो</u>

- गैर-सरकारी संगठन दिशा-निर्देश
- विशेष संघटक योजना (एससीपी) और विशेष केन्द्रीय सहायता
- गैर-सरकारी संगठन दिशा-निर्देश

- संगम ज्ञापन और संबंधित निगमों अर्थात अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम और सफाई कर्मचारी, वित्त और विकास निगम के नियम और विनियम
- भारत के संविधान का अनुच्छेद 338
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 और सिविल अधिकार संरक्षण नियम, 1977
- संगत संवैधानिक प्रावधान

ब्यूरो **लिखित प्रक्रिया/नियम/दिशा-निर्देश इत्यादि**

विकलांगता प्रभाग

- भारती पुनर्वास परिषद, अधिनियम, 1992
- भारतीय पुनर्वास परिषद (सदस्य सचिव, अधिकारी और अन्य कर्मचारियों की सेवा-शर्तें) विनियम, 1998
- भारतीय पुनर्वास परिषद विनियम, 1997
- निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995
- विभिन्न विकलांगताओं के आकलन के लिए दिशा-निर्देश और प्रमाणीकरण प्रक्रिया
- विकलांग व्यक्तियों के लिए पहचान किए गए पदों की सूची
- विकलांग व्यक्तियों की स्वैच्छिक कार्रवाई को बढ़ावा देने की योजना (दीनदयाल विकलांगजन पुनर्वास योजना)
- भारतीय पुनर्वास परिषद (सदस्य सचिव, अधिकारी और अन्य कर्मचारियों की सेवा-शर्तें) विनियम, 1998
- भारतीय पुनर्वास परिषद विनियम, 1997
- निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995
- विभिन्न विकलांगताओं के आकलन के लिए दिशा-निर्देश और प्रमाणीकरण प्रक्रिया
- विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति की योजना

- विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार की योजना
- राष्ट्रीय विकलांगजन कल्याण निधि के गठन से संबंधित अधिसूचना जिसका राष्ट्रीय विकलांगजन निधि के रूप में पुनः नामकरण किया गया है, व समय-समय पर यथा संशोधित
- आटिज्म, प्रमस्तिष्क-घात, मानसिक मंदता और बहुविकलांगता-ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास, अधिनियम, 1999
- आटिज्म, प्रमस्तिष्क-घात, मानसिक मंदता और बहुविकलांगता-ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास, नियमावली, 2000
- न्यास मंडल विनियम, 2001
- राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम (एनएचएफडीसी) का संगम ज्ञापन और संगम-अनुच्छेद
- विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति की योजना
- विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार की योजना
- राष्ट्रीय विकलांग कल्याण निधि, जिसे बाद में राष्ट्रीय विकलांगजन निधि के नाम से जाना जाता है, की स्थापना के संबंध में अधिसूचना । इसमें समय-समय पर संशोधन किया जाता है ।
- आटिज्म, प्रमस्तिष्क-घात, मानसिक मंदता और बहुविकलांगता-ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999

अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग ब्यूरो

- मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की योजना
- मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति की योजना
- अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित छात्रों और छात्राओं के लिए छात्रावासों के निर्माण के लिए सहायता-अनुदान
- गैर-सरकारी संगठनों को सहायता की योजना
- मंडल आयोग का निर्णय
- मंडल आयोग की रिपोर्ट
- अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूची

- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम
- अनुसंधान और प्रकाशन हेतु सहायता-अनुदान नियमों की योजना
- मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की योजना
- मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति की योजना
- अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों और छात्राओं के लिए छात्रावास के लिए सहायता-अनुदान
- गैर-सरकारी संगठनों को सहायता की योजना
- अनुसूचित जाति, अन्य पिछडा वर्ग और अल्पसंख्यकों सहित समाज के कमजोर वर्गों के लिए कोचिंग और अन्य सहायता
- अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए योग्यता का उन्नयन
- अनुसूचित जाति के छात्रों और छात्राओं के लिए छात्रावास
- अनुसूचित जाति, अन्य पिछडा वर्ग और अल्पसंख्यकों सहित समाज के कमजोर वर्गों के लिए कोचिंग और अन्य सहायता
- अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए योग्यता का उन्नयन
- अनुसूचित जाति के छात्रों और छात्राओं के लिए छात्रावास
- अनुसूचित जाति, अन्य पिछडा वर्ग और अल्पसंख्यकों सहित समाज के कमजोर वर्गों के लिए कोचिंग और अन्य सहायता
- अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए योग्यता का उन्नयन
- अनुसूचित जाति के छात्रों और छात्राओं के लिए छात्रावास
- अनुसूचित जाति, अन्य पिछडा वर्ग और अल्पसंख्यकों सहित समाज के कमजोर वर्गों के लिए कोचिंग और अन्य सहायता
- अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए योग्यता का उन्नयन
- अनुसूचित जाति के छात्रों और छात्राओं के लिए छात्रावास

ब्यूरो	**लिखित प्रक्रिया/नियम/दिशा-निर्देश इत्यादि**

समाज रक्षा ब्यूरो

- वृद्धावस्था पर राष्ट्रीय नीति

- किशोर न्याय (बाल देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000
- किशोर न्याय (बाल देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के तहत बनाई गई मॉडल नियमावली, 2000
- किशोर न्याय के लिए कार्यक्रम
- बेसहारा बच्चों के लिए एकीकृत कार्यक्रम
- समाज रक्षा के क्षेत्र में सामान्य सहायता-अनुदान के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता
- देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद कामकाजी बच्चों के लिए स्कीम
- मद्यपान और नशीले पदार्थ दुरुपयोग निवारण के लिए स्कीम

कार्यालय प्रक्रिया का नियम पुस्तिका में यथानिर्धारित सोपान का पालन मामलो पर कार्रवाई करने के लिए किया जाता है :

क्रम सं.	स्तर/अधिकारी	अपनाई गई प्रक्रिया
1	सहायक/संबंधित कर्मचारी	मामलों पर कार्रवाई करता है और उन्हें प्रस्तुत करता है ।
2.	अनुभाग अधिकारी	पर्यवेक्षण करता है और यदि कोई हो तो अपनी टिप्पणी देता है तथा इसे अवर सचिव को प्रस्तुत करता है ।
3.	अवर सचिव	अपने प्रभार के अंतर्गत अनुभागों से कार्य करवाते हैं और यदि वह सक्षम प्रधिकारी है तो निर्णय लेते हैं, नहीं तो मामले को उपसचिव/निदेशक को अग्रषित किया जाता है ।
4.	निदेशक	अवर सचिव से कार्य लेते हैं और यदि वह सक्षम प्रधिकारी हैं तो मामलों का निपटान करते हैं, नहीं तो संयुक्त सचिव से आदेश लेते हैं ।
5.	संयुक्त सचिव	निदेशक से कार्य लेते हैं और उनके प्रभार के अंतर्गत आने वाले प्रभागों से संबंधित मुद्दों पर निर्णय

		लेते हैं ।
6.	अपर सचिव/सचिव/ मंत्री	उन मामलों मे कार्य करते हैं, जहां नया नीतिगत निर्णय अथवा अधिसूचित निर्दिष्ट नीति से हटकर निर्णय लिया जाता है ।

आम जनता को निर्णय के बारे में बताने के लिए क्या प्रबंध किए गए हैंः

आम जनता को निर्णयों से अवगत कराने के लिए संचार के विभिन्न माध्यमों का उपयोग किया जाता हैः

आम जनता के लिए साधारण सूचना	राजपत्र अधिसूचना, संकल्प, समाचार पत्रों में विज्ञापन, आकाशवाणी, मंत्रालय की वेबसाइट और संबद्ध कार्यालय, प्रदर्शनी, एनिमेशन बोर्ड, बस का बैक पैनल, होर्डिंग, जन उपयोगिता सेवाएं आदि जैसे बाह्य प्रचार माध्यम
विशेष मामलों में वैयक्तिक सूचना के लिए निम्नलिखित संचार माध्यमों का प्रयोग किया जाता है	पत्र, आदेश, कार्यालय ज्ञापन
नई स्कीमों, कार्यक्रमों की शुरूआत के मामले में	माननीया मंत्री (सामाजिक न्याय और अधिकारिता) अथवा सचिव (सामाजिक न्याय और अधिकारिता) का प्रेस सम्मेलन

9.4 विभिन्न स्तर के ऐसे अधिकारी कौन है जिनकी राय निर्णय लेने की प्रक्रिया में मांगी जाती है ?

उपर्युक्त 9.2 में यथा वर्णित । इसके अतिरिक्त वित्तीय मामलों पर मंत्रालय के एकीकृत वित्त विभाग, वित्त मंत्रालय, विधि कार्य मंत्रालय और अन्य संबद्ध मंत्रालय ।

9.5 निर्णय का पुनरीक्षण करने वाला अंतिम प्राधिकरण कौन है?

सरकार द्वारा बनाई गई विभिन्न नियमावलियों जैसे मूल नियमावली और पूरक नियमावली, सामान्य वित्तीय नियमावली, वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली आदि में प्रधिकरणों का निर्धारण किया गया है । अपेक्षित निर्णय के प्रकार पर निर्भर रहते हुए अवर सचिव स्तर और इससे ऊपर के स्तर का अधिकारी अंतिम निर्णय ले सकता है । तथापि, अंतिम निर्णय लेने वाले प्राधिकारी से कम स्तर के अधिकारियों को उच्च स्तर पर लिए गए निर्णयों से अवगत किया जा सकता है ।

सभी सामान्य मामलों में निर्णय लेने के लिए ब्यूरों प्रमुख (संयुक्त संचिव) सक्षम प्राधिकारी है । तथापि सभी महत्वपूर्ण मामलों पर ब्यूरो प्रमुख अपर सचिव/सचिव/माननीय मंत्रियों का अनुमोदन प्राप्त करता है ।

उन मामलों में, जहां चल रहे मामलों पर गैर-सरकारी संगठनों को दिया जाने वाला सहायता अनुदान, प्रस्ताव में समाहित सहायता-अनुदान की राशि पर निर्भर करता है, पर अंतिम निर्णय लेने वाले प्राधिकारी इस प्रकार हैं :

10.00 लाख रुपए तक	संबंधित ब्यूरो का संयुक्त सचित
10-15 लाख रुपए	सचिव (सामाजिक न्याय और अधिकारिता)
15-20 लाख रुपए	राज्य मंत्री (सामाजिक न्याय और अधिकारिता)
20 लाख से अधिक	मंत्री (सामाजिक न्याय और अधिकारिता)

नए गैर-सरकारी संगठनों के मामलों में किसी राशि के लिए माननीय मंत्री के अनुमोदन की आवश्यकता है ।

ब्यूरो/प्रभाग	**विषय**	
डीडी ब्यूरो	(i) राष्ट्रीय छात्रवृत्ति	सचिव (सामाजिक न्याय और अधिकारिता) अंतिम प्रभारी हैं ।
	(ii) राष्ट्रीय पुरस्कार	राष्ट्रीय चयन समिति अंतिम प्राधिकारी है ।
अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग	सभी मामले	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री/

प्रभाग		सचिव
आयोजना, अनुसंधान, मूल्यांकन और मानीटरिंग प्रभाग		सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री/सचिव
अनुसूचित जाति विकास ब्यूरो	केन्द्रीय सहायता की निर्मुक्त के लिए	नए गैर सरकारी संगठनों के मामलों में, सहायता अनुदान की मंजूरी के लिए मंत्री (सामाजिक न्याय और अधिकारिता) का अनुमोदन अनिवार्य है ।
आर.एल.प्रकोष्ठ	अनुसूचित जातियों की सूची में कोई संशोधन	संविधान के अनुच्छेद 341(2) के मद्देनजर संसद के अधिनियम द्वारा किया जा सकता है ।
	सूची में आवश्यक संशोधन के लिए संसद में विधेयक को पहले ही प्रस्तुत करना	संबंधित मंत्रालयों के साथ अंतर-मंत्रालयी परामर्श का कार्य किया जाता है ।

9.6 कृपया उन महत्वपूर्ण मामलों के लिए निम्नलिखित फार्मेट में अलग से सूचना प्रदान करें, जिनमें निर्णय जन प्राधिकारी द्वारा किया जाता है ।

प्रशासन प्रभाग

क्रम सं. 1	
विषय जिन पर निर्णय लिया जाना है ।	नोडल मंत्रालय अर्थात् कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय आदि द्वारा यथा निर्धारित नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार मंत्रालय के कर्मचारियों के सेवा मामले ।
दिशानिर्देश/निर्देश, यदि कोई हो ।	संगत नियमों और विनियमें जैसे कि नोडल मंत्रालय यथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय आदि द्वारा तैयार किए गए हैं, के तहत जैसा कि दिया जाता है।
क्रियान्वयन की प्रक्रिया	उपर्युक्त प्रक्रियाओं के द्वारा
निर्णय लेने में शामिल अधिकारी का पदनाम	(i) अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव(प्रशा.) (ii) निदेशक (प्रशासन) (iii) संयुक्त सचिव (प्रशा.) (vi) अपर सचिव (सामाजिक न्याय और अधिकारिता) (vii) सचिव (सामाजिक न्याय और अधिकारिता) (viii) राज्य मंत्री (ix) मंत्री

उपर्युक्त अधिकारियों का संपर्क सूचना		**दूरभाष**	**फैक्स**
	(i) अनुभाग अधिकारी	23388184	23384918
	अवर सचिव	23073552	23384918
	(ii) निदेशक	23383464	23384918
	(v) संयुक्त सचिव	23381643	
	(vi) अतिरिक्त सचिव (सामाजिक न्याय और अधिकारिता)	23384259	23383320
	(vii) सचिव (सामाजिक न्याय और अधिकारिता)	23382683 23389184	23385160
	(viii) राज्य मंत्री	23383757 23383745	
	(ix) मंत्री	23381001 23381390 23782132	
यदि निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं तो कहां और कैसे अपील करें	मंत्री (सामाजिक न्याय और अधिकारिता), राज्य मंत्री (सामाजिक न्याय और अधिकारिता), सचिव (सामाजिक न्याय और अधिकारिता) और संयुक्त सचिव (विकलांगता प्रभाग) को अपील की जा सकती है ।		

विकलांगता प्रभाग ब्यूरो

क्रम संख्या I	
विषय जिन पर निर्णय लिया जाना है ।	दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना के अंतर्गत सहायता अनुदान की निर्मुक्ति ।
दिशानिर्देश/निर्देश, यदि कोई हो ।	जैसा कि योजना में दिया गया है ।
क्रियान्वयन की प्रक्रिया	स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से ।
निर्णय लेने में शामिल अधिकारी का पदनाम	(i) अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव (डीडी 2)
	(ii) उप सचिव/निदेशक (डीडी 2)
	(iii) उप सचिव/निदेशक (वित्त)
	(iv) अनुभाग अधिकारी (वित्त)
	(v) संयुक्त सचिव, विकलांगता प्रभाग

	(vi) अतिरिक्त सचिव (सा.न्या.और अधि.)		
	(vii) सचिव (सा.न्या.और अधि.)		
	(viii) राज्य मंत्री		
	(ix) मंत्री		
उपर्युक्त अधिकारियों का संपर्क सूचना		**टेली.**	**फैक्स**
	(i) अनुभाग अधिकारी/ अवर सचिव (डीडी 2)	23073703	23384918
	(ii) उप सचिव/निदेशक (डीडी 2)	23389164	23384918
	(iii) उप सचिव/निदेशक (वित्त)	23387430	23384918
	(iv) अनुभाग अधिकारी (वित्त)	23385491	तदैव
	(v) संयुक्त सचिव, विकलांगता प्रभाग	23381643	23381643
	(vi) अतिरिक्त सचिव (सा.न्या.और अधि.)	23384259	23383320
	(vii) सचिव (सा.न्या.और अधि.)	23382683 23389184	23385160
	(viii) राज्य मंत्री	23383757 23383745	
	(ix) मंत्री	23381001 23381390 23782132	
यदि निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं तो कहां और कैसे अपील करें	सचिव (सा.न्या.और अधि.), संयुक्त सचिव (विकलांगता प्रभाग), उपसचिव (डीडी) और परामर्शदाता को अपील की जा सकती है ।		

क्रम संख्या II	
विषय जिन पर निर्णय लिया जाना है ।	राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति छात्रवृत्ति
दिशानिर्देश/निर्देश, यदि कोई हो ।	जैसा कि योजना में दिया गया है ।
क्रियान्वयन की प्रक्रिया	व्यक्तियों को दिया जाता है ।
निर्णय लेने में शामिल अधिकारी का पदनाम	(i) परामर्शदाता (डीडी IV) (ii) उपसचिव/निदेशक (डीडी IV) (iii) संयुक्त सचिव, विकलांगता प्रभाग

	(iv) सचिव (सा.न्या.और अधि.)		
उपर्युक्त अधिकारियों का संपर्क सूचना		**टेली.**	**फैक्स**
	(i) परामर्शदाता	23386314	23384918
	(ii) उपसचिव/निदेशक	23389164	23384918
	(iii) **संयुक्त सचिव, विकलांगता प्रभाग**	23381643	23381643
	(vii) सचिव (सा.न्या.और अधि.)	23382683 23389184	23385160
यदि निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं तो कहां और कैसे अपील करें	सचिव (सा.न्या.और अधि.), संयुक्त सचिव (विकलांगता प्रभाग) उपसचिव (डीडी) और परामर्शदाता को अपील की जा सकती है।		

क्रम संख्या III			
विषय जिन पर निर्णय लिया जाना है ।	विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार		
दिशानिर्देश/निर्देश, यदि कोई हो ।	जैसा कि योजना में दिया गया है ।		
क्रियान्वयन की प्रक्रिया	विभिन्न श्रेणियों के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं जैसा कि योजना में विनिर्दिष्ट है ।		
निर्णय लेने में शामिल अधिकारी का पदनाम	योजना में यथा प्रस्तावित जांच समिति तथा राष्ट्रीय समिति		
उपर्युक्त अधिकारियों का संपर्क सूचना		**टेलिफोन**	**फैक्स**
	अनुभाग अधिकारी (डीडी 5)	23386314	23384918
	उप सचिव (डीडी)	23389164	23384918
यदि निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो कहां और कैसे अपील करें	अपील संयुक्त सचिव (डीडी) को की जा सकती है		

क्रम संख्या IV	
विषय जिन पर निर्णय लिया जाना है ।	नीतिगत मुद्दे । भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम और निःशक्त व्यक्ति अधिनियम का कार्यान्वयन और मानीटरिंग
दिशानिर्देश/निर्देश, यदि कोई हो ।	अधिनियम, नियमों, विनयम अथवा योजना के अनुसार, जैसी भी स्थिति हो ।
क्रियान्वयन की प्रक्रिया	मामलों को प्रस्तुत करने के निर्धारित चैनलों के माध्यम से ।
निर्णय लेने में शामिल अधिकारी का पदनाम	(i) अनुभाग अधिकारी (डीडी III)

	(ii) अवर सचिव (डीडी III) (ii) उप सचिव/निदेशक (डीडी III) (iii) उपसचिव/निदेशक (वित्त) (iv) अनुभाग अधिकारी (वित्त) (v) संयुक्त सचिव, विकलांगता प्रभाग (vi) अतिरिक्त सचिव (सा.न्या.और अधि.) (vii) सचिव (सा.न्या.और अधि.) (viii) राज्य मंत्री (ix) मंत्री		
उपर्युक्त अधिकारियों का संपर्क सूचना		**फैक्स**	**टेलिफोन**
	(i) अनुभाग अधिकारी	23382391	23384918
	(ii) अवर सचिव	23381641	23384918
	(iii) उप सचिव/निदेशक (वित्त)	23383853	23384918
	(iv) अनुभाग अधिकारी (वित्त)	23387430	23384918
	(v) संयुक्त सचिव, विकलांगता प्रभाग	23385491	तदैव
	(vi) अतिरिक्त सचिव (सा.न्या.और अधि.)	23381643	23381643
	(vii) सचिव (सा.न्या.और अधि.)	23384259	23383320
	(viii) राज्य मंत्री	23382683 23389184	23385160
	(ix) मंत्री	23383757 23383745	
यदि निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं तो कहां और कैसे अपील करें	अगला उच्चतर प्राधिकारी । मंत्री (सा.न्या.और अधि.), राज्य मंत्री (सा.न्या.और अधि.), सचिव (सा.न्या.और अधि.) और संयुक्त सचिव (विकलांगता प्रभाग) को अपील की जा सकती है ।		

क्रम सं. V	
विषय जिन पर निर्णय लिया जाना है ।	**राष्ट्रीय संस्थान**
दिशानिर्देश/निर्देश, यदि कोई हो ।	शर्तो के अनुसार
क्रियान्वयन की प्रक्रिया	मामले प्रस्तुत करने के निर्धारित चैनलों के द्वारा
निर्णय लेने में शामिल अधिकारी का	(i) अनुभाग अधिकारी (एनआई-I)

पदनाम	(ii) उप सचिव/निदेशक (एनआई-I) (iii) उपसचिव/निदेशक (वित्त) (iv) अनुभाग अधिकारी (वित्त) (v) संयुक्त सचिव, विकलांगता प्रभाग (vi) अतिरिक्त सचिव (सा.न्या.और अधि.) (vii) सचिव (सा.न्या.और अधि.) (viii) राज्य मंत्री (ix) मंत्री		
उपर्युक्त अधिकारियों का संपर्क सूचना		**टेली.**	**फैक्स**
	(i) अनुभाग अधिकारी	23389993	23384918
	(ii) उप सचिव/निदेशक	23387690	23384918
	(iii) उप सचिव/निदेशक (वित्त)	23387430	23384918
	(iv) अनुभाग अधिकारी (वित्त)	23385491	तदैव
	(v) संयुक्त सचिव, विकलांगता प्रभाग	23381643	23381643
	(vi) अतिरिक्त सचिव (सा.न्या.और अधि.)	23384259	23383320
	(vii) सचिव (सा.न्या.और अधि.)	23382683 23385160 23389184	
	(viii) राज्य मंत्री	23383757 23383745	
	(ix) मंत्री	23381001 23381390 23782132	
यदि निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं तो कहां और कैसे अपील करें	अगला उच्चतर प्राधिकारी । मंत्री (सा.न्या.और अधि.), राज्य मंत्री (सा.न्या.और अधि.), सचिव (सा.न्या.और अधि.) और संयुक्त सचिव (विकलांगता प्रभाग) को अपील की जा सकती है ।		

क्रम संख्या VI	
विषय जिन पर निर्णय लिया जाना है ।	एडिप योजना
दिशानिर्देश/निर्देश, यदि कोई हो ।	योजना के अनुसार
क्रियान्वयन की प्रक्रिया	मामले प्रस्तुत करने के निर्धारित चैनलों के द्वारा

निर्णय लेने में शामिल अधिकारी का पदनाम	(i) अवर सचिव (डीडी-I) (ii) उप सचिव/निदेशक (एनआई-I) (iii) उपसचिव/निदेशक (वित्त) (iv) अनुभाग अधिकारी (वित्त) (v) संयुक्त सचिव, विकलांगता प्रभाग (vi) अतिरिक्त सचिव (सा.न्या.और अधि.) (vii) सचिव (सा.न्या.और अधि.) (viii) राज्य मंत्री (ix) मंत्री		
उपर्युक्त अधिकारियों का संपर्क सूचना		**टेलिफोन**	**फैक्स**
	(i) अवर सचिव (DD I)	23386314	23384918
	(ii) उप सचिव/निदेशक	23387690	23384918
	(iii) उप सचिव/निदेशक (वित्त)	23387430	23384918
	(iv) अनुभाग अधिकारी (वित्त)	23385491	- तदैव -
	(v) संयुक्त सचिव, विकलांगता प्रभाग	23381643	23381643
	(vi) अतिरिक्त सचिव (सा.न्या.और अधि.)	23384259	23383320
	(vii) सचिव (सा.न्या.और अधि.)	23382683 23389184	23385160
	(viii) राज्य मंत्री	23383757 23383745	
	(ix) मंत्री	23381001 23381390 23782132	
यदि निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो कहां और कैसे अपील करें	अगला उच्चतर प्राधिकारी । मंत्री (सा.न्या.और अधि.), राज्य मंत्री (सा.न्या.और अधि.), सचिव (सा.न्या.और अधि.) और संयुक्त सचिव (विकलांगता प्रभाग) से अपील की जा सकती है ।		

अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग ब्यूरो

क्रम संख्या I	
विषय जिन पर निर्णय लिया जाना है ।	सीडब्ल्यूसी/ एमएईएफ/ एनसीआरएलएम/ एनसीएम/ सीएलएम/ एनएमडीएफसी/ डीकेएस अधिनियम

दिशानिर्देश/निर्देश, यदि कोई हो ।	संगठन के नियमों के अनुसार		
क्रियान्वयन की प्रक्रिया	लागू नहीं क्योंकि मंत्रालय संगठन के केवल प्रशासनिक मामलों को देखता है तथा योजनाएं संगठनों द्वारा स्वयं कार्यान्वित की जाती है ।		
निर्णय लेने में शामिल अधिकारी का पदनाम	(i) अनुभाग अधिकारी/ अवर सचिव (वक्फ) (ii)सहा. निदेशक (एनएमडीएफसी)/ अनु.अधि.(एमसी)/ अनु.अधि.(सीएलएम) (iii) सहा.निदेशक(एमएईएफ)/अनु.अधि.(एमसी डेस्क) (iv) अवर सचिव (15 पीपी) (v) उप सचिव (वक्फ और अल्पसंख्यक) (vi) उप सचिव (एनसीएम) (vii) संयुक्त सचिव (एम एंड बीसी) (viii) अतिरिक्त सचिव (सा.न्या.और अधि.) (ix) सचिव (सा.न्या.और अधि.) (x) राज्य मंत्री (xi) मंत्री		
उपर्युक्त अधिकारियों का संपर्क सूचना	अनुभाग अधिकारी/ अवर सचिव (वक्फ)	23765014,	23765011
	सहायक निदेशक (NMDFC)/ अनु.अधि. (MC) अनु.अधि (CLM)	23765013	23765006
	सहा.निदे.(MAEF)/ अनु.अधि.(MC- डेस्क)	23765013	23765012
	अवर सचिव (15 P.P)-	23765012	23765009
	उप सचिव (वक्फ और अल्पसंख्यक)	23765009	
	उप सचिव (NCM)	23765008	
	संयुक्त सचिव (M&BC)	23765004,	23765005
यदि निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो कहां और कैसे अपील करें	मंत्री (सा.न्या.और अधि.), राज्य मंत्री (सा.न्या.और अधि.), सचिव (सा.न्या.और अधि.) और संयुक्त सचिव (विकलांगता प्रभाग) को अपील की जा सकती है ।		

पिछड़ा वर्ग प्रभाग

क्रम संख्या I	
विषय जिन पर निर्णय लिया जाना है ।	अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व, मैट्रिकोत्तर और छात्रावासों की योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों

	को सहायता अनुदान की निर्मुक्ति ।
दिशानिर्देश/निर्देश, यदि कोई हो ।	जैसा कि योनजा में दिया गया है ।
क्रियान्वयन की प्रक्रिया	राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से ।
निर्णय लेने में शामिल अधिकारी का पदनाम	(i) अनुभाग अधिकारी/ अवर सचिव (बीसी) (ii) उप सचिव/निदेशक (बीसी) (iii) संयुक्त सचिव (एम एंड बीसी) (iv) अतिरिक्त सचिव (सा.न्या.और अधि.) (v) सचिव (सा.न्या.और अधि.) (vi) राज्य मंत्री (vii) मंत्री
उपर्युक्त अधिकारियों का संपर्क सूचना	**टेलि.** **फैक्स** (i) अनुभाग अधिकारी 23765006 (ii) अवर सचिव 23765012 23765004 (iii) उप सचिव 23765007 (iv) संयुक्तसचिव(M&BC) 23765005 23765004
यदि निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो कहां और कैसे अपील करें	मंत्री (सा.न्या.और अधि.), राज्य मंत्री (सा.न्या.और अधि.), सचिव (सा.न्या.और अधि.) और संयुक्त सचिव (विकलांगता प्रभाग) को अपील की जा सकती है ।

क्रम संख्या II	
विषय जिन पर निर्णय लिया जाना है ।	**अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता**
दिशानिर्देश/निर्देश, यदि कोई हो ।	जैसा कि योजना में दिया गया है ।
क्रियान्वयन की प्रक्रिया	व्यक्तियों को दिया गया है ।
निर्णय लेने में शामिल अधिकारी का पदनाम	(i) अवर सचिव (बीसी-एनजीओ) (ii) उप सचिव/निदेशक (बीसी) (iii) संयुक्त सचिव (एम एंड बीसी) (iv) अतिरिक्त सचिव (सा.न्या.और अधि.) (v) सचिव (सा.न्या.और अधि.) (vi) राज्य मंत्री (vii) मंत्री
उपर्युक्त अधिकारियों का संपर्क सूचना	**टेली.** **फैक्स** i. अवर सचिव (BC-NGO) 23765498 23765004 ii. उप सचिव/निदेशक (बीसी) 23765007 iii. संयुक्त सचिव (एम एंड बीसी) 23765005 23765004 iv. अतिरिक्त सचिव (सा.न्या.और अधि.) 23384259 23383320 v. सचिव (सा.न्या.और अधि.)23382683 23385160

	23389184 vi. राज्य मंत्री 23383757 23383745 Viii मंत्री 23381001 23381390 23782132
यदि निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो कहां और कैसे अपील करें	**अपील सचिव** (सा.न्या.और अधि.), संयुक्त सचिव (सा.न्या.और अधि.), निदेशक (बीसी) को की जा सकती है ।

एससीडी -II

क्रम संख्या	
विषय जिन पर निर्णय लिया जाना है ।	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विशेष केन्द्रीय सहायता मुख्य रूप से निर्मुक्ति ।
दिशानिर्देश/निर्देश, यदि कोई हो ।	विशेष केन्द्रीय सहायता संबंधी दिशा-निर्देश
क्रियान्वयन की प्रक्रिया	विशेष केन्द्रीय सहायता की निर्मुक्ति के लिए मानदंड हेतु आवेदन
निर्णय लेने में शामिल अधिकारी का पदनाम	समेकित वित्त प्रभाग के परामर्श से अनुभाग अधिकारी, उपसचिव, संयुक्त सचिव, अपर सचिव (सा.न्या.और अधि.), सचिव (सा.न्या.और अधि.), मंत्री (सा.न्या.और अधि.)
उपर्युक्त अधिकारियों का संपर्क सूचना	शास्त्री भवन, नई दिल्ली
यदि निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं तो कहां और कैसे अपील करें	लागू नहीं

पीसीआर डेस्क

क्रम संख्या	1
विषय जिन पर निर्णय लिया जाना है ।	सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 में संशोधन ।
दिशानिर्देश/निर्देश, यदि कोई हो ।	भारत सरकार की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार
क्रियान्वयन की प्रक्रिया	राजपत्र अधिसूचना के बाद, राज्य सरकारों/संघ राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा प्रावधान
निर्णय लेने में शामिल अधिकारी का पदनाम	सचिव/अपर सचिव/ब्यूरों प्रमुख/ निदेशक/ अपर सचिव । इसके अतिरिक्त, अन्तर-मंत्रालयी परामर्श किया जाता है ।
उपर्युक्त अधिकारियों का संपर्क सूचना	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
यदि निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं तो कहां और कैसे अपील करें	संयुक्त सचिव (एससीडी).

क्रम संख्या	2
विषय जिन पर निर्णय लिया जाना है ।	सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत केन्द्रीय सहायता की निर्मुक्ति ।
दिशानिर्देश/निर्देश, यदि कोई हो ।	सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत, राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता के जरिए प्रतिबद्ध देयता के अतिरिक्त कुल व्यय का 50% तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है ।
क्रियान्वयन की प्रक्रिया	संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा व्यय ।
निर्णय लेने में शामिल अधिकारी का पदनाम	ब्यूरो प्रमुख/संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार/उपसचिव(वित्त),/ निदेशक/ अवर सचिव
उपर्युक्त अधिकारियों का संपर्क सूचना	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
यदि निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं तो कहां और कैसे अपील करें	संयुक्त सचिव (एससीडी)

आर.एल. सैल

क्रम संख्या	
विषय जिन पर निर्णय लिया जाना है ।	अनुसूचित जातियों की सूची में संशोधन
दिशानिर्देश/निर्देश, यदि कोई हो ।	सरकार द्वारा अनुमोदित प्रक्रियाएं
क्रियान्वयन की प्रक्रिया	अनुमोदित प्रक्रियाओं के अनुसार
निर्णय लेने में शामिल अधिकारी का पदनाम	सहायक निदेशक, निदेशक और संयुक्त सचिव की भागीदारी के अतिरिक्त, अन्तर-मंत्रालय परामर्श । अंतर-मंत्रालय परामर्श आरंभ करने से पहले अपर सचिव, सचिव और मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है ।
उपर्युक्त अधिकारियों का संपर्क सूचना	टेलिफोन : 23384311
यदि निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो कहां और कैसे अपील करें	संयुक्त सचिव (एससीडी), फोन: 23387924, फैक्स: 23384918

SOCIAL DEFENCE BUREAU

समाज रक्षा ब्यूरो

वृद्धावस्था प्रभाग

क्रम सं. I			
विषय जिन पर निर्णय लिया जाना है ।	दो सहायता अनुदान योजनाओं के अंतर्गत सहायता अनुदान की निर्मुक्ति		
दिशानिर्देश/निर्देश, यदि कोई हो ।	जैसा कि योजना में दिया गया है ।		
क्रियान्वयन की प्रक्रिया	स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से		
निर्णय लेने में शामिल अधिकारी का पदनाम	(i) अनुभाग अधिकारी/ अवर सचिव (ii) उप सचिव (iii) संयुक्त सचिव, समाज रक्षा ब्यूरो (iv) अतिरिक्त सचिव (सा.न्या.और अधि.) (v) सचिव (सा.न्या.और अधि.) (vi) राज्य मंत्री (vii) मंत्री		
उपर्युक्त अधिकारियों का संपर्क सूचना		टेलिफोन	फैक्स
	(i)अनुभाग अधिकारी/ अवर सचिव	2338926	23384918
	(ii)उप सचिव/निदेशक	23073540	23384918
	(iii) संयुक्त सचिव, समाज रक्षा ब्यूरो	23381643	23381643
	(iv) अतिरिक्त सचिव (सा.न्या.और अधि.)	23384259	23383320
	(v) सचिव (सा.न्या.और अधि.)	23382683 23389184	23385160
	(vi) राज्य मंत्री	23383757 23383745	
	(vii) मंत्री	23381001 23381390 23782132	
यदि निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं तो कहां और कैसे अपील करें	मंत्री (सा.न्या.और अधि.), राज्य मंत्री (सा.न्या.और अधि.), सचिव (सा.न्या.और अधि.) और संयुक्त सचिव (विकलांगता प्रभाग) को अपील की जा सकती है ।		

बाल कल्याण प्रभाग

क्रम संख्या I	
विषय जिन पर निर्णय लिया जाना है ।	(1) किशोर न्याय के लिए कार्यक्रम (2) बेसहारा बच्चों के लिए

	समेकित कार्यक्रम (3) समाज रक्षा के क्षेत्र में सहायता (4) देखभाल और सुरक्षा के जरूरतमंद कामकाजी बच्चों के लिए योजना के तहत सहायता अनुदान की निर्मुक्ति ।		
दिशानिर्देश/निर्देश, यदि कोई हो ।	जैसा कि योजना में दिया गया है ।		
क्रियान्वयन की प्रक्रिया	राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से ।		
निर्णय लेने में शामिल अधिकारी का पदनाम	(i) अनुभाग अधिकारी/ अवर सचिव (सीडब्ल्यू) (ii) निदेशक (सीडब्ल्यू)/ संयुक्त सचिव (एसडी) (iii) उपसचिव/निदेशक (वित्त)/FA		
उपर्युक्त अधिकारियों का संपर्क सूचना		**टेलिफोन**	**फैक्स**
	(i)अनुभाग अधिकारी/ अवर सचिव	23388794	23389368
	(ii) निदेशक	23381843	
	(iii) उपसचिव/निदेशक (वित्त)	23387430	23384918
	(iv) अनुभाग अधिकारी (वित्त)	23385491	-do-
	(v) संयुक्त सचिव (DD)	23381643	23381643
	(vi) अतिरिक्त सचिव (सा.न्या.और अधि.)	23384259	23383320
	(vii) सचिव (सा.न्या.और अधि.)	23382683 23389184	23385160
	(viii) राज्य मंत्री	23383757 23383745	
	(ix) मंत्री	23381001 23381390 23782132	
यदि निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो कहां और कैसे अपील करें	मंत्री (सा.न्या.और अधि.), राज्य मंत्री (सा.न्या.और अधि.), सचिव (सा.न्या.और अधि.) और संयुक्त सचिव (विकलांगता प्रभाग) से अपील की जा सकती है ।		

डीपी -II प्रभाग

क्रम सं. I	
विषय जिन पर निर्णय लिया जाना है ।	मद्यपान और पदार्थ (मादक द्रव्य) दुरुपयोग निवारण योजना

दिशानिर्देश/निर्देश, यदि कोई हो ।	जैसा कि योजना में दिया गया है ।
क्रियान्वयन की प्रक्रिया	स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से ।
निर्णय लेने में शामिल अधिकारी का पदनाम	(i) अनुभाग अधिकारी (डेस्क डीपी-II) (ii) उपसचिव/निदेशक (डीपी) (iii) उपसचिव (वित्त) (iv) अवर सचिव (वित्त) (v) संयुक्त सचिव, समाज रक्षा प्रभाग
उपर्युक्त अधिकारियों का संपर्क सूचना	see below

उपर्युक्त अधिकारियों का संपर्क सूचना		**टेलि.**	**फैक्स**
	(i) अनुभाग अधिकारी	23388580	23384918
	(ii) उपसचिव (DP)	23387539	23384918
	(iii) उपसचिव (F)	23387430	23384918
	(iv)अवर सचिव (Fin)	23388837	23384918
	(v) संयुक्त सचिव(SD)	23381643	23381643

यदि निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं तो कहां और कैसे अपील करें	**मंत्री (सा.न्या.और अधि.), राज्य मंत्री (सा.न्या.और अधि.), सचिव (सा.न्या.और अधि.) और संयुक्त सचिव (विकलांगता प्रभाग) को अपील की जा सकती है ।**

<u>डीपी 1 और 3 प्रभाग</u>

विषय जिन पर निर्णय लिया जाना है ।	मद्यपान और पदार्थ (मादक द्रव्य) दुरुपयोग निवारण योजना के अंतर्गत नशामुक्ति केन्द्रों और परामर्श केन्द्रों के रखरखाव के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान ।
दिशानिर्देश/निर्देश, यदि कोई हो ।	जैसा कि योजना में दिया गया है ।
क्रियान्वयन की प्रक्रिया	स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से ।
निर्णय लेने में शामिल अधिकारी का पदनाम	(i) अनुभाग अधिकारी (डेस्क डीपी -I और III) (ii) उपसचिव/निदेशक (डीपी) (iii) उपसचिव (वित्त) (iv) अवर सचिव (वित्त) (v) संयुक्त सचिव, समाज रक्षा प्रभाग

उपर्युक्त अधिकारियों का संपर्क सूचना		**टेली.**	**फैक्स**
	(i) अनुभाग अधिकारी	23386775	23384918
	(ii) निदेशक (डीपी)	23070801	23384918
	(iii)उपसचिव(एफ)	23387430	23384918
	(iv)अवर सचिव (वित्त)	23388837	23384918

	(v) संयुक्त सचिव, (एसडी)	23381643	23381643
यदि निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो कहां और कैसे अपील करें	मंत्री (सा.न्या.और अधि.), राज्य मंत्री (सा.न्या.और अधि.), सचिव (सा.न्या.और अधि.) और संयुक्त सचिव (विकलांगता प्रभाग) को अपील की जा सकती है ।		

अध्याय – *10*

नियमपुस्तिका – 9

अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निदेशिका
[धारा 4 (1) (ख)(ix) देखें]

9.11 केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री और उनका कर्मचारीवृंद :

नाम	पदनाम	इंटरनेट	आंतरिक दूरभाष	आवासीय दूरभाष	कमरा नम्बर	ई-मेल	आवासीय पता
श्रीमती मीरा कुमार	केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री		223381001 23381902 (फैक्स)	26936750 26936749	202-सी-विंग	min-sje@sb.nic.in	डी-1029, न्यू फ्रेन्ड्स कॉलोनी, नई दिल्ली
संजय कुमार	मंत्री के निजी सचिव	101, 102, 103	23782132	23070554	202-सी-विंग	sanjay_kumar@nic.in	डी-2/20 शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली
के. पी. बालियान	मंत्री के अति. निजी सचिव	104	23381001 23381390	23363363	202-सी-विंग	kpbalyan@nic.in	डी-830, मंदिर मार्ग, नई दिल्ली
संतोष कुमार	मंत्री के अति. निजी सचिव	105	23381001 23381390	9891274415	202-सी-विंग	santoshkumar@nic.in	468- सी, शिप्रा सन सिटी, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उप्र
विवेक पराशर	मंत्री के सहा. निजी सचिव	106	23381001 23381390	27861424	202-सी-विंग		5, गुलाब विहार अपार्टमैंट्स, सेक्टर IX, रोहिणी, नई दिल्ली

9.12 सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री और उनका कर्मचारीवृंद :

नाम	पदनाम	इंटरनेट	आंतरिक दूरभाष	आवासीय दूरभाष	कमरा नम्बर	ई-मेल	आवासीय पता
श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीसन	सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री		23383757		251, ए- विंग	mossje@nic.in	2, सफदरजंग लेन, नई दिल्ली
करीकल बलवन	राज्य मंत्री के निजी सचिव	111 112	23383757 23383745		250, ए- विंग	psmos-sje@sb.nic.in	ए-12, हडको प्लेस, नई दिल्ली
जे. शरत चन्द्र	मंत्री के अति. निज सचिव	113	23383757 23383745	23365855	250, ए- विंग	Apsmos-sje@sb.nic.in	

9.13 सचिव (सा.न्या. और अधि.) और उनका कर्मचारीवृंद :

नाम	पदनाम	इंटरनेट	आंतरिक दूरभाष	आवासीय दूरभाष	कमरा नम्बर	ई-मेल	आवासीय पता
सरिता प्रसाद	सचिव	121	23382683 23385180 (फैक्स)	23381011	604	secywel@sb.nic.in	सी-I/67, बापा नगर, नई दिल्ली-10003.
सचिव का कर्मचारी वृंद							
बी.बी. तिवारी	सचिव के वरि. प्र.नि.सचिव	122	23389184	24675487	604		सी-71, नानक पुरा, नई दिल्ली
एम.एन. श्रीधरन	सचिव के निजी सचिव	123	23385180	25081924	604		77, कामाक्षी अपार्टमैंट्स, सेक्टर-VI द्वारका, न दि

9.14 अपर सचिव (सा.न्या. और अधि.) और उनका कर्मचारीवृंद :

नाम	पदनाम	इंटरनेट	आंतरिक दूरभाष	आवासीय दूरभाष	कमरा नम्बर	ई-मेल	आवासीय पता
संदीप कुमार	अपर सचिव	131	23384259	26887966	616	aswel@sansad.nic.in	डी-7-2, एमएस फ्लैट्स, 13, आर.के.पुरम, नई दिल्ली 66
अपर सचिव और उनका कर्मचारीवृंद							
वेणु गोपालन सी.वी.	अपर सचिव के प्र.नि.सचिव	132	23384259	23381295	603		सी-506, एमएस अपार्ट. के.जी. मार्ग, नई दिल्ली
एस.के. रोहिल्ला	अपर सचिव के निजी सचिव	133	23384259		603		
के.एम. गोविन्दन	अपर सचिव के निजी सचिव	134	23384259		603		168- ए, आराम बाग, नई दिल्ली 55

9.15 संयुक्त सचिव और उनके कर्मचारीवृंद :

नाम	पदनाम	इंटरनेट	आंतरिक दूरभाष	आवासीय दूरभाष	कमरा नम्बर	ई-मेल	आवासीय पता
जयति चन्द्रा	(डीडी, एसडी व प्रशा)	201	23381643	26879301	611	jssd@sb.nic.in	सी – II/64, मोती बाग– I, नई दिल्ली
एस.के. भुटानी	संयुक्तसचिव के निजी सचिव	401	23381643		608		6/57, पुराना राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली
मृत्युंजय साहू	(वित्तीय		23716792	26182751	श्रम शक्ति	msahu@.nic.in	एफ-43,

	सलाहकार)		23710171		भवन		निवेदिता कुंज, सेक्टर -X, आर.के. पुरम, दिल्ली
एस.एस. गोयल	वित्तीय सलाहकार के निजी सचिव		23716792		- वही -		सी-517, सरोजिनी नगर, न दि
सेवा राम		203	23387267	23019899	कमरा नम्बर 616	jsmbc@sb.nic.in	
एस. घोष	संयुक्त सचिव के निजी सचिव	403					9- ई, पॉकेट – IV, मयूर विहार – I, दिल्ली – 91.
डॉ. जी. प्रसन्ना कुमार	एमएंडबीसी		23765004	26111280	9 वीं तल, जे.पी. बिल्डिंग	gkumarp@hotmail.com	ई-10 बापू धाम, चाणक्यपुरी
जय ईन्दर भारद्वाज	संयुक्त सचिव के वैयक्तिक सहायक		23765004 23765005	25495443	9 वीं तल, जे.पी. बिल्डिंग		डब्ल्यूजेड/459, एमएस ब्लॉक, हरी नगर, नई दिल्ली-64
पी. एन. मूर्त्ति	(एससीडी व पार्लियामेंट)	205	23387924	24100884	613	jsscd@sb.nic.in	डी-I/44, चाणक्य पुरी, सत्य निकेतन, नई दिल्ली
श्रीमती पूनम सूद	संयुक्त सचिव की निजी सचिव	405	23387924		609		ई-1711, नेताजी नगर, नई दिल्ली

9.16 निदेशक

नाम	**पदनाम**	**इंटरनेट**	**आंतरिक दूरभाष**	**आवासीय दूरभाष**	**कमरा नम्बर**	**ई-मेल**	**आवासीय पता**
जी.एस. राजू	स्था., सामा. व शिकायत	219	23383464	26253505	633	Gs.raju@nic.in	टाईप-V, ई-9, हडको प्लेस, एंड्यूज गंज, नई दिल्ली
पी. के जाजौरिया	डीपी-I & II	211	23070801	26183946	740	pkjajoria@nic.in	मकान नं. 31, ब्लॉक- एफ, सेक्टर-10, आर.के.पुरम, नई दिल्ली
जे.एस. कोचर	बाल कल्याण	212	23381843	27565205	643		12- सी, अयोध्या एंकलेव,

							सेक्टर-13, रोहिणी, नई दिल्ली
डब्ल्यू.एल. हांगशिंग	एससीडी-III (गैर सरकारी संगठन)	213	23384284	24654641	741	wlhangshing. wel@sb.nic. in	एच-12, सेक्टर-X, आर.के.पुरम, नई दिल्ली
बिपिन मलिक	एससीडी-I	214	23381930	26266123	637	Dsif.wel@sb.nic.in	ए-13, हडको प्लेस, एंड्यूज गंज विस्तार, नई दिल्ली
हसीब अहमद	एससीडी-IV व V	215	23388541	26843554	639	hasibahmad@ hub.nic.in	सी – 2338/5, बाटला हाऊस, पीओ जामिया नगर, नई दिल्ली
आशिष कुमार	डीडी-III	216	23383853	26264599	253		डब्ल्यू-4, हडको प्लेस, एंड्यूज गंज, नई दिल्ली-49
बी.के. पाण्डेय	वित्त	217	23387430	30974800	213		1275, टाईप-IV स्पेशल कॉलोनी, सेक्टर-XII, आर.के.पुरम, नई दिल्ली-22.
मृदुल जैन	एनआई-I	218	23387690	23386829	253-A	mridulj@sb.nic.in	ए-20, पंडारा रोड, नई दिल्ली
आर.एस. वुंडरू	अवकाश पर		23383464	26886280	634		115, डी-2, पश्चिमी किदवई नगर, नई दिल्ली
वी.बी. पचनंदा	बीसीसी		23765007	24364342	9वी तल, जे.पी बिल्डिंग	dirbc.wel@sb. nic.in	सी-309, प्रगति विहार हॉस्टल, लोधी रोड, नई दिल्ली

9.17 उप सचिव :

नाम	पदनाम	इंटरनेट	आंतरिक दूरभाष	आवासीय दूरभाष	कमरा नम्बर	ई-मेल	आवासीय पता
सर्वेश राय	डीडी- I & II	220	23765009	24670827	642	Sarvesh_91 @indiatimes. com	म.नं..21, ब्लॉक-O, 3 रा तल, सेक्टर-13, आर.के. पुरम, नई दिल्ली
दीपक श्रीवास्तव	डीपी-II, समन्वय व मीडिया	221	23387539	55668065	739		**771, एशियन खेल गाँव कॉम्प्लैक्स, माखन सिंह ब्लॉक, नई दिल्ली**
जी.के. सिंह	Ageing व सतर्कता	222	23073540		631		ई-9, एंड्यूज गंज विस्तार, नई दिल्ली-49
एस.ए. सिद्दीकी	एससीडी-VI आर.एल.सैल	223	23382774	26113743	635		बी-110, नानक पुरा, नई दिल्ली-21.
एच.एन.यादव	बजट	224	23389164	95120 - 4537378	211-D Wing		एच-16, सेक्टर-XI, नोएडा, जी. बी. नगर, (उप्र)
इगनिशियस टोपनो	वित्त	225		24363019	602		ए-403, प्रगति विहार हॉस्टल, लोधी रोड, नई दिल्ली
यू.एस. कुमावत	एमसी व वक्फ		23765009		9 वां तल, जे.पी. बिल्डिंग		
एस.सी. गुलाटी	एनसीएम व एमएईएफ		23765008	22531803	9 वां तल, जे.पी. बिल्डिंग		बी.ए/7, गीता कॉलोनी, दिल्ली-110031
नीलंबुज शरण	एससीडी-II	226	23385491	24363019	400-C		ए-403 प्रगति विहार हॉस्टल, लोधी रोड, नई दिल्ली

9.18 अवर सचिव

नाम	पदनाम	इंटरनेट	आंतरिक दूरभाष	आवासीय दूरभाष	कमरा नम्बर	ई-मेल	आवासीय पता
एल.सी. मेहरा	प्रशासन	230	23073552	55673651	400- सी, माधुरी कैंटीन		टाईप-स्ज्ज, 116, एन. डब्ल्यू. मोती बाग, नई दिल्ली
महेन्द्र शर्मा	डीडी-III	231	23389164	26874931	253- ए		एक्सवाई – 59, सरोजिनी नगर,

							नई दिल्ली – 23.
सविता प्रभाकर	बाल कल्याण	232	23389368		253 –ए		एस-378, ग्रेटर कैलाश, पार्ट-II. नई दिल्ली-110048
एल.आर. राव	एससीडी-I व V	233	23389368		253 –ए		सी-226, निर्माण विहार, दिल्ली-92.
डी.के. भाई	वित्त		23388837		623		म.नं. 48, टाईप-IV, निवेदिता कुंज, सेक्टर-X, आर.के.पुरम, नई दिल्ली
पी.ए. राघवन	डीडी-II व नोडल अधिकारी (एनजीओ)	235	23386314 23073703		622		52– सी, आर–पॉकेट, दिलशाद गार्डन, दिल्ली
काशी राम	डीडी-I	236	23386314		622		ई-125, नानक पुरा, दक्षिण मोती बाग, नई दिल्ली
आर.के. मीणा	एससीडी-III	237	23383688		608- ए		म.नं.644, सेक्टर-3, आर.के.पुरम, नई दिल्ली
ओ.पी. जाटव	बीसी-एनजीओ		23765011	25526475	जे.पी. बिल्डिंग		केजी-1/339, विकास पुरी, नई दिल्ली-18
एम.एस सिंहमार	वक्फ		23765498		जे.पी. बिल्डिंग		वत्स कॉलोनी, डॉ.अम्बेडकर भवन के पास, बहादुरगढ़
मीना शर्मा	बीसी		23765012		जे.पी. बिल्डिंग		बी-17/908, लोधी कॉलोनी, नई दिल्ली-3
जे.पी. मेहता	पीसीआर डेस्क	238	23386981	95124-5048477	721- ए		सेक्टर-II पॉकेट 16 मकान नं.403, द्वारका,नदि 45.
आर.के. सिंह	एससीडी-I व VI	239			242		627, सेक्टर-9, गुड़गाँव, हरियाणा

9.19 अनुभाग :

पदनाम	नाम	आंतरिक	कार्यालय दूरभाष	आवासीय दूरभाष	कमरा नम्बर	ई-मेल	आवासीय पता
स्थापना-I							
अनुभाग अधिकारी	आशीष मल्होत्रा	301	23388184		243		9 –बी, एम.आई.जी.फलैट्स, राजौरी गार्डन,नई दिल्ली 27
सहायक	एच.के.बैरी						जी-3/9, मालवीय नगर, नई दिल्ली 17
सहायक	अविनाश कुसुमकर						ए-2/42, वरुण अपार्टमैंट्स, सेक्टर 09, रोहिणी, दिल्ली 85
सहायक	रेमा एस. नैयर						सी-208, सेक्टर-3, केराली अपार्ट. प्लॉट सं. 10, द्वारका, नई दिल्ली
सहायक	माता प्रसाद						ई-1739, नेताजी नगर, नई दिल्ली
उश्रेलि	वीना मैनी						ई-60, बी.के.दत्त कॉलोनी, कर्बला, नई दिल्ली
अश्रेलि	अवधेश चन्द्र सिंह						म. नं. 382, कमला नेहरू मार्ग, गाजियाबाद
अश्रेलि	सुनील कुमार वर्मा						आईसी-268 ए- पांडव नगर, दिल्ली-92
चपरासी	सतीश सिंह						सी-317, सेवा नगर, नई दिल्ली-3
स्थापना-II							
अनुभाग अधिकारी	एस.कंवर	303		26164849	243		439 सेक्टर –IX, आर.के. पुरम, नई दिल्ली
सहायक	जी.एस. बालामुरगन						सी-6/95, सेक्टर-5, रोहिणी, दिल्ली-85
सहायक	ओम प्रकाश						ए-28, दैनिक जनयुग अपार्ट. सी-1 वसुंधरा एंकलेव, दिल्ली-96
सहायक	माता प्रसाद						ई-1739, नेताजी नगर, नई दिल्ली
चपरासी	अशोक कुमार						299ए, शकरपुर, दिल्ली-92
सामान्य प्रशासन - I							
अनुभाग अधिकारी	अरविंद शुक्ला	302	23385082		623- ए		टी-505, वसुंधरा वैली अपार्टमैंट्स-6, वसुंधरा, गाजियाबाद, उप्र
उश्रेलि	एन.अधिकारी						आई-54, नानकपुरा, नई दिल्ली
अश्रेलि	शैली अग्रवाल						42, धर्मकुज अपार्ट.,

पदनाम	**नाम**	**आंतरिक**	**कार्यालय दूरभाष**	**आवासीय दूरभाष**	**कमरा नम्बर**	**ई-मेल**	**आवासीय पता**
							सेक्टर-09, रोहिणी, दि-85
चपरासी	नन्द लाल- I						सी-344 सेवा नगर, नई दिल्ली

सामान्य प्रशासन-II							
अनुभाग अधिकारी	एच.के.भट्ट		23385082	24100187	623- ए		बी-2657, नेताजी नगर, नई दिल्ली
उश्रेलि	एंटोनी जेवियर						III/78, ए.वी. नगर, नई दिल्ली

सतर्कता							
अनुभागअधिकारी	रिक्त	340			721- ए		
सहायक	एस.पी.शर्मा						9/14, सेक्टर 1, पुष्प विहार, नई दिल्ली-17
उश्रेलि	रामप्रकाश						जे-3, मोहन गार्डन, नई दिल्ली
समन्वय							
अनुभागअधिकारी	एम.एल. अटल	339	23382857	23231937	721-ए		872, डीजी ब्लॉक, सरोजिनी नगर,नई दिल्ली
सहायक	रामनिवास						653/3, बी.के.एस. मार्ग, नई दिल्ली
उश्रेलि	एम.के. रॉय						सी-123 बी, सेक्टर-20, नोएडा
उश्रेलि	चंचल गुहा						882, कमला नेहरू नगर, गाजियाबाद
चपरासी	नन्द लाल						बी-111- सी, शिवाजी एन्कलेव, रघुवीर नगर, नई दिल्ली-27
संसद							
अनुभागअधिकारी	के.सी.तिवारी	342	23388511	26186523	627		म.सं.19, सेक्टर-1, आर.के.पुरम, नई दिल्ली
अश्रेलि	मनोज कुमार						मकान सं. 7, गली सं. 14, ए-ब्लॉक, बाबा कॉलोनी, बुराड़ी दिल्ली-84.
हिन्दी							
संयुक्त निदेशक	अमरनाथ	227	23382857	25354036	242		आर- एक्सटे./44, मोहन गार्डन, उत्तम नगर, नई दिल्ली-59
सहायक निदेशक	डॉ.एस.पी. शुक्ल	311	23384583		242		फ्लैट नं. 289, डीडीए फ्लैट्स, सेक्टर.5, पाकेट 5-I , द्वारका, न दि 75
वरि.हि.अनु.	हीरा सिंह						174, सेक्टर-3, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-22
वरि.हि.अनु.	आर.डी. सिंह						ई/38, एम.के. रोड, नई दिल्ली-2
कनि.हि.अनु.	एम.एस.यादव						म.नं. 29, सेक्टर- 1, आर. के. पुरम, नई दिल्ली-22
कनि.हि.अनु.	मनोज कुमार चौधुरी						प्लॉट सं. 416/15, लक्ष्मी विहार, नत्थुपुरा रोड, बुराड़ी, दिल्ली-84
कनि.हि.अनु.	संजय कुमार						म.नं. 108, पॉकेट.ए2, सेक्टर-8,रोहिणी, दिल्ली-85
आशुलिपिक	श्रीमती दर्शना						मार्फत श्री खजान सिंह, 116/9, किशन गढ़, वसंत कुंज, नई दिल्ली
उश्रेलि	बी.एस. भाटी						566, लोदी रोड कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-3
उश्रेलि	राम नाथ						407/ आर गली सं.2, थान सिंह नगर, आनन्द पर्बत, नई दिल्ली-5
उश्रेलि	ईश्वर सिंह						आरजैड- जे-26, पुराना रोशनारा

							रोड एक्सटे., नजफगढ़, नई दिल्ली-43

दफ्तरी	ओम प्रकाश						गाँव शिदीपुर (एलओडब्ल्यूए) पोस्ट बहादुरगढ़, झज्जर, हरियाणा
केन्द्रीय रजिस्ट्री							
सहायक	धारा सिंह	308	23386360				628, वसन्त विहार, नई दिल्ली म.न. 434, गॉव व डाक महिपालपुर, नई दिल्ली-110037
उश्रेलि	डी.एस. रावत						एम-117, पी.आर. लेन, खान मार्किट, नई दिल्ली-3
उश्रेलि	राज पाल			5534271			बी-647/2, भजनपुरा, गली नं. 8, दिल्ली-53
अश्रेलि	किशन राम						7 डबल स्टोरी, जैसलमेर हाऊस, मानसिंह रोड, नई दिल्ली -11
हरकारा	दिलबाग सिंह						प्लॉट नं. 1264, प्राथमिक स्कूल के पास, टिकरी कलां, दिल्ली-41
चपरासी	वाई.पी.मनोचा			9891502165			36- डी, सेक्टर-4 एम.बी. रोड, नई दिल्ली
चपरासी	नारायण सिंह						गॉव व डाक रजोकरी, नई दिल्ली
चपरासी	नरेन्द्र मोहन						125, डीडीए फ्लैट्स (आरपीएस), मानसरोवर पार्क, शाहदरा, दिल्ली
चपरासी	जय नारायण सिंह			9818220435			आर-605, टाईप I कस्तूरबा नगर, सेवा नगर, नई दिल्ली-3
सुविधा केन्द्र							
अनुभागअधिकारी	रिक्त				गैराज सं. 8		
उश्रेलि	शिव शंकर		23389226				सी-62 जवाहर पार्क, देवली रोड, खानपुर
वित्त प्रभाग							
आंविडे							
डेस्क अधिकारी	एस. रवि कुमार	307	23381643		400, सी-विंग		202, सी-4 बी, जनकपुरी, नई दिल्ली
अश्रेलि	रिक्त						
बजट							
अनुभाग अधिकारी	श्री वी. श्रीधर				626		जीएच 5 व 7/365, पश्चिम विहार, नई दिल्ली 87
सहायक	दिगम्बर प्रसाद						फ्लैट सं. 67, सेक्टर-2, पॉकेट 3, द्वारका, नदि 45
सहायक	ए.एस.रावत						फ्लैट सं. 4, सेक्टर-9, आर.के.पुरम, नदि 22

कैश/डीडीओ							
अनुभाग अधिकारी	जे.के.गुलाटी	305	23389552	25613121	626		एजी-1/174 'बी' विकास पुरी, नई दिल्ली
सहायक	एन.पी.माथुर						द्वारा श्री एम.पी. माथुर, आरजैडएफ/992, राज नगर, पार्ट-II, पालम कॉलोन, नई दिल्ली-45
सहायक	अजय नागपाल						बीई-86, शालीमार बाग, नई दिल्ली-88
सहायक (रोकडिया)	एम.एस.हमीद						43, गाँव मदनपुर डबास, डाक रानीखेड़ा, दिल्ली-81
सहायक	नीलम वधवा						11086, डोरी वालान, पूर्वी पार्क रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-5
उश्रेलि	सुरेश कुमार दसौर						18/11, तिलक नगर, नई दिल्ली-18
उश्रेलि	जयाचन्द्रन एम.के.						109- ए, सी-1, मयूर विहार-3, दिल्ली-96
चपरासी	हरीश						गली नं. 8, शंकर विहार, खोड़ाकॉलोनी, नोएडा,उप्र
वे एवं लेअ	एस.एस. दहिया			23389552	20550 701		ए-234, पंडारा रोड, नई दिल्ली
उश्रेलि	जी.ग्रेस रोंगमेई						72, तीन मूर्ति हाऊस, पुलिस कम्पाउंड, नई दिल्ली
उश्रेलि	सरोज भुटानी						
	मदन सिंह						श्याम विहार, खेड़ा रोड, नजफ, नई दिल्ली -43
	किरन सिंह						24/16, III रा तल, शक्ति नगर, दिल्ली-7
	सरजीत						म.न. 43, गाँव मदनपुर डबास, डाक रानीखेड़ा, दिल्ली-81
समाज रक्षा प्रभाग							
एजिंग-I							
अनुभाग अधिकारी	गुलशन कुमार	332	23389268		623		56- ई/14, न्यू देव पुरी, शिव गणेश मंदिर के पास, मेरठ शहर-250001
सहायक	आशुतोष कुमार						एफएफ-45, 2 रा तल, मंगल बाजार रोड, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-92
सहायक	हायसुअंथांग गुटे						249/I, 2 रा तल, मुनिरका गाँव, नई दिल्ली-67
उश्रेलि	मनोज कुमार						बी-7, शिवालिक, मालवीय नगर, न.दि.-17
उश्रेलि	सुबोध कुमार						एफ-213- ए, मंगल बाजार रोड, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-92
एजिंग - II							
अनुभाग	एस.के.	331	23389268	23711388	623		912, बी.के.एस. मार्ग, नई

अधिकारी	सहगल						दिल्ली
	राजपाल						गाँव घोंडा, मेन रोड, ब्रह्म पुरी, मकान नं. 119, दिल्ली-53
सीडब्ल्यू							
अनुभाग अधिकारी	एस.के. विश्वास	333	23388794		253-A		जे-13, श्रीनिवास पुरी, नई दिल्ली
सहायक	वी.नागराजन						नं. 564, लोदी रोड कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003
उश्रेलि	आशिष भट्टाचार्य						1322, टाईप-II (बहुमंजिला बिल्डिंग), तिमारपुर, दिल्ली-110054
उश्रेलि	श्रीमती मोडेस्टा टिर्की						बी-558, गली नं. 5, राजबीर कॉलोनी, कोंडली-घड़ोली, दिल्ली-110096
अश्रेलि	राजेश कुमार						डी-1 सी 81 सी, जनकपुरी, दिल्ली-110058
डीपी-I							
अनुभाग अधिकारी	रिक्त						
सहायक	रिक्त						
उश्रेलि	आर.एस.सेठी						
डीपी-II							
अनुभाग अधिकारी	आर.सी. ध्यानी	335	23388580	25091107	721-A		बी-38, एम.बी.आर. एन्कलेव, पोचनपुर, सेक्टर-23, द्वारका, नई दिल्ली
सहायक	वी.बी. हरिहरन						पीटी-62/9 (एफएफ) कालकाजी विस्तार, नई दिल्ली
अश्रेलि	रिक्त						
डीपी-**III**							
डेस्क अधिकारी	अरुण कुमार सिंह	336	23386775		623		6/25, 2 रा तल, पुराना रजिन्द्र नगर, नई दिल्ली
उश्रेलि	कमल कुमार						
कार्यक्रम एकक							
सहायक	सुरेन्द्र सिंह	337	23388580				
अश्रेलि	रिक्त						
मीडिया एकक							
सहायक संपादक	ए.एन. पारीख	341			721-A		7/64, राजमहल, सेक्टर-5, राजिन्द्र नगर, साहिबाबाद
अश्रेलि	राजेश कुमार						
प्रेम							
सहायक	रिक्त	343			627		
उश्रेलि	रविन्द्र कुमार						
उश्रेलि	गुरकमलजीत सिंह						
उश्रेलि	इन्द्रिरा देवी						सी 3/ एफ27, लोदी कॉलोनी,

							नई दिल्ली-3
एससीडी प्रभाग							
एससीडी-I							
अनुभाग अधिकारी	वी.के. सिंह	320	23384023	0120 5566440	240		फलैट सं.12- ए, वसुधा अपाट., सेक्टर-VI, वसुंधरा, गाजियाबाद
सहायक	एल.आर. प्रधान						I/259, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली-23
सहायक	समीर कुमार दास						ई-544, फेज-II, न्यू पालम विहार, गुडगाँव, हरियाणा-122017
उश्रेलि	रिक्त						
अश्रेलि	रेखा						
एससीडी-II							
अनुभाग अधिकारी	अमृत लाल	321	23384311	26172502	608		सेक्टर-VIII/670, आर.के. पुरम, नई दिल्ली
वरि. अन्वेषक	कु. पी. जयालक्ष्मी			26104205			एस-202, एम.एस. अपार्टमेंट्स, निवेदिता कुँज, सेक्टर 10, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-22
सहायक	कुमार कलिकनन्दा						ए-31 & 32, II रा तल, पांडव नगर, दिल्ली-92
उश्रेलि	श्रीमती चन्द्र कान्त						सी-457, सेक्टर-19, नोएडा, उप्र
सहायक	रिक्त						
उश्रेलि	रिक्त						
एससीडी-III							
अनुभाग अधिकारी	रिक्त	322			608-A		
सहायक	आशा पाण्डेय						म.नं. 202, सेक्टर-5, आर.के. पुरम, न दि. -22
सहायक	राम नरेश						
सहायक	सुदेश सैनी						
उश्रेलि	आर.आर.वर्मा						
उश्रेलि	अरविन्द कुमार						
अश्रेलि	रिक्त						
एससीडी-IV							
अनुभाग अधिकारी	श्रीमती कुसुम लता	323	23384311		608		आर-10, एमआईजी फ्लैट्स, प्रसाद नगर, नई दिल्ली.5
सहायक	कुमकुम जैन						ब्लॉक 14/818, लादी कॉलोनी, नई दिल्ली-3
अन्वेषक	आर.के. गुप्ता						बी-32, मंसा राम पार्क, उत्तम नगर, नई दिल्ली-59
उश्रेलि	जगदीश चन्द						एफ-102, मोती बाग-1, नई दिल्ली
उश्रेलि	आर.के. झा						बीडी/57- ए शालीमार बाग (पश्चिम), दिल्ली-88

अनु. सेल (एससीड -IV के अधीन)							
सहायक	रिक्त						
उश्रेलि	के.के. खनुजा						
एससीडी–ज							
अनुभाग अधिकारी	ए.के. दास	324	23384023		240		59- सी, पॉकेट-VI, नसीरपुर, द्वारका, नई दिल्ली 45.
सहायक	डी.सी.कटोच						एस-12/775, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-22
सहायक	मनमिंदर कौर						
उश्रेलि	बाल मुकुंद प्रसाद						86 डी, सेक्टर 4, डीआईजेड एरिया, बी.के.एस मार्ग, न.दि.-1
एससीडी – VI							
अनुभाग अधिकारी	सुजीत कुमार	325	23383688		624		4 सी/3079, वसुंधरा, गाजियाबाद, उप्र.-201012.
सहायक	उर्मिल सूद						4/5824, गली नं. 8, देव नगर, करोल बाग, नई दिल्ली-05
उश्रेलि	रिक्त						
अश्रेलि	कन्हैया एन. देव						एफ/637, 2 रा तल, सेक्टर-3, वैशाली, गाजियाबाद
पीसीआर डेस्क्							
अनुसंधान अधिकारी	के.एम. टेंभूर्णे	326	23386981	25643359	721-A		61, पंचशील कॉलोनी, बिंदापुर गाँव के पास, उत्तम नगर, नई दिल्ली-59
अन्वेषक	महेन्द्र सिंह						ए/4383, डी रामनगर विस्तार, मंडोली रोड, शाहदरा, नई दिल्ली-32
चपरासी	नन्द लाल						बी-11 V शिवाजी एंकलेव, रघुबीर नगर, नईदिल्ली-27
आरएल सेल							
सहायक निदेशक	टी.सी. जोशी						1203, सेक्टर 8, आर.के. पुरम, नई दिल्ली
वरि. अन्वेषक	बी.एस. भंडारी						ए-184, शकरपुर, दिल्ली-34
सहायक	कृष्णा कुमारी						ई-61, नानकपुरा, मोती बाग-II, नई दिल्ली
सहायक	बी.एस. निशांत						म.नं. 500/22-D/1 ब्लॉक-33, गली नं. 10, विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली-32
मॉनीटरिंग सेल							
वरि. अन्वेषक	वी.के. तनेजा	329	23384023	26888429	240		III/101, उत्तर-पश्चिमी मोती बाग, नई दिल्ली-21

उश्रेलि	टी.आर. मीणा	329			240		म.नं. 56, नगली रसापुर, हजरत निजामुद्दीन, नई दिल्ली
अश्रेलि	सीएच. वी. एस. माधवी						1/1 ए सेक्टर 2, डीआईजेड एरिया, गोल मार्किट, नई दिल्ली
आरएल सेल (एससीडी-VI के अधीन)							
अनुभाग अधिकारी	शशि सोनी	328		55830007	624		म.नं.2363, राजा पार्क, रानी बाग, दिल्ली-34
सहायक	सुमन लता मदन						1872, रानी बाग, कृष्ण मंदिर के पास, दिल्ली-34
सहायक	जयनारायण						एफ-218, मोती बाग, नई दिल्ली
डीडी प्रभाग							
एनआई-I							
अनुभाग अधिकारी	वाई.एस. यादव	317	23386314		439		म.नं.88-B/1, खिड़की गाँव, नई दिल्ली
सहायक	देवकी नन्दन						
अश्रेलि	रिक्त						
एनआई-II							
डेस्क अधिकारी	आर.वी.एस. चोपड़ा	318	23386314	20900058	622		आरजेड 686/15, गली नं. 27 एफ, साध नगर, पार्ट-II, पालम कॉलोनी, नई दिल्ली-45
उश्रेलि	इंदरदीप खांडवाल						
डीडी-I							
सहायक	रेनु कपूर	312			622		
उश्रेलि	रिक्त						
अश्रेलि	जयंत कुमार						
डीडी-II							
अनुभाग अधिकारी	श्रीमती वेद ज्योति	313		95120-2775730	622		166, सेक्टर-IV, वैशाली, गाजियाबाद, उप्र
सहायक	सुबोध कुमार राम						बी-7/53-54, सेक्टर-17, रोहिणी, दिल्ली-85
सहायक	मैरी जे. कच्चप						म.नं. 21/45, एम.आर. कॉलोनी, मुखर्जी नगर के पास, दिल्ली-09
सहायक	रीटा गधोक						104- बी, डीआईजैड एरिया, सेक्टर-4, गोल मार्किट, नई दिल्ली-1
उश्रेलि	जे.डी. शर्मा						सेक्टर 7/1120, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-22
उश्रेलि	पी.एम.माथुर						म.नं.. 411/2/2 लक्ष्मी विहार,

							बुराड़ी, दिल्ली-84
अश्रेलि	रिक्त						
डीडी-III							
अनुभाग अधिकारी	राजकुमार	314	23382391		242		डब्ल्यूजैड-11, गली नं..8, साध नगर, पालम कॉलोनी के पास, नई दिल्ली-45
अनुभाग अधिकारी	आशीष मल्होत्रा						9 बी, एमआईजी फ्लैट्स, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली-27.
सहायक	दुर्गा सेठ						
सहायक	ए.एन. गुप्ता						
उश्रेलि	के. केशवन						
अश्रेलि	रिक्त						
डीडी-IV							
अनुभाग अधिकारी	रिक्त	315	3386314				
डीडी-V							
अनुभाग अधिकारी	सुरजीत दत्ता	316	23386314				177, न्यू लाहौर कॉलोनी, शास्त्री नगर, दिल्ली-31
सहायक	श्रीमती प्रमोद जैन			22124340			बी-16/S-1 दिलशाद गार्डन, दिल्ली 10095
अश्रेलि	सुमन कुमार सिंह			9811470837			म.नं. 359 कमला नेहरू नगर, गाजियाबाद
एमएंडबीसी प्रभाग							
अल्पसंख्यक सेल							
सहायक निदेशक	प्रीति कुमारी		23765013		9वां तल, जे.पी. बिल्डिंग		
	आर. कल्वानी		23765013		9वां तल, जे.पी. बिल्डिंग		सी-291- बी, लारेंस रोड, दिल्ली-35
अश्रेलि	सत्येन्द्र कुमार						
वक्फ							
अनुभाग अधिकारी	मृत्युंजय झा		23765014		9वां तल, जे.पी. बिल्डिंग		एसआरए-57- ए, शिप्रा रिवेयरा, इंद्रिरापुरम, गाजियाबाद, उप्र
एमसी डेस्क							
अनुभाग अधिकारी	अनिल त्रिपाठी		23765012		9वां तल, जे.पी. बिल्डिंग		III/88, एन.डब्ल्यू मोती बाग, नई दिल्ली-1
डी.आर.सैनी	सीएलएम		23765006	27473949	जे.पी.		सी-156, मिंटो रोड, नई दिल्ली

					बिल्डिंग		
बीसीसी-I							
अनुभाग अधिकारी	आर.एन. भारती		23765014	9873004146	9वां तल, जे.पी. बिल्डिंग		आरजैड- एफ-29 दलेरी विस्तार(पूर्वी) नई दिल्ली
सहायक	हरबंस लाल						ई-198, ऋषि नगर, रानी बाग, नई दिल्ली-34
उश्रेलि	पोन्नमा प्रसाद			5100318			1398- ए, सेक्टर-29, फरीदाबाद
बीसीसी(एनजीओ)							
सहायक	राजीव कुमार			25086823			फ्लैट नं. 474, सेक्टर-13, पॉकेट-ए, द्वारका, नई दिल्ली-75
उश्रेलि	सुरेन्द्र सिंह			951276-243114			25/505, अशोक नगर, पावर हाऊस के पास, बहादुरगढ़ जिला झज्जर, हरियाणा
दफ्तरी	जे.सी. नाथ						जीएच-8, फ्लैट सं. 65, पश्चिम विहार, नई दिल्ली
बीसीसी-II							
अनुभाग अधिकारी	परिमल करन		23765006	0120-2890182			एफ-3/124, शालीमार गार्डन, विस्तार-I, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उप्र
सहायक	के.आर. ओबराय			20901697			डीजी-902, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली

मंत्रालय के संयुक्त संवर्ग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निदेशिका

पदनाम	नाम	आंतरिक	कार्यालय दूरभाष	आवासीय दूरभाष	कमरा नम्बर	ई-मेल	आवासीय पता
वी.आर.मल्होत्रा	निदेशक (पीसीआर व आर एल सेल)	228	23386220	26094835	610		ए-9/16 बी डीडीए फ्लैट्स, कालकाजी एक्सटें, नई दिल्ली-19.
एम. राजेन्द्रन	उप निदेशक (एमसीएससीडी)	242	23386921		400		81- पी, सीपीडब्ल्यूडी क्वाटर्स, वसंत विहार, नई दिल्ली 110057
टी.सी. जोशी	सहायक निदेशक (आरएल सेल)	327	23384311		608		1203/8, आर.के.पुरम, नई दिल्ली
पी.एल. यादव	सहायकनिदेशक (एमसीएससीडी)	242	23386921		400		
के.एम.टेंभूर्णे	अनुसंधान अधिकारी (पीसीआर)	326	23386981	25643359	721A		61, पंचशील कॉलोनी, बिंदापुर गाँव, डीडीए फ्लैट्स डी ब्लॉक के पास, उत्तर नगर, नई दिल्ली, 110059.
वी.के. तनेजा	वरि. अन्वेषक (एमसीएससीडी)	329	23384023	26888429	240		III/101, उत्तर पश्चिमी मोती बाग, नई दिल्ली 110021.
पी. जयालक्ष्मी	वरि. अन्वेषक (एससीडी-II)	321	23384311		608		एस-202, एम.एस. आपार्ट., निवेदिता कुँज, सेक्टर 10, आर.के.पुरम, नई दिल्ली
बी.एस. भंडारी	वरि. अन्वेषक (एससीडी-आरएल सेल)	327	23384311		608		ए-184, शकरपुर, दिल्ली 110034
आर.के. गुप्ता	अन्वेषक (एससीडी-IV)	323	23384311		608		बी-32, मंसा राम पार्क, उत्तम नगर, नई दिल्ली 110059

अध्याय 11
नियम पुस्तिका - 10

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसके अंतर्गत विनियमों (धारा 4(1) (ख) (x)) में यथा उपबंधित प्रतिकार की पद्धति सहित

11.1 कृपया निम्नलिखित प्रारूप में जानकारी उपलब्ध करें।

क्रम संख्या	नाम	पद	मासिक पारिश्रमिक	प्रतिकर/प्रतिकारात्मक भत्ता	विनिमय में यथावर्णित पारिश्रमिक निर्धारित करने की प्रक्रिया

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें अंतर्गत विनियमों (धारा 4(1) (ख) (x)) में यथा उपबंधित प्रतिकार की पद्धति सहित

11

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधिकारियों/ कर्मचारियों के मासिक पारिश्रमिक संबंधी जानकारी

क्रम सं.	नाम		पद	मासिक पारिश्रमिक	प्रतिकर/ प्रतिकारात्मक भत्ता	विनिमय में यथावर्णित पारिश्रमिक निर्धारित करने की प्रक्रिया
1	श्रीमती	सरिता प्रसाद	सचिव	45930		
2	डा.	संदीप खन्ना	अपर सचिव	42377		
3	डा.	जी. प्रसन्ना कुमार	सं. सचिव	40490		
4	सुश्री	जयति चंद्रा	सं. सचिव.	40490		
5	श्री	श्री पी. नारायण मूर्ति	सं. सचिव.	40490		
6	श्री	सेवा राम	सं. सचिव.	36102		
7	श्री	आशीष कुमार	निदेशक	32111		

8	श्री	बी.बी.मलिक	निदेशक	34919		
9	श्री	बी.के. पांडे	निदेशक	30005		
10	श्री	दिलीप सिंह	निदेशक	30872		
11	श्री	हसीब अहमद	निदेशक	38806		
12	श्री	जे.एस.कोच्चर	निदेशक	35396		
13	श्रीमती	मृदुल जैन	निदेशक	31111		
14	श्री	पी.के. जाजोरिया	निदेशक	34217		
15	श्री	आर.एस. वन्डरू	निदेशक	28205		
16	श्री	वी.आर. मल्होत्रा	निदेशक	30868		
17	श्री	डब्ल्यू एल. हांगसिंह	निदेशक	34919		
18	श्री	जी.एस.राजू	निदेशक	35156		
19	श्री	वी.बी.पचनंदा	निदेशक	27197		
20	श्री	नीलांबुज शरन	उप-सचिव	24213		
21	श्री	दीपक श्रीवास्वत	उप-सचिव	25793		
22	श्री	जी.के. सिंह	उप-सचिव	27899		
23	श्री	एच.एन.यादव	उप -सचिव	34175		
24	श्री	एस.एन. यादव	उप - सचिव	28741		
25	श्री	एस. सी.गुलाटी	उप - सचिव	35003		
26	श्री	इग्नियस टोपनो	उप- सचिव	26767		
27	श्री	सर्वेश राय	उप - सचिव	26451		
28	श्री	यू.एस.कुमावत	उप -सचिव	26451		
29	श्री	डी. के. भाई	अवर सचिव	22072		
30	श्री	जे. पी. मेहता	अवर सचिव	28167		
31	श्री	काशी राम	अवर सचिव	22072		
32	श्री	एल. सी. मेहरा	अवर सचिव	27425		
33	श्री	एल. आर. राव	अवर सचिव	30317		
34	श्री	एम. एस. सीनेहमर	अवर सचिव	32522		
35	श्री	महेन्द्र शर्मा	अवर सचिव	27425		
36	श्रीमती	मीना शर्मा	अवर सचिव	22072		
37	श्री	ओ. पी.जाटव	अवर सचिव	32522		
38	श्री	पी. ए. राघवन	अवर सचिव	27450		
39	श्री	आर.के. मीना	अवर सचिव	22072		
40	श्री	राम अवतार सिंह	अवर सचिव	23350		
41	श्री	कन्हैया लाल	अवर सचिव	23150		
42	श्रीमती	सविता प्रभाकर	अवर सचिव	35003		
43	श्री	ए. के.सचदेवा	अवर सचिव	23150		
44	श्री	एस.सी. दास	अवर सचिव	18650		
45	श्री	ए. के. दास	अनुभाग अधिकारी	18561		
46	श्री	अमृत लाल	अनुभाग अधिकारी	17071		
47	श्री	अनिल त्रिपाठी	अनुभाग अधिकारी	16588		
48	श्री	अरविन्द शुक्ला	अनुभाग अधिकारी	18740		
49	श्री	गुलशन कुमार	अनुभाग अधिकारी	21773		

50	श्री	जे.के. गुलाटी	अनुभाग अधिकारी	19443		
51	श्री	के.सी.तिवारी	अनुभाग अधिकारी	15618		
52	श्रीमती	कुसुम लता	अनुभाग अधिकारी	19002		
53	श्री	हरी किशन भट्ट	अनुभाग अधिकारी	14916		
54	श्री	एस.एस.कन्वर	अनुभाग अधिकारी	14916		
55	श्री	डी.आर. सैनी	अनुभाग अधिकारी	15091		
56	श्रीमती	शशि सोनी	अनुभाग अधिकारी	19443		
57	श्री	अरुण कुमार सिंह	अनुभाग अधिकारी	17238		
58	श्री	परिमल करण	अनुभाग अधिकारी	17238		
59	श्रीमती	वेद ज्योति	अनुभाग अधिकारी	18484		
60	श्री	सुरजीत दत्ता	अनुभाग अधिकारी	18120		
61	श्री	सुजित कुमार	अनुभाग अधिकारी	17413		
62	श्री	एम.एल. अटल	अनुभाग अधिकारी	14740		
63	श्री	आर. कलवानी	अनुभाग अधिकारी	21207		
64	श्री	आर.एन.भारती	अनुभाग अधिकारी	18120		
65	श्री	राज कुमार	अनुभाग अधिकारी	18120		
66	श्री	एस.रवि कुमार	अनुभाग अधिकारी	18736		
67	श्री	वी.के. सिंह	अनुभाग अधिकारी	18740		
68	श्री	मृत्युंज झा	अनुभाग अधिकारी	19347		
69	श्री	आर.सी. ध्यानी	अनुभाग अधिकारी	19884		
70	श्री	आर.वी.एस.चोपड़ा	अनुभाग अधिकारी	19884		
71	श्री	संजीव कुमार सहगल	अनुभाग अधिकारी	15623		
72	श्री	सुनिल कुमार बिश्वास	अनुभाग अधिकारी	17413		
73	श्री	वाई.एस.यादव	अनुभाग अधिकारी	18561		
74	श्री	वी. श्रीधर	अनुभाग अधिकारी	17238		
75	श्री	बी.बी.तिवानी	वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव	24135		
76	श्री	सी.वी.वेनुगोपालन	प्रधान निजी सचिव	22072		
77	श्रीमती	ए. श्रीराम	निजी सचिव	20559		
78	श्रीमती	अरुणा कुमारी	निजी सचिव	19347		
79	श्री	गुरमीत सिंह	निजी सचिव	19347		
80	श्री	के.एम. हरिगोविन्दम	निजी सचिव	15818		
81	श्री	के.पी.सिंह	निजी सचिव	20559		
82	श्री	एम.एम.सेठी	निजी सचिव	20766		
83	श्री	एम.एन.श्रीधरन	निजी सचिव	21773		
84	श्री	एम.पी. वरदराजन	निजी सचिव	19953		
85	श्रीमती	पूनम सूद	निजी सचिव	14916		
86	श्री	आर.एल.बहल	निजी सचिव	27450		
87	श्री	एस.जी.दस्तीदर	निजी सचिव	21773		
88	श्री	एस.के.भुटानी	निजी सचिव	21773		
89	श्री	एस.के.रोहिल्ला	निजी सचिव	19347		
90	श्री	सतवीर वधवा	निजी सचिव	21166		

91	श्रीमती	उमा सी कांत	निजी सचिव	17554		
92	श्रीमती	वीना छाबड़ा	निजी सचिव	24042		
93	श्री	संजय कुमार	निजी सचिव	25967		
94	श्री	आर.कारीकल वालवन	निजी सचिव	33417		
95	श्री	विवेक कुमार पाठक	अतिरिक्त निजी सचिव	17162		
96	श्री	राजेन्द्र प्रसाद	अतिरिक्त निजी सचिव	22089		
97	श्री	के.पी.बालयन	अतिरिक्त निजी सचिव	17539		
98	श्री	वी.प्रवीन	अतिरिक्त निजी सचिव	23867		
99	श्री	जे.शरत चंदर	अतिरिक्त निजी सचिव	11211		
100	श्री	संतोष कुमार	अतिरिक्त निजी सचिव	17105		
101	सुश्री	ए. गीता	प्रथम वैयक्तिक सहायक	15474		
102	श्री	श्री हरिन्द्र सिंह	प्रथम वैयक्तिक सहायक	11623		
103	श्री	एस.एस.गोयल	वैयक्तिक सहायक	16069		
104	श्री	ए.के.वेद	वैयक्तिक सहायक	16001		
105	श्री	शेख अलादीन	वैयक्तिक सहायक	12914		
106	श्री	जय इन्द्र राय	वैयक्तिक सहायक	18120		
107	श्री	ओ.पी.कश्यप	वैयक्तिक सहायक	14660		
108	श्री	एस.सुन्दर राजन	वैयक्तिक सहायक	13124		
109	श्रीमती	रजनी गोलानी	वैयक्तिक सहायक	16772		
110	श्रीमती	शशि रावल	वैयक्तिक सहायक	19443		
111	श्री	जे.के. चुग	वैयक्तिक सहायक	19443		
112	श्री	एस.बी.सिंह	वैयक्तिक सहायक	15969		
113	श्री	सोमेश घटक	वैयक्तिक सहायक	16772		
114	श्रीमती	सती देवी भटीजा	वैयक्तिक सहायक	16772		
115	श्री	सुरेन्द्र पाल	वैयक्तिक सहायक	12914		
116	श्रीमती	सरोज कालरा	वैयक्तिक सहायक	13300		
117	श्री	श्री एल. मुथुकृष्णन	वैयक्तिक सहायक	15329		
118	श्री	के.वी.भास्करन	वैयक्तिक सहायक	12510		
119	श्री	तरुन कुमार	वैयक्तिक सहायक	12510		
120	श्री	ए.के.चड्डा	वैयक्तिक सहायक	13300		
121	श्री	विजय कुमार	वैयक्तिक सहायक	15229		
122	श्रीमती	मधु भुटानी	वैयक्तिक सहायक	15615		
123	श्रीमती	कविता संधु	वैयक्तिक सहायक	14071		
124	श्री	नितेश भसीन	वैयक्तिक सहायक	14071		
125	कु.	विभुति साहा	वैयक्तिक सहायक	11281		
126	श्री	कुलविन्द्र सिंह	वैयक्तिक सहायक	13685		
127	श्रीमती	योगिता आनंद	वैयक्तिक सहायक	10974		
128	श्री	डी.पवन कुमार	वैयक्तिक सहायक	13685		
129	श्रीमती	संगीता कन्नन	वैयक्तिक सहायक	9163		
130	श्री	के.सी.जेकब	वैयक्तिक सहायक	16671		
131	श्रीमती	कमल कपूर	वैयक्तिक सहायक	14843		
132	श्री	सुरेन्द्र राम	वैयक्तिक सहायक	12914		

133	श्री	टी.राजू	भाषा वैयक्तिक सहायक	12528		
134	श्री	दीपक कुमार	भाषा वैयक्तिक सहायक	11425		
135	श्रीमती	रजनी नागर	आशुलिपिक	9661		
136	श्री	बी. हनुमंता राव	आशुलिपिक	12914		
137	कु.	लक्ष्मी रावत	आशुलिपिक	10102		
138	श्रीमती	मधु शर्मा	आशुलिपिक	14843		
139	श्री	मानवेन्द्र पटवाल	आशुलिपिक	8573		
140	श्री	जोशी जोसफ	आशुलिपिक	10984		
141	श्रीमती	वी.तुलसी	आशुलिपिक	11425		
142	श्री	विवेक देशमना	आशुलिपिक	11205		
143	श्रीमती	वंदना कैम	आशुलिपिक	11205		
144	श्री	भूपेन्द्र पाल सिंह	आशुलिपिक	11205		
145	श्री	श्री एस. षनमुगनादन	आशुलिपिक	11689		
146	श्री	पुलरू जानकीराम	सहायक लाइब्रेरियन	15950		
147	डा.	एस.पी.शुक्ल	सहायक निदेशक(रा.भा.)	22199		
148	श्रीमती	प्रीति कुमारी	सहायक निदेशक	18740		
149	श्री	सुजीत कुमार मिश्रा	सहायक निदेशक	18740		
150	श्री	टी.सी.जोशी	सहायक निदेशक	19966		
151	श्री	पी.एल.यादव	सहायक निदेशक	26217		
152	श्री	वी.एस.नायक	संयुक्त निदेशक	29775		
153	श्री	अमरनाथ	संयुक्त निदेशक	30868		
154	श्री	एम.राजेन्द्रन	उप-निदेशक	21502		
155	श्री	ए.एन.पारिक	सहायक संपादक	19002		
156	श्री	एम.एल.माथुर	वरि. अनु. अधिकारी	22247		
157	श्री	बी.के.चोपड़ा	वरि. अनु. अधिकारी	21502		
158	डा.	एम.चट्टोपाध्याय	वरि. अनु. अधिकारी	18650		
159	श्री	के.एम.टम्बूरणे	अनुसंधान अधिकारी	22199		
160	श्रीमती	पी.राजवंशी	अनुसंधान अधिकारी	24804		
161	श्री	वी.के.तनेजा	व.अनुसंधान अन्वेषक	14,916		
162	सुश्री	पी.जयालक्ष्मी	व.अनुसंधान अन्वेषक	15,267		
163	श्री	बी.एस.भंडारी	व.अनुसंधान अन्वेषक	18,561		
164	श्री	अवतार सिंह	वरि. अन्वेषक	14,214		
165	श्री	एच.एस.चढढा	वरि. अन्वेषक	15,615		
166	श्री	एन.अधिकारी	वरि. अन्वेषक	10,053		
167	श्री	एस.सी.कौशिक	अनुसंधान अन्वेषक	14,502		
168	श्री	राजेन्द्र कुमार गुप्ता	अन्वेषक	18,120		
169	श्री	महेन्द्र सिंह	अन्वेषक	14,071		
170	श्री	पारासाही	वरि. विश्लेषक	13,086		
171	श्री	प्रताप सिंह	उप-लेखा नि.	23438		
172	श्री	एस.एस. दहिया	वरि. ले. अधि.	20449		
173	श्री	मदन सिंह	वरि.लेखाकार	17,343		
174	श्री	अमरनाथ मिश्रा	वरि.लेखाकार	16,947		

175	श्री	किरण सिंह	वरि.लेखाकार	16,772		
176	श्री	सतीश कुमार गुप्ता	वरि.लेखाकार	13,923		
177	श्री	देवकी नंदन	सहायक	15,581		
178	सुश्री	आशा पांडे	सहायक	14,352		
179	श्री	एस.के.राम	सहायक	16,387		
180	श्री	ए.एस.रावत	सहायक	12,510		
181	सुश्री	उर्मिल सूद	सहायक	17,545		
182	श्री	दिगम्बर प्रसाद	सहायक	17,930		
183	सुश्री	रीमा नैयर	सहायक	15,229		
184	श्री	सुरेन्द्र सिंह	सहायक	17,545		
185	सुश्री	सुमन लता मदान	सहायक	17,545		
186	सुश्री	नीलम वधवा	सहायक	16,387		
187	श्री	के.आर.ओबराय	सहायक	14,046		
188	श्री	एच.के.बेरी	सहायक	17,158		
189	श्री	एम.एस.हमीद	सहायक	15,915		
190	श्री	एस.पी.शर्मा	सहायक	14,046		
191	श्री	के.केशवन	सहायक	12,510		
192	श्री	दया राम	सहायक	13,124		
193	सुश्री	सुदेश सैनी	सहायक	13,124		
194	श्री	अर्जुन राना	सहायक	12,914		
195	श्री	एल.आर.प्रधान	सहायक	12,510		
196	श्री	ए.एन.गुप्ता	सहायक	10,667		
197	सुश्री	दुर्गा सेठ	सहायक	14,071		
198	श्री	बी.एस.निशांत	सहायक	11,281		
199	श्री	माता प्रसाद	सहायक	10,742		
200	श्री	जे.डी.शर्मा	सहायक	10,667		
201	सुश्री	मैरी जे.कच्छप	सहायक	14,843		
202	सुश्री	कृष्णा कुमारी	सहायक	12,203		
203	श्री	धारा सिंह	सहायक	12,817		
204	श्री	इन्दरदीप खंडवाल	सहायक	15,615		
205	श्री	अविनाश कुस्माकर	सहायक	15,615		
206	श्री	अनिल कुमार	सहायक	15,229		
207	श्री	आशीष मल्होत्रा	सहायक	15,229		
208	श्री	ए.के.अग्रवाल	सहायक	15,229		
209	श्री	डी.सी.कठोच	सहायक	12,610		
210	श्री	रामनरेश	सहायक	14,843		
211	श्री	कुमार कालिकानंद	सहायक	14,843		
212	श्री	एस.के.दास	सहायक	14,843		
213	श्री	राजीव कुमार	सहायक	14,843		
214	श्री	ओम प्रकाश	सहायक	15,243		
215	श्री	हरबंश लाल	सहायक	14,843		
216	श्री	राम निवास	सहायक	12,585		

217	श्री	एच.के. मुकर्जी	सहायक	14,843		
218	सुश्री	कुमकुम जैन	सहायक	10,360		
219	सुश्री	रेनू कपूर	सहायक	12,914		
220	श्री	जी.एस.बालामुर्गन	सहायक	12,914		
221	श्री	रमेश चन्दर	सहायक	10,435		
222	श्री	एन.पी.माथुर	सहायक	12,914		
223	सुश्री	प्रमोद जैन	सहायक	12,914		
224	श्री	वी.बी.हरिहरन	सहायक	12,914		
225	श्री	सुरेश कुमार दासोर	सहायक	12,914		
226	सुश्री	रीता गढोक	सहायक	10,360		
227	श्री	जय नारायण	सहायक	10,360		
228	श्री	एम.के.राय	सहायक	13,014		
229	श्री	सुनिल भाटिया	सहायक	18,120		
230	श्री	होशएनथांग गाइट	सहायक	12,528		
231	श्री	रोहतास सिंह मीना	सहायक	10,053		
232	श्री	आर.डी.सिंह	व. हि. अनुवादक	16,671		
233	श्री	हीरा सिंह	व. हि. अनुवादक	15,969		
234	श्री	मनोज कुमार चौधरी	क. हि.अनुवादक	15,765		
235	श्री	मंगला सिंह यादव	क. हि.अनुवादक	10,667		
236	श्री	संजय कुमार	क. हि.अनुवादक	16,001		
237	श्री	वी.नागराजन	प्रवर श्रेणी लिपिक	9,451		
238	श्री	राम प्रकाश	प्रवर श्रेणी लिपिक	11,866		
239	श्री	एन्थोनी जेवियर	प्रवर श्रेणी लिपिक	9,275		
240	सुश्री	के.के खनुजा	प्रवर श्रेणी लिपिक	11,646		
241	सुश्री	सरोज भूटानी	प्रवर श्रेणी लिपिक	11,425		
242	श्री	जगदीश चंद	प्रवर श्रेणी लिपिक	9,877		
243	सुश्री	मनमिन्दर कौर	प्रवर श्रेणी लिपिक	12,087		
244	सुश्री	सी.के.कुमार	प्रवर श्रेणी लिपिक	12,087		
245	श्री	मनोज कुमार	प्रवर श्रेणी लिपिक	11,205		
246	सुश्री	इंद्रिरा देवी	प्रवर श्रेणी लिपिक	8,824		
247	श्री	गुरू कमलजीत सिंह	प्रवर श्रेणी लिपिक	9,626		
248	श्री	अजय नागपाल	प्रवर श्रेणी लिपिक	10,543		
249	श्री	बी.एस.भाटी	प्रवर श्रेणी लिपिक	8,533		
250	श्री	आर.एस.सेठी	प्रवर श्रेणी लिपिक	10,543		
251	श्री	संजय मल्होत्रा	प्रवर श्रेणी लिपिक	10,543		
252	श्री	रविन्द्र कुमार	प्रवर श्रेणी लिपिक	10,543		
253	श्री	चंचल गुहा	प्रवर श्रेणी लिपिक	8,473		
254	श्री	सुरेन्द्र सिंह	प्रवर श्रेणी लिपिक	10,764		
255	सुश्री	वीना मैनी	प्रवर श्रेणी लिपिक	10,543		
256	श्री	डी.एस.रावत	प्रवर श्रेणी लिपिक	8,363		
257	श्री	टी.आर.मीना	प्रवर श्रेणी लिपिक	10,323		
258	श्री	अरविंद कुमार	प्रवर श्रेणी लिपिक	10,498		

259	सुश्री	मोदेशता टिक्री	प्रवर श्रेणी लिपिक	10,323		
260	श्री	आर.सी.श्रीवास्तव	प्रवर श्रेणी लिपिक	10,643		
261	श्री	शिव शंकर	प्रवर श्रेणी लिपिक	10,102		
262	सुश्री	जी.ग्रेस रोंगमी	प्रवर श्रेणी लिपिक	8,122		
263	श्री	सुखबीर सिंह	प्रवर श्रेणी लिपिक	8,022		
264	श्री	आर.आर.वर्मा	प्रवर श्रेणी लिपिक	10,323		
265	श्री	एस.पी.कालरा	प्रवर श्रेणी लिपिक	10,743		
266	श्री	एम.के.जयाचंद्रन	प्रवर श्रेणी लिपिक	9,761		
267	सुश्री	शैली अग्रवाल	प्रवर श्रेणी लिपिक	9,661		
268	श्री	आर.के.झा	प्रवर श्रेणी लिपिक	9,661		
269	सुश्री	पूनम प्रसाद	प्रवर श्रेणी लिपिक	9,661		
270	श्री	किशन राम	प्रवर श्रेणी लिपिक	7,771		
271	श्री	राजेश्वर दयाल	प्रवर श्रेणी लिपिक	10,543		
272	श्री	पी.एम.ठक्कर	प्रवर श्रेणी लिपिक	9,441		
273	श्री	कमल कुमार	प्रवर श्रेणी लिपिक	9,441		
274	श्री	आशीष भट्टाचार्य	प्रवर श्रेणी लिपिक	9,441		
275	श्री	सुनील कुमार वर्मा	अवर श्रेणी लिपिक	7191		
276	श्री	राजपाल	प्रवर श्रेणी लिपिक	8239		
277	श्री	राजेश कुमार	प्रवर श्रेणी लिपिक	8349		
278	श्री	एच.सी.जोशी	अनु.जा.वि.	8950		
279	कु.	रेखा	प्रवर श्रेणी लिपिक	8184		
280	श्री	रामनाथ	प्रवर श्रेणी लिपिक	8184		
281	श्री	सुमन कुमार सिंह	प्रवर श्रेणी लिपिक	6575		
282	श्री	ईश्वर सिंह	प्रवर श्रेणी लिपिक	8184		
283	श्री	सुबोध कुमार	प्रवर श्रेणी लिपिक	8184		
284	श्री	बी.एम.प्रसाद	प्रवर श्रेणी लिपिक	6543		
285	श्री	अवधेश चन्दर	प्रवर श्रेणी लिपिक	6443		
286	श्रीमती	चि.वी.एस. माधवी	प्रवर श्रेणी लिपिक	6311		
287	श्री	कुमार मलय	प्रवर श्रेणी लिपिक	6311		
288	श्री	देवान्शु कुमार	प्रवर श्रेणी लिपिक	7852		
289	श्री	सतेन्द्र कुमार	प्रवर श्रेणी लिपिक	7852		
290	श्रीमती	वी.सुभालक्ष्मी	प्रवर श्रेणी लिपिक	7191		
291	श्री	राजेश कुमार-II	प्रवर श्रेणी लिपिक	7852		
292	श्री	मनोज कुमार	प्रवर श्रेणी लिपिक	7852		
293	श्री	जयन्त कुमार	प्रवर श्रेणी लिपिक	7687		
294	श्री	के.नारायण देव	प्रवर श्रेणी लिपिक	7266		
295	श्री	प्रभाकर कुमार	प्रवर श्रेणी लिपिक	7522		
296	श्री	सतीश कुमार	अनु.जा.वि.	8578		
297	श्री	एस.परासाथ	अनु.जा.वि.	7221		
298	श्री	सूरज देव	अनु.जा.वि.	7221		
299	श्री	ध्यान सिंह	अनु.जा.वि.	7221		
300	श्री	जगदीश प्रसाद	अनु.जा.वि.	8328		

301	श्री	हवा सिंह	अनु.जा.वि.	11235		
302	श्री	भगवती प्रसाद	अनु.जा.वि.	8929		
303	श्री	इन्दर बहादुर सिंह	अनु.जा.वि.	8503		
304	श्री	गंगा सिंह यादव	अनु.जा.वि.	7643		
305	श्री	राजेन्द्र सिंह	अनु.जा.वि.	7337		
306	श्री	दिलबाग सिंह	हरकारा	7552		
307	श्री	प्रभु दयाल	दफ्तरी	6,736		
308	श्री	सुरजीत सिंह	दफ्तरी	8,379		
309	श्री	ब्रह्म सिंह	दफ्तरी	7,262		
310	श्री	राम पाल सिंह	दफ्तरी	9,040		
311	श्री	मंगल सिंह	दफ्तरी	7,131		
312	श्री	दिनेश कुमार	दफ्तरी	7,059		
313	श्री	नागेन्द्रा महथो	दफ्तरी	7,131		
314	श्री	बलराम	दफ्तरी	7,494		
315	श्री	साहिद अली	दफ्तरी	7,131		
316	श्री	जे.सी. नाथ	दफ्तरी	9,305		
317	श्री	जीत राम	जमादार	7,494		
318	श्री	राम सिंहासन सिंह	जमादार	6,736		
319	श्री	सतेन्द्र सिंह	चपरासी	5,630		
320	सुश्री	राज बाला	चपरासी	6,650		
321	श्री	विजेन्द्र सिंह	चपरासी	5,841		
322	श्री	जय नारायण सिंह	चपरासी	6,177		
323	श्री	के.के.शर्मा	चपरासी	7,607		
324	श्री	शिव लाल	चपरासी	7,607		
325	श्री	नंद लाल 1	चपरासी	6,122		
326	श्री	नंद लाल 2	चपरासी	6,989		
327	श्री	दिनेश सिंह	चपरासी	7,607		
328	श्री	सरोज कुमार	चपरासी	7,662		
329	श्री	हरबीर सिंह	चपरासी	7,761		
330	श्री	नरेन्द्र मोहन	चपरासी	7,761		
331	श्री	जमाल खान	चपरासी	7,761		
332	श्री	बाबूलाल यादव	चपरासी	6,299		
333	श्री	मुकेश कुमार	चपरासी	6,244		
334	श्री	अशोक कुमार भट्ट	चपरासी	6,244		
335	श्री	मोहन सिंह भंडारी	चपरासी	6,244		
336	श्री	अशोक कुमार सी	चपरासी	6,344		
337	श्री	करतार सिंह	चपरासी	7,915		
338	श्री	यशपाल मनोछा	चपरासी	6,467		
339	श्री	गजाधर	चपरासी	6,244		
340	श्री	परमानंद	चपरासी	6,367		
341	श्री	झिन्कन मल्लाह	चपरासी	7,915		
342	श्री	रमेश चंद शर्मा	चपरासी	7,970		

343	श्री	सतीश सिंह	चपरासी	6,427		
344	श्री	सुरेमान सिंह	चपरासी	6,422		
345	श्री	गणेश प्रसाद	चपरासी	6,367		
346	श्री	राज सिंह	चपरासी	7,915		
347	श्री	राजेन्द्र सिंह दरावल	चपरासी	6,367		
348	श्री	भुवन चन्दर जोशी	चपरासी	6,367		
349	श्री	राज पाल 1	चपरासी	6,422		
350	श्री	वी.चक्रवर्ती	चपरासी	6,367		
351	श्री	बनवारी लाल	चपरासी	7,915		
352	श्री	रतन लाल	चपरासी	7,915		
353	श्री	आशय राम	चपरासी	6,422		
354	श्री	सतबीर	चपरासी	8,379		
355	श्री	नारायन सिंह	चपरासी	8,379		
356	श्री	तारकेश्वर प्रसाद	चपरासी	6,736		
357	श्री	हरीश चन्द्र सिंह	चपरासी	8,254		
358	श्री	सुरेश कुमार	चपरासी	8,224		
359	श्री	आर के. महतो	चपरासी	6,736		
360	श्री	यशपाल	चपरासी	6,736		
361	श्री	ओम प्रकाश	चपरासी	8,379		
362	श्री	राम लाल पंडित	चपरासी	8,379		
363	श्री	कालू राम	चपरासी	7,494		
364	श्री	रामपाल	चपरासी	7,149		
365	श्री	मुकेश कुमार एस.	सफाई वाला	6,344		
366	श्री	भीषण चंद	सफाई वाला	9,405		
367	श्री	विजय कुमार	सफाई वाला	5,941		
368	श्री	होशियार राम	सफाई वाला	5,835		
369	श्री	सोनू	फराश	5,550		
370	श्री	हीरा लाल	फराश	5,730		
371	श्री	राम गीरीश	फराश	5,550		
372	श्री	राजेन्द्र प्रसाद	चौकीदार	5,735		
373	श्री	प्रितम सिंह	रिकार्ड कीपर	9,637		
374	सुश्री	तारा देवी	चपरासी(को-टर्मिनस)	5,999		
375	श्री	गंगा सागर	चपरासी(को-टर्मिनस)	5,999		
376	सुश्री	दिप्ती तालुकदार	चपरासी(को-टर्मिनस)	5,999		
377	श्री	गंगा दयाल	चपरासी(को-टर्मिनस)	5,999		
378	सुश्री	पी. तामीनहरसी	चपरासी(को-टर्मिनस)	5,999		
379	सुश्री	पी.राजामनी	चपरासी(को-टर्मिनस)	5,999		
380	श्री	राम सिंह	चपरासी(को-टर्मिनस)	6,143		
381	श्री	ए.पांडुरंगन	चपरासी(को-टर्मिनस)	6,143		
382	श्री	अशोक कुमार	चपरासी(अ. हैसियत)	7,091		
383	श्री	रणबीर कुमार	चपरासी(अ. हैसियत)	7,091		
384	श्री	पी. बालकृष्णन	चपरासी(अ. हैसियत)	7,091		

385	श्री	राज कुमार 2	चपरासी(अ. हैसियत)	7,091		
386	श्री	सोन कुमार	चपरासी(अ. हैसियत)	7,091		
387	श्री	राजबीर सिंह	चपरासी(अ. हैसियत)	7,091		
388	श्री	मो. फिरोजखान	चपरासी(अ. हैसियत)	7,091		
389	श्री	बी.डी.पासवान	चपरासी(अ. हैसियत)	7,091		
390	श्री	राम नारायण सिंह	चपरासी(अ. हैसियत)	6,751		
391	सुश्री	अबीना देवी	चपरासी(अ. हैसियत)	6,751		
392	श्री	बिरेन्द्र सिंह	चपरासी(अ. हैसियत)	6,751		
393	श्री	सरत सिंह	चपरासी(अ. हैसियत)	6,751		

अध्याय - 12

नियम पुस्तिका - 11

प्रत्येक एजेंसी के लिए आबंटित बजट

{धारा 4(1)(ख) (XI) के अंतर्गत}

12.1 विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत भिन्न-भिन्न कार्यकलापों के लिए बजट का ब्यौरा

वित्त प्रभाग

क्रम सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	कार्यकलाप	बजट अनु. 2004-05	वास्तविक 2004-05	बजट अनु. 2005-06	पुनर्विनि-योजित
				(करोड रुपये)		
	अनुसूचित जाति विकास प्रभाग					
1.	अनुसूचित जाति संघटक योजना के लिए विशेष सहायता ।	इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जातियों, जिनकी आय गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे व्यक्तियों की आय के दुगना से कम है, का सामाजिक - आर्थिक स्तर बढ़ाना है और यह इस मंत्रालय की सहायता के एक योगज के रूप में है तथा राज्यों के प्रयासों में अभिवृद्धि करना है ।	402.00	394.27	491.22	398.28
2.	अनु.जाति के	यह एक अत्यंत	313.24	330.26	371.89	371.89

	छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां ।	महत्वपूर्ण योजना है जो अनुसूचित जाति के ऐसे छात्रों में शिक्षा के सुधार के लिए बनायी गयी है जो उच्च शिक्षा अध्ययन पर आने वाला खर्च वहन नहीं कर सकते हैं ।				
3.	सि.अ.सं. अधिनियम, 1955 तथा अनु.जाति और अनु.जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के लिए तंत्र ।	इस योजना के अंतर्गत अ.जा.के व्यक्ति जो अस्पृश्यता के शिकार होते हैं को निःशुल्क कानूनी व पुनर्वास सहायता प्रदान की जाती है ।	34.75	34.62	36.91	36.91
4.	कोचिंग और संबंद्ध योजना ।	यह योजना अ.जा., अन्य पिछड़े वर्गों, तथा अल्पसंख्यकों के छात्रों की संभावित नौकरी की जरूरतें पूरी करने के लिए बनायी गयी है । इसके लिए उन्हें विशेष निःशुल्क परीक्षा कोचिंग दी जाएगी ताकि वे सामान्य श्रेणी के छात्रों के साथ स्पर्धा कर सके ।	8.00	4.93	0.01	8.00
5.	अ.जाति की बालिकाओं के	अनु.जाति की छात्राओं को शिक्षा संस्थाओं में	22.00	16.03	0.01	20.00

	लिए छात्रावास	अपना अध्ययन करने के लिए छात्रावास सुविधाएं प्रदान की जाती हैं । राज्य सरकारों को सहायता अनुदान जारी किया जाता है ।				
6.	अ.जाति के बालकों के लिए छात्रावास	यथोपरि	26.00	24.92	0.01	26.00
7.	राष्ट्रीय अनु.जाति वित्त और विकास निगम	गरीबी रेखा सीमा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों की आय के दुगना से कम आय वाले अ.जाति के व्यक्तियों को आय सृजन कार्यकलापों के वित पोषण के उद्देश्य के लिए इस निगम की स्थापना की गई है ।	15.10	11.00	16.60	16.60
8.	अनु.जाति विकास निगम के लिए शेयर पूंजी	यथोपरि	49.00	48.64	31.50	31.50
9.	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम	सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों के समग्र सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए, इस निगम की स्थापना की गयी है ।	20.00	20.59	22.00	22.00

10.	मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति योजना	इस योजना के अंतर्गत अस्वच्छ व्यवसायों में लगे लोगों के बच्चों को मैट्रिकुलेशन स्तर तक अध्ययन करने के लिए सहायता दी जाती है ।	16.00	9.89	0.01	16.00
11.	अनु.जाति के लिए अखिल भारत या अंतर राज्य स्वरूप की परियोजना को सहायता	इस मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों के मूल्यांकन के लिए विभिन्न अध्ययन करने हेतु, संस्थाओं/स्कालरों को सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है ।	0.50	0.49	0.50	0.50
12.	अनु.जाति के छात्रों की योग्यता उन्नयन	इस योजना का उद्देश्य अनु.जाति के छात्रों को आवासीय स्कूलों में शिक्षा के माध्यम से समग्र विकास हेतु सुविधाएं प्रदान करते हुए उनका योग्यता उन्नयन करना है ।	18.00	1.77	0.01	18.00
13.	अम्बेडकर प्रतिष्ठान	विभिन्न कल्याणकारी कार्यकलाप शुरू करने के लिए	1.00	1.00	1.00	1.00
14.	अ.जाति कल्याण के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता	इस योजना का उद्देश्य अनु.जातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास की प्रक्रिया में सक्षम गैर-सरकारी	25.50	26.54	26.00	26.00

		संगठनों की सेवाओं का उपयोग करना है ।				
15.	अनु.जातियों के लिए आवासीय स्कूल स्थापित करना	इस योजना का उद्देश्य अनु.जाति के छात्रों को आवासीय स्कूलों में शिक्षा के माध्यम से समग्र विकास हेतु सुविधाएं प्रदान करते हुए उनकी योग्यता उन्नयन करना है ।	9.00	0.00	5.00	5.00
16.	आवासीय पब्लिक स्कूलों में अध्ययन के लिए अनु.जाति के छात्रों को सहायता	इस योजना का उद्देश्य अनु.जातियों के उन निर्धन छात्रों को सहायता देना है जो छात्रावास का व्यय वहन नहीं कर सकते हैं ।	5.00	0.00	0.01	5.0016.03
17.	अनु.जातियों के छात्रों के लिए राजीव गांधी फेलोशिप	अ.जा. के छात्रों को डाक्टोरल पाठ्यक्रमों के लिए फेलोशिप प्रदान की जाएगी ।	0.00	0.00	16.03	16.03
	कुल		**965.09**	**924.95**	**1018.71**	**1018.71**

समाज रक्षा प्रभाग

1.	किशोर समाजिक कुसमंजन निवारण और नियंत्रण	किशोरों को पारंपरिक पद्धति से विशेष देख-भाल और सुरक्षा प्रदान करना और उनके पुनर्वास के लिए सुधारात्मक कार्यक्रम बनाने हेतु, किशोर न्याय अधिनियम, 2000 अधिनियमित किया गया था । राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समान आधार पर सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है ।	18.90	19.71	0.01	20.43
2.	अंतःदेशीय दत्तकग्रहण को प्रोत्साहित करने कये लिए शिशु तथा युवा बच्चों हेतु गृहों की सहायता	इस योजना का उद्देश्य शिशुओं और 6 वर्ष की आयु के बच्चों, जो या तो परित्यक्त अथवा अनाथ या निराश्रित हैं, के लिए संस्थानिक देख-भाल और अंतः देशीय दत्तक ग्रहण के माध्यम से पुनर्वास करना है ।	2.65	2.23	5.00	5.00
3.	राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान	यह संस्थान समाज रक्षा के क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों/गैर-सरकारी संगठनों के लिए विभिन्न प्रश्क्षण कार्यक्रम कार्यन्वित कर रहा है ।	3.80	3.50	4.80	4.80

4.	अनुसंधान अध्ययनों तथा अनुसंधान प्रकाशनों के लिए सहायता अनुदान	इस मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों के मूल्यांकन के लिए विभिन्न अध्ययन करने हेतु, संस्थाओं/स्कालरों को सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है ।	0.50	0.50	0.60	0.60
5.	सूचना तथा जन शिक्षा सेल	जन संचार के माध्यम से इस मंत्रालय की योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में प्रचार शुरू करने के लिए	5.00	2.79	6.00	6.00
6.	देखभाल और सुरक्षा के जरूरतमंद कार्यरत बच्चों का कल्याण	इस योजना का उद्देश्य गैर-सरकरी संगठनों के माध्यम से अनाथ तथा निराश्रित बच्चों की दशा में सुधार करना है ।	7.00	0.00	7.00	7.00
7.	वृद्धजनों के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता	इस योजना में दिवा देखभाल केन्द्रों की स्थापना और जारी रखने, वृद्धावस्था गृहों और सचल चिकित्सा यूनिट के लिए गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता का प्रावधान है ।	18.79	15.68	24.05	18.00
8.	मद्यनिषेध तथा नशीले पदार्थ	इस योजना का उद्देश्य चेतना सृजन तथा समुदाय को शिक्षित	26.09	25.50	30.64	22.67

	दुरूपयोग के लिए शिक्षा कार्य 'मद्यपान तथा वस्तु (नशीले पदार्थ) दुरूपयोग निवारण' के रूप में पुनर्नामित	करना पहचान, प्रेरणात्मक परामर्श, नशीले पदार्थों के व्यसनियों का उपचार और पुनर्वास, के साथ कि उनकी सामाजिक पुनर्वापसी और सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहन देना है ।				
9.	बेसहारा बच्चों के लिए योजना	यह योजना बेसहारा बच्चों के पुनर्वास के लिए है ।	12.55	11.78	17.20	10.80
10.	समाज रक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता	यह योजना राष्ट्रीय विपदा और आपदा के लिए है, जो इस मंत्रालय की वर्त्तमान योजनाओं के अंतर्गत शामिल नहीं हैं ।	2.70	4.00	5.50	5.50
	कुल		**97.98**	**85.69**	**100.80**	**100.80**

विकलांगता प्रभाग

1.	राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, देहरादून	दृष्टिहीनता के क्षेत्र में प्रशिक्षित मानव संसाधन प्रदान करने के लिए	5.55	0.55	5.00	5.00
2.	राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, कलकत्ता	अस्थि विकलांग के क्षेत्र में प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध कराने हेतु	4.00	3.00	4.00	4.00
3.	राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, मुबई	श्रवण विकलांगता के क्षेत्र में प्रशिक्षित मानव संसाधन प्रदान करना	8.80	5.86	9.00	9.00
4.	राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, कटक	विभिन्न विकलांगताओं के क्षेत्र में अनुसंधान और प्रशिक्षण शुरू करना	6.25	6.25	6.25	6.25
5.	विकलांग जन संस्थान, नई दिल्ली	शारीरिक विकलांगता के क्षेत्र में प्रशिक्षित मानव संसाधन प्रदान करना	2.50	1.50	2.00	2.00
6.	राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद	मानसिक मंदता के क्षेत्र में प्रशिक्षित मानव संसाधन प्रदान करना	9.00	9.62	10.00	10.00
7.	राष्ट्रीय	बहुविकलांगता के	1.00	1.00	6.50	6.50

	बहुविकलांग संस्थान	क्षेत्र में प्रशिक्षित मानव संसाधन प्रदान करना				
8.	राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम	आय सृजक योजनाओं के लिए विकलांग व्यक्तियों को ऋण प्रदान करने हेतु	11.00	1.00	11.00	11.00
9.	भारतीय पुनर्वास परिषद	पुनर्वास एजेंसियों के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर का रख-रखाव और उनके पुनर्वास हेतु संस्थानिक बनाना	3.00	2.01	3.00	3.00
10.	मिशन मोड में प्रौद्योगिकी विकास परियोजना	विकलांगों के लिए नवाचार औजारों तथा यंत्रों को प्रोत्साहन	2.00	0.37	2.00	2.00
11.	मेरुदंड क्षति केन्द्र	यह केन्द्र मेरूदंड क्षतिग्रस्त वाले व्यक्तियों को व्यापक पुनर्वास प्रबंधन और अन्य न्यूरों मस्कूलर गड़बड़ी के लिए सेवाएं प्रदान करता है ।	3.50	2.62	3.50	3.50
12.	निःशक्त व्यक्ति अधिनियम का	विकलांगताओं का निवारण और शीघ्र	24.64	10.04	20.34	20.35

	कार्यान्वयन	पता लगाने के लिए तथा निवारण, शिक्षा और विकलांगों के पुनर्वास के पहल हेतु योजनाएं तैयार करना				
13.	दृष्टि, श्रवण तथा अस्थि विकलांग व्यक्तियों के लिए केन्द्र	जापान सरकार के साथ तकनीकी सहयोग के अंतर्गत यह केन्द्र विकलांगता के क्षेत्र में नवीनतम जानकारी और उनका पुनर्वास करेगा	0.00	0.00	1.00	1.00
14.	दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना	यह योजना उन गैर-सरकारी संगठनों को सहायता के लिए है, जो विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत हैं ।	80.00	67.31	80.00	80.00
15	विकलांगों के लिए सहायक यंत्र तथा उपकरण	जरूरतमंद शारीरिक विकलांग व्यक्तियों को आधुनिक तथा मानक सहायक यंत्र तथा उपकरण के साथ सहायता देने के लिए गैर सरकारी संगठनों को सहायता	60.00	63.19	60.00	60.00

		अनुदान प्रदान किया जाता है जिससे उनका शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास हो सके ।				
16.	विकलांगों को रोजगार	यह योजना राज्यों को अंतरित कर दी गई है ।	2.00	1.54	0.01	0.00
17.	पुनर्वास विज्ञान कालेज	विकलांगताओं के क्षेत्र में शिक्षा देने के लिए एक शीर्ष कालेज स्थापित करना ।	1.00	0.00	0.00	
18	विकलांग बच्चों को सहायता	इस योजना को छोड़ दिया गया है।	0.30	0.29	0.00	0.00
			224.54	**176.15**	**223.60**	**0.00**

अल्पसंख्यक तथा पिछड़ा वर्ग प्रभाग

1.	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए बाल तथा बालिका छात्रावास	शिक्षा केन्द्रों में अपना अध्ययन जारी रखने के लिए पिछडे वर्ग के छात्रों को	12.76	12.78	0.01	12.55

		छात्रावास की सुविधाएं प्रदान करना । राज्य सरकारों को सहायता अनुदान जारी करना ।				
2.	पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों जो उच्चतर अध्ययन के लिए साधनहीन हो सकते हैं के बीच शिक्षा में सुधार के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है ।	21.73	24.67	29.95	23.40
3.	पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति	पूर्व मैट्रिक स्तर पर अध्ययनरत निर्धन अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान किए जाते हैं ।	16.80	18.76	23.99	18.00
4.	राष्ट्रीय पिछड़ा गर्व वित्त और विकास निगम	यह निगम सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के पात्र समूहों के व्यक्तियों को रियायती वित्त प्रदान कर रहा है ।	9.00	18.72	10.00	10.00
5.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और	यह निगम स्वरोजगार स्थापित और प्रोत्साहन देने	71.29	73.65	19.60	19.60

	वित्त निगम	के लिए अल्पसंख्यकों के बीच पात्र लाभार्थियों के लिए रियायती वित्त प्रदान कर रहा है ।				
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग तथा कमजोर वर्गों के लिए योग्यता आधारित छात्रवृत्ति	प्रगतिशील तथा मेधावी अ.पि.व. के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना	0.01	0.00	0.01	0.01
7.	कमजोर वर्गों के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता	अ.पि.वर्गों के कल्याण के लिए कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान जारी की जाती है ।	5.00	5.51	5.00	5.00
8.	मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान	यह प्रतिष्ठान विशेष रूप से अल्पसंख्यकों और सामान्य रूप से अन्य के बीच समाज के शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के बीच शिक्षा को प्रोतसाहन देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान	1.00	1.00	30.00	30.00

		करता है ।				
			137.59	155.09	118.56	118.56

सचिवालय

1.	सचिवालय - सामाजिक सेवा	सचिवालय के स्थापना शुल्क वहन करने के लिए	1.00	1.00	2.00	2.00
1	पूर्वोत्तर तथा सिक्किम के लिए एक मुश्त प्रावधान	पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम में कार्यकलाप शुरू करने के लिए निधि प्रदान करने हेतु ।	1.00	1.00	2.00	2.00
	कुल योग		**1492.00**	**13422.86**	**1533.70**	**1533.70**

अध्याय - 13

नियम पुस्तिका - 12

सहायक कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका

{धारा4(1)(ख)(XII)के अंतर्गत}

यह मंत्रालय कोई सहायक कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं करता है । तथापि, अनुसूचित जाति विकास - II विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान करता है, जिसके अंतर्गत नीचे यथा वर्णित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सहायक कार्यक्रमों के साथ कार्यान्वित की जाने वाली योजनाएं हो सकती हैं ।

अनुसूचित जाति विकास - II प्रभाग

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आर्थिक सहायता के अनुरूप (एससीए में से 10000 रुपए तक) विशेष केन्द्रीय सहायता का उपयोग के लिए लाभग्राहीउन्मुख विशिष्ठ परियोजना प्रस्ताव तैयार करना अपेक्षित है ।

अध्याय - 14

नियम पुस्तिका - 13

इसके द्वारा स्वीकृत रियायतों, परमिटों या प्राधिकार की प्रतियों का ब्यौरा

{धारा 4(1)(ख)(XIII)के अंतर्गत}

14.1 प्रपत्र के अनुसार कृपया सूचना दें :

यह मंत्रालय सार्वजनिक प्राधिकारी के रूप में बाल कल्याण के मामले को छोड़कर जैसा कि नीचे उल्लिखित है कोई रियायत, परमिट या प्राधिकार नहीं देता है ।

समाज रक्षा ब्यूरो के अंतर्गत बाल कल्याण प्रभागः

कभी कभी परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं होने के मामले में राज्यों संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को समय सीमा विस्तार की अनुमति दी जाती है । सहायता अनुदान जो वित्त वर्ष में उपयोग होने से बचा रह जाता है, उसे चालू वित्त वर्ष में अनुदान जारी करते समय घटा दिया जाता है ।

अन्य तीन योजनाओं के संबंध में गैर-सरकारी संगठनों/संस्थाओं को उनके संगम ज्ञापन में बाल कल्याण से संबंधित कार्यकलापों को शामिल करने के लिए समय सीमा में विस्तार की अनुमति दी जाती है ।

अध्याय - 15

नियम पुस्तिका - 14

कार्य निष्पादन हेतु निर्धारित मानदंड

(धारा 4(1)(ख) (iv) के अंतर्गत)

15.1 कृपया विभिन्न कार्यकलापों/कार्यक्रमों के निष्पादन के लिए विभाग द्वारा नियत किए गए मानदंडों का ब्यौरा दें ।

मंत्रालय समग्र रूप से सामान्यतया मानकों का अनुसरण करता है जैसा कि उसके सिविल चार्टर में नियत है और जोकि मंत्रालय की वेबसाइट www.socialjustice.nic.in में उपलब्ध है । इसके अतिरिक्त कुछ निम्नलिखित प्रभाग निम्न मानकों का अनुसरण करते हैं ।

प्रशासन प्रभाग

ऐसे सेवा मामलों के लिए नोडल मंत्रालय अर्थात् कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा बनाए गए निर्धारित नियम और विनियम में निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार ।

विकलांगता प्रभाग

(i) दीन दयाल विकलांगजन पुनर्वास योजना

योजना के अंतर्गत नई परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए, योजना में यथा निर्धारित विधिवत रूप से पूर्ण आवेदन पत्र संबंधित राज्य सरकार को प्रस्तुत किए जाने चाहिए । राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से संस्तुत आवेदन-पत्र और निरीक्षण रिपोर्ट छानबीन समिति के सामने रखे जाते हैं । पूर्व वर्ष के 1 अक्तूबर से चालू वित्त वर्ष के 31 सितम्बर तक प्राप्त आवेदन पत्र छानबीन समिति के सामने रखे जाते हैं । परियोजनाओं के साम्ययुक्त वितरण से संबंधित संशोधित नीति के अनुसार, वरीयता उन

जिलों को दी जाती है जहां योजना के अंतर्गत पूर्व में कोई परियोजना वित्त पोषित नहीं है । ऐसे जिले जहां विकलांगता प्रकार की 2 परियोजनाओं से अधिक पहले से ही वित्त पोषित हैं, से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

चल रहे मामलों के लिए, पहली किस्त की निर्मुक्ति के लिए प्रस्ताव सीधे तौर पर इस मंत्रालय को 30 जून तक प्रस्तुत किए जाने चाहिए । दूसरी किस्त की निर्मुक्ति के लिए, संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव संस्तुत किए जाने चाहिए और निरीक्षण रिपोर्ट के साथ मंत्रालय को अग्रेषित करने चाहिए ।

(ii) राष्ट्रीय विकलांगजन छात्रवृत्ति

विधिवत रूप से आवेदन पत्र मंत्रालय में निर्धारित तारीख तक प्राप्त हो जाने चाहिए । छात्र/छात्रा के अध्ययनरत संस्थान द्वारा आवेदन-पत्र संस्तुत किए जाने चाहिए ।

(iii) विकलांग व्यक्तयों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

संबंधित राज्य सरकार/केन्द्रीय मंत्रालय द्वारा निर्धारित तिथि तक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए आवेदन-पत्र मंत्रालय को पहुंच जाने चाहिए ।

(iv) विकलांगता प्रभाग - 3 अनुभाग निःशक्त व्यक्ति अधिनियम और आर सी आई अधिनियम का प्रभारी है । अनुभाग उपर्युक्त उल्लिखित अधिनियमों के कार्यान्वयन से संबंधित कार्यकलापों का भी मानीटर और समन्वयन करता है । अनुभाग विकलांजनों से संबंधित नीति बनाता/संशोधित/समीक्षा भी करता है । यह विकलांग व्यक्तियों के लिए ज्ञात पदों की सूची और विभिन्न विकलांगताओं के आकलन के लिए दिशा-निर्देश और प्रमाणन की प्रक्रिया भी बनाता है । विकलांगता प्रभाग-3 अनुभाग यह सुनिश्चित करता है कि उपरोक्त क्रियाकलाप समयबद्ध और प्रभावी तरीके से किए जाएं । बनाई जाने वाली नीति को विभिन्न एजेंसियों जैसे वेबसाइट, इसकी विभिन्न समितियों में जनता के सदस्यों की बैठकों और प्रतिनिधित्व द्वारा जनसाधारण के बीच परिचालित किया जाता है । अनुभाग, निःशक्त व्यक्ति अधिनियम और भारतीय पुनर्वास परिषद की जनरल काउन्सिल के अनुसरण में गठित केन्द्रीय कार्यकारी समिति और केन्द्रीय समन्वयन समिति में जनसाधारण का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है ।

(iii) सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता की योजना (एडिप)

योजना के अंतर्गत नई परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए, योजना में यथा निर्धारित विधिवत रूप से पूर्ण आवेदन-पत्र संबंधित राज्य सरकार को प्रस्तुत किए जाने चाहिए । राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से संस्तुत आवेदन पत्र और निरीक्षण रिपोर्ट स्क्रीनिंग समिति के सामने रखे जाते हैं । पूर्व वर्ष के 1 अक्तूबर से चालू वित्त वर्ष के 31 सितम्बर तक प्राप्त आवेदन-पत्र छानबीन समिति के सामने रखे जाते हैं । परियोजनाओं के साम्ययुक्त वितरण से संबंधित संशोधित नीति के अनुसार, वरीयता उन जिलों को दी जाती है जहां योजना के अंतर्गत पूर्व में कोई परियोजना वित्त पोषित नहीं है । ऐसे जिले जहां विकलांगता प्रकार की 2 परियोजनाओं से अधिक पहले से ही वित्तपोषित हैं, से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

चालू मामलों के लिए, पहली किस्त की निर्मुक्ति के लिए प्रस्ताव सीधे तौर पर इस मंत्रालय को 30 जून तक प्रस्तुत किए जाने चाहिए । दूसरी किस्त की निर्मुक्ति के लिए, संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव संस्तुत किए जाने चाहिए और निरीक्षण रिपोर्ट के साथ मंत्रालय को अग्रेषित करने चाहिए ।

पिछड़ा वर्ग प्रभाग:

अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति और अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों और छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण का प्रस्ताव ।

योजनाओं के अंतर्गत प्रस्तावों की स्वीकृति के लिए योजना में यथानिर्धारित विधिवत रूप से पूर्ण आवेदन-पत्र संयुक्त सचिव (एम एंड बी सी)/निदेशक (पिछड़ा वर्ग) को प्रस्तुत किए जाने चाहिए । आवेदन-पत्र पूर्व स्वीकृति के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र, यदि कोई हो, लाभार्थियों की संख्या, राज्य समान अंश के लिए राज्य बजट में प्रावधान की पुष्टि, होस्टल निर्माण के मामलों में भूमि की उपलब्धता की पुष्टि इत्यादि संलग्न होनी चाहिए । राज्य सरकारों/संघ राज्य -क्षेत्र प्रशासनों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर तत्काल कार्रवाई की जाती है और इसकी जांच की जाती है कि ये सभी तरह से पूर्ण हैं । सहायता अनुदान साल दर साल आधार पर स्वीकृत की जाती है ।

(ii) अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता

योजना के अंतर्गत नए प्रस्तावों की स्वीकृति के लिए, योजना में यथा निर्धारित विधिवत रूप से पूर्ण आवेदन पत्र संयुक्त सचिव (अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग)/ निदेशक(पिछड़ा वर्ग) को प्रस्तुत किए जाने चाहिए । आवेदन-पत्र में पूर्व स्वीकृति के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र, निरीक्षण रिपोर्ट, संगठन ज्ञापन, पदधारियों की सूची परियोजना रिपोर्ट, लाभार्थियों की सूची, पूर्व तीन वर्षों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट इत्यादि संलग्न होने चाहिए । संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा परियोजना विधिवत रूप से संस्तुत होनी चाहिए । यदि परियोजनाएं सभी तरह से पूरी हैं तो इसे छानबीन समिति के सामने रखा जाता है । छानबीन समिति की अनुमति के बाद, निधि संबंधित संगठन को जारी की जाती है ।

प्रेम प्रभाग

अनुसंधान अध्ययन और प्रकाशन के लिए सहायता अनुदान

अनुमोदित प्रस्तावों को 100% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । तथापि, बजट का निर्णय प्रस्ताव की मैरिट के आधार पर किया जाता है । अनुसंधान/मूल्यांकन अध्ययनों के मामले में अनुदान छमाही किस्तों में जारी की जाती है । प्रत्येक किस्त की राशि व्यय के अनुमान के मद्देनजर निर्धारित होती है । परियोजना निदेशक के मानदेय और कुल सहायता अनुदान के 7 1/2% को रोक लिया जाता है और अनुसंधान परियोजना की अंतिम रिपोर्ट की प्राप्ति और स्वीकृति के बाद व सभी व्यय के लेखा परीक्षित विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्राप्ति और इसके ठीक पाए जाने पर इसे आखिरी और अंतिम किस्त के रूप में भुगतान कर दिया जाता है । अनुदान के अंतर्गत शामिल मदें इस प्रकार हैं :

- परियोजना स्टाफ के वेतन और भत्ते और परियोजना निदेशक को मानदेय;
- यात्रा व्यय;
- अनुसूची, प्रश्नावली, रिपोर्ट इत्यादि का मुद्रण;
- कम्प्यूटर और मशीन सारणीयन लागत;
- आकस्मिकताएं; और
- उपरि प्रभार ।

सेमिनार और कार्यशालाओं के लिए अनुदान भी प्रस्ताव की मैरिट के आधार पर अनुमोदित किए जाते हैं । सामान्यतः सेमिनारों/कार्यशालाओं के लिए सहायता अनुदान राष्ट्रीय स्तर पर 1 लाख रुपए और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 लाख रुपए तक सीमित है ।

अनुसूचित जाति विकास ब्यूरो

अनुसूचित जाति विकास-1 प्रभाग

(क) अनुसूचित जाति की छात्राओं और छात्रों के छात्रावासों के लिए केन्द्र प्रायोजित स्कीम

(i) अनुसूचित जाति के छात्रों और छात्राओं के छात्रावासों के लिए (i) भूमि उपलब्धता प्रमाण-पत्र (ii) स्थान योजना (साइट प्लान) (iii) पी डब्ल्यू डी/सी पी डब्ल्यू डी की निर्धारित दरों पर तैयार विस्तृत लागत अनुमान (iv) समान अंश की उपलब्धता के संबंध में प्रमाण-पत्र, (v) पूर्व केन्द्रीय सहायता का उपयोग, जहां कहीं लागू हो और (vi) पूर्व स्वीकृत होस्टलों की वास्तविक और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट, जहां कहीं लागू हो, के साथ अलग आवेदन पत्र अपेक्षित हैं ।

(ii) गैर-सरकारी संगठनों के संबंध में वित्तीय सहायता वर्तमान छात्रावासों का विस्तार करने के लिए ही दी जाती है और इस संबंध में आवेदन-पत्र संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को प्रस्तुत किए जाने चाहिए जिसे बाद में इन सरकारों द्वारा अपनी सिफारिशों सहित सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को अग्रेषित किया जाएगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ समान अंश (मैचिंग शेयर) की उपलब्धता की पुष्टि हो ।

(iii) स्वीकृत छात्रावास पूरी केन्द्रीय सहायता की पूरी निर्मुक्ति की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के भीतर पूरे हो जाने चाहिए ।

(iv) छात्रावासों के बेहतर रखरखाव के लिए 10% गैर-अनुसूचित जाति के छात्रों को कुछ प्रभार के साथ स्थान देना ।

(v) इस योजना के अंतर्गत छात्रावासों का निर्माण उस स्थान पर किया जाना चाहिए जहां संबंधित शैक्षिक संस्थाएं स्थित हैं और अनुसूचित जाति जनसंख्या की बहुलता है ।

(vi) छात्रावास वार्डन के लिए दो कमरों वाले सेट तथा चौकीदार के लिए एक कमरे वाले सेट को भी छात्रावास के अभिन्न भाग के रूप में शामिल करना चाहिए ।

(vii) छात्रावास को 100 संवासियों से अधिक के स्थान के लिए डिजाइन नहीं करना चाहिए ।

(ख) अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों सहित कमजोर वर्गों के लिए कोचिंग और सम्बद्ध योजना की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम ।

- राज्यों द्वारा संचालित संस्थाओं के संबंध में प्रस्ताव पूर्व तीन वर्षों की वास्तविक और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट के साथ समय पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को भेज दिए जाएं ।
- राज्य बजट में समान राज्य अंश किया जाए और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को भेजे गए प्रस्तावों में इसका उल्लेख किया जाए ।
- राज्य सरकार, सामाजिक कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के संबंध में सम्मिलित प्रस्तावों को भेजने हेतु एक नोडल विभाग को प्राधिकृत कर सकती है ।
- राज्य सरकारें विश्वविद्यालयों पर अधिक ध्यान दे सकती हैं और स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए सुसज्जित विश्वविद्यालयों के संबंध में यथासंभव प्रस्तावों को संस्तुत कर सकती है और साथ ही समान अंश (मैचिंग शेयर) का 10% भी प्रदान करें ।
- गैर-सरकारी संगठनों के प्रस्ताव संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को प्रस्तुत किए जाएं और संबंधित सरकारों द्वारा इन्हें अपनी सिफारिशों के साथ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को अग्रेषित किया जाए ।
- सामाजिक कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्राधिकृत नोडल विभाग द्वारा ही गैर-सरकारी संगठनों के संबंध में प्रस्तावों को भेजा जा सकता है ।
- राज्य सरकार की विभिन्न एजेंसियों द्वारा योजना का पर्याप्त प्रचार-प्रसार किया जाए ।

अनुसूचित जाति के छात्रों की योग्यता के उन्नयन की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना

स्कीम के अंतर्गत कक्षा 9वीं से 12वीं में अध्ययन कर रहे छात्रों के लिए कुल 1045 पुरस्कार निर्धारित हैं । ये पुरस्कार अनुसूचित जाति की जनसंख्या के आधार पर विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में वितरित किए गए हैं । राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा प्रत्येक वित्त वर्ष के आरंभ में केन्द्रीय सहायता के लिए प्रस्ताव भेजने अपेक्षित हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पूर्व वर्ष में हुए व्यय का ब्यौरा, पूर्व स्वीकृत अनुदान का उपयोग और संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को आबंटित पुरस्कारों के अनुसार अगले वित्त वर्ष हेतु प्रस्तावित व्यय का ब्यौरा हो ।

अनुसूचित जाति विकास-2 प्रभाग

मंत्रालय प्रत्येक वित्त वर्ष के आरंभ में सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को लिखता है, जिसमें योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता को लेने के लिए उपयुक्त प्रस्तावों को भेजने का अनुरोध किया जाता है । प्रस्तावों को शीघ्र या यथासमय पर नहीं भेजने वाली राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अनुस्मारक भी भेजे जाते हैं । इसके अतिरिक्त, यदि आवश्यक होता है तो मंत्रालय के अधिकारियों को भी प्रस्तावों की शीघ्र तैयारी के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधिकारियों से सम्पर्क करने के लिए नियुक्त किया जाता है ।

(2) प्रस्ताव प्राप्त होने पर, योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार जांच की जाती है । स्कीम के अंतर्गत, 50% विशेष केन्द्रीय सहायता, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद पूर्व निर्धारित मानदंड के अनुसार प्रदान की जाती है । राज्य सरकारों द्वारा अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन करने में, ताकि ये गरीबी रेखा से ऊपर आने में समर्थ हो सकें, के लिए, किए गए प्रयासों के आधार पर शेष 50% जारी की जाती है ।

(3) मंत्री (सामाजिक न्याय और अधिकारिता) के अनुमोदन के बाद प्रस्ताव को सहमति हेतु समेकित वित्त प्रभाग को भेजा जाता है । तत्पश्चात उप सचिव संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की मंजूरी जारी करते हैं ।

(4) यह मंत्रालय केन्द्रीय सहायता की निर्मुक्ति पर विचार करते हुए पूर्व वर्ष के दौरान राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा किए गए व्यय की समीक्षा करता है ।

अनुसूचित जाति विकास- III प्रभाग

अनुसूचित जातियों के शैक्षिक और आर्थिक विकास के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान देने की मंत्रालय की व्यापक स्कीम हैं । इस योजना का उद्देश्य सक्षम और विश्वसनीय स्वैच्छिक संगठनों की सेवाओं का उपयोग अनुसूचित जातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास में सुधार के लिए करना है । इस स्कीम के अंतर्गत, परियोजना लागत के 90% की सहायता अनुदान गैर-सरकारी संगठनों को सामान्य/तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा जैसे कार्यकलापों की सुविधाओं को खोलने के लिए दी जाती है, जिसमें स्कूल-पूर्व शिक्षा, सेवा कार्यकलाप जैसे मेडिकल केन्द्र/डिस्पेंसरी और आय सर्जक कार्य जैसे विभिन्न वाणिज्यिक ट्रेडों में तकनीकी प्रशिक्षण शामिल है ।

स्कीम के अंतर्गत उन स्वैच्छिक संगठनों को सहायता दी जाती है जो दो किस्तों में किसी परियोजना को संचालित करने के लिए चुनी जाती हैं । पहली किस्त की सहायता पर स्वैच्छिक संगठनों से प्रस्तावों के प्राप्त होने के बाद कार्रवाई की जाती है और दूसरी किस्त पर कार्रवाई स्कीम के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से निरीक्षण रिपोर्ट/सिफारिशों के प्राप्त होने के बाद की जाती है । ग्राह्य केन्द्रीय सहायता की निर्मुक्ति के लिए स्वीकृति आदेश आई एफ डिवीजन से वित्तीय सहमति प्राप्त होने और सक्षम प्राधिकारी के प्रशासनिक अनुमोदन के बाद जारी की जाती है । जहां कहीं आवश्यक होता है, नेमी प्रकृति के स्पष्टीकरण संबंधित एजेंसियों से प्राप्त किए जाते हैं । अनुभाग अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों पर मंत्रालय के अन्य अनुभागों के साथ भी सम्पर्क करता है ।

स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों के चयन के लिए मंत्रालय में एक स्क्रीनिंग समिति गठित की गई है । यह संबंधित राज्य सरकारों के द्वारा प्राप्त उनकी सिफारिशों के साथ स्वैच्छिक संगठनों के प्रस्तावों पर विचार करती है । समिति इसके लिए निर्धारित विभिन्न मानदंडों के आधार पर इन प्रस्तावों पर विचार करती है ।

अनुसूचित जाति विकास-4 प्रभाग

(क) अनुसूचित जाति विकास निगमों को सहायता की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम

(ख) प्रस्ताव पूर्व वर्ष के दौरान वास्तविक और वित्तीय निष्पादन (ii) जहां कहीं लागू हो समान अंश (51%) की पूर्व निर्मुक्ति (iii) न्यूनतम वसूली मानक (iv) 49% केन्द्रीय इक्विटी की निर्मुक्ति के लिए बजट प्रावधान की उपलब्धता के साथ निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किए जाते हैं ।

(ग) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम की इक्विटी समर्थन की केन्द्रीय सेक्टर स्कीम

प्रस्ताव (i) पूर्व वर्ष के वास्तविक और वित्तीय निष्पादन (ii) आवधिक जमा(एफ डी आर) सहित नकद और बैंक शेष स्थिति सहित (iii) निगम के पास लम्बित एस सी ए की मांग या अन्य कोई आवश्यकता के साथ प्रस्तुत किए जाने हैं ।

(घ) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम के इक्विटी समर्थन की केन्द्रीय सेक्टर स्कीम

प्रस्ताव (i) पूर्व वर्ष के वास्तविक और वित्तीय निष्पादन (ii) आवधिक जमा (एफ डी आर) सहित नकद और बैंक शेष स्थिति (iii) निगम के पास लंबित एस सी ए की मांग या अन्य कोई आवश्यकता के साथ प्रस्तुत किए जाने हैं ।

अनुसूचित जाति विकास-5 प्रभाग

(क) अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति और अस्वच्छ व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों को मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति की केन्द्र प्रायोजित स्कीम

(i) आवेदन पूर्व वर्ष के वास्तविक और वित्तीय निष्पादन; (ii) लेखा परीक्षित व्यय; और (iii) प्रतिबद्ध देयता की ओर राज्य बजट में निधि की उपलब्धता और जहां कहीं लागू हो समान अंश (मैचिंग शेयर) के साथ निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किए जाने हैं।

(ख) अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति की केन्द्र प्रायोजित स्कीम

- इस योजना के अंतर्गत 20 पुरस्कार प्रत्येक वर्ष आबंटित किए जाते हैं, जिसमें से 17 पुरस्कार अनुसूचित जातियों, 2 पुरस्कार अनधिसूचित खानाबदोश तथा अर्द्ध खानाबदोश जनजातियों और 1 पुरस्कार भूमिहीन कृषि मजदूर व परम्परागत शिल्पकार के लिए हैं ।
- उम्मीदवारों की आयु 35 वर्ष से कम होनी चाहिए ।
- नियोजित उम्मीदवार/माता-पिता की मासिक आय 18,000 रुपए प्रतिमाह से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
- उम्मीदवार के पास निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार न्यूनतम अर्हता और अनुभव होना चाहिए ।

(क) पोस्ट डाक्टोरल हेतु- संबंधित स्नातकोत्तर डिग्री में प्रथम श्रेणी अथवा 60 प्रतिशत अंक या समकक्ष श्रेणी । पी0एच0डी0 तथा संबंधित क्षेत्र में 5 वर्षों का अनुसंधान/ शिक्षण/व्यावसायिक अनुभव ।

(ख) पी एच0डी0 हेतु - संबंधित स्नातकोत्तर डिग्री में प्रथम श्रेणी अथवा 60 प्रतिशत अंक या समकक्ष श्रेणी और संबंधित क्षेत्र में 2 वर्षों का शिक्षण/अनुसंधान/व्यावसायिक अनुभव/एम फिल डिग्री ।

(ग) स्नातकोत्तर डिग्री हेतु -संबंधित स्नातक डिग्री में प्रथम श्रेणी अथवा 60 प्रतिशत अंक या समकक्ष श्रेणी और संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का 2 वर्ष का अनुभव ।

- एक ही माता-पिता/अभिभावक के एक से अधिक बच्चे पात्र नहीं होंगे । इस स्कीम के अंतर्गत छात्रवृत्ति को केवल एक बार ही प्राप्त किया जा सकता है ।

अनुसूचित जाति विकास-6 प्रभाग

इस संबंध में भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार ।

सिविल अधिकार संरक्षण (पी सी आर)डेस्क

प्रत्येक वित्त वर्ष के आरंभ में, मंत्रालय सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को लिखता है जिसमें सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम (पी0सी0आर0 एक्ट), 1955 और अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत उपयुक्त केन्द्रीय सहायता को लेने के लिए निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण प्रस्तावों को भेजने का अनुरोध किया जाता है ।

प्राप्त प्रस्तावों की जांच की जाती है और उपयुक्त केन्द्रीय सहायता ब्यूरो प्रमुख और समेकित वित्त प्रभाग की सहमति से राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को स्वीकृत की जाती है ।

रिपोर्ट कार्यान्वयन (आर0आई0)सैल

इस संबंध में भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार ।

सूचियों का संशोधन (आर0एल0) सैल

कार्यालय प्रक्रिया मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है ।

समाज रक्षा (एस डी) ब्यूरो

वृद्धावस्था प्रभाग

(i) वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम (प्लान स्कीम)

योजना के अंतर्गत नए प्रस्तावों की स्वीकृति के लिए योजना में यथानिर्धारित विधिवत पूर्ण आवेदन पत्र संबंधित राज्य सरकार को प्रस्तुत किए जाने चाहिए । राज्य सरकार द्वारा विधिवत् रूप से संस्तुत आवेदन-पत्र के साथ निरीक्षण रिपोर्ट छानबीन समिति के सामने रखी जाती है । पूर्व वर्ष के 1 अक्तूबर से चालू वित्त वर्ष के 31 सितम्बर तक प्राप्त आवेदन-पत्र छानबीन समिति के सामने रखे जाते हैं । परियोजनाओं के साम्ययुक्त वितरण से संबंधित संशोधित नीति के अनुसार, वरीयता उन जिलों को दी जाती है जहां स्कीम के अंतर्गत कोई परियोजना पहले से वित्त पोषित नहीं है । ऐसे जिलों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा जहां पहले से दो से अधिक परियोजनाएं वित्तपोषित हैं ।

जारी मामलों के लिए, प्रथम किस्त की निर्मुक्ति हेतु प्रस्ताव मंत्रालय को सीधे तौर पर 30 जून तक प्रस्तुत किए जाने चाहिए । दूसरी किस्त की निर्मुक्ति के लिए प्रस्ताव संबंधित राज्य सरकार द्वारा संस्तुत होने चाहिए और निरीक्षण रिपोर्ट सहित मंत्रालय को अग्रेषित करने चाहिए ।

(ii) वृद्ध व्यक्तियों के लिए वृद्धाश्रमों/बहु सेवा केन्द्रों के निर्माण के लिए पंचायती राज संस्थाओं/स्वैच्छिक संगठनों/स्व-सहायता समूहों को सहायता (गैर योजना स्कीम)

योजना के अंतर्गत नए प्रस्तावों की स्वीकृति के लिए योजना में यथानिर्धारित विधिवत पूर्ण आवेदन पत्र संबंधित राज्य सरकार को प्रस्तुत किए जाने चाहिए । राज्य सरकार द्वारा विधिवत् रूप से संस्तुत आवेदन-पत्र के साथ् निरीक्षण रिपोर्ट छानबीन समिति के सामने रखी जाती है । पूर्व वर्ष के 1 अक्तूबर से चालू वित्त वर्ष के 31 सितम्बर तक प्राप्त आवेदन-पत्र छानबीन समिति के सामने रखे जाते हैं । परियोजनाओं के साम्ययुक्त वितरण से संबंधित संशोधित नीति के अनुसार, वरीयता उन जिलों को दी जाती है जहां स्कीम के अंतर्गत कोई परियोजना पहले से वित्त पोषित नहीं है । ऐसे जिलों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा जहां पहले से एक परियोजना वित्तपोषित है ।

दूसरी किस्त के देय होने के मामलों के लिए, प्रस्ताव संबंधित राज्य सरकार द्वारा संस्तुत होने चाहिए और निरीक्षण रिपोर्ट और आवश्यक दस्तावेजों के साथ इसे मंत्रालय को अग्रेषित करना चाहिए ।

बाल कल्याण (सी डब्ल्यू) प्रभाग

" किशोर न्याय कार्यक्रम " की योजना के अंतर्गत, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को इनके द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों में आवश्यकता के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निधि जारी की जाती है और निधि का उपयोग करना इनकी जिम्मेवारी है । राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को वित्त वर्ष के अन्त में परवर्ती वित्त वर्ष के लिए अनुदानों की निर्मुक्ति हेतु प्रस्तावों को प्रस्तुत करते हुए इन अनुदानों के संबंध में मंत्रालय को उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने हैं । मंत्रालय परवर्ती केन्द्रीय सहायता की निर्मुक्ति पर विचार करते हुए यह पुष्टि करता है कि राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को प्रदान निधि पूरी तरह उपयोग की गई है, यदि प्रयुक्त नहीं की गई तो वित्त वर्ष के अन्त में इनके पास उपलब्ध अव्ययित शेष को विद्यमान वित्त वर्ष के अनुदान से घटा लिया जाता है ।

शेष तीन योजनाओं के अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों/संस्थाओं को इनके द्वारा अपने प्रस्तावों में प्रस्तुत आवश्यकताओं के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । गैर सरकारी संगठनों/संस्थाओं को निधि जारी की जाती है और इन निधि को उपयोग करने की इनकी जिम्मेवारी है । गैर सरकारी संगठनों/संस्थाओं को वित्त वर्ष के अन्त में परवर्ती वित्त वर्ष के लिए अनुदानों की निर्मुक्ति हेतु प्रस्तावों को प्रस्तुत करते हुए इन अनुदानों के संबंध में मंत्रालय को उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने हैं । मंत्रालय सहायता अनुदान की परवर्ती निर्मुक्ति पर विचार करते हुए यह पुष्टि करता है कि गैर सरकारी संगठनों/संस्थाओं को प्रदान निधि पूरी तरह उपयोग की गई है । यदि प्रयुक्त नहीं की गई तो वित्त वर्ष के अन्त में इनके पास उपलब्ध अव्ययित शेष को विद्यमान वित्त वर्ष के अनुदान से घटा लिया जाता है ।

नशीली दवा दुरुपयोग -II प्रभाग

(i) मद्यपान और नशीले पदार्थ (नशीली दवा) दुरुपयोग निवारण योजना (आर आर टी सी के रखरखाव हेतु सहायता अनुदान)

आर आर टी सी द्वारा प्रथम किस्त की निर्मुक्ति के लिए आवेदन-पत्र मंत्रालय को सीधे 30 जून तक प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित हैं । मंत्रालय/राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान (एन आई एस डी) के अधिकारियों की निरीक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति के बाद दूसरी किस्त की निर्मुक्ति के प्रस्तावों पर कार्रवाई की जाती है ।

नशीली दवा दुरुपयोग -I& III प्रभाग

(i) मद्यपान और नशीले पदार्थ (नशीली दवा) दुरुपयोग निवारण योजनाः (नशामुक्ति केन्द्रों के रखरखाव के लिए सहायता अनुदान)

स्वैच्छिक संगठनों द्वारा प्रथम किस्त की निर्मुक्ति के लिए आवेदन-पत्र मंत्रालय को सीधे 30 जून तक प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित हैं । मंत्रालय/राज्य सरकार/आर आर टी सी के अधिकारियों की सिफारिशों/निरीक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति के बाद दूसरी किस्त की निर्मुक्ति के लिए प्रस्तावों पर कार्रवाई की जाती है ।

अध्याय - 16

नियम पुस्तिका - 15

इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध सूचना

{धारा 4(1)(ख)(xiv)}

16.1 कृपया विभिन्न योजनाओं से संबंधित सूचना का विवरण दें, जो इलेक्ट्रानिक प्रारूप में उपलब्ध हैं ।

मंत्रालय के सम्बद्ध ब्यूरो/प्रभागों के संबंध में सूचना नीचे दी गई है । शेष ब्यूरो/प्रभागों के लिए कालम संगत नहीं है ।

विकलांगता प्रभाग ब्यूरो

- मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट
- राष्ट्रीय विकलांगजन नीति मसौदा
- निःशक्त व्यक्ति (समान असर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995
- निःशक्तता अधिनियम के मुख्य उपबंध
- निःशक्तता अधिनियम (सम्पूर्ण)
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अधिसूचना सं. 16-25/99 - एनआई-1 दिनांक 31 मई, 2001 में अधिसूचित विकलांग व्यक्तियों के लिए पहचान किए गए व्यवसायों की सूची और सम्पूर्ण निःशक्तता अधिनियम को कुछ समय के बाद उपलब्ध कराया जाएगा ।
- केन्द्रीय समन्वय समिति के सदस्यों की सूची
- केन्द्रीय कार्यकारी समिति के सदस्यों की सूची
- विभिन्न निःशक्तताओं के निर्धारण के लिए दिशा-निदेर्शों और प्रमाणित करने की प्रक्रिया की अधिसूचना

- मानसिक मंदता, अस्थि/चलन संबंधी विकलांगता, दृष्टि विकलांगता और श्रवण विकलांगता के क्षेत्रों में गठित उपसमितियों के लिए आदेश परिशिष्ट - 1
- बहुविकलांगता के क्षेत्र में गठित उप-समिति के लिए आदेश
- उप-समिति के साथ डा. एस.पी.अग्रवाल, महानिदेशक (स्वास्थ्य सेवाएं) की अध्यक्षता में 29.8.2000 को हुई बैठक के सहभागी
- उपसमिति के सदस्यों के साथ डा. एस.पी.अग्रवाल, महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं की अध्यक्षता में 17.8.2000 को हुई बैठक के सहभागी
- विकलांगता की श्रेणियां
- मानसिक रोग के मूल्यांकन एवं निर्धारण के लिए दिशा-निर्देश तथा प्रमाणीकरण का तरीका (शुद्धि-पत्र)
- मानसिक रोग की समीक्षा करने वाली समिति की बैठक का कार्यवृत्त
- भारतीय विकलांगता मूल्यांकन एवं निर्धारण अनुमाप
- रोगियों के कार्य-कलापों की गणना करने वाले यंत्र, ''आईडीईएएस'' का मैन्यूअल
- सरकारी लाभ प्राप्त करने के लिए मानसिक मंदता के प्रमाण-पत्र का प्रारूप
- विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रमाण-पत्र का प्रारूप
- विकलांग व्यक्तियों को निम्नलिखित से संबंधित पहचान पत्र जारी करने हेतु दिशा-निर्देश
- दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना
- विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति
- विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार
- पिछले तीन वर्षों के दौरान सहायता अनुदान की राशि, शामिल किए गए लाभार्थियों की संख्या और स्वीकृत परियोजनाओं के नाम सहित इस योजना के अंतर्गत सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठनों की सूची

मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना से पृथक, मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के बारे में जन-साधारण को जानकारी देने के लिए शास्त्री भवन में (भूतल, 'ए' विंग, स्टेट बैंक आफ पटियाला के बगल में) एक 'सूचना एवं सुविधा केन्द्र' है, जहां कार्यालय समय के दौरान कार्य किया जाता है ।

प्रेम डिवीजन

अनुसंधान एवं प्रकाशन के लिए सहायता अनुदान नियम की योजना की प्रतिलिपि;
अनुसंधान के प्राथमिकता वाले क्षेत्र;
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2004-05; और
स्वैच्छिक संगठनों के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों का सार-संग्रह;
अनुसूचित जाति विकास (एससीडी) ब्यूरो

अनुसूचित जाति विकास - I

(i) अनुसूचित जाति की बालिकाओं एवं बालकों के लिए छात्रावास और (ii) अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों सहित कमजोर वर्गों के लिए कोचिंग एवं संबंद्ध सहायता की केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं तथा अनुसूचित जाति के छात्रों की योग्यता उन्नयन की केन्द्रीय सेक्टर योजना के बारे में सूचना, मंत्रालय की वेबसाइट www.socialjustice@nic.in पर उपलब्ध है । इन योजनाओं का ब्यौरा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के समाज कल्याण विभागों से भी प्राप्त किए जा सकते हैं ।

अनुसूचित जाति विकास - III

मंत्रालय की वेबसाइट www.socialjustice@nic.in पर

अनुसूचित जाति विकास - IV

अनुसूचित जाति विकास निगमों को सहायता की केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं और (i) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम को इक्विटी सहायता तथा (ii) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम को इक्विटी सहायता आदि केन्द्रीय सेक्टर योजनाओं के बारे में सूचना, मंत्रालय की वेबसाइट www.socialjustice@nic.in पर उपलब्ध है । इन योजनाओं का ब्यौरा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के समाज कल्याण विभागों और एनएसएफडीसी एवं एनएसकेएफडीसी से भी प्राप्त किए जा सकते हैं ।

अनुसूचित जाति विकास - V

(i) अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना, (ii) अस्वच्छ व्यवसायों में संलग्न लोगों के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना, (iii) अनुसूचित जाति आदि अभ्यर्थियों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना की केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के बारे में सूचना, मंत्रालय की वेबसाइट www.socialjustice@nic.in पर उपलब्ध है । इन योजनाओं का ब्यौरा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के समाज कल्याण विभागों से भी प्राप्त किए जा सकते हैं ।

पीसीआर डेस्क

पीसीआर अधिनियम, 1955 और पीओए अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत प्रतिबद्ध देयता के अतिरिक्त कुल व्यय का 50% राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता के रूप में प्रदान किया जाता है तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को 100% केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है ।

आरएल सैल

अनुसूचित जाति प्रमाणपत्रों पर दिशा-निर्देश/निर्देश

समाज रक्षा ब्यूरो

वृद्धावस्था प्रभाग

- मंत्रालय की वर्षिक रिपोर्ट
- दो सहायता अनुदान योजनाओं के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को निर्मुक्त सहायता अनुदान
- राष्ट्रीय वृद्धजन नीति का सार
- राष्ट्रीय वृद्धजन परिषद का सार
- सहायता अनुदान योजनाओं का सार

बाल कल्याण प्रभाग

सहायता प्रदत्त गृहों एवं लाभार्थियों की संख्या सहित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/गैर सरकारी संगठनों/संस्थाओं को जारी अनुदानों का विवरण मंत्रालय की वेबसाइट www.socialjustice@nic.in पर उपलब्ध है ।

डीपी II

- मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट
- मद्यपान तथा मादक पदार्थ (नशीली दवा) दुरुपयोग निवारण योजना

डीपी I और III

- मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट
- मद्यपान तथा मादक पदार्थ (नशीली दवा) दुरुपयोग निवारण योजना
- स्वैच्छिक संगठनों को विगत 3 वर्षों में जारी सहायता अनुदानों का विवरण
- काली सूची में डाले गए संगठनों की सूची

अध्याय -17

नियम पुस्तिका - 16

सूचना प्राप्ति हेतु नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

{धारा 4(1)(ख)(xv)के अंतर्गत}

17.1 सर्वसाधारण के लिए उपलब्ध माध्यम, तरीके या सुविधा, जिन्हें सूचना के प्रचार-प्रसार के लिए विभाग द्वारा अपनाया गया है। जैसेः

क्र.सं.	प्रभाग/विभाग/ यूनिट का नाम	सूचना
		• नोटिस बोर्ड • दस्तावेजों की प्रतियों को जारी करने की पद्धति • मुद्रित नियम पुस्तिका • मंत्रालय की वेबसाइट • समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन • भारत के राजपत्र में अधिसूचना • सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मुख्यालय अर्थात शास्त्री भवन, नई दिल्ली में सुविधा केन्द्र के माध्यम से • योजनाओं के ब्यौरे, राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के समाज कल्याण विभागों/ मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यालयों से प्राप्त किए जा सकते हैं । परियोजनाओं के कार्यक्रमों के विवरण को स्वैच्छिक

		संगठनों/कोचिंग केन्द्रों द्वारा अपने कार्यक्रम शुरू करने के पहले विज्ञापित किया जाता है । • विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा प्रकाशित चुनाव कानून नियम पुस्तिका सहशुल्क प्रकाशन है और इसे बाजार में संबंधित स्थानों से खरीदा जा सकता है । • कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग/वित्त विभाग द्वारा जारी नियम विनियम बाजार में उपलब्ध है । • मंत्रालय का पुस्तकालय • नागरिक चार्टर को www.socialjustice.nic.in वेबसाइट में रखा गया है । • सूचना पुस्तिका

अध्याय - 18

नियम पुस्तिका - 17

अन्य उपयोगी सूचनाएं

{धारा 4(1)(ख)(xvii) के अंतर्गत}

18.1 जन साधारण द्वारा प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न और उनके उत्तर

प्रभाग	प्रश्न	उत्तर
प्रेम प्रभाग	अनुसंधान एवं प्रकाशन के लिए सहायता अनुदान योजना नियमों का ब्यौरा क्या है ?	योजना के प्रावधानों के अनुसार सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है । मंत्रालय द्वारा अभिज्ञात क्षेत्रों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तावों को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है । सहायता अनुदान के लिए आवेदन हेतु दिशा-निर्देश, योजना की प्रति में शामिल होते हैं जो मंत्रालय की वेबसाइट www.socialjustice.nic.in पर उपलब्ध है ।
अनुसूचित जाति विकास ब्यूरो	क्या गैर सरकारी संगठन, छात्रावास निर्माण योजना के तहत अनुसूचित जाति के छात्रों और छात्राओं के लिए छात्रावासों का निर्माण कर सकते हैं ?	गैर-सरकारी संगठन, अनुसूचित जाति के छात्रों और छात्राओं के विद्यमान छात्रावासों के केवल विस्तार के लिए केन्द्रीय सहायता के पात्र हैं ।

	क्या कोचिंग एवं संबद्ध सहायता योजना के तहत अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक छात्रों के लिए निर्धारित 5:3:2 का अनुपात लचीला है? यदि हां, तो ऐसे लचीलेपन का आधार क्या है ?	सामान्यता उत्तर नकारात्मक है । तथापि, ऐसे आंतर निवासों जहां जनसांख्यिकीय संयोजन के कारण निश्चित प्रतिमानों का पालन करना दुःसाध्य होता है, ऐसे मामलों पर योग्यता के आधार पर विचार किया जाता है तथा मंत्रालय के सचिव स्तर पर लचीलापन अनुमत है ।
	यदि राज्य सरकार की तरफ से प्रस्तावों की सिफारिश करने में विलम्ब होता है तो इसके लिए क्या किया जाता है ? अथवा यदि राज्य सरकार निरीक्षण नहीं करती है या अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करती है तो इसका विकल्प क्या है ?	आवश्यक परिस्थितियों में, इस उद्देश्य के लिए निरीक्षण करने हेतु मंत्रालय अपने पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त करता है ।
	क्या गैर सरकारी संगठन, छात्रावास निर्माण योजना के तहत अनुसूचित जाति के लड़के और लड़कियों के लिए छात्रावासों का निर्माण कर सकते हैं ?	गैर-सरकारी संगठन, अनुसूचित जाति के लड़के और लड़कियों के विद्यमान छात्रावासों के केवल विस्तार के लिए केन्द्रीय सहायता के पात्र हैं ।
	योजना के कार्यान्वयन के लिए गैर-सरकारी संगठनों का चयन कैसे किया जाता है ?	स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों का चयन करने के लिए मंत्रालय में एक जांच समिति गठित की गई है जो संबंधित राज्य सरकारों की संस्तुति के साथ उनके माध्यम से प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों के प्रस्तावों पर विचार करती है । जांच समिति इस उद्देश्य के लिए निर्धारित किए गए निश्चित मानदंडों के आधार पर इन प्रस्तावों पर विचार

		करती है ।
	यदि राज्य सरकार की तरफ से प्रस्तावों की सिफारिश करने में विलम्ब होता है तो इसके लिए क्या किया जाता है ? अथवा यदि राज्य सरकार निरीक्षण नहीं करती है या अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करती है तो इसका विकल्प क्या है ?	आवश्यक परिस्थितियों में, इस उद्देश्य के लिए निरीक्षण करने हेतु मंत्रालय अपने पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त करता है ।
	क्या कोई अभ्यर्थी मानविकी के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु समुद्रपारीय छात्रवृत्ति का लाभ उठा सकता है?	नहीं। राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत केवल स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम, पीएचडी और इंजीनीयरिंग, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान में पोस्ट डाक्टोरेल शोध कार्यक्रमों के विशिष्ट क्षेत्रों में विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं ।
	कब और कहां आवेदन करें ?	इच्छुक उम्मीदवारों को विज्ञापन में दिए गए के अनुसार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को आवेदन करना चाहिए ।
	सहायता कौन प्रदान करता है?	भारत में होने वाले ग्राह्य व्यय के लिए वित्तीय सहायता सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय प्रदान करता है और विदेश में होने वाले व्यय की पूर्ति संबंधित भारतीय मिशन द्वारा की जाती है ।
	विदेश में अध्ययन के लिए	चयनित उम्मीदवारों से उनके विदेश

	जाने से पहले कौन सी औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं ?	जाने से पहले उन सभी विधिक दस्तावेजों और अन्य करारों को प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है जैसा कि भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्णय लिया जाता है । विदेश पहुंच जाने पर उन्हें विदेश में संबंधित भारतीय मिशन से तुरन्त संपर्क करना और मिशन के निर्णय के अनुसार सभी आवश्यक विधिक दस्तावेज एवं अन्य करार प्रस्तुत करना अपेक्षित है । नियोजित उम्मीदवार के मामले में, उन्हें ऐसे बांड, करार आदि भी प्रस्तुत करने होते हैं जैसा कि नियोक्ता द्वारा अपेक्षित हो सकता है ।

18.2 सूचना प्राप्त करने से संबंधित

18.21 आवेदन पत्र

<u>सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र</u>

आरटीआई आवेदन सं. ....
(कार्यालय द्वारा भरा जाएगा)

सेवा में

जन सूचना अधिकारी या
सहायक जन सूचना अधिकारी

1. आवेदक का नाम :
2. डाक पता :
3. टेलि.नं., फैक्स, ई-मेल इत्यादि :
4. अपेक्षित सूचना का विवरण :

5. कार्यालय में प्राप्ति सं. .... दिनांक .... के तहत शुल्क ....रुपए जमा करा दिए गए हैं या वेतन एवं लेखा अधिकारी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली के पक्ष में मांग-ड्राफ्ट संलग्न है ।

स्थानः
दिनांकः

आवेदक के हस्ताक्षर

---

* कृपया सभी कालमों को अच्छी तरह भरें और जो प्रयुक्त न हों उन्हें काट दें ।

** गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों को सूचना, बीपीएल प्रमाण पत्र या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अन्य दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने पर उपलब्ध की जाएगी ।

18.22: शुल्क

कार्मिक, जन-शिकायत एवं पेंशन विभाग ने अधिनियम के अंतर्गत शुल्क के लिए नियम बनाया है । कार्मिक, जन-शिकायत एवं पेंशन, भारत सरकार की 16 सितम्बर, 2005 की अधिसूचना के तहत जारी **सूचना का अधिकार (शुल्क एवं लागत) नियम, 2005** के अनुसार निम्नलिखित शुल्क लागू हैं

नियम	निर्धारित दरें
3	धारा 6 की उपधारा (1) के तहत सूचना प्राप्त करने के अनुरोध के साथ **दस रुपए** का आवेदन शुल्क होगा जिसका भुगतान उपयुक्त रसीद के विरुद्ध नकद या सार्वजनिक प्राधिकरण के लेखा अधिकारी को देय मांग-ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक द्वारा किया जाएगा ।
4	धारा 7 की उपधारा (1) के तहत सूचना प्रदान करने के लिए शुल्क, उपयुक्त रसीद लेकर नकद या सार्वजनिक प्राधिकरण के लेखा अधिकारी को देय मांग-ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक द्वारा निम्नलिखित दरों पर देना होगाः
(क)	बनाए गए या प्रतिलिपि किए गए प्रत्येक पृष्ठ (ए-4 या ए-3 साइज पेपर में) के लिए **दो रुपए;**
(ख)	बड़े साइज पेपर में एक प्रतिलिपि का वास्तविक प्रभार या लागत मूल्य;
(ग)	सैम्पल या माडलों के लिए वास्तविक लागत या मूल्य; और
(घ)	रेकार्डों के निरीक्षण के लिए, **पहले घंटे के लिए कोई शुल्क नहीं** और उसके बाद प्रति 15 मिनट (या उसके खंड) के लिए शुल्क पांच रुपए ।
5	धारा 7 की उपधारा (5) के तहत सूचना प्रदान करने के लिए शुल्क, उपयुक्त रसीद लेकर नकद या सार्वजनिक प्राधिकरण के लेखा अधिकारी को देय मांग-ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक द्वारा निम्नलिखित दरों पर देना होगाः
(क)	डिस्केट या फ्लापी में सूचना उपलब्ध कराने के लिए प्रति डिस्केट या फ्लापी **50 रुपए** और
(ख)	मुद्रित रूप में सूचना उपलब्ध कराने के लिए, ऐसे प्रकाशन के लिए निश्चित मूल्य पर अथवा प्रकाशन से उद्धरण के लिए फोटोकापी के लिए दो रुपए प्रति पृष्ठ ।

18.23: यथार्थ सूचना आवेदन को कैसे लिखें - कुछ सुझाव

नाम, आवेदक का पता, योजना/कार्यक्रम का नाम/अपेक्षित सूचना का ब्यौरा, नकद या इलेक्ट्रानिक भुगतान प्रणाली के माध्यम से, जैसे भी हो, जमा किए गए निर्धारित शुल्कों के ब्यौरे का विशेष रूप से उल्लेख करें ।

18.24 सूचना की अस्वीकृति के मामले में नागरिक के अधिकार और अपील करने की विधिः

सूचना की अस्वीकृति/केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों के निर्णय से अपकृत कोई व्यक्ति अपीलीय प्राधिकारियों को अपील कर सकता है जैसा कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 के तहत उल्लेख है । अपर सचिव (सा.न्या.और अधि.) कमरा सं. 616, 'ए'विंग, शास्त्री भवन (टेलि. सं. 23384259) मुख्य मंत्रालय के लिए अपीलीय प्राधिकारी हैं ।

शब्द संक्षेप

एडिप	विकलांग व्यक्तियों को सहायक यंत्र/उपकरण खरीदने/लगाने के लिए सहायता
एलिम्को	भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम
अपिओ	सहायक लोक सूचना अधिकारी
बीपीएल	गरीबी की रेखा के नीचे
कारा	केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी
सीसीसी	केन्द्रीय समन्वय समिति
सीसीडी	निःशक्त व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त
सीडीएन	समन्वय
सीईसी	केन्द्रीय कार्यकारी समिति
सीएलएम	भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त
सीपीएल	वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस
सीआरसी	संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्र
सीआरआर	केन्द्रीय पुनर्वास केन्द्र
सीवीओ	केन्द्रीय सतर्कता अधिकारी
सीडब्ल्यू	बाल कल्याण
सीडब्ल्यूसी	केन्द्रीय वक्फ परिषद
डीडी	विकलांगता प्रभाग
डीडीआरसी	जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र
डीडीआरएस	दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना
डीकेएस	दरगाह ख्वाजा साहेब
डीओपीटी	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
डीपी	नशीले पदार्थ दुरुपयोग निवारण
डीआरसी	जिला पुनर्वास केन्द्र
इबीसी	आर्थिक रूप से पिछ्डा वर्ग
इसी	कार्यकारी परिषद
एफडीआर	नियत जमा प्राप्तियां
एफआईएन	वित्त
फीनगोडप	नशीले पदार्थ दुरुपयोग संबंधी भारतीय गैर सरकारी संगठन परिसंघ
जीसी	साधारण परिषद
आईएफ	आंतरिक वित्त

आईपीएच	विकलांग जन संस्थान
आईएसआईसी	भारतीय मेरूदंड क्षति केन्द्र
आईटीआई	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
एलडीसी	अवर श्रेणी लिपिक
एमएंडबीसी	मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान
एमसी	मानिटरिंग सैल
नाको	राष्ट्रीय एडस नियंत्रण संगठन
एनबीसीएफडीसी	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम
एनसीबीसी	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
एनसीएम	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग
एनसीओपी	राष्ट्रीय वृद्धजन परिषद
एनसीआरएलएम	राष्ट्रीय धार्मिक तथा भाषाई अल्पसंख्यक आयोग
एनसीएससी	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
एनसीएसके	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग
एनएफपीडी	निःशक्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय कोष
एनजीओ	गैर-सरकारी संगठन
एनएचएफडीसी	राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम
एनआई	राष्ट्रीय संस्थान
एनआईईपीएमडी	राष्ट्रीय निःशक्त व्यक्ति सशक्तिकरण संस्थान
एनआईएचएच	राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान
एनआईएमएच	राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान
एनआईओएच	राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान
एनआईपीओटी	राष्ट्रीय प्रोस्थेटिक तथा आर्थोटिक संस्थान
एनआईआरटीएआर	राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान
एनआईएसडी	राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान
एनआईवीएच	राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान
एनएमएफडीसी	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम
एनओएस	राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति
एनपीओपी	वृद्धजनों के लिए राष्ट्रीय नीति
एनएसएफडीसी	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम
एनएसकेएफडीसी	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम
एनएसएस	राष्ट्रीय सेवा योजना
एनवाईकेएस	नेहरु युवक केन्द्र संगठन
ओबीसी	अन्य पिछड़ा वर्ग
ओएल	राजभाषा

पीएंडएओ	वेतन एवं लेखा अधिकारी
पीसीआर	सिविल अधिकार संरक्षण
पीआईओ	लोक सूचना अधिकारी
पीओए	अत्याचार निवारण
प्रेम	योजना, अनुसंधान, मूल्यांकन और मॉनिटरिंग
पीआरआई	पंचायती राज संस्था
पीआरओ	जन संपर्क अधिकारी
पीडब्ल्यूडी	लोक निर्माण विभाग
आरएसी	अनुसंधान सलाहकार समिति
आरसीआई	भारतीय पुनर्वास परिषद
आरआई	रिपोर्ट कार्यान्वयन
आरएल	सूचियों में संशोधन (अनुसूचित जातियों की)
आरआरटीसी	क्षेत्रीय संसाधन तथा प्रशिक्षण केन्द्र
आरएसआइसी	क्षेत्रीय मेरुदंड क्षति केन्द्र
आरटीआई	सूचना का अधिकार
एससी	अनुसूचित जाति
एससीए	राज्य माध्यम एजेंसी
एससीडी	अनुसूचित जाति विकास
एससीडीसी	राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम
एससीपी	विशेष संघटक योजना
एसडी	समाज रक्षा
एसजेएंडई	सामाजिक न्याय और अधिकारिता
एसटी	अनुसूचित जनजाति
यूडीसी	उच्च श्रेणी लिपिक
यूएनओडीसी	नशीले पदार्थ तथा अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय
डब्ल्यूसीडी	महिला एवं बाल विकास